वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

एनएचपीसी
NHPC

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

निगम का दृष्टिकोण

जल विद्युत तथा जल संसाधनों का पर्यावरण के प्रति पूर्णत: सचेत रहते हुए सतत विकास करने वाला विश्व स्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं बहुविध व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरणीय अनुकूलता एवं सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान - विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मण्डल 3

कारपोरेट रूपरेखा 4

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष) 6

अध्यक्षीय सम्बोधन 9

निदेशकों की रूपरेखा 11

निदेशकों की रिपोर्ट 15

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 63

वार्षिक लेख 68

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट 109

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 118

वार्षिक लेख 122

एलडीएचसीएल

निदेशकों की रिपोर्ट 155

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 164

वार्षिक लेख 170

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 195

वित्तीय विवरण 198

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर) - बांध

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल

31.07.2010 को

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

श्री डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)

श्री जे.के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर.एस. मीना
निदेशक (कार्मिक)

श्री राकेश जैन
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री सुधीर कुमार
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्रीमती कोमल आनंद
स्वतंत्र निदेशक

श्री ए.के. मागो
स्वतंत्र निदेशक

श्री रमन सिद्धू
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. जेयासीलन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम
स्वतंत्र निदेशक

श्री के. धर्मराजन
स्वतंत्र निदेशक

श्री ए. गोपालाकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक

कम्पनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स जी.एस.ए. एण्ड एसोसिएटस,
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
16, डी.डी.ए. फ्लैट्स,
शिवालिक, पंचशील मोड,
नजदीक मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110 017

मैसर्स ओ.पी. गर्ग एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
15 बी/बी गांधी नगर,
जम्मू तवी (जे एण्ड के) – 180 004

मैसर्स के के घई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
806, हेमकुन्ट हाऊस,
6, राजेन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

मैसर्स के सी भट्टाचार्जी एण्ड पॉल
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
2, चर्च लेन, तीसरा तल,
कमरा नं. 304-बी, कोलकाता-700 001

मैसर्स एन सरकार एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स,
21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता-700 072

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
इंडियन ओवसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.
डच्च बैंक
एक्सीज बैंक
बैंक ऑफ भूटान
स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आईडीबीआई लि.
एचडीएफसी बैंक लि.

रजिस्टर एण्ड शेयर ट्रान्सफर एजेंट
कर्वे कॉम्प्युटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट नं.: 17 से 24, विठ्ठलराव नगर,
माधपुर, हैदराबाद – 500 081
टे.: 040-23420815 से 824
फैक्स : 040-23420814
ई-मेल: einward.ris@karvy.com
वेबसाईट: www.karvycomputershare.com
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि.,
(बॉण्ड के लिए)
बी-106, सेक्टर-21,
नोएडा ए-201301 (उत्तर प्रदेश)
टे.: 0120-4015880
ई-मेल: info@rcmcdelhi.com.

शेयर लिस्टेड :
बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज लि.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

डिपॉजिटरीज
नेशनल सेक्यूरीटीज डिपॉजिटरी लि.
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि.

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
बिक्री	**	4218.90	2671.85	2243.73	1754.12
विविध आय	@	673.19	589.64	911.77	433.38
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कार पूर्व लाभ	$	3892.41	2201.76	2201.93	1610.04
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ		2402.08	1178.34	1146.65	1087.74
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर लाभांश के पश्चात लाभ		2090.50	1075.22	1004.09	924.80
लाभांश		676.54	325.00	300.00	278.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचित)		10972.45	6798.13	6093.34	5367.05
निगम के स्वामित्व वाली					
सकल नियत परिसंपत्तियां		21302.37	21460.08	20639.51	12943.64
मूल्यह्रास		4907.44	3816.27	3262.66	2850.92
निवल अचल परिसंपत्तियां		**16394.93**	**17643.81**	**17376.85**	**10092.72**
चालू पूंजीगत कार्य		12802.50	9401.77	6318.64	11399.92
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		1222.52	1096.85	1077.34	856.43
निवेश		4394.05	2793.60	3049.22	3322.75
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां		3903.95	605.76	713.03	-345.60
पश्च लेख न किया गया विविध व्यय		-	2.33	0.34	25.80
		38717.95	**31544.12**	**28535.42**	**25352.02**
निगम द्वारा देय					
निवल मूल्य					
- शेयर पूंजी		12300.74	11182.49	11182.49	11207.04
- आरक्षित		10972.45	6798.13	6093.34	5367.05
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के रूप में अग्रिम तौर पर प्राप्त आय		1437.44	1329.47	1303.26	1245.98
ऋण		13868.22	12234.03	9956.33	7531.95
स्थगित कर देयता (निवल)		139.10	-	-	-
		38717.95	**31544.12**	**28535.42**	**25352.02**
प्रचालन कार्य निष्पादन		**2009-10**	**2008-2009**	**2007-2008**	**2006-2007**
उत्पादन (एम.यू.)		16960	16689	14813	13049
मशीन उपब्धता (प्रतिशत)		84.10	93.61	96.13	94.11
बिक्री (करोड़ रुपये में)		4218.90	2671.85	2243.73	1754.12
जनशक्ति (संख्या)		11712	12028	12341	12768

** बिक्री टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है।

@ संविदाओं के प्रति प्राप्ति शामिल है

$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात्

(करोड़ रुपये में)

2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
1614.11	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00	1179.90
359.55	393.80	551.69	302.96	330.40	575.70
1454.71	1438.86	1477.37	1153.39	1183.50	1209.70
812.16	777.53	643.48	555.00	513.10	484.20
742.75	684.58	621.38	510.50	470.90	443.40
223.00	140.00	120.00	75.00	50.00	30.00
4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50	2139.10
12755.52	10876.28	10342.71	8280.95	8113.50	7892.70
2527.83	2148.20	1882.95	1672.19	1526.70	1280.10
10227.69	**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**
8844.19	8787.19	6975.83	7078.00	5218.30	3710.80
778.95	770.14	805.55	621.74	525.50	613.00
3832.81	3769.43	3660.87	2415.66	1965.00	679.90
-225.34	138.69	107.76	1889.77	1512.20	1864.20
24.55	1.18	0.71	1.20	2.00	9.80
23482.85	**22194.71**	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**
10576.09	9933.27	8629.03	7240.61	6345.70	5188.20
4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50	2139.10
1030.18	1071.15	939.40	801.06	648.40	519.90
7166.69	7021.80	6847.78	7507.76	6217.20	5643.10
-	-	-	-	-	-
23482.85	**22194.71**	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**
2005-2006	**2004-2005**	**2003-2004**	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**
12567	11286	11046	9863	8912	8774
98.16	95.30	96.82	96.62	96.86	92.09
1614.11	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00	1179.90
13118	13470	13648	13017	13054	11850

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष)

	वित्तीय		2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
क	ऊर्जा की बिक्री	$	4326.87	2698.06	2301.00	1969.93
ख	मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		107.97	26.21	57.27	215.81
ग	अन्य आय (निर्माण तथा परामर्शी प्राप्ति शामिल है)	#	673.19	589.64	911.77	433.38
घ	**कुल आय (क)-(ख)+(ग)**		**4892.09**	**3261.49**	**3155.50**	**2187.50**
ङ	उत्पादन एवं अन्य व्यय (सविंदा, तथा परामर्शी व्यय शामिल है)		999.68	1059.73	953.57	577.46
च	**सकल अंतर (घ) - (ङ)**		**3892.41**	**2201.76**	**2201.93**	**1610.04**
छ	मूल्य ह्रास		1033.25	518.24	443.74	290.55
ज	**सकल लाभ (च) - (छ)**		**2859.16**	**1683.52**	**1758.19**	**1319.49**
झ	ब्याज एवं वित्त प्रभार		457.08	505.18	611.54	231.75
ञ	**शुद्ध लाभ (ज) - (झ)**		**2402.08**	**1178.34**	**1146.65**	**1087.74**
ट	कर		311.58	103.12	142.56	162.94
ठ	**कर पश्चात शुद्ध लाभ (ञ) - (ट)**		**2090.50**	**1075.22**	**1004.09**	**924.80**
ड	**उत्पादित आंतरिक संसाधन (छ)+(ठ)+(ख)**		**3231.72**	**1619.67**	**1505.10**	**1431.16**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
ण	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**	12300.74	11182.49	11182.49	11207.04
त	आरक्षित एवं अधिशेष		10972.45	6798.13	6093.34	5367.05
थ	ऋण निधि		13868.22	12234.03	9956.33	7531.95
द	मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम में प्राप्त आय **(ककघ)**		1437.44	1329.47	1303.26	1245.98
ध	सकल अचल परिसंपत्तियां		21302.37	21460.08	20639.51	12943.64
न	मूल्यह्रास		4907.44	3816.27	3262.66	2850.92
प	**निवल अचल परिसंपत्तियां (ध) - (न)**		**16394.93**	**17643.81**	**17376.85**	**10092.72**
फ	चालू पूंजीगत कार्य		12802.50	9401.77	6318.64	11399.92
ब	निर्माण भंडार एवं अग्रिम		1222.52	1096.85	1077.34	856.43
भ	निवेश		4394.05	2793.60	3049.22	3322.75
म	कार्यशील पूंजी		3903.95	605.76	713.03	-345.60
य	बट्टे खाते नहीं डाला गया विविध व्यय		0.00	2.33	0.34	25.80
कक	**नियोजित सकल पूंजी (प)+(फ)+(ब)+(भ)+(म)**		**38717.95**	**31541.79**	**28535.08**	**25326.22**
कख	**निवल मूल्य (ण)+(त)-(य)**		**23273.19**	**17978.29**	**17275.49**	**16548.29**
कग	**पावर स्टेशनों में उपयोग हेतु मांग सूची**		4.28	8.92	6.15	6.56
कध	**मूल्यवर्धन**		**4214.62**	**2662.93**	**2237.58**	**1747.56**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान शामिल है

** इक्विटी में समायोजन योग्य शेयर जमा तथा भारत सरकार निधि शामिल है।

संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं।

	अनुपात	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
1	नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (ज)/(क)	7.38%	5.34%	6.16%	5.21%
2	निवल मूल्य पर प्रतिफल (ठ)/(कख)	8.98%	5.98%	5.81%	5.59%
3	नियोजित सकल पूंजी में निवल बिक्री ((क)-(ख)/(कक)	10.90%	8.47%	7.86%	6.93%
4	निवल बिक्री में मूल्यवर्धन (कघ)/((क)-(ख))	99.90%	99.67%	99.73%	99.63%
5	ऋण तथा इक्विटी अनुपात (थ)/((ण)+(त)+(द))	0.60	0.68	0.58	0.45
6	निवल बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/((क)-(ख))	49.55%	40.24%	44.75%	52.72%

(करोड़ रुपये में)

2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
1661.99	1581.73	1414.43	1324.86	1349.60	1313.70
47.88	131.75	138.34	152.63	128.60	133.80
359.55	393.80	551.69	302.96	330.40	575.70
1973.66	**1843.78**	**1827.78**	**1475.19**	**1551.40**	**1755.60**
518.95	404.92	350.41	321.80	367.90	545.90
1454.71	**1438.86**	**1477.37**	**1153.39**	**1183.50**	**1209.70**
269.57	248.97	208.14	140.36	231.60	238.70
1185.14	**1189.89**	**1269.23**	**1013.03**	**951.90**	**971.00**
372.98	412.36	625.75	458.03	438.80	486.80
812.16	**777.53**	**643.48**	**555.00**	**513.10**	**484.20**
69.41	92.95	22.10	44.50	42.20	40.80
742.75	**684.58**	**621.38**	**510.50**	**470.90**	**443.40**
1060.20	**1065.30**	**967.86**	**803.49**	**831.10**	**815.90**
15000.00	15000.00	15000.00	10000.00	7000.00	7000.00
10576.09	9933.27	8629.03	7240.61	6345.70	5188.20
4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50	2139.10
7166.69	7021.80	6847.78	7507.76	6217.20	5643.10
1030.18	1071.15	939.40	801.06	648.40	519.90
12755.52	10876.28	10342.71	8280.95	8113.50	7892.70
2527.83	2148.20	1882.95	1672.19	1526.70	1280.10
10227.69	**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**
8844.19	8787.19	6975.83	7078.00	5218.30	3710.80
778.95	770.14	805.55	621.74	525.50	613.00
3832.81	3769.43	3660.87	2415.66	1965.00	679.90
-225.34	138.69	107.76	1889.77	1512.20	1864.20
24.55	1.18	0.71	1.20	2.00	9.80
23458.30	**22193.53**	**20009.77**	**18613.93**	**15807.80**	**13480.50**
15261.43	**14100.58**	**12222.59**	**10305.11**	**8942.20**	**7317.50**
12.02	7.73	2.67	2.65	6.90	7.10
1602.09	**1442.25**	**1273.42**	**1169.58**	**1214.10**	**1172.80**

2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
5.05%	5.36%	6.34%	5.44%	6.02%	7.20%
4.87%	4.85%	5.08%	4.95%	5.27%	6.06%
6.88%	6.53%	6.38%	6.30%	7.72%	8.75%
99.26%	99.47%	99.79%	99.77%	99.43%	99.40%
0.47	0.50	0.56	0.73	0.70	0.77
46.02%	47.21%	48.69%	43.55%	38.57%	37.58%

510 मेगावाट तीस्ता-V पावर स्टेशन (सिक्किम) - बांध

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय सम्बोधन

अध्यक्षीय सम्बोधन

प्रिय शेयरधारको,

मुझे 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। एनएचपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2009-10 में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन को दर्शाया है तथा अपने पिछले रिकार्डों को पार करते हुए श्रेष्ठ मानक स्थापित किया है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने 2090 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करते हुए 4327 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया है, जो इसकी स्थापना से अब तक का सबसे अधिकतम है। लाभभोक्ता राज्यों से राजस्व उगाहियों की वसूली राशि द्वारा भी एक नए रिकार्ड को कायम करते हुए पिछले वर्ष की 2420 करोड़ रुपए की तुलना में 3604 करोड़ रुपए प्राप्त किया गया है।

आपके निदेशकों द्वारा इस लेखा वर्ष 2009-10 के लिए प्रति शेयर 0.55 रुपए अंतिम लाभांश की संस्तुति की गई है।

एनएचपीसी लिमिटेड सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। अपने स्थापना वर्ष सन् 1975 से निरन्तर विकास की ओर अग्रसर होते हुए समृद्ध होती जा रही है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने पहले ही 1150 मेगावाट अपनी तीन परियोजनाएं अर्थात एनएचडीसी की ओंकारेश्वर (520 मेगावाट), तीस्ता-V (510 मेगावाट) तथा सेवा-II (120 मेगावाट) जिसका संचालन हाल ही में किया गया है, के माध्यम से अपनी उर्जा क्षमता में बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त, चमेरा-III, उड़ी-II, टीएलडीपी-III, टीएलडीपी-IV, पार्बती-III, निम्मो-बाजगो, चुटक एवं सुबानसिरी लोअर परियोजनाओं के भाग, निर्माण के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है तथा वर्तमान योजना अवधि के अन्तर्गत संचालित किया जाना निर्धारित है।

अगस्त, 2009 में कंपनी का आइपीओ सफलतापूर्वक प्रारम्भ करने के बाद, जो लगभग 24 गुना तक ओवरसब्सक्राइब्ड हुआ था, अब 1 सितम्बर, 2009 से प्रभावित एनएसई एवं बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध है।

आपकी कंपनी के सशक्त कार्य-निष्पादन क्षमता के परिणामस्वरुप उर्जा व्यवसाय के क्षेत्र में इसकी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जल विद्युत के विकास के क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता की भूमिका को निरन्तर बनाए रखते हुए एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अपनी अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के माध्यम से 1320 मेगावाट की थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के साथ थर्मल पावर व्यवसाय में प्रवेश कर चुकी है, जिसका कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौंपा गया है। समान क्षमता वाली अन्य थर्मल पावर परियोजना का भी विकास किया जाना है, जो अभी विचाराधीन है। उपरोक्त के अतिरिक्त 100 मेगावाट की एक पवन उर्जा परियोजना की स्थापना के लिए स्थल का आवंटन किया गया है।

वर्ष के दौरान मणिपुर राज्य में अवस्थित 66 मेगावाट की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु एनएचपीसी लिमिटेड तथा मणिपुर सरकार के बीच लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम बनाया गया है।

आपकी कंपनी ने मणिपुर में 1500 मेगावाट की तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (बहुउद्देशीय) के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु मणिपुर सरकार तथा एसजेवीएन लिमिटेड के साथ अप्रैल, 2010 मे एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।

आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बीच परामर्शी सेवाओं में हमारी विकास जनित विशेषज्ञता एक और गर्व करने योग्य उपलब्धि है। वर्ष, 2020 तक 10000 मेगावाट जल विद्युत के विकास के लिए भारत-भूटान सहयोग पर 'एक्शन प्लान' के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा भूटान में

चमखरचू-I जल विद्युत परियोजना (670 मेगावाट) तथा कुरी गोंगरी जल विद्युत परियोजना (1800 मेगावाट) के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य एनएचपीसी को सौपा गया है। मार्च, 2010 में मांगदेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के पूर्व निर्माण गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु एनएचपीसी लिमिटेड तथा उर्जा विभाग, शाही भूटान सरकार के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किया गया है।

परामर्शी सेवाओं के लिए म्यांमार में 1200 मेगावाट तमंथी तथा 642 मेगावाट स्वेजये परियोजना के लिए अतिरिक्त अन्वेषण तथा अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किए जाने का कार्य करने हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ जनवरी, 2010 में आपकी कंपनी द्वारा करार भी किया गया है। इस कार्य के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। जून, 2010 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने म्यांमार में इन परियोजनाओं के लिए 'निष्पादन एजेंसी' के रूप में एनएचपीसी को पदनामित किया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) के अंतर्गत यथा परिकल्पित दूरस्त गावों में बिजली उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय पहल के हिस्से के तौर पर आपकी कंपनी को बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में 27 जिलों के अन्तर्गत 2450 करोड़ रुपए के अवार्ड किए गए लागत पर 31909 गांवो का विद्युतीकरण कार्य आबंटित किया गया है। 2009-10 के दौरान, एनएचपीसी ने 8092 गांवो (5391 आंशिक तौर पर विद्युतीकृत गांवो सहित) का विद्युतीकरण किया है और 6.03 लाख बीपीएल घरों में सर्विस कनैक्शन प्रदान किए है।

45 मेगावाट की निम्मो-बाजगो और 44 मेगावाट की चुटक परियोजनाओं को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पहले से ही पंजीकृत कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक 17 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं नीतिगत कार्य प्रणाली के प्रति आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता ने बड़े पैमाने पर समाज के आर्थिक विकास में योगदान दिया है एवं आंतरिक के साथ-साथ बाहरी हितधारकों के जीवन स्तर में सुधार भी किया है। बेहतर कारपोरेट नागरिक के रूप में एनएचपीसी द्वारा पावर स्टेशनों पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी), पहलों पर योजनाएं बनाई गईं हैं। आपकी कंपनी ने पावर स्टेशनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के आस-पास रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी विकास, खेल-कूद एवं संस्कृति, रोजगार के अवसर का विकास, आदि के क्षेत्रों में अनेक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-समुदाय विकास पहलों को शामिल किया है।

कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके साथ ही यह जल विद्युत दोहन के अपने उद्देश्यो को पूरा करती है। इसकी निर्माण गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मामले में कंपनी, उपयुक्त उपायों को अपना कर मुआवजा के माध्यम से इस प्रकार के प्रभावों को कम किए जाने हेतु विशेष ध्यान रखती है। एनएचपीसी, परियोजना प्रभावित परिवारों की समस्याओं, चिन्ताओं तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। एनएचपीसी ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति, 2007 आधारित अपनी स्वयं की पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास (आर एण्ड आर) नीति, 2007 का निर्माण किया है तथा एनआरआरपी 2007 में प्रस्तावित कुछ अतिरिक्त लाभों को भी प्रदान किया है।

हमारे 11700 मजबूत कार्यदल हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति है और इस संगठन के शानदार निष्पादन के मुख्य आधार हैं। अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें उपयुक्त कार्य माहौल प्रदान करना कंपनी की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कर्मचारियों की क्षमताओं को उभारने एवं विकसित करने के अवसर प्रदान करने हेतु कंपनी ने कई नूतन नीतियां एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। 98 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हमने शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखा है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान किसी भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई।

आपकी कंपनी भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रतिभा विकास लक्ष्य में सक्रियतापूर्वक शामिल है और उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य कर रही है। हमने पूर्व में अपनाए गए तीन आईटीआई के अतिरिक्त 2009-10 में आठ और आईटीआई को अपनाया है।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि निगम मुख्यालय में ईआरपी के प्रारंम्भिक कार्यान्वयन के उपरांत, आपकी कंपनी ने 30 अन्य स्थानों पर भी ईआरपी शुरू किये हैं, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालय, पावर स्टेशन एवं परियोजनाएं भी शामिल है।

आपकी कंपनी राजभाषा के उपयोग को अत्यधिक महत्व देती है। अनेक नूतन योजनाओं के माध्यम से कार्यालयीन व्यवहार में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनएचपीसी को वर्ष 2008-09 के लिये ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार'' प्रदान किया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड है।

हमारे हितधारकों का समर्थन, उत्साह और सहयोग हम लोगों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्त्रोत रहा है। मैं इस अवसर का उपयोग विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं योजना आयोग द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहायता हेतु उन्हें धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूं। मैं, हमें दिए गए समर्थन तथा मार्गदर्शन हेतु वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग और विद्युत बोर्डों सहित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों को उनके द्वारा एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता तथा विश्वास बनाए रखने और उनकी सतत् वित्तीय सहायता हेतु हार्दिक धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूंगा।

मैं सभी स्तरों पर कार्यरत एनएचपीसी कार्मिकों, उनके कार्य निष्पादन के प्रति समर्पण, परिश्रम एवं प्रतिबद्धता का इस अवसर पर विशेष तौर पर उल्लेख करता हूं।

मैं अपने सभी शेयरधारकों को इस कंपनी की सफलता के लिए उनके योगदान हेतु धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बोर्ड के सभी निदेशकों का उनके मूल्यवान योगदान और सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कंपनी को उपलब्धि की नई शिखर छूने के समर्थ बनाया।

(एस.के. गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की रुपरेखा

निदेशकों की रुपरेखा

श्री एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. गर्ग (डीआईएन : 00055651) आयु 59 वर्ष, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। श्री गर्ग श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारक हैं। श्री गर्ग एक योग्य सनदी लेखाकार हैं तथा 1973 से भारतीय सनदी लेखाकार के सदस्य हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आपको लगभग 36 वर्ष का अनुभव है जिसमें विद्युत क्षेत्र में सात वर्षों का अनुभव भी शामिल है। हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर 29 वर्षों की सेवा की तथा अंत में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य किया। आपको 1 जुलाई, 2003 से हमारे निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया तथा 1 अक्तूबर, 2005 से 22 जनवरी, 2007 तक आपको अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। पदोन्नति के उपरांत आप दिनांक 23 जनवरी, 2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए। आपके कुशल नेतृत्व में एनएचपीसी को भारत सरकार द्वारा इसे मिनी रत्न की श्रेणी-। का दर्जा दिया गया तथा 1 सितम्बर, 2009 से कंपनी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हुई। श्री गर्ग लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार का एक संयुक्त उपक्रम) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ हमारी सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। श्री गर्ग को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है जैसे इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकांउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी 2008 में, ''सीए प्रोफेशनल मैनेजर पुरस्कार'' दिसंबर, 2008 में प्रोजक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट द्वारा ''सीईपीएम - और पीएमए ऑनररी फैलोशिप पुरस्कार'' अवैतनिक फैलोशिप पुरस्कार तथा 2009 में इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक स्टडीज द्वारा ''भारतीय शिरोमणि पुरस्कार''। श्री गर्ग बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए), यू.के. तथा विभिन्न अन्य व्यावसायिक निकायों और उद्योग संघों के भी सदस्य हैं।

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (डीआईएन : 01601682) आयु 55 वर्ष, हमारे निदेशक (वित्त) हैं। आप वित्त व्यवसाय एवं कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री धारक है। श्री श्रीवास्तव सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य भी हैं। आपने विभिन्न संगठनों में अपनी सेवाएं दी है तथा वित्त क्षेत्र में आपका तीस वर्षों का विविध अनुभव है। आपने वर्ष 1999 में प्रमुख (वित्त) के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) में कार्यभार संभाला तथा वर्ष 2004 में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में आपकी पदोन्नति हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड में अपनी सेवा अवधि के दौरान आप संसाधन जुटाना, परियोजना मूल्यांकन तथा इसके प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर के साथ नजदीकी से जुड़े रहे। आप आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल रहे जो पूरी तरह से आरईसी की स्वयं की सहायक कंपनी है। आपने उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में भी उप- महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में अपनी सेवाएं दीं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डी.ए.वी. कालेज, कानपुर में लेक्चरर के रूप में भी कार्य किया है। आप नामिती निदेशक के रूप में मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी है। आपने हमारे बोर्ड में 11 फरवरी, 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री श्रीवास्तव हमारी कंपनी के वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वाणिज्य प्रभाग के प्रभारी है।

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

श्री डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)

श्री डी.पी. भार्गव (डीआईएन : 01277269), आयु 53 वर्ष, हमारे निदेशक (तकनीकी) हैं। आप रूड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं। आपको जल विद्युत क्षेत्र में लगभग 31 वर्षों का अनुभव है। जबकि हमारी कंपनी में, आप कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं/विद्युत केन्द्रों के डिजाइन, विनिर्माण परीक्षण एवं प्रारंभ करने, संचालन तथा अनुरक्षण कार्यों में संलग्न रहे हैं। आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकड़ी जल विद्युत केन्द्र में भी कार्य किया है तथा आप हमारी सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक निदेशक भी थे। आपने हमारी कंपनी में कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में भी कार्य किया है। श्री भार्गव हमारे बोर्ड में 26 मार्च, 2009 को शामिल हुए। आप वर्तमान में, हमारी कंपनी में पावर स्टेशनों के डिजाइन इंजीनियरी, संविदाओं, योजना, संचालन तथा अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन तथा निरीक्षण सहित कई कार्यकलापों के प्रभारी है।

श्री जे.के. शर्मा (डीआईएन : 00387785) आयु 52 वर्ष, हमारे निदेशक (परियोजनाएं) हैं। आप इंदौर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक है। आप अमेरिकी सिविल इंजीनियरी सोसायटी के एक सदस्य है। आप इंजीनियरी संस्थान तथा चार्टर्ड इंजीनियर्स भारत के भी सदस्य है। आपको भारत तथा विदेशों में जल विद्युत के क्षेत्र में 31 वर्षों का अनुभव है। हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में निदेशक (सिविल) के रूप में सेवाएं दी हैं। आप हमारे बोर्ड में 10 अप्रैल, 2009 को शामिल हुए। वर्तमान में हमारी कंपनी की परियोजनाओं के निर्माण, सर्वेक्षण एवं जांच के प्रभारी है।

श्री जे.के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर.एस. मीना
निदेशक (कार्मिक)

श्री आर.एस. मीना (डीआईएन : 00149956) आयु 53 वर्ष, हमारे निदेशक (कार्मिक) हैं। आप मौलाना आजाद कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री तथा इग्नू से वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व मानव संसाधन विकास में मास्टर डिग्री धारक हैं। आपके पास 29 वर्षों के कुल कार्य-काल में अकेले विद्युत क्षेत्र में 28 वर्षों का अनुभव है। पारेषण लाइनों एवं जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी कार्यों जैसे डिजाइन, इजीनियरी, निर्माण, कार्य-निष्पादन, परीक्षण एवं प्रारंभ करने इत्यादि के संचालन के अतिरिक्त इन्होंने मानव संसाधन विकास, कारपोरेट संचार, राजभाषा एवं सुविधा प्रबंधन प्रभागों की भी अध्यक्षता की हैं। आपने हमारी कंपनी में 1 मई, 1981 से 19 नवम्बर, 1991 तक कार्य किया तथा उसके बाद आपने पीजीसीआइएल ज्वाइन किया। आपने पुन: 18 दिसंबर, 1998 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। हमारे बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, आपने हमारी कंपनी के कार्यपालक निदेशक (कन्सलटेंसी एवं बिजनेस डेवलपमेन्ट) तथा कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-III (कोलकाता) के रूप में भी सेवाएं दी है। आप हमारे बोर्ड में 28 अप्रैल, 2009 को शामिल हुए। वर्तमान में, आप हमारी कंपनी के मानव संसाधन विकास कार्यकलापों, कारपोरेट संचार, संपदा एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, कन्सलटेंसी एवं बिजनेस डेवलपमेन्ट के कार्यकलापों के प्रभारी हैं।

श्री राकेश जैन (डीआईएन : 02682574) (सरकारी अंशकालिक निदेशक), आयु 53 वर्ष, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री धारक हैं। आप इन्डियन ऑडिट व एकाउन्ट्स सर्विस (1981) के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (जेएस व एफए) के पद पर कार्यरत हैं। श्री जैन नामिती निदेशक के रूप में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, पावर ग्रिड तथा ईईएसएल बोर्ड के निदेशक हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, आपने डायरेक्टर जनरल (लेखा हकदारी, शिकायतें व सूचना पद्धति) प्रधान निदेशक (रिपोर्ट स्टेट्स) – आफिस ऑफ कम्पट्रोलर व ऑडिटर जनरल आफ इंडिया, एकाउन्टेंट जनरल (एजी) (आडिट), राजस्थान; एजी (एई-II) मध्य प्रदेश; प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा), रांची तथा लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक, इम्बेसी ऑफ इंडिया, वाशिंगटन, यूएसए के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में कार्य किया है। आपने हमारे निदेशक मंडल में 29 सितम्बर, 2009 को कार्यभार ग्रहण किया)।

श्री राकेश जैन
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री सुधीर कुमार
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री सुधीर कुमार (डीआईएन : 02669103) (सरकारी अंशकालिक निदेशक), आयु 54 वर्ष, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से मास्टर डिग्री धारक हैं। आप वर्ष 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए तथा बिहार कैडर प्राप्त हुआ। आपने उप-विकास आयुक्त, रांची तथा उपायुक्त दुमका के पद पर रहते हुए मिलियन जल स्रोत कार्यक्रम के तहत गरीब आदिवासियों के लिए 'जल है जान है' योजना प्रारंभ किया। इस दौरान, 50,000 से अधिक सिंचाई वाले कुंए तथा जलाशय, सौ चेक डैम तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया गया। इन्हें नवम्बर, 1992 में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के रूप में जिले में सांप्रदायिक दंगा शुरू होने के दौरान वहां की स्थिति संभालने हेतु भेजा गया। आपने स्थिति को बखूबी अपने नियंत्रण में ले लिया तथा आपके कार्यकाल के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। उपायुक्त, धनबाद के पद पर इन्होंने लगभग 50,000 असंगठित कोयला ढ़ोने वाले मजदूरों को माफिया के चंगुल से छुड़ाया तथा उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बिहार के कार्यकाल के दौरान वाणिज्यिक कर राजस्व वृद्धि दर दोगुने अंकों में दर्ज की गई तथा विभाजन पूर्व स्तर से वर्ष 2004-05 का स्तर उपर आ गया। रेल मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में आपने वर्ष 2007-08 में 25,000 करोड़ रु. के आंतरिक उत्पादन के साथ देश में सबसे बड़े धन उपार्जनकर्ता के रूप में रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मंत्रीजी का सहयोग किया। आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2008 के लिए ''पब्लिक सर्विस एक्सेलेंस अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। इंडियन इन्सटिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा इन्हें भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए वर्ष 2007 में निदेशकों के विशेष अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप हमारे बोर्ड में 21 अक्तूबर, 2009 को शामिल हुए।

श्रीमती कोमल आनन्द, (डाआईएन : 01909263) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 64 वर्ष, आपने वर्ष 1968 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा कैडर) में कार्यभार ग्रहण किया। आपने 38 वर्षों तक राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी है। प्रारंभ के 17 वर्षों में आप दिल्ली मास्टर प्लान डिप्टी कमिश्नर कार्यान्वयन के रूप में पदस्थापित रहीं। बाद में आपकी नियुक्ति उप-सचिव, वाणिज्य के रूप में की गई जिसमें आपको चाय, कॉफी, रबड़ व इलायची उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा सरकार के अंतर्गत सचिव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय के रूप में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित नई योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ नारी एवं बच्चों के कल्याण के उत्कर्ष के लिए योजनाओं का भी आपने विकास किया। आप परिवार कल्याण, प्रतिरक्षीकरण तथा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित सभी नीतियों में भी संलग्न रहीं। आपने प्रारंभिक 1990-95 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। बाद में वर्ष, 2000-02 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति की गई तथा आपने हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित किया तथा स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकारी-निजी भागीदारी को आरंभ किया। वर्ष 2002 में आप सीएपीएआरटी की महानिदेशक बनी तथा देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 18000 से अधिक एनजीओ के साथ कार्य किया।

श्रीमती कोमल आनंद
स्वतंत्र निदेशक

आप सचिव, एमसीए के रूप में कंपनी संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रस्ताव को एवं तैयार करने तथा इसे संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में शामिल रही। कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा भारत के सीमित देयता साझेदारी अधिनियम तथा प्रतियोगिता अधिनियम में संशोधन को इनके मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया। देशभर में एमसीए 21 को शुरू करने के साथ देश में सभी पंजीकृत कंपनियों से संबंधित ई-गवर्नेस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आपने पूरा किया। आपने सेबी बोर्ड के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं हैं। आप हमारे बोर्ड में 2 अप्रैल 2008 को शामिल हुई।

श्री ए.के. मागो
स्वतंत्र निदेशक

श्री अरुण कुमार मागो (डीआइएन : 01624833) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 64 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आप भौतिकी में मास्टर डिग्री तथा सामाजिक विज्ञान में एम.फिल धारक है। आपने पेरिस से प्रबंधन एवं सार्वजनिक वित्त में तथा दिल्ली से लोक प्रशासन में डिप्लोमा ले रखा है। आप वर्ष 1967 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। आपको प्रशासनिक एवं प्रबंधन क्षेत्रों में 37 वर्ष का अनुभव है तथा आपने केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत ऊर्जा, विद्युत, बंदरगाह, शहरी अवसंरचना, उद्योग, पर्यावरण एवं वन क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें नीति, योजना एवं विद्युत कार्यान्वयन, बंदरगाह एवं शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। आप महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा मुंबई पोर्ट न्यास के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल निगम के प्रबंध निदेशक तथा खाद्य एवं दवा प्रशासन आयुक्त भी रहे हैं। आप मैसर्स येस बैंक, मैसर्स शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के भी स्वतंत्र निदेशक रहे हैं। आप भारत में इन्टर-कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज में एक सार्वजनिक प्रतिनिधि निदेशक भी रहे हैं। आप वर्ष 2004 में मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप हमारे बोर्ड में 3 अप्रैल 2008 को शामिल हुए।

श्री रमन सिद्धू (डीआईएन : 00121906) (स्वतंत्र निदेशक) : आयु 53 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आप सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री धारक हैं। आपने सनदी लेखाकार संस्थान, इंगलैण्ड एण्ड वेल्स, यू.के. से सनदी लेखाकार के रूप में अर्हता प्राप्त की है। आपको भारत में निवेश एवं कारपोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव है तथा यू.के. में दिवालियापन तथा परिसमापन व्यवसाय में दो वर्षों का अनुभव हैं। आपने फिडेलिटी निधियन प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड, भारत में कारपोरेट मामलों के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इससे पहले आप एचएसबीसी ग्रुप के बोर्ड में शामिल थे तथा एचएसबीसी सिक्योरिटीज तथा कैपिटल मार्केट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में तथा हांगकांग तथा शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड से साढ़े नौ वर्षों तक जुड़े रहे। इससे पूर्व भारत में बारकले बैंक ग्रुप के साथ कारपोरेट तथा निवेश बैंकिंग में निदेशक भी रहे। बारकले में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने भारत में एएनजैड ग्रिन्डलेज बैंक में कार्य किया तथा निजी बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा निवेश बैंकिंग में विभिन्न प्रबंधकीय हैसियत से कार्य किया। आप कॉमनवेल्थ सचिवालय के परामर्शदाता पैनल में भी शामिल रहे तथा वहां पर सचिवालय की तरफ से उद्योग मंत्रालय, त्रिनिदाद एवं टोबैंगो सरकार के सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स व इंडस्ट्री, भारत में एसोशिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स तथा इंडस्ट्री, बाम्बे चैंबर ऑफ कामर्स, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स तथा इंडियन मर्चेंट चैम्बर सहित भारत के बैंकिंग तथा विभिन्न मुख्य चैम्बर ऑफ कामर्स तथा वित्त समितियों से भी जुड़े रहे। आप संस्थानिक निवेशकों हेतु कारपोरेट गवर्नेस मानदंडों के लिए ''कोर समूह'' के सदस्य भी हैं जिसका गठन भारत उद्योग संघ के सहयोग से वित्त व कंपनी मामले मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय कारपोरेट गवर्नेस प्रतिष्ठान द्वारा किया गया था। आप हमारे बोर्ड में 7 अप्रैल 2008 को शामिल हुए।

श्री रमन सिद्धू
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. जेयासीलन
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर. जेयासीलन (डीआईएन : 02143850) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 62 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने वर्ष 1967 में मद्रास विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (सिविल) में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1979 में नार्वे तकनीकि संस्थान त्रोधियम से जल विद्युत में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। आपको जल संसाधन विकास, योजना, डिजाइन अनुवीक्षण तथा संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में लगभग 39 वर्षो का व्यापक अनुभव है। आपके विशेषज्ञता क्षेत्र में जल विद्युत स्कीमों का नियोजन एवं डिजाइनिंग, जल विज्ञान अवलोकन, बाढ़ भविष्यवाणी तथा परियोजनाओं की मानिटरिंग शामिल हैं। आपने वर्ष 1969 दिसम्बर में सहायक निदेशक के रूप में केन्द्रीय जल आयोग में कार्यभार ग्रहण किया। सिंचाई तथा जल निकासी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। आपने जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड के अंतर्गत भारत व विदेश में सात वर्षों की अवधि से अधिक परामर्शी सेवाओं के लिए भी कार्य किया है। आप नवम्बर, 2006 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप हमारे बोर्ड में 23 अप्रैल 2008 को शामिल हुए।

डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम, (डीआईएन : 02231128) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 64 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। प्रोफेसर ममकुटट्म वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी (एफएमएस), के अध्यक्ष व डीन हैं, जहां आप वर्ष 1985 से मानव संसाधन प्रबंधन व औद्योगिक संबंधी व्याख्याता रहे हैं। आपने वर्ष 1977 में मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की। आप शिक्षण, अनुसंधान व परामर्शी कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न रहे हैं। डॉ. ममकुटट्म अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान एवं कार्य अनुसंधान, यूडीएससी, भारत के ईईसी फेलो, ईएसएडीई। वार्सिलोना, एक्स्टर्नल एक्ज़ामिनर, विधि तथा प्रबंधन संकाय, मारीशस विश्वविद्यालय, सदस्य शासी निकाय, डीयू कॉलेज तथा अध्यक्ष/विश्वविद्यालय छात्रावास के सदस्य, एनजीओ तथा व्यावसायिक पत्रिकाओं के बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने भारत तथा दक्षिण एशिया व यूरोप में ट्रेड यूनियन, औद्योगिक संबंधों, नई तकनीक तथा मानव संसाधन प्रबंधन पर विशेष अनुसंधान कार्य किया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (आईएलओ), नेपाल औद्योगिक संबंध फोरम, बांग्लादेश नियोक्ता संघ, कौशल विकास निधियन (श्रीलंका), योजना आयोग, भारत सरकार, पांचवा वेतन आयोग, भारत सरकार, विभिन्न एमएनसी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों हेतु परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्य किया है।

डॉ. ममकुटट्म ने दो किताबें तथा व्यवसायिक पत्रिकाओं में 35 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित किए तथा पुस्तकों का संपादन किया है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आलेख को भी प्रस्तुत किया हैं। आप हमारे बोर्ड में 17 जून, 2008 को शामिल हुए।

श्री के. धर्मराजन
स्वतंत्र निदेशक

श्री के. धर्मराजन, (डीआईएन : 02322767) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 66 वर्ष, हमारे स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेन कॉलेज से भौतिकी में मास्टर डिग्री तथा पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. से ऊर्जा प्रबंधन एवं नीति में मास्टर ऑफ सांइस की डिग्री प्राप्त की हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में आपको व्यापार एवं वाणिज्य, शहरी शासन एवं गरीबी, ऊर्जा, वित्त एवं प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ लगातार 44 वर्षों का विविध अनुभव है। आपने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, वाणिज्य कर विभाग, तमिलनाडु सरकार सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में महा-निदेशक तथा संपत्ति कर सुधार, दिल्ली सरकार तथा संपत्ति कर की हार्डशिप और एनामाली समिति, दिल्ली की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने यूनाइटेड नेशन्स एजेंसी, विश्व बैंक, एशिया-पैसिफिक विकास केन्द्र तथा अन्य बहुस्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के संगठनों हेतु कई परमर्शी कार्यों को भी शुरु किया है। आप हमारे बोर्ड में 3 सितम्बर, 2008 को शामिल हुए।

श्री ए. गोपालाकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक

श्री ए. गोपालकृष्णन, (डीआईएन : 02880344) (स्वतंत्र निदेशक), आयु 58 वर्ष, तिरूवन्तंपुरम में मुख्यालय स्थित अत्यंत अनुभवी एवं विख्यात कंपनी, मैसर्स के. वेनकटाचलम अय्यर एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट में पार्टनर हैं। आपने पूरे भारत राष्ट्र के स्तर पर मई, 1974 में आयोजित सीए अंतिम परीक्षा में 13वां स्थान प्राप्त किया तथा सीए इंटर में 36वां स्थान प्राप्त किया हैं। आपने भारतीय औद्योगिक राज्य परिषद, केरल तथा कराधान अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में सदस्यता प्राप्त की हैं। आप चिन्मैया विद्यालय कोट्ट्यम के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (1999-2000) के कोट्टयम शाखा के अध्यक्ष थे।सीए की इंटर परीक्षा तथा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कोचिंग बोर्ड क्लासेज की फैकल्टी में रहे हैं। आपको वर्ष 2007-08 के लिए सीआईआई केरल क्षेत्र के आर्थिक मामलों तथा कराधान पैनल का संयोजक भी बनाया गया। आप दिसम्बर 2009 तक देना बैंक के निदेशक भी रहे।

आप विभिन्न व्यावसायिक निकायों जैसे आईसीएआई द्वारा आयोजित सम्मेलन व संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर आलेख प्रस्तुतीकरण में एक विशेषज्ञ के रूप में रहे हैं। आप हमारे बोर्ड में 15 दिसम्बर 2009 को शामिल हुए।

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

1. **वित्तीय निष्पादन**

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय निष्पादन को संक्षिप्त में नीचे दर्शाया गया है :-

सारणी-1 वित्तीय विशिष्टताएं **(रु. करोड़ में)**

विवरण	2009-10	2008-09
बिक्री	4326.87	2698.06
ब्याज एवं कर तथा मूल्यह्रास पूर्व लाभ	3892.41	2201.76
मूल्यह्रास	1033.25	518.24
मूल्यह्रास के पश्चात तथा ब्याज व कर पूर्व लाभ	2859.16	1683.52
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	457.08	505.18
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात् किन्तु कर पूर्व लाभ	2402.08	1178.34
कर	311.58	103.12
मूल्यह्रास ब्याज तथा कर के पश्चात् लाभ	2090.50*	1075.22
पहले के वर्षों के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	1963.66	1344.53
बांड पुन: प्राप्ति रिजर्व से लिखित राशि वापस	14.25	14.25
सेल्फ इंसोरेंस रिसर्व से लिखित राशि	-	0.06
वापस प्राप्त लाभांश पर कर	3.98	8.57
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	4072.39	2442.63
विनियोजन		
बांड पुन: प्राप्ति रिजर्व से अंतरण	100	-
सेल्फ इंसोरेंस रिसर्व फंड से अंतरण	32.99	98.74
अंतरिम लाभांश -	-	12.5
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	676.54	200.00
लाभांश पर कर		
अंतरिम	-	21.24
प्रस्तावित	112.36	33.99
बकाया को रिजर्व व अधिशेष में ले जाना	3150.50	1963.66

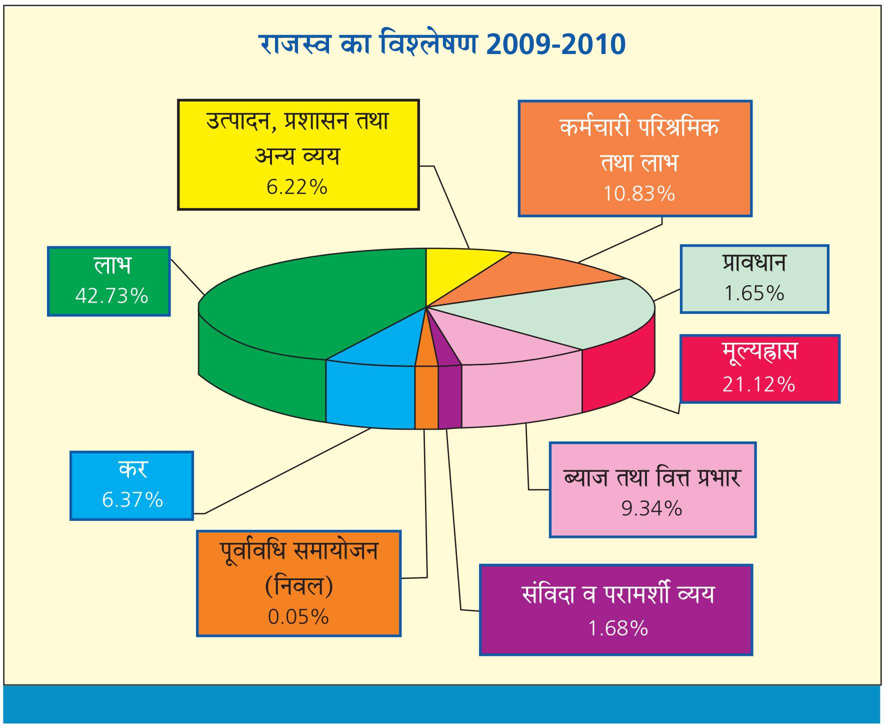

* वर्ष के दौरान मुख्यतया चमेरा-II, दुलहस्ती तथा तीस्ता-V विद्युत स्टेशन के टैरिफ का निर्धारण तथा बिक्री को मान्यता सी ई आर सी द्वारा दिनांक 01.04.2009 से लागू संशोधित टैरिफ मार्गदर्शन के तहत लाभ में वृद्धि हुई है।

2. **विद्युत उत्पादन**

एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2009-10 में देश के विभिन्न भागों में कार्यरत विद्युत स्टेशनों द्वारा समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्य 16381 मि.यू. के मुकाबले 16960 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया है जो कि 570 मि.यू. अधिक है इसलिए इसे 'बहुत अच्छा' की श्रेणी में रखा गया है। यह उत्पादन पिछले वर्ष (2008-09) की तुलना में वर्ष 2009-10 में 1.62 प्रतिशत अधिक है। जम्मू और कश्मीर में 120 मेगावाट वाली सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-II चालू की गई है और इसकी तीनों यूनिटें वाणिज्यिक प्रचालन में कार्यरत हैं।

3. **प्रस्तावित लाभांश**

आपके निदेशकों ने वर्ष 2009-10 हेतु 0.55 रु. प्रति शेयर के लाभांश (लाभांश कर छोड़कर) की सिफारिश की है।

4. **पूंजीगत ढांचा**

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी प्रारम्भिक सार्वजनिक आमंत्रण देने के लिए सामने आई हैं जिसमें सामान्य रूप से 24 गुना अधिक अंशदान हुआ है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आई पी ओ से शेयर पूंजी में 1118.24 करोड़ रु. जुड़ गए है। दिनांक 31.03.2010 तक 12300.74 करोड़ रु. अभिदत्त पूंजी है।

5. **वर्तमान में जारी परियोजनाओ की स्थिति**

कॉरपोरेशन निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में लगा हुआ है :

11 वीं योजना अवधि में लाभ देने वाली जल विद्युत परियोजनाएं	**प्रत्याशित विद्युत उत्पादन (मि.यू. वार्षिक)**	**प्रस्तावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**
उड़ी II, जम्मू एवं कश्मीर	1123.76	240
चमेरा III, हिमाचल प्रदेश	1104.00	231
निम्मो बाजगो, जम्मू एवं कश्मीर	239.00	45
चुटक, जम्मू एवं कश्मीर	216.00	44
पार्बती III, हिमाचल प्रदेश	1963.29	520
तीस्ता लो डैम III, पश्चिम बंगाल	594.07	132
तीस्ता लो डैम IV, पश्चिम बंगाल	720.00	160
11वीं योजना अवधि से आगे लाभ देने वाली जल विद्युत परियोजनाएं		
सुबानसिरी लोअर, असम/अरुणाचल प्रदेश	7421.00	2,000
पार्बती II, हिमाचल प्रदेश	3108.66	800
किशनगंगा, जम्मू एवं कश्मीर	1350.00	330
कुल		**4,502**

पारिस्थितिकीय बाधाओं, राष्ट्रीय आपदा एवं स्थानीय समस्याओं, निर्माण गतिविधियों जैसी चुनौतियों के बावजूद परियोजनाएं समापन के विभिन्न चरणों में हैं।

6. **नई स्कीमें**

स्वीकृति / अनुमोदन के अधीन परियोजनाएं

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**क्षमता**
1	कोटली भेल I-ए, उत्तराखण्ड	195 मेगावाट
2	कोटली भेल I-बी, उत्तराखण्ड	320 मेगावाट
3	कोटली भेल II, उत्तराखण्ड	530 मेगावाट
4	दिबांग, अरुणाचल प्रदेश	3,000 मेगावाट
5	तवांग-I, अरुणाचल प्रदेश	600 मेगावाट
6	तवांग-II, अरुणाचल प्रदेश	800 मेगावाट
7	पकल दूल, जम्मू एवं कश्मीर	1000 मेगावाट
8	किरू, जम्मू एवं कश्मीर	600 मेगावाट
9	क्वार, जम्मू एवं कश्मीर	520 मेगावाट
10	तिपाईमुख, मणिपुर	1500 मेगावाट
11	तीस्ता-IV, सिक्किम	520 मेगावाट

अधिकतर मामलों में इन सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है। इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजना की पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी प्रतीक्षित है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एनएचपीसी, जे के एस पी डी सी एवं पी टी सी के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर में चालू होनेवाली परियोजनाओं हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7. डी पी आर / एफ आर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी तथा सर्वेक्षण एवं जांच कार्य कंपनी द्वारा लिया गया है तथा विभिन्न चरणों में हैं।

क्रम सं.	परियोजनाएं	क्षमता
1	बरसर, जम्मू एवं कश्मीर	1,020 मेगावाट
2	चुंगर चल, उत्तराखण्ड	240 मेगावाट
3	गरबा तवाघाट, उत्तराखण्ड	630 मेगावाट
4	करमोली लूमटी तुली, उत्तराखण्ड	55 मेगावाट
5	लाचेन, सिक्किम	210 मेगावाट

8. परामर्शी एवं व्यापारिक विकास सेवाएं

डा. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री, भारत एवं जिग्मे केशर नामगांल वागंचुक, महामहिम भूटान नरेश की उपस्थिति में श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं महामहिम मेजर जनरल वेतशाप नांग्याल, शाही भूटान दूतावास के राजदूत भूटान में चमखरचू-। (670 मेगावाट) एवं कूरी गोगंरी (1800 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

एनएचपीसी देश के अग्रणी संगठनों को जल विद्युत विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रिवर बेसिन अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, भूवैज्ञानिक अध्ययन, जीओटैक्नीकल अध्ययन, जल अल्पकालिक अध्ययन, जल विज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपस्कर नियोजन, भूमिगत निर्माण, जांच करने, प्रचालन एवं रख-रखाव इत्यादि जैसी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। एनएचपीसी जल विद्युत के क्षेत्र में विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक एवं अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत फंड, केन्द्रीय जल आयोग, तथा कंसलटेंसी सर्विसेज इन द वैरियस फील्ड में परामर्शदाता के रूप में पंजीकृत हैं। आपकी कंपनी द्वारा की जानेवाली मुख्य परामर्शी कार्यों में भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियां जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है। 79 परामर्शी कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया गया हैं और इसके अलावा 17 कार्य हाथ में है।

वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट वाली जल विद्युत विकास के क्षेत्र में भारत-भूटान सहयोग पर चल रहे ''कार्य-योजना'' के तहत विद्युत मंत्रालय ने एनएचपीसी को भूटान में चमखरचू-। जल विद्युत परियोजना (670 मेगावाट) तथा कुरी गोंगरी जल विद्युत परियोजना (1800 मेगावाट) के डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा हैं। मार्च, 2010 में भूटान में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएचपीसी लि. तथा ऊर्जा विभाग, शाही भूटान सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी (केन्द्र), श्री एच. के. शर्मा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन लिमिटेड (दांए) एवं श्री एल. पी. गोनमई, प्रमुख सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार (बांए) 1500 मेगावाट तिपाईमुख जलविद्युत (बहुउद्देशीय) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सयुंक्त उद्यम के निर्माण के पश्चात।

एनएचपीसी ने जनवरी, 2010 में विदेश मामले मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्शी कार्यों के तौर पर म्यांमार में बहु उद्देशीय परियोजना के लिए 1200 मेगावाट तामंथी और 642 मेगावाट स्वीजेई जल विद्युत की अद्यतन डीपीआर की तैयारी और अतिरिक्त जांच करने के लिए 2 करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समानुदेशन का खर्च भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। जून, 2010 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया है।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी आई) – ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं (आर ई)

एनएचपीसी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत गांवो में विद्युतीकरण की पहल की है। यह कार्य बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के 27 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 31909 गांवों को कवर किया गया है तथा इसमें गरीबी रेखा से नीचे के 20.80 लाख घरों को सर्विस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। इस कार्य के लिए 2,450 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, एनएचपीसी 8092 गांवों (जिसमें 5391 के पास आंशिक विद्युत उपलब्ध थीं) को बिजली उपलब्ध कराई है और 6.03 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बिजली कनैक्शन प्रदान किए गए हैं।

10. ग्रामीण सड़क परियोजनाएं

एनएचपीसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के तहत बिहार के छः जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उनकी देख रेख हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस स्कीम के तहत 3715 कि.मी. की 832 सड़कों के निर्माण हेतु 1921 करोड़ रु. की लागत सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत, 547.99 करोड़ की लागतवाली 1186.50 कि.मी. (पूरी लम्बाई) की 229 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं श्री आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) की उपस्थिति में श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री आईआईटीएफ - 2009 में एनएचपीसी के पेवेलियन का उद्घाटन करते हुए।

11. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

एनएचपीसी ने अपने आधारभूत कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ई आर पी के कार्यान्वयन हेतु अधिकतम लाभ अर्जन के लिए व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए निर्माण परियोजनाओं का समयबद्ध निपटान और विद्युत निर्माण स्टेशनों का इष्टतम उपयोग करने का कार्य प्रमुखता से किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान पायलट स्थलों पर ईआरपी के कार्यान्वयन के पश्चात, संगठन पर इसके समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, पावर स्टेशनों और ऊर्जा बिक्री लेखांकन, परियोजना निगरानी, पावर प्लांट ओ एंड एम, एच आर, वित्त, खरीद इत्यादी के क्षेत्र में ई आर पी को लागू कर दिया गया है। ई आर पी में कर्मचारी मुआवजा और कर्मचारी स्वंय सेवा कार्य भी निष्पादित किये जा रहे हैं।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं श्री हरिशंकर ब्रह्मा, तत्कालीन सचिव (विद्युत) भारत सरकार, एनएचपीसी एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के पश्चात दस्तावेज का आदान-प्रदान करते हुए। श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी भी उपस्थित है।

वर्ष के दौरान आई टी एंड सी संरचना से भी ई आर पी सुदृढ़ हुआ है। विभिन्न दूरस्थ स्थलों को अतिरिक्त एम पी एल एस – वी पी एन लिंक द्वारा जोड़ा गया है। दिल्ली में एन आई सी एस आई के उद्यम श्रेणी टायर-III डाटा केन्द्र में नई ईआरपी सर्वर सेवाएं शुरू की गई हैं और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय पर डी आर स्थल प्रचालन में है।

ईआरपी संगठन के अन्य नियमित कार्यों के साथ-साथ एनएचपीसी के विभिन्न मुख्य व्यवसाय उद्देश्यों हेतु सूचना प्रवाह और निर्णय लेने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।

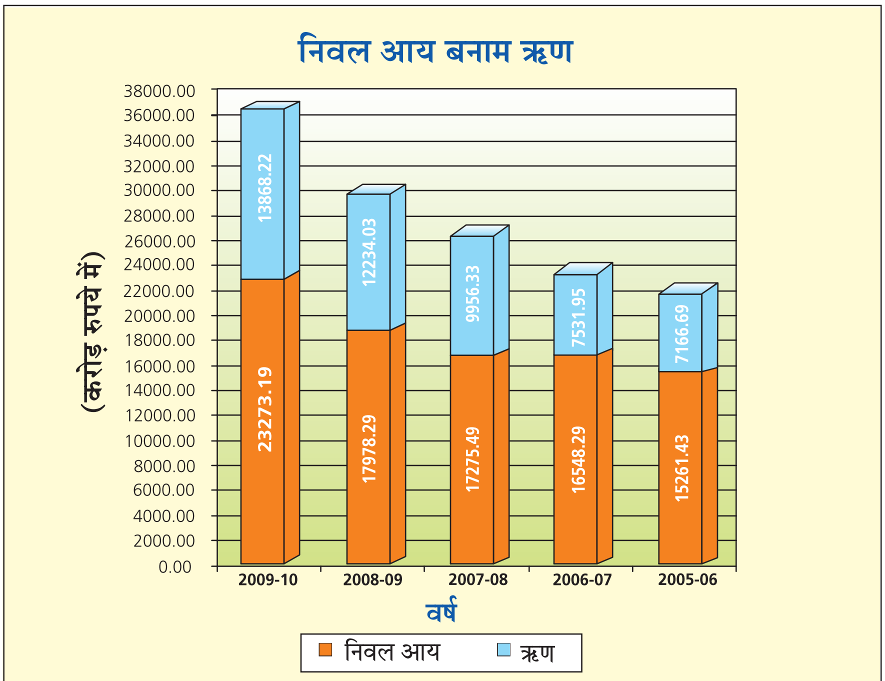

12. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी हर स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा को महत्व दे रही है। कंपनी यह विश्वास करती है कि कर्मचारियों की बहु प्रशिक्षित और अनुभवी टीम ही उसके अनवरत विकास को कायम रख सकती है। प्रशिक्षण की प्रतिबद्धता के रूप में कंपनी ने विभिन्न पावर स्टेशनों पर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है और वह समस्त वर्ग के कर्मचारियों की कुशलता और ज्ञान में बढ़ोत्तरी के लिए देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ शिक्षण कार्यक्रमों को विकसित कर रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विद्युत क्षेत्र में वर्तमान और भावी तकनीकों के आधार पर डिजाइन किया जाता है।

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री, श्री हरिशंकर ब्रह्मा, तत्कालीन सचिव (विद्युत), श्री जी. बी. प्रधान, अतिरिक्त सचिव एवं श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी फिनलैण्ड गणतंत्र के माननीय प्रधानमंत्री श्री मैती टेनली वैनहानेन के साथ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीतियों एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों के मद्देनजर जागरूकता सृजन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कंपनी अन्य कर्मियों से प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग के लिए दक्ष महिला कर्मियों के सशक्तिकरण हेतु विशेष महत्व देती है।

13. कर्मचारी संबंध

रिपोर्ट के तत्वाधान में वर्ष के दौरान, समस्त एनएचपीसी परियोजनाओं / स्टेशनों / यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्द पूर्ण एवं मधुर थे। अवधि के दौरान हड़ताल अथवा बंद की कोई रिपोर्ट नहीं थी।

जहां कहीं आवश्यक हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।

14. अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी ने अनुपालन के क्षेत्रों में नवीकरण एवं सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया है। कंपनी के विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान एवं विकास किया गया उनमें शामिल है :

- बैरा स्यूल एवं लोकतक पावर स्टेशन जैसे दो पावर स्टेशनों के जलकपाट का कम्प्यूटरीकृत फ्लूइड डाइनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण
- पश्चिम बंगाल में 3.75 मेगावाट वाली दुर्गादुआनी मिनी टाइडल विद्युत परियोजना का विकास
- राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना - हाइड्रो जनरेटरों के टर्बाइन के लिए गाद प्रतिरोधी सामग्री का विकास।
- राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) के तहत नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं - उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के तहत जल आवेश क्षेत्रों में सुरंग बनाना।

15. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर एंड आर)

आपकी कंपनी परियोजना प्रभावित परिवारों की समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। कंपनी ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 के तरह अपनी स्वयं की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति – 2007 बनाई है। कंपनी की नीति में एनआरआरपी – 2007 में प्रस्तावित लाभों से कहीं अधिक लाभ प्रदान करती है। यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि, मकान, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधन आदि के नुकसान से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करती है। नीति में आय सृजन और स्थानीय लोगों एवं असुरक्षित समूहों की चिंताओं को दूर करने की अंतनिर्दिष्टों का प्रावधान किया गया है।

16. सतर्कता कार्यकलाप

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी सर्तकता जागरुकता सप्ताह के दौरान शपथ ग्रहण कराते हुए।

सतर्कता प्रभाग को बी आई एस द्वारा आई एस ओ 9001-2000 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। प्रक्रिया प्रलेखन किए गए हैं और सतर्कता शिकायत के सिस्टम की मॉनीटरिंग की जाती है तथा अनुशासनात्मक मामले क्रियान्वित किए जाते हैं।

निश्चित अंतराल पर विभिन्न यूनिटों के सतर्कता विभागों द्वारा आकस्मिक तथा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। कार्यों का गहन परीक्षण केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक तथा एनएचपीसी के सतर्कता विभाग के कर्मियों द्वारा किया जाता है।

निरीक्षण/गहन परीक्षणों के आधार पर परिपत्र तथा दिशा-निर्देश जारी करके निवारण संबंधी सतर्कता पर जोर दिया गया है। नियमित अंतराल पर विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि कार्य प्रणाली को जितना संभव हो सके पारदर्शी बनाया जा सके। कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा उसकी समीक्षा करने हेतु क्रमश: 3 से 4 सितम्बर, 2009 तथा 16 से 19 मार्च, 2010 को सतर्कता अधिकारियों की दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

17. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्तरोत्तर उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय एवं इसकी यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति की निरीक्षण बैठक के दौरान सभा को संबोधित करते हुए।

वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी पत्रिका ''राजभाषा ज्योति'' प्रकाशित की गई तथा इस पत्रिका ने अखिल भारतीय स्तर पर उत्कृष्ट पत्रिका संबंधी राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, रूपम्बरा द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली ने एनएचपीसी को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने पर ''राजभाषा शिरोमणी'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल को शुभकामना देते हुए।

18. कारपोरेट संचार

एनएचपीसी ने जल विद्युत के विकास में एनएचपीसी की शक्ति और क्षमताओं के बारे में आम जनता में बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त, संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करना एनएचपीसी की विशेष उपलब्धि है।

एनएचपीसी ने पावर स्पोर्ट्स बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में दिनांक 6 से 8 जनवरी, 2010 को एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में आयोजित 15वीं शतरंज एवं 14वीं अंतर-पीएसयू ब्रिज टुर्नामेंट की मेजबानी की है। टुर्नामेंट में विभिन्न पावर सैक्टर पी एस यू की कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। 2009-10 के दौरान, एनएचपीसी ने पावर स्पोर्ट्स नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर-पीएसयू खेलकूद टुर्नामेंट में भी हिस्सा लिया और निम्न स्पर्धाओं में पुरस्कार प्राप्त किये हैं :

- दिनांक 6 से 8 जनवरी, 2010 को एनएचपीसी द्वारा एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में आयोजित 14वीं अंतर-पीएसयू ब्रिज टुर्नामेंट का खिताब जीता।
- दिनांक 16 से 19 फरवरी, 2010 को ऋषिकेश में टीएचडीसी द्वारा आयोजित 12वीं अंतर-पीएसयू महिलाओं के वर्ग में कैरम टुर्नामेंट का खिताब जीता।
- दिनांक 15 से 16 मार्च, 2010 को चण्डीगढ़ में बीबीएमबी द्वारा आयोजित 8वीं अंतर-पीएसयू एथलेटिक टुर्नामेंट में द्वितीय पुरस्कार जीता।
- एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय की क्रिकेट टीम ने दिनांक 30.03.2010 को मानव रचना क्रिकेट मैदान, फरीदाबाद में आयोजित इण्डियन ऑयन गोल्डन जुबली टी 20 क्रिकेट टुर्नामेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

उपरोक्त के अलावा, एनएचपीसी के कर्मचारियों ने विभिन्न एकल प्रतिर्स्पधाओं में भी भाग लिया।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री राकेश नाथ, चेयरपरसन, सीइए, श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी एवं श्री आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) की उपस्थिति में एनएचपीसी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर दीपशिखा प्रज्वलित करते हुए।

19. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

वर्ष 2009-10 के दौरान, एनएचपीसी ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची निम्न प्रकार है :

वर्ष 2009 में, एनएचपीसी द्वारा अपने कारपोरेट कार्यालय भवन में बिजली बचत के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय विद्युत संरक्षण पुरस्कार के तहत ''कार्यालय भवन क्षेत्र'' में एनएचपीसी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी श्री पी. उमा शंकर को सचिव (विद्युत), भारत सरकार का पद ग्रहण करने पर बधाई देते हुए।

एनएचपीसी को वर्ष 2007-08 के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ''निष्पादन उत्कृष्ट पुरस्कार'' के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (आईआईआईई) पुरस्कार प्रदान किया गया।

अमिटी इंटरनैशनल बिजनैस स्कूल, नोएडा द्वारा एनएचपीसी को एच आर प्रचालन में वर्ष 2009 का ''उत्कृष्ट सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदार संगठन के लिए अमिटी एच आर उत्कृष्ट अवार्ड'' प्रदान किया गया।

जल विद्युत परियोजनाओं का वृहत रूप से कार्यान्वयन करने के लिए पावर यूटिलिटी परिषद, नई दिल्ली ने के डब्ल्यू कान्फ्रेन्स के सहयोग से एनएचपीसी को ''ज्यूरी अवार्ड'' से सम्मानित किया गया।

पर्यावरणीय प्रबंधन एवं टिकाऊ पहलों के क्षेत्र में एनएचपीसी के प्रयास ने कंपनी को एनर्जी रिसर्च संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्थापित ''टेरी कारपोरेट पर्यावरणीय अवार्ड 2009'' दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

एनएचपीसी की सी एस आर पहलों को लगातार मान्यता मिलती रही और उसे विभिन्न पुरस्कार का हकदार बनाती रही जिनमें : कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं अनुक्रियात्मकता के लिए स्कोप मैरीटोरियस अवार्ड, कारपोरेट नागरिक के रूप में उत्कृष्ट प्रचालन के लिए पावर एच आर फोरम अवार्ड, उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रचालन के लिए अमिटी अवार्ड, पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ग्रीनटैक पर्यावरणीय उत्कृष्टता अवार्ड, अच्छी हरित अभिशासन के लिए सृष्टि अवार्ड आदि है।

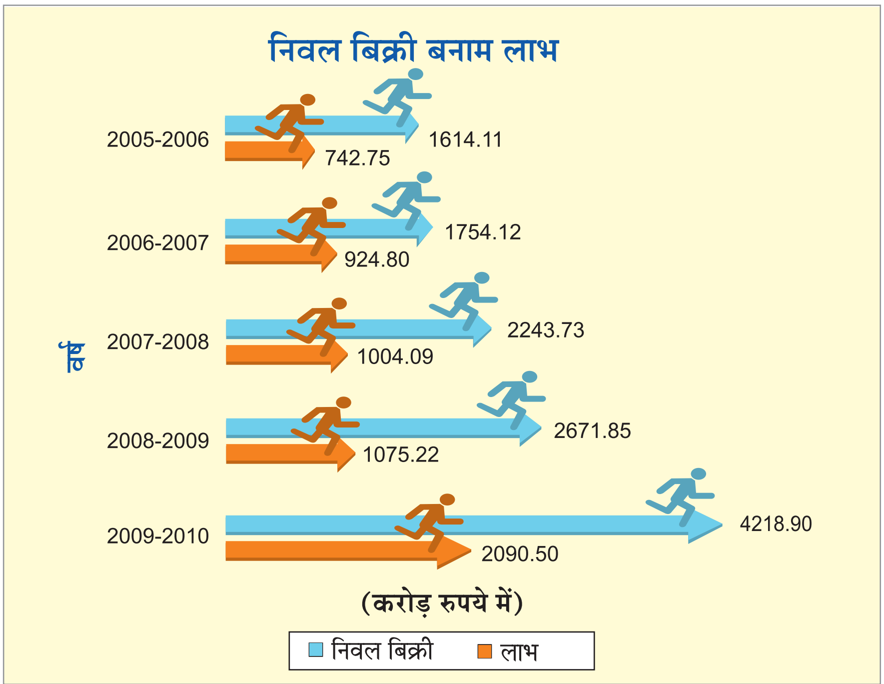

61वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर एनएचपीसी की झांकी का दृश्य।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना

एनएचपीसी ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और नैतिक व्यवहार के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता द्वारा आर्थिक विकास और आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों की जीवन गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार करने में योगदान दिया है। सी एस आर पहलुओं के परिणाम कारपोरेट मिशन स्टेटमेंट ''परियोजनाओं को लागत प्रभावी पर्यावरण हितैषी और सामाजिक आर्थिक नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने में'' प्रतिबिंबित होता है।

एनएचपीसी ने एक अच्छे कारपोरेट सिटीजन के रूप में अपने इर्द-गिर्द असंख्य लोगों की चिंता को समझती हुई सामाजिक अच्छाइयों के प्रति कार्यरत हैं।

कंपनी की विद्युत स्टेशनों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - सामुदायिक विकास (सी एस आर – सी डी) की पहल करने की योजना है। आपकी कंपनी ने विद्युत स्टेशनों और निर्माण परियोजनाओं और उनके आसपास सामुदायिक तौर पर रहने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बाह्य विकास, खेलकूद और संस्कृति, रोजगार के अवसरों का विकास प्रकृति का संरक्षण आदि क्षेत्रों में कई सी एस आर – सी डी पहलें शुरू की हैं जिनमें औषधीय महत्व के हर्बल पार्कों का विकास, बड़े पैमाने पर वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार (सीएटी), मत्स्य प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा कैम्प, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास आदि शामिल है।

एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अपने विद्युत स्टेशनों के आसपास विभिन्न सामुदायिक विकास शुरू करने के लिए 3.50 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

एनएचपीसी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापना तथा परियोजनाओं की संबंधित डीपीआर के अंतर्गत परियोजना निर्माण स्थलों पर विभिन्न सामुदायिक विकास पहल के लिए भी निधियां चिन्हित की हैं।

21. कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन पर एक अलग विवरण अनुपालना प्रमाणपत्रों सहित निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में **संलग्नक-I** में दिया गया है और इस रिपोर्ट पर प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट को **संलग्नक-II** में दिया गया है।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की अनुपालना में कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेज / रिकार्ड उपलब्ध करवाएं हैं। सूचना को देशभर में विस्तृत पहुंच कराने के लिए प्रत्येक पावर स्टेशन / परियोजना / क्षेत्रीय कार्यालयों / यूनिटों पर सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी अन्य निदेशकगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फरीदाबाद में एनएचपीसी के निगम मुख्यालय के भवन चरण-II का शिलान्यास करने के पश्चात।

इस अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर ध्यान दिया गया है और आवेदकों को उपयुक्त उत्तर / सूचना प्रदान की गई है। श्री एस.के. दुबे, मुख्य अभियंता को वर्तमान में केन्द्रीय सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी इंडियन आयल गोल्डन जुबली कारपोरेट टी-20 क्रिकेट टुर्नामिंट ट्राफी एवं एनएचपीसी क्रिकेट टीम के साथ।

23. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

इस संबंध में जानकारी रिपोर्ट के **संलग्नक-III** में दी गई है।

24. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) जिसे कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत अपेक्षित सूचना को रिपोर्ट के **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

25. लेखा परीक्षक

वर्ष 2009-10 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स जीएसए एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को ''सांविधिक लेखा परीक्षक'' के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स एन सरकार एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता, के सी भट्टाचार्जी एवं पॉल, सनदी लेखाकार कोलकाता, के के घई एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली तथा मैसर्स ववेजा एंड कौल, जम्मू को कंपनी की शाखाओं के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी श्री सुशीलकुमार शिंदे माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री से राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आफिस बिल्डिंग सेक्टर के लिए एनएचपीसी को प्रदान किए गए राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार को प्राप्त करते हुए। श्री भरतसिंह सोंलकी, माननीय केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री (बांए) एवं श्री अजय माथुर, महानिदेशक, उर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

26. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संदर्भ अनुसूची 24 में निगम द्वारा विहित विभिन्न टिप्पणियों से है जो कि स्वत: स्पष्ट हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को क्रमश: **संलग्नक-V** एवं **संलग्नक-VI** में

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी वसंत मेला 2010 का उदघाटन करते हुए।

दिया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित कंपनी का समेकित वित्तीय विवरण **संलग्नक-VII** में दिया गया है।

27. लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखा परीक्षक की निम्नलिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन वित्त वर्ष 2009-10 हेतु प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत केन्द्र के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है :

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
मैसर्स के एल जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	उड़ी-I एवं दुलहस्ती
मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	सलाल एवं चमेरा-I
मैसर्स एक के अड्या एंड कंपनी, फरीदाबाद	धौलीगंगा एवं टनकपुर
मैसर्स जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	बैरा स्यूल एवं चमेरा-II
मैसर्स डी दत्त एंड एसोसिएट्स	लोकतक पावर स्टेशन
मैसर्स डी जी एम एंड एसोसिएट्स, कोलकाता	तीस्ता-V एवं रंगित

तुलनपत्र के बाद पैदा हुई आकस्मिकताएं एवं घटनाएं :

भारत के सी ए जी की लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्य को दिए गए आश्वासन के अनुसार यह सूचित किया गया कि

(क) निगम ने एलआईसी के साथ एक के लिए एक के निजी प्लेसमेंट आधार पर 2000 करोड़ रुपए (पी-सीरीज) के लिए बॉण्ड्स के रूप में सुरक्षित, रिडीमेंबल, कर योग्य, नॉन-कुमुलेटिव, नॉन - कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (एन सी डी) जारी किए हैं। कंपनी को जारी धनराशि के 1.25 गुने - न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज

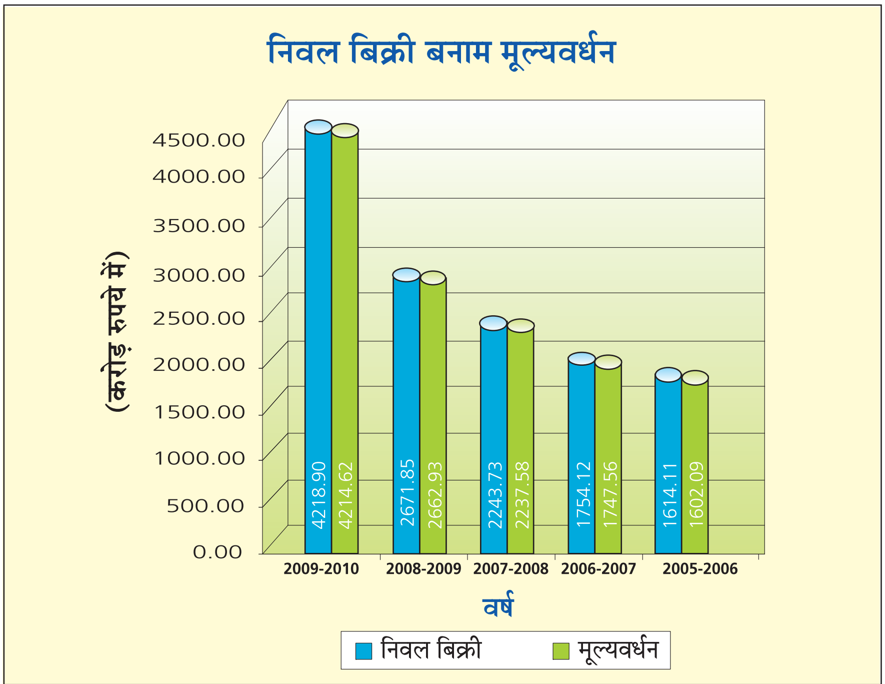

सहित वर्तमान और भविष्य की निर्धारित परिसम्पत्तियों पर पहले साथ-साथ और बराबर अधिकार द्वारा बॉण्ड्स (पी-सीरीज) के रूप में जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।

(ख) एनएचपीसी, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी टैरिफ पॉलिसी 2006 से प्राप्त शक्तियों से महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 5.2 (वार्षिक लेखाकरण की अनुसूची 23) के अनुसार बहियों में मूल्यह्रास प्रभारित कर रहा है। सी ई आर सी ने टैरिफ निर्धारण के लिए मुल्यह्रास की गणना के लिए दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना द्वारा मूल्यह्रास और कार्यविधि की दरें संशोधित की हैं। उपर्युक्त कार्यविधि के अनुसार इस तरह अधिसूचित दरें वाणिज्यिक संचालन की तारीख से पहली बार बारह वर्षों की अवधि के लिए लागू होंगी। वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बारह वर्षों की अवधि के पश्चात वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च को मूल्य में गिरावट को परिसम्पत्ति की शेष उपयोगी अवधि तक बढ़ाया गया। चूंकि सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार मूल्यह्रास परिसंपत्ति वार प्रदान किया जाना है। अत: कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 तथा आईसीएआई के ए एस-6 के मानकों के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक संचालन की तिथि से 12 वर्षों की अवधि में पूर्ण परियोजनाओं की परिसंपत्ति के संबंध में भी सी ई आर सी द्वारा निर्धारित परिसंपत्ति वार मूल्यह्रास दरों का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है। तथापि, भारत के सी एंड ए जी कार्यालय ने पाया है कि कंपनी द्वारा लेखाकरण के लिए भी टैरिफ निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित दरें तथा कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए थी। भारत के सी एंड ए जी कार्यालय से इस बात पर सहमति हुई है कि स्पष्टीकरण के लिए इस मुद्दे को विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) में भेजा जाए, यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री डी. पी. भार्गव, निदेशक (तकनीकी), श्री आर. जे. जेयाशीलन, स्वतंत्र निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी पार्बती-II परियोजना के टीबीएम स्थल के निरीक्षण के दौरान।

28. सहायक कंपनी

एन एच डी सी लिमिटेड के वार्षिक लेखों को लेखा परीक्षकों तथा निदेशकों की रिपोर्ट और लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत कारपोरेशन लि. की रिपोर्ट सहित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत विवरण के साथ संलग्न किया गया है। अनुषंगी कंपनियों से संबंधित विवरण को प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी भारत रत्न बाबासाहेब डा. भीम राव अम्बेडकर के 54वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दीपशिखा प्रज्वलित करते हुए।

29. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतद्द्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदण्ड का मैटेरियल डिपारचर से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं ;

iii) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं रोकथाम तथा कपट का पता लगाने संबंधी अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं ; और

iv) निदेशकों ने ''अनवरत संबंध'' आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

30. निदेशक मंडल

पिछली रिपोर्ट के बाद श्री राकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय ने सरकारी नामिती निदेशक के रूप में दिनांक 29.09.2009 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (हाइडल), विद्युत मंत्रालय ने सरकारी नामिती निदेशक के रूप में दिनांक 21.10.2009 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

श्री ए गोपालकृष्णन ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 15.12.2009 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

श्री जयंत कावले, संयुक्त सचिव (हाइडल), विद्युत मंत्रालय दिनांक 24.09.2009 से कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए।

वर्तमान में, कंपनी निदेशक मंडल की संरचना कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दी गई है।

आभार

भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, बैंकरों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं एवं निवेशकों से मिले सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में ठेकेदारों, बैंकरों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए योगदान एवं प्रयासों हेतु उनकी सराहना करता है।

निदेशक मंडल विद्युत प्राप्त करनेवाले लाभार्थियों, राज्य विद्युत बोर्डों तथा परामर्श कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की विशेष रूप से सराहना करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग हेतु उनकी विशेष सराहना करता है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों का उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता हेतु कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एस. के. गर्ग

(एस.के. गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 00055651

दिनांक : 13 अगस्त, 2010
स्थान : गुड़गांव

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

संलग्नक-I

1. अभिशासन कोड पर कंपनी का दर्शन:

कंपनी बेहतर कारपोरेट प्रयासों के लिए वचनबद्ध है जिसका आधार विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायीकरण तथा जवाबदेही है। हमारा यह प्रयास है कि हम स्टेकहोल्डरों में आत्मविश्वास का सृजन करें ताकि दीर्घावधि सफलता के रास्ते प्रशस्त हो सके। हम विश्वास करते हैं कि कारपोरेट अभिशासन से हमारा प्रबंधन प्रयास का विकास होगा। प्रभावी प्रबंधन एवं सम्पन्नता के लिए उच्च नैतिक मानकों को अपनाने से हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निभा पाएंगे ताकि समस्त स्टेकहोल्डरों का टिकाऊ विकास प्राप्त किया जा सके।

एनएचपीसी में, कारपोरेट अभिशासन प्रणाली प्रतिभागी, पारदर्शी, जिम्मेदारीपूर्ण, चेतनाजन्य एवं निष्पक्ष है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के प्रावधानों को अपनाने के अलावा, हम भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम प्रभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं।

2. निदेशक मंडल :

i) **बोर्ड का आकार :** एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी नियम के अनुच्छेदो के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित हैं। नियम के अनुच्छेदों के अनुसार, हमारे बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, बशर्तें स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी तरह से बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

ii) **बोर्ड का गठन :** वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक होते हैं। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड (निदेशक मंडल) में 14 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक, सरकार द्वारा नामित दो निदेशक तथा 7 स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्ष के दौरान पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम तथा उनकी श्रेणी एवं बोर्ड की बैठक में उनकी उपस्थिति और सूचीबद्ध करार के तहत हुई लेखा परीक्षा समिति, अंशधारक समिति बैठकों में निदेशकशिप एवं समिति स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	निदेशकों के समयकाल में आयोजित बैठक	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	31.07.09 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति	31.03.10 को आयोजित धारित अन्य निदेशक बैठकों की संख्या	31.03.2010 को आयोजित बैठक में उपस्थित समिति के अन्य सदस्यों की संख्या	
					अध्यक्ष के रुप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक						
श्री एस के गर्ग	16	16	हॉं	दो	शून्य	शून्य
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	16	16	हॉं	एक	शून्य	एक
श्री डी पी भार्गव	16	15	नही	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे के शर्मा %	16	15	हॉं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर एस मीना*	15	15	हॉं	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-कार्यकारी निदेशक						
श्री गुरुदयाल सिंह @	4	3	हॉं	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री जयंत कांवले #	10	4	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री राकेश जैन %%	5	5	हॉं	चार	शून्य	एक
श्री सुधीर कुमार **	5	3	लागू नही	पांच	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक (आई डी)						
श्री ए के मॉंगो	16	16	हॉं	तीन	दो	दो
श्रीमती कोमल आनन्द	16	13	हॉं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री रमन सिद्धु	16	13	हॉं	शून्य	शून्य	एक
श्री आर जेयासीलन	16	16	हॉं	एक	शून्य	एक
डॉ. कुरियाकोस ममकूट्टम	16	16	हॉं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के धर्मराजन	16	12	हॉं	एक	एक	शून्य
श्री ए गोपालाकृष्णन @@	3	3	लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य

% श्री जे के शर्मा ने दिनांक 10.04.2009 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

* श्री आर एस मीना ने दिनांक 28.04.2009 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

@ श्री गुरुदयाल सिंह दिनांक 22.06.2009 से कंपनी में निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।

श्री जयंत कांवले दिनांक 24.09.2009 से कंपनी में निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।

%% श्री राकेश जैन दिनांक 29.09.2009 को कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए तथा उन्होंने शेयरधारक के रूप में बैठक में हिस्सा लिया।

** श्री सुधीर कुमार दिनांक 21.10.2009 को कंपनी में निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए।

@@ श्री ए गोपालाकृष्णन ने दिनांक 15.12.2009 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

कंपनी के निदेशकों का एक-दूसरे से परस्पर कोई आपसी संबंध नहीं है।

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दर्शायी गई है।

iii) निदेशकों की आयु सीमा एवं कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार से और अनुदेशों की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, तक की जाती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सरकार द्वारा नामित निदेशक बोर्ड से नामित करनेवाले प्राधिकरण की इच्छा पर या विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु की जाती है।

iv) गैर कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा तथा प्रकटीकरण :

कंपनी ने गैर-कार्यकारी सरकारी नामिती निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के निदेशक मंडल तथा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रु. प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (रुपए में)		कुल (रूपए में)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री ए. के. मागो	2,40,000	2,05,000	4,45,000
श्रीमती कोमल आनन्द	1,95,000	1,30,000	3,25,000
श्री आर. जेयासीलन	2,40,000	70,000	3,10,000
श्री रमन सिद्धू	1,95,000	1,60,000	3,55,000
डॉ. के. ममकुट्टम	2,40,000	1,45,000	3,85,000
श्री के. धर्मराजन	1,80,000	1,20,000	3,00,000
श्री ए गोपालाकृष्णन	45,000	शून्य	45,000

गैर कार्यकारी निदेशकों के शेयरों के ब्यौरे :

डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम : 713 शेयर

v) बोर्ड बैठकें,समिति बैठकें तथा प्रक्रियाविधि :

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया :

कंपनी ने कारपोरेट के समस्त मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सैट तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों से बोर्ड की बैठकों में सूचित एवं सक्षमता से सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया की जरूरत होती है।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का अनुसूचीयन एवं चयन :

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन लेने के बाद संगत नोटिस जारी करने के बाद बैठकें आयोजित की गई हैं। बैठक के दौरान सरल सार्थक, सूचनापरक एवं सकेन्द्रित निर्णयों के लिए विस्तृत कार्यसूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरणों को बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किया गया है। जब किसी तात्कालिक मुद्दे को सम्बोधित करना हो, तो शार्ट नोटिस पर या संकल्प पारित करके बैठकों की सूचना परिचालित की गई है।
- जब किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति, किसी विशिष्ट एवं असाधारण स्थिति के कारण, अतिरिक्त अथवा पूरक सामग्रियों को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न न किया जा सके तब ऐसे कागजातों को बैठक की टेबल पर रखा गया है।
- सी एम डी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कार्यसूची दस्तावेजों को परिचालित किया गया है।
- बैठकें कंपनी के फरीदाबाद स्थित अथवा नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालयों में आयोजित की गई।

- वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर अभ्यावेदनों को बोर्ड/समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि सूचनापरक निर्णय लिया जा सके।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड एजेंडा मदों में शामिल करने के लिए उनके स्वयं के मत से महत्वपूर्ण मदों की सिफारिश करने के लिए मुक्त है। जब भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को बोर्ड द्वारा चर्चा में अतिरिक्त सहयोग के लिए बुलाया जा सकता है।

(ग) बोर्ड / समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में रिकार्ड किया जाता। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अगली बोर्ड की बैठक में पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(घ) अनुवर्ती तंत्र :

बोर्ड / समिति की मार्गदर्शनों के तहत, बोर्ड / समिति के सदस्यों द्वारा लिये गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, संवीक्षा एवं रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्यरत होगा।

(ङ) अनुपालन करना :

कार्यवृत्त टिप्पणी तैयार करते समय यह जरूरी है कि कानून, नियम, मार्गदर्शन आदि के सभी विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी गाइडलाइन्स, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य सांविधिक संकायां के विभिन्न विधियों के तहत सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।

निम्नलिखित सूची बोर्ड को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है :

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा उनके संबंध में कोई अद्यतन स्थिति।
- पूंजीगत बजट तथा उसकी कोई अद्यतन स्थिति।
- कंपनी के तिमाही परिणाम।
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस या जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- मुख्य निवेश, पूरक इकाईयों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और सामरिक भागीदार।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनकी रूचियों का प्रकटीकरण।
- संयुक्त उद्यमों / सहभागिता करारों, आदि का विवरण।
- व्यापक संविदाओं को प्रदान करना।
- विधि एवं डी पी ई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य मदें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड की 16 बैठकों का आयोजन किया गया। कंपनी ने प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बोर्ड बैठक की और दो बैठकों के मध्य अधिकतम समय अंतराल दो माह से अधिक नहीं था। बोर्ड बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	17 अप्रैल, 2009	12	11
2	28 अप्रैल, 2009	13	11
3	25 मई, 2009	13	12
4	19 जून, 2009	13	11
5	17 जुलाई, 2009	12	11
6	25 जुलाई, 2009	12	11
7	31 जुलाई, 2009	12	10
8	13 अगस्त, 2009	12	11
9	20 अगस्त, 2009	12	11
10	25–26 अगस्त, 2009	12	11
11	24 सितम्बर, 2009	12	9
12	31 अक्तूबर, 2009	13	13
13	30 नवम्बर, 2009	13	12
14	16 दिसम्बर, 2009	14	13
15	19 जनवरी, 2010	14	12
16	10 मार्च, 2010	14	13

निदेशक मंडल समय-समय पर कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत विविध अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) आचार संहिता :

कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और लागू कानूनों, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार आचार संहित तथा निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए नैतिकता को सभी संबंधितों को परिचालित किया जाता है तथा इस बात की पुष्टि की जाती है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उन सभी की अलनुपालना की गई है।

सूचीबद्ध समझौते तथा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित खंड 49 के तहत घोषणा :

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता की अनुपालना की पुष्टि की है।

ह./-

(एस. के. गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन सं. 00055651

vii) कपट और जोखिम प्रबंधन नीति :

निदेशक मंडल ने निगमित तथा प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण तथा व्यवस्थीकरण सुनिश्चित किया है और यह कि जोखिम प्रबंधन को एक सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में लिया जाए और न कि विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में।

कंपनी की पहले ही अलग से एक ''कपट'' और ''जोखिम प्रबंधन नीति'' तैयार है।

viii) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण, रणनीति दिशा, वित्तीय मामलों सहित प्रमुख मूल्यों तथा व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारम्भिक तथा अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज / ब्राशर, रिपोर्ट तथा आंतरिक नीतियां भी मुहैया कराई जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाविधि तथा व्यवहार से परिचित होने में समर्थ हो सकें। स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक के लिए कार्य-स्थल निरीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है।

3. निदेशक मंडलों द्वारा गठित समितियां :

कंपनी ने विभिन्न पहलुओं पर समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सूची नीचे दर्शायी गयी है :

1. लेखा परीक्षा समिति
2. शेयरधारक शिकायत समिति
3. परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति
4. संविदाओं पर निदेशक समिति
5. आई पी ओ समिति
6. बोर्ड स्तर के नीचे स्तर के कार्यपालकों हेतु पारिश्रमिक समिति
7. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन एवं आंबटन पश्चात गतिविधियों पर निदेशक समिति
8. आईपीओ उपरांत निवेश पर निदेशक समिति
9. स्वयं बीमा निधि पर निदेशक समिति

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का संविधान, कोरम, कार्यक्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुरूप तथा सूचीबद्ध समझौते के अनुरूप है।

(क) दिनांक 31.03.2010 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का संघटन :

i)	श्री ए.के. मागो	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्रीमती कोमल आनंद	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री रमन सिद्धू	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री राकेश जैन	गैर कार्यकारी निदेशक

(ख) बैठकें तथा उपस्थिति :

वर्ष के दौरान दिनांक 17 अप्रैल, 2009, 25 मई, 2009, 19 जून, 2009, 31 जुलाई, 2009, 17 सितम्बर, 2009, 30 अक्तूबर, 2009, 29 जनवरी, 2010 तथा 04 मार्च, 2010 को समिति की आठ (08) बैठकें आयोजित की गई है। सदस्यों द्वारा भाग ली गई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक जिनमें भाग लिया
1	श्री ए. के. मागो	8	8
2	श्रीमती कोमल आनंद	8	7
3	श्री रमन सिद्धू	8	5
4	डॉ. के. ममकुट्टम	1	1
5	श्री गुरदयाल सिंह	3	1
6	श्री जयंत कांवले	3	0
7	श्री राकेश जैन	2	1

बैठकों में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमुख ने विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के तौर पर भाग लिया। तीन लेखा परीक्षा समितियों की बैठकों के बीच में तीन महीने से कम अंतर था। कंपनी सचिव ने समिति के सचिव के तौर पर कार्य किया।

(ग) लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र :

30 मई, 2008 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति का विचारार्थ विषय समय-समय पर संशोधित सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 के अनुरूप होगा, जिसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ आवधिक विचार विमर्श, लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है। समिति को स्वयं ही किसी मामले की छानबीन करने अथवा इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा संदर्भित मामलों की छानबीन करने का पूरा अधिकार होगा तथा कंपनी के रिकार्ड में दर्ज सूचना को प्राप्त करने तथा आवश्यक हो तो, बाहरी व्यावसायिक सलाह की पूरी सुलभता होगी।

3.2 शेयरधारक शिकायत समिति

(क) संघटक :

31 मार्च, 2010 के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्रीमती कोमल आनन्द — स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
2. श्री आर. जेयाशीलन — स्वतंत्र निदेशक
3. श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त)

श्री विजय गुप्ता, कंपनी सचिव को अनुपालना अधिकारी बनाया गया है।

(ख) बैठकें एवं उपस्थिति :

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकों का दिनांक 30 अक्तूबर, 2009 तथा दिनांक 28 जनवरी, 2010 को आयोजन किया गया जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

(ग) शेयरधारकों की प्राप्त शिकायतें :

कंपनी ने अगस्त, 2009 को अपनी आरम्भिक पब्लिक इश्यू जारी किया है। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	26.08.2009 को आरम्भिक शेष	31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के दौरान प्राप्त	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि तक सुनवाई	लम्बित
रिफंड ऑडर की अप्राप्ति	शून्य	18998	18998	शून्य
इलैक्ट्रानिक क्रेडिट की अप्राप्ति	शून्य	7573	7573	शून्य
सेबी की शिकायतें	शून्य	887	887	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज की शिकायतें	शून्य	100	100	शून्य
उपभोक्ता फोरम / कोर्ट मामले	शून्य	2	1	1
अधिवक्ता की नोटिस	शून्य	30	30	शून्य
कुल	**शून्य**	**27590**	**27589**	**1**

(घ) लम्बित शेयर अंतरण की संख्या :

31 मार्च, 2009 को शेयर अंतरण का कोई अनुरोध लम्बित नहीं था। सभी शेयर अंतरण स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरे किये गये तथा इसके लिए कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज को उपलब्ध कराए गए।

(ङ) समिति का कार्यक्षेत्र :

शेयरधारक शिकायत समिति को अन्य बातों के साथ-साथ शेयरधारकों और / या निवेशकों की शिकायतों और / या शेयर अंतरण से संबंधित शिकायतों, वार्षिक रिपोर्टों का प्राप्त न होना, लाभांश भुगतान, नकली प्रमाणपत्रों को जारी करने, शेयरों का संचरण (विधिक प्रतिनिधित्व के साथ या उसके बिना) तथा विविध शिकायतों के समाधान का निरीक्षण करने के संबंध में निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होगा।

शेयरधारक शिकायत समिति की जब भी उचित हो, आवधिक बैठक होगी। समिति के कोरम में कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई या दो सदस्यों, जो भी अधिक हो, का उपस्थित होना अनिवार्य है।

3.3 परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति

(क) संघटन:

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1.	श्री के. धर्मराजन	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुधीर कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3.	श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
4.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
5.	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
6.	श्री आर. जेयाशीलन	स्वतंत्र निदेशक

(ख) बैठकें :

समिति की वर्ष के दौरान दो बैठकें दिनांक 14 जनवरी, 2010 तथा 09 मार्च, 2010 को हुई है।

(ग) समिति का कार्यक्षेत्र :

परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित की जांच तथा समीक्षा करना है :

(क) मानक कार्य निष्पादन पैरामीटरों से महत्वपूर्ण विचलन।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन में विचलन।

(ग) विनिर्माण बजट।

(घ) संचालन एवं अनुरक्षण बजट।

(ङ) ऐसे मामलों की जांच करना जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा इसे भेजे जाते हैं, परंतु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं होंगे जो लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

(च) कोई भी अन्य ऐसा मामला जो प्रबंध के विचार से इतना महत्वपूर्ण है जो परियोजना एवं कार्य निष्पादन हेतु समिति को भेजा जाता है।

3.4 संविदाओं पर निदेशकों की समिति

(क) संघटन:

समिति की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार है :

1.	श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
3.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
5.	डॉ. कुरियाकोस ममकुट्टम	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री आर. जेयशीलन	स्वतंत्र निदेशक

(ख) बैठकें :

समिति की वर्ष के दौरान चार बैठकें दिनांक 13 अप्रैल, 2009, 20 अगस्त, 2009, 31 अक्तूबर, 2009 तथा 15 फरवरी, 2010 को हुई।

(ग) समिति का कार्यक्षेत्र

संविदाओं पर निदेशकों के समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

i) एल ओ आई / संविदा सौंपना अथवा वादा करना जो 100 करोड़ रु. से अधिक परंतु 200 करोड़ से कम के मूल्य के हैं, ये मद सं. 5(क) (1), (2) एवं (3) में दिए गए हैं।

ii) संविदा समझौते के बी ओ क्यू में इंगित मात्राओं के संबंध में मात्रा विविधता, नई मदों को शुरु करना, बी ओ क्यू के एक मद के स्थान पर दूसरे मद को प्रतिस्थापित करना, संविदा शर्तों से विचलन जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संविदा मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक या 75 करोड़ से अधिक संचयी वृद्धि परंतु यह 200 करोड़ रु. की सीमा के अंदर होगी, मूल्य विविधता के कारण संविदा समझौते में पहले से ही हुई बढ़ोतरी को छोड़कर जो भी कम है, आकस्मिकता के लिए प्रावधान इत्यादि तथा नई सांविधिक आवश्यकताओं या वर्तमान सांविधिक आवश्यकताओं के कारण मूल्य विविधता।

iii) ठेकेदारों की वजह से न होनेवाले विलम्बों हेतु ठेकेदारों को निरर्थक शुल्कों, भाड़ा शुल्क तथा ब्याज का भुगतान जो 10 करोड़ रु. से ज्यादा मूल्य के नहीं होगे को फोर्स मूल्य में शामिल नहीं किया गया है।

iv) 10 करोड़ रु. से कम मूल्य के विवादित दावों की स्वीकृति।

3.5 आईपीओ समिति

(क) संघटन :

अवधि के लिए आई पी ओ समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1.	श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
3.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
5.	श्री जयंत कावले	गैर-कार्यकारी निदेशक
6.	श्री रमन सिद्धु	स्वतंत्र निदेशक

(ख) बैठकें :

समिति की वर्ष के दौरान पांच बैठकें दिनांक 22 मई, 2009, 19 जून, 2009, 3 जुलाई, 2009, 16-17 जुलाई, 2009 तथा 13 अगस्त, 2009 को हुई।

(ग) समिति का कार्यक्षेत्र :

समिति जो 31 अक्तूबर, 2009 को भंग कर दी गई थी, के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

1. आई पी ओ हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति करना।
2. कंपनी एवं इसकी सहायक इकाईयों के कर्मचारियों हेतु मुद्दों तथा आरक्षण के सबी नियमों एवं शर्तों की मात्रा, समय एवं मूल्य का निर्धारण करना।
3. आवश्यक होने पर सांविधिक या सरकार के प्राधिकरणों का प्रयोग करना।
4. कंपनी की पूंजी या अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए भौतिक या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से रसीद / आबंटन पत्र / आंबटन पुष्टि नोट जारी करना।
5. कंपनी के इक्विटी शेयरों की भौतिकता दूर करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य एवं कार्रवाई करना।
6. इश्यू से संबंधित शुल्क, कमीशन, पारिश्रमिक, खर्चों का भुगतान करना।
7. रेड हैरिंग सूची पत्र तथा इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु सूची पत्र को अंतिम रूप देना, उसका निर्णय करना, उसे अनुमोदित एवं स्वीकार करना तथा इन दस्तावेजों को दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
8. इश्यू के लिए न्यूनतम मूल्य / मूल्य बैंड का निर्धारण करना एवं उसे अंतिम रूप देना, प्रारूप रैड हेरिंग सूची पत्र में प्रकट किए गए व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों हेतु इक्विटी शेयरों के आबंटन के आधार को, रैड हैरिंग सूची पत्र को तथा बी आर एल एम के साथ परामर्श से सूची पत्र के आधार को अनुमोदित करना।

3.6 बोर्ड स्तर से नीचे स्तर के कार्यपालकों हेतु पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को दिए जानेवाले पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारी अधिकारियों हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। तथापि, वेतनमानों एवं भत्तों का मामला लम्बित होने के कारण, समिति की वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

समिति के सदस्य

1.	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
2.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री रमन सिद्धू	स्वतंत्र निदेशक
5.	डॉ. के. ममकुट्टम	स्वतंत्र निदेशक

3.7 एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन एवं आंबटन पश्चात् गतिविधियों पर निदेशक समिति

(क) गठन :

निदेशक मंडल ने दिनांक 24 सितम्बर, 2009 को एनएनपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन एवं आबंटन पश्चात् गतिविधियों पर एक निदेशक समिति का गठन किया था जिसके निम्नलिखित सदस्य थे :

1.	श्री ए .बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
2.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

(ख) बैठकें :

समिति की वर्ष के दौरान सात बैठकें दिनांक 07 अक्तूबर, 2009, 17 नवम्बर, 2009, 7 दिसम्बर, 2009, 1 जनवरी, 2010, 18 जनवरी, 2010, 8 मार्च, 2010 एवं 17 मार्च, 2010 को हुई।

(ग) समिति का कार्यक्षेत्र :

समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. शैयर प्रमाणपत्र जारी करना।
2. शेयरों का अंतरण एवं स्थानांतरण करना।
3. शेयर प्रमाणपत्रों को पुर्नभौतिकावाद करना।
4. डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना।
5. एनएचपीसी शेयरों का संचयन / विखण्डन करना।

3.8 आई पी ओ उपरांत निवेश पर निदेशक समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 25 अगस्त, 2009 को आई पी ओ उपरांत निवेश पर निदेशक समिति का गठन किया जिसके निम्नलिखित सदस्य है :

1.	श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
3.	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री रमन सिद्धू	स्वतंत्र निदेशक

(ख) बैठकें :

समिति की दिनांक 30 नवम्बर, 2009 को बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य शामिल हुए थे।

3.9 स्वयं बीमा निधि पर निदेशक समिति

(क) संघटन :

निदेशक मंडल ने दिनांक 03 जून, 1998 को स्वयं बीमा निधि पर निदेशक समिति का गठन किया था जिसमें सी एम डी, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना), निदेशक (कार्मिक) एवं निदेशक (तकनीकी) शामिल थे।

(ख) बैठकें :

समिति की वर्ष के दौरान चार बैठकें दिनांक 30 नवम्बर, 2009, 8 मार्च, 2010, 23 मार्च, 2010, तथा 30 मार्च, 2010 को हुई।

(ग) समिति का कार्यक्षेत्र :

कंपनी को सरकारी प्रतिभूतियों में बीमा फण्ड में उपलब्ध राशि, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड तथा राष्ट्रीकृत बैकों के समयावधि निक्षेपों जैसे को निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कंपनी संबंधित हानियों के निपटान के लिए निधियों की आवश्यकतानुरूप परिस्थितियों के आधार पर इन निवेशों को बेच/वसूल कर सकती है।

3.10 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

कंपनी एक केन्द्र सरकार का उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकलाप तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। तथापि, बोर्ड निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दर पर केवल बैठक शुल्क दिया जाता है और इसे सरकार द्वारा बोर्ड की बैठकों तथा साथ ही समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुमोदित किया गया होता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

निदेशक	पदनाम	वेतन/ भत्ते (रु.)	लाभ* संबंधी प्रोत्साहन (रु.)	कार्य निष्पादन प्रोत्साहन (रु.)	कुल योग (रु.)
श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1165717	564132	60579	1790428
श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	974997	282619	50436	1308052
श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	1222001	656215	60473	1938689
श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)	1071281	210697	0	1281978
श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)	1557070	310698	60048	1927816

* लाभ में मेडिकल / एलटीसी शामिल है।

4. सहायक कंपनी:

4.1 एनएचडीसी लिमिटेड:

एनएचडीसी एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसमें एनएचपीसी के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी के कार्यवृत्त को एनएचपीसी के बोर्ड के समक्ष रखा गया था और सहायक कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं को आविधक रूप से एनएचपीसी बोर्ड की जानकारी में लाया गया। चूंकि एनएचडीसी की सीपीएसई (31 मार्च, 2009 को समाप्त हुई अवधि हेतु लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार एनएचडीसी की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्नओवर एनएचपीसी लि. की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्नओवर के 20 प्रतिशत से अधिक है) हेतु डीपीई द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी किए दिशानिर्देशों के अनुसार ''सहायक कंपनी'' की परिभाषा में शामिल किया गया, इसलिए 17 जुलाई, 2009 को आयोजित बोर्ड की बैठक में श्री आर जेयासीलन, स्वतंत्र निदेशक को एन एच डी सी लि. के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

4.2 लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एल डी एच सी एल) का दिनांक 23 अक्तूबर, 2009 को निगमन हुआ था। कंपनी का एनएचपीसी लि. एवं मणिपुर सरकार के मध्य एक संयुक्त उपक्रम के रूप में विकास हुआ जिसमें दोनों की क्रमश: 74 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत शेयर इक्विटी थी। कंपनी को दिनांक 25 फरवरी, 2010 को अपना कार्य शुरु करने का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था। कंपनी सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार ''सहायक कंपनी'' की परिभाषा वाली भौतिक सहायक कंपनी नहीं थी। एलडीएचसीएल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त एनएचपीसी लि. बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

5. आम सभा बैठक :

पिछली तीन वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय तथा स्थल निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थल
2006-07	07.08.2007	सुबह 10.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद
2007-08	05.08.2008	दोपहर 01.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद
2008-09	31.07.2009	सुबह 10.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा :

क्रम सं.	बैठक का विवरण	पारित किया गया विशेष प्रस्ताव
1.	20 जून, 2007 को जारी डाक मत द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव	कंपनी के संस्था ज्ञापन के उद्देश्य खंड में संशोधन।
2.	13 मार्च, 2008 को आयोजित विशेष आम बैठक	कंपनी के नाम में परिवर्तन।
3.	5 अगस्त, 2008 को आयोजित वार्षिक आम बैठक	मिनी रत्न दर्जा प्रदान किए जाने के कारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप
		कंपनी को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान करने के लिए संघ के अनुच्छेदों में
		संशोधन।

डाक मत द्वारा जारी प्रस्ताव का विवरण : वर्ष के दौरान संवीक्षा के तहत डाक मत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

6. **प्रकटीकरण :**

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार :**

प्रोमोटर अथवा निदेशकों अथवा प्रबंधन वर्ग, संयुक्त उद्यम कंपनी / सहायक आदि में भौतिक प्रकृतिवाले ऐसे कोई कारोबार नहीं थे जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्यौरों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होनेवाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है। कंपनी सेबी सहित नियामक प्राधिकारियों के कानूनों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देती है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी के विभिन्न प्रावधानों / आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। पिचले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दण्ड / जुर्माना नहीं लगाया गया है। कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले सभी मदों को स्वीकार कर लिया है। परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की अधिकारिक वेबसाईट अर्थात www.nhpcindia.com पर प्रकाशित की जाती है। निगमित अधिशासन पर पीडीई दिशानिर्देशों के अनुसार इस रिपोर्ट में अपेक्षित विवरण शामिल किए गए हैं। गैर अधिदेश प्राप्त अपेक्षाओं पर अंगीकरण (और अनुपालन) / गैर अंगीकरण सूचनाएं **अनुबंध - क** में दी गई है।

(ii) **लेखांकन व्यवहार :**

कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार लेखांकन मानकों का पालन किया है।

7. **संचार के साधन :**

कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। कंपनी आवधिक परिणाम / रिकार्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजता बल्कि ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर रखा जाता है। कंपनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और कार्यकलापों पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाला गया था। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

कंपनी द्वारा प्रकाशित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम इस प्रकार है :

समाचार पत्र	**अवधि की समाप्ति पर प्रकाशित परिणामों की तिथि**		
	30.09.2009	**31.12.2009**	**31.03.2010**
फाइनेंनसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी)	-	30.01.2010	
हिन्दुस्तान (हिन्दी)	01.11.2009	30.01.2010	26.05.10
हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)	01.11.2009	-	26.05.10
टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी)	01.11.2009	-	26.05.10
नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	01.11.2009	-	26.05.10

संस्थानगत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

8. **शेयरधारकों की सूचना :**

(i) **वार्षिक आम सभा :**

दिनांक : 31 जुलाई, 2009
समय : सुबह 10.30 बजे
स्थल : पंजीकृत कार्यालय, एनएचपीसी लि.
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

(ii) **वित्तीय वर्ष 2009-10 का वित्तीय कलैंडर :**

विवरण	**तिथि**
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010
30 सितम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही एवं छमाही की अलेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम	31 अक्तूबर, 2009 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनिट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गई
31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	29 जनवरी, 2010 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की 15 मिनिट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गई
चौथी तिमाही के परिणाम :	
वार्षिक आमसभा - 2010	**22 सितम्बर, 2010**

(iii) **बही का बन्द किया जाना / रिकार्ड की तिथि :**

क) **लाभांश के भुगतान के लिए :**

सदस्यों का रजिस्टर एवं कंपनी के शेयर अंतरण बुक को दिनांक 09.09.2010 से 22.09.2010 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) तक बंद रखा जाएगा।

ख) **बॉण्डों पर ब्याज का भुगतान :**

बॉण्ड सीरिज	ब्याज भुगतान की नियत तिथि	रिकार्ड तिथि
एनएचपीसी सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-बी से स्ट्रप-जे)	30.06.2009	18.06.2009
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'पी' सीरिज बॉण्ड	28.02.2010	27.02.2010

ग) **बॉण्डों का विमोचन :**

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान विमोचित किए गए बॉण्डों का विवरण नीचे दिया गया है :

बॉण्ड सीरिज	आईएसआईएन	पावती पत्र कोड	विमोचन की नियत तिथि	रिकार्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-बी)	आईएनई 848ई08045	एनएचपीसी 10	31.03.10	10.03.10

(iv) **लाभांश इतिहास :**

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2005-06	223 (64 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	28.07.2006	03.08.2006
2006-07	278.00 (72 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	07.08.2007	14.08.2007
2007-08	300.00 (100 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325.00 (125 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009

(v) **स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण :**

क) **इक्विटी शेयर :**

कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
स्क्रिप कोड : 533098ISIN : INE848E01016	स्क्रिप कोड : NHPCEQISIN : INE848E01016

ख) **बॉण्ड**

एनएचपीसी सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टेक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड और एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योरड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टेक्सेबल 'पी' सीरिज बॉण्ड को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया गया है :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लि.

WDM सेगमेंट, एक्सचेंज प्लाजा, भूतल,

बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई

क. स्टॉक कोड

सिक्योरिटी का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड	आईएसआईएन
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-सी)	एनएचपीसी 11	INE848E08052
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-डी)	एनएचपीसी 12	INE848E08060
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-ई)	एनएचपीसी 13	INE848E08078
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-एफ)	एनएचपीसी 14	INE848E08086
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-जी)	एनएचपीसी 15	INE848E08094
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-एच)	एनएचपीसी 16	INE848E08102
एनएचपीसी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-आई)	एनएचपीसी 17	INE848E08110
एनएचपीसी रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'ओ' सीरिज बॉण्ड (स्ट्रप-जे)	एनएचपीसी 18	INE848E08128
एनएचपीसी 9 प्रतिशत रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल 'पी' सीरिज बॉण्ड	एनएचपीसी 25	INE848E07047

(vi) बाजार मूल्य डाटा :

क) इक्विटी शेयर :

एनएसई में एनएचपीसी

मास	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
सितम्बर, 09	42	33.05	34.50
अक्तूबर, 09	35	30.35	30.50
नवम्बर, 09	34.20	29.40	31.15
दिसम्बर, 09	34.95	31.05	34.05
जनवरी, 10	36.60	32.30	33.05
फरवरी, 10	33.90	31.70	31.90
मार्च, 10	33.50	30.00	30.45

बीएसई में एनएचपीसी

मास	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
सितम्बर, 09	39.75	33.05	34.55
अक्तूबर, 09	34.85	30.05	30.50
नवम्बर, 09	33.35	30.00	31.15
दिसम्बर, 09	34.95	31.15	34.05
जनवरी, 10	36.45	32.20	33.15
फरवरी, 10	33.65	31.65	31.95
मार्च, 10	33.45	30.50	30.50

ख) बॉण्ड (ओ सीरीज) :

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज			
मास	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 09	शून्य	शून्य	शून्य
मई, 09	शून्य	शून्य	शून्य
जून, 09	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई 09*	102.1403	102.1403	102.1403
अगस्त, 09	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 09	शून्य	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 09	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर, 09	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 09	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 10	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 10	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 10	शून्य	शून्य	शून्य

* 1. सं. 15 जुलाई, 2009 को स्ट्रप-डी के लिए ट्रेड (स्क्रिप कोड - एनएचपीसी 12)
दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक शेष स्ट्रेपों का कोई ट्रेड नहीं हुआ।

(ख) **बॉण्ड (पी सीरीज) :**

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज			
मास	**उच्च (रु.)**	**निम्न (रु.)**	**बंद (रु.)**
अप्रैल, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मई, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जून, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जुलाई 09*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगस्त, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सितम्बर, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अक्तूबर, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नवम्बर, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिसम्बर, 09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जनवरी, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 10	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 10	शून्य	शून्य	शून्य

पी-सीरीज बॉण्ड 19.02.2010 को एनएसई पर सूचीबद्ध हुआ।

दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान पी-सीरीज बॉण्ड में ट्रेड नही हुआ।

(vii) बांड सूचकांक की तुलना में बी एस ई सैनसैक्स, क्रिसिल सूचकांक इत्यादि का निष्पादन :

(क) इक्विटी शेयर :

बीएसई सेनसेक्स तथा एनएचपीसी मूल्य

सेनसेक्स			
मास	**उच्च (रु.)**	**निम्न (रु.)**	**बंद (रु.)**
सितम्बर, 09	17142.52	15356.72	17126.84
अक्तूबर, 09	17493.17	15805.20	15896.28
नवम्बर, 09	17290.48	15330.56	16926.22
दिसम्बर, 09	17530.94	16577.78	17464.81
जनवरी, 10	17790.33	15982.08	16357.96
फरवरी, 10	16669.25	15651.99	16429.55
मार्च, 10	17793.01	16438.45	17527.77

बीएसई पर एनएचपीसी			
मास	**उच्च (रु.)**	**निम्न (रु.)**	**बंद (रु.)**
सितम्बर, 09	39.75	33.05	34.55
अक्तूबर, 09	34.85	30.05	30.50
नवम्बर, 09	33.35	30.00	31.15
दिसम्बर, 09	34.95	31.15	34.05
जनवरी, 10	36.45	32.20	33.15
फरवरी, 10	33.65	31.65	31.95
मार्च, 10	33.45	30.50	30.50

निफ्टी एवं एनएचपीसी मूल्य

निफ्टी			
मास	**उच्च (रु.)**	**निम्न (रु.)**	**बंद (रु.)**
सितम्बर, 09	5087.60	4576.60	5083.95
अक्तूबर, 09	5181.95	4687.50	4711.70
नवम्बर, 09	5138.00	4538.50	5032.70
दिसम्बर, 09	5221.85	4943.95	5201.05
जनवरी, 10	5310.85	4766.00	4882.05
फरवरी, 10	4992.00	4675.40	4922.30
मार्च, 10	5329.55	4935.35	5249.10

बीएसई पर एनएचपीसी			
मास	**उच्च (रु.)**	**निम्न (रु.)**	**बंद (रु.)**
सितम्बर, 09	42.00	33.05	34.50
अक्तूबर, 09	35.00	30.35	30.50
नवम्बर, 09	34.20	29.40	31.15
दिसम्बर, 09	34.95	31.05	34.05
जनवरी, 10	36.60	32.30	33.05
फरवरी, 10	33.90	31.70	31.90
मार्च, 10	33.50	30.00	30.45

(ख) बॉण्ड :

(Viii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट तथा शेयर अंतरण प्रणाली :

क) इक्विटी शेयर :

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
प्लाट नं. 17-24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 081
दूरभाष सं. : +91 40 23420818
फैक्स सं. : 091 40 23420814
ई-मेल : mailmanager@karvy.com

ख) बॉण्ड :

कंपनी ने नॉन-रिडीमेबल क्यूमूलेटिव बॉण्डों हेतु निम्नलिखित को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है :

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि.
बी-106, सैक्टर-2, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं. : 012-4015880
ई-मैल : info@rcmcdelhi.com

(ix) शेयर / बॉण्ड अंतरण प्रणाली :

शेयर/बॉण्ड के अंतरण के रूटीन मामलों, की देखरेख करना संबंधित रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट की जिम्मेदारी है, परंतु यह निदेशक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण एवं अनुमोदन के अध्यधीन है।

(x) शेयर पूंजी के वितरण का तरीका :

क) इक्विटी शेयर :

31.03.2010 को शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों के पास शेयर तथा शेयर पूंजी के अनुसार उनका आकार :

i) आकार के अनुसार :

31.03.2010 को शेयर पूंजी के आकार तथा प्रतिशत के अनुसार उनका वितरण :

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	732874	60.74	173055608	1.41
5001-10000	394211	32.67	288987816	2.35
10001-20000	43649	3.62	65107269	0.53
20001-30000	13491	1.12	34845331	0.28
30001-40000	5229	0.43	18659808	0.15
40001-50000	4470	0.37	21228284	0.17
50001-100000	6938	0.57	49885299	0.41
100001 एवं उससे ज्यादा	5785	0.48	11648973358	94.70
कुल	**1206647**	**100**	**12300742773**	**100**

ii) 31 मार्च, 2010 को शेयर धारण का तरीका :

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
भारत सरकार	10623368158	86.36
एफआईआई	189886516	1.54
भारतीय जनता	759166047	6.17
बैंक एवं एफआईआई	259633241	1.10
निजी कारपोरेट संकाय	265843438	0.09
म्यूचुअल फंड	140288562	1.14
एनआरआई / ओ सी बी	12255121	0.99
अन्य	50301690	2.61
कुल	**12300742773**	**100**

iii) 31 मार्च, 2010 को प्रमुख शेयर धारण :

31 मार्च, 2010 को कंपनी में 1 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी से ज्यादावाले शेयरधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
राष्ट्रपति के मार्फत भारत सरकार	10623368758	86.36%	सरकार

(ख) बॉण्ड : (ओ सीरीज)

i) आकार के अनुसार :

31 दिसम्बर, 2010 को आकार एवं प्रतिशत के आधार पर बॉण्ड रखने का वितरण निम्न प्रकार है :

बॉण्डों की संख्या	बॉण्डधारकों की संख्या	बॉण्डधारकों का प्रतिशत	कुल बॉण्ड	बॉण्डों का प्रतिशत
1-5000	79	100 प्रतिशत	456	शून्य
5001-10000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10001-20000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20001-30000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	65	100 प्रतिशत	456	100 प्रतिशत
कुल	**79**	**100 प्रतिशत**	**456**	**100 प्रतिशत**

ii) 31 मार्च, 2010 को बॉण्ड धारण करने का तरीका :

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
भारत सरकार	शून्य	0.00 प्रतिशत
एफएलएलएस	शून्य	0.00 प्रतिशत
भारतीय जनता	शून्य	0.00 प्रतिशत
बैंक एवं एफएलएस	26	5.70
निजी कारपोरेट संकाय	शून्य	0.00 प्रतिशत
म्यूचुअल फंड	शून्य	0.00 प्रतिशत
एनआरआई / ओ सी बी	शून्य	0.00 प्रतिशत
अन्य	शून्य	0.00 प्रतिशत
(i) बीमा कंपनियां	171	37.50 प्रतिशत
(ii) पी एफ फंड / ट्रस्ट	259	56.80 प्रतिशत
कुल	**456**	**100.00 प्रतिशत**

iii) 31 मार्च, 2010 को प्रमुख बॉण्ड धारक :

31 मार्च, 2010 को कंपनी में 1 प्रतिशत बॉण्ड मूल्य से ज्यादावाले बॉण्डधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

बॉण्डधारक का नाम	बॉण्डों की संख्या	बॉण्ड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) बॉण्ड : (पी सीरीज)

i) आकार के अनुसार :

31 मार्च, 2010 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार शेयर होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है :

बॉण्डों की संख्या	बॉण्डधारकों की संख्या	बॉण्डधारकों का प्रतिशत	कुल बॉण्ड	बॉण्डों का प्रतिशत
1-5000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
5001-10000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
10001-20000	1	100 प्रतिशत	20,000	100 प्रतिशत
20001-30000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
30001-40000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
40001-50000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
50001-100000	शून्य	0.00 प्रतिशत	शून्य	0.00 प्रतिशत
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**1**	**100 प्रतिशत**	**20,000**	**100 प्रतिशत**

ii) 31 मार्च, 2010 को बॉण्ड धारण करने का तरीका :

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
भारत सरकार	शून्य	0.00 प्रतिशत
एफएलएलएस	0.00 प्रतिशत	0.00 प्रतिशत
भारतीय जनता	शून्य	0.00 प्रतिशत
बैंक एवं एफएलएस (एलआईसी)	शून्य	0.00 प्रतिशत
निजी कारपोरेट संकाय	शून्य	0.00 प्रतिशत
म्यूचुअल फंड	शून्य	0.00 प्रतिशत
एनआरआई / ओ सी बी	शून्य	0.00 प्रतिशत
अन्य	शून्य	0.00 प्रतिशत
(i) बीमा कंपनियां	20,000	100 प्रतिशत
(ii) पी एफ फंड / ट्रस्ट	शून्य	0.00 प्रतिशत
कुल	**20,000**	**100.00** प्रतिशत

iii) 31 मार्च, 2010 को प्रमुख बॉण्ड धारक :

31 मार्च, 2010 को कंपनी में 1 प्रतिशत बॉण्ड मूल्य से ज्यादावाले बॉण्डधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

बॉण्डधारक का नाम	बॉण्डों की संख्या	बॉण्ड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
एलआईसी इण्डिया लि.	20,000	100 प्रतिशत	बैंक एवं वित्तीय संस्थान

(xi) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन :

कंपनी के शेयरों को आवश्यक रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में रखना होगा और यह दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोसिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोसिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लि. (सीडीएसएल) को व्यापार हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा पूंजी को सामंजस्यी अवस्था के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट डीमैटीरियलाइजेशन अवस्था में रखना हेतु प्रैक्टिस कंपनी सचिव से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय में प्रस्तुत किया गया।

कंपनी के बॉण्ड को आवश्यक रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में रखना होगा और यह दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोसिटरी लि. (एलएसडीएल) और सैन्ट्रल डिपोसिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लि. (सीडीएसएल) को व्यापार हेतु उपलब्ध कराया जाएगा जो कि एन एस डी एल / सी डी एस एल पर सूचिबद्ध कुल बॉडों के सामंजस्यी उद्देश्य के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु था तथा कुल इश्यू और सूचीबद्ध बॉण्डों को व्यावसायिक सनद लेखाकार से प्राप्त किया गया ।

(xii) बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट अथवा अन्य कनवर्टिबल इन्स्ट्रमेंट, कनवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़नेवाला संभावित प्रभाव।

एनएचपीसी ने जीडीआर / एडीआर अनुज्ञा और अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है ।

(xiii) प्लांट स्थल :

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश - 176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर - लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर - 795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर - ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जिला-रियासी, जम्मू एवं कश्मीर - 182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर - टी पी एस कैम्पस, बानबासा, जिला-चम्बावत, उत्तराखण्ड - 262 310
चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश - 176 325
उड़ी	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर - मोहरा, जिला-बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर - 193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., रंगित नगर, दक्षिणी सिक्किम - 737 111
चमेरा-II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश - 176 310
धौलीगंगा-I	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं.1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड - 262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सैक्टर-11, किश्तवाड़, जिला-किश्तवाड़, जम्मू एवं कश्मीर - 182 206
तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर - सिंगताम, पूर्वी सिक्किम - 737 134

(xiv) पत्राचार के लिए पता :

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
दूरभाष : 0129-2278421
फैक्स : 0129-2277941
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायत के समाधान हेतु पूर्णत: समर्पित ई-मेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in है

9. अनुपालन प्रमाणपत्र :

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु निगमित शासन पर दिशा - निर्देश, 2007 के सूचीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन की पुष्टि करनेवाला पूर्णकालिक प्रैक्टिस वाले मैसर्स सी. पी. एसोसिएट्स कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एस. के. गर्ग

(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00055651

दिनांक : गुड़गांव
तारीख : 13 अगस्त, 2010

अनुबंध - क

गैर अधिदेशात्मक आवश्यकताएं:

पूर्व पृष्ठ पर दी गई अधिदेशित आवश्यकताओं के अलावा, दिशा-निर्देशों की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **बोर्ड** : कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कंपनी की अध्यक्षता की जाती है। कंपनी के बोर्ड में कुल मिलाकर नौ वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ती नहीं की गई है।
2. **पारिश्रमिक समिति** : कृपया इस रिपोर्ट के पैरा सं. 3.10 का संदर्भ ग्रहण करें ।
3. **शेयरधारकों के अधिकार** : पिछले छ: माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम "शेयरधारक सूचना" नामक शीर्षक से प्रमुख समाचार पत्रों में मुद्रित की गई हैं।
4. **लेखा परीक्षा योग्यताएं** : वर्ष 2009-10 के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा परीक्षा योग्यताएं नहीं हैं।
5. **बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण** : कृपया इस रिपोर्ट के पैरा सं. 2 (viii) का संदर्भ ग्रहण करें ।
6. **बोर्ड के गैर कार्यकारी सदस्यों का मूल्यांकन तंत्र** : कंपनी के बोर्ड में दो सरकारी नामितियों सहित नौ गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। ये सभी विद्युत मंत्रालय के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इन सभी का मूल्यांकन कंपनी के बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।
7. **भष्ट्राचार उजागर नीति** : कंपनी ने कोई भष्ट्राचार उजागर नीति नहीं अपनाई है। तथापि, कंपनी ने एनएचपीसी के साथ कोई भी व्यवसाय करने वाले कंपनी के कर्मचारी तथा साथ ही साथ विक्रेता प्रतिनिधि, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, सलाहकार, सेवा प्रदात्त अथवा अन्य कोई पार्टी जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार के छलकपट अथवा संदेहास्पद की रिपोर्ट हैं, से बचाव के लिए पहले से ही एक नीति बनाई गई है। छलकपट अथवा संदेहास्पद की समस्त रिपोर्टों की शीघ्रता से जांच की गई है। छलकपट की रोकथाम के लिए तंत्र बनाना इस नीति में सम्मिलित है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने एनएचपीसी लि. की दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की संवीक्षा की है और अपने सर्वोच्च ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार :
- (i) इन विवरणों में भ्रम पैदा करने वाली कोई असत्य विवरण वाली सामग्री नहीं है अथवा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
- (ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित दोनों स्वरूप पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, लागू नियमों तथा निबंधनों के साथ अनुपालन में है।

(ख) हमारी सर्वोच्च जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने कंपनी की आचार संहिता के अनुसार कोई कपटपूर्ण, गैर कानूनी अथवा भष्ट कार्य नहीं किया है।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टो हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं कि हमने वित्तीय प्रलेख संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावीपन का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और प्रचालन की कमियों के संबंध में हमने ऐसी कमियों, जिनके बारे में हमें पता है तथा उन्हें दूर करने के उपाय अथवा उन्हें सुधारने के उद्देश्यों को, यदि कोई हैं तो, उन्हें लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के सामने प्रकट किया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को इंगित किया है :
- (i) वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) वर्ष 2009-10 के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा उन्हें वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा
- (iii) वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण कपट करने वाले अथवा उसमें शामिल प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की उसमें भूमिका, यदि कोई हो तो के दृष्टांत के बारे में हमे पता है।

(ए.बी.एल. श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)

(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 25, मई, 2010

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
एनएचपीसी लि. के सदस्यगण

1. हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध करार की धारा 49 में की गई एनएचपीसी के कारपोरेट अभिशासन पर कारपोरेट अभिशासन के अनुपालन शर्तो की जांच की है।
2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की न तो लेखा परीक्षा है और न ही उनके विचारों की अभिव्यक्ति।
3. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोच्च जानकारी एवं हमारे पास प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त सूचीबद्ध करार के अनुसार हमने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का संकलन किया गया है।
4. हम यह भी बताते है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की न तो किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही सक्षमता अथवा प्रभावीपन है जिससे प्रबंधन कंपनी का कार्य कर सके ।

सी पी एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
ह.
अरुण गुप्ता
(स्वामी)
सीपी सं. 4115

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 13 अगस्त, 2010

प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

संलग्नक-II

उद्योग ढांचा तथा विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है तथा विद्युत एक मुख्य अवसंरचना है जिसकी सतत विकास की आवश्यकता है। गत 60 वर्षों से भारत के विद्युत क्षेत्र में काफी वृद्धि है। स्वतंत्रता से लेकर कुल संस्थापित क्षमता में मामूली 1,362 मेगावाट की बढ़ोत्तरी से वर्तमान क्षमता 159,398 मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र को पीक पावर की कमी, प्रतिकूल जल थर्मल मिश्रण, अस्थाई ग्रिड, फ्रिक्वेंसी अनियमितता, विषम शुल्क, कमजोर एवं घटिया वितरण तंत्र, उच्च तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के कारण असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

31 मार्च, 2010 के अनुसार भात में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 1,59,398 मेगावाट थी जिसमें से तापीय विद्युत 1,02,454 मेगावाट (64.3 प्रतिशत), जल विद्युत 36,863 मेगावाट (23.1 प्रतिशत), न्यूक्लियर 4,560 मेगावाट (2.9 प्रतिशत) तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से 15,521 मेगावाट (9.7 प्रतिशत) था। भारत में सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन अग्रणी रहा है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कुल संस्थापित क्षमता का क्रमश: लगभग 49.9 प्रतिशत तथा 31.9 प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया है। निजी क्षेत्र, जो लगभग 18 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करता है, की भागीदारी 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से लेकर वृद्धि हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल संस्थापित क्षमता में जल विद्युत के अंश में धीरे-धीरे कमी हुई है जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल जल-तापीय मिश्रण से तकनीकी एवं प्रचालनात्मक असमानताएं देखी गई है जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। यद्यपि, भारत में 1,48,700 मेगावाट जल विद्युत की बड़ी संभावना है। फिर भी अब तक इस संभाव्यता का मात्र एक छोटा सा हिस्सा काम में लाया जा सका है। एनएचपीसी, जो देश के विद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादक है, जल विद्युत के विकास पर केन्द्रित है। यह एक मिनी रत्न अनुसूची-'क' उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़ रुपए और 38,700 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आधार है।

अधिकांश सभी एनएचपीसी परियोजनाएं दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित है और संगठन को कई मोर्चो पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है - संभार तंत्र, जलवायु संबंधी तथा प्रौद्योगिकी। एनएचपीसी एक मजबूत, सक्षम तथा बहुमुखी संगठन है जिसने हर तरह की जल विद्युत परियोजनाओं को अति व्यावसायिक तरीके से निष्पादित करने के लिए विश्वसनीयता स्थापित की है। कंपनी की सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सामने सर्वोत्तम है। इसके लिए हम अपनी अति सक्षम, अनुभवी व्यवसायिकों तथा कुशल तकनीशियनों की टीम को धन्यवाद करते है।

क्षमता, कमजोरियां, अवसर, खतरा विश्लेषण

(क) क्षमता : निम्नलिखित कुछेक कंपनी की प्राथमिक स्पर्धात्मक क्षमता है :

जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्थापित ट्रैक रिकार्ड – एनएनपीसी का प्रमुख प्रतियोगी लाभ परियोजना कार्यान्वयन में इसके व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता का परिणाम है। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी एन एच डी सी के माध्यम से दो जल विद्युत परियोजनाओं समेत 13 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन का सफल प्रबंधन किया है। इसका हिमालय क्षेत्र के भू-तकनीकी रूप से कठिन क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को पूरा करने का सफल रिकार्ड है। कंपनी के चमेरा-पावर स्टेशन तथा इसकी सहायक कंपनी इंदिरा सागर तथा ओमकारेश्वर परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले चालू किया।

उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौते कंपनी अपना अधिकतर राजस्व दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौते (पी पी ए) के अनुसरण में राज्य बिजली बोर्डों / विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं को ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त करती है। विभिन्न लाभ उपभोक्ताओं की विभिन्न पावर स्टेशनों से विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य संस्थाओं से बिलिंग भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसरण में ऋण पत्रों के माध्यम से की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निवेश के समय भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं पर किए गए निर्णय के अनुसार कंपनी नई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए लाभ उपभोक्ताओं से वचनबद्धता प्राप्त करती है।

मजबूत संचालन कार्य निष्पादन - वर्ष 2009-10 के दौरान एनएचपीसी के संचालन पावर स्टेशनों ने 16960 मि. यू. विद्युत उत्पादन किया जो ''बहुत अच्छा'' रेटिंग के लिए वर्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्य 16,381 मि. यू. अधिक है। इसके अतिरिक्त, 2009-10 में विद्युत उत्पादन कमजोर मानसून के बावजूद भी गत वर्ष (2008-09) से 1.62 प्रतिशत अधिक है।

इसी प्रकार, 2009-10 के दौरान संयंत्र उपलब्धता कारक (पी ए एफ) के रूप में मापित संचालित एनएचपीसी विद्युत स्टेशनों की मशीन उपलब्धता 84.1 प्रतिशत थी जो ''बहुत अच्छा'' रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य 77.89 प्रतिशत से भी अधिक था।

सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्यबल – कंपनी के कार्यदल सक्षम एवं दृढ़ है। कंपनी के अधिकारियों का कौशल, औद्योगिक ज्ञान तथा संचालन अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है क्योंकि कंपनी अपने वर्तमान बाजारों को बढ़ाना चाहती है तथा सफलतापूर्वक नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती है।

मजबूत इन-हाऊस डिजाइन एवं इजीनियरी दल – कंपनी के पास परियोजनाओं के डिजाइन हेतु इन-हाऊस दल है तथा इसकी इंजीनियरी दक्षताओं में शुरूआती चरण में परियोजना के शुरू होने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इस दल को अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इंजीनियरों को विविध विशिष्ट विश्लेषण, डिजाइन एवं कम्प्यूटर आधारित डिजाइन (''सीएडी'') साफ्टवेयर प्रयोग में अनुभव हासिल है तथा दृष्टिकोण किसी भी दी गई डिजाइन समस्या के समाधान में कौशलों एवं ज्ञान के पूरक के रूप में कार्य करता है।

ख) अवसर

बिगड़ता हुआ जल-तापीय मिश्रण, पीकिंग शार्टेज में वृद्धि, बार-बार आवृत्ति में अंतर तथा जल प्रबंधन में समस्याओं से नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास की ओर करने से परिणत हुआ है। भारत सरकार ने वृद्धित जल विद्युत विकास के लिए पहल में इसके विकास पर विशेष बल दिया है। पूर्वोत्तर में व्यापक दोहन न की गई जल विद्युत के अलावा, आगामी वर्षों में एनएचपीसी के विस्तार कार्यक्रम के लिए व्यापक अवसर है।

ग) खतरे / कमजोरियां

जल विद्युत परियोजनाओं को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना होगा :

पर्यावरण एवं वन स्वीकृति – पर्यावरण मंजूरी, वन स्वीकृति और एनबीडब्ल्यूएल (जहां कहीं लागू हैं) से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कड़े मानदण्ड और जटिल प्रक्रियाविधि परियोजनाओं हेतु मंजूरी प्राप्त करने में विलंब में परिणत होते हैं जो कंपनी की क्षमतावर्धन कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।

भूमि अधिग्रहण – आधारभूत कार्यों तथा जलमग्न होनेवाले क्षेत्र सहित परियोजना घटकों हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल है अत: परियोजना समय पर पूरी होने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

भू-वैज्ञानिक अस्थिरता – गहन सर्वेक्षण और जांच के बावजूद भी जल विद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटक जैसे हैड रेस टनेल, भूमिगत बिजलीघर, प्रेशर शाफ्ट आदि निर्माण जैसे विभिन्न घटक विशेषकर हिमालय क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक रूकावटों के बावजूद आते हैं। यद्यपि, एनएचपीसी ऐसी रूकावटों का सामना कर सकता है, फिर भी अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता तथा अद्यतन आर्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसी रूकावटों से अक्सर समय और लागत में वृद्धि होती है।

अन्तर-राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद – भारत में जल राज्य का विषय है तथा उत्तर-राज्य नदी विवाद अक्सर जल परियोजनाओं की प्रगति में रूकावट डाल सकता है। कुछ मामलों में परियोजनाओं में विलम्ब हो सकता है अथवा उन्हें बन्द किया जा सकता है। कुछेक परियोजनाएं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, के मामले में नाजुक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी चिन्ता का कारण है।

प्राकृतिक आपदाएं – चूंकि अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित है, भू-स्खलन, पहाड़ी के ढाल का ढहना तथा सड़कों का बन्द होना, बाढ़ तथा बादल के फटने से निर्माण कार्यक्रम को काफी धक्का लगता है।

अप्रत्याशित जटिलताएं – कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से स्वीकृति / निष्पादन में विलम्ब तथा अन्य कारणों से लागत में वृद्धि या भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन हमारे नगदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

घ) जोखिम तथा चिन्ताएं – जल-विद्युत परियोजनाएं पूंजी प्रधान है और इनकी प्रतिफल अवधि लम्बी होती है, निधियों की उपलब्धता को सदैव देश में उपलब्ध व्यापक जल-विद्युत संभाव्यता के दोहन हेतु एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा जाता है। जल चूंकि राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें नि:शुल्क विद्युत एवं अन्य प्रोत्साहनों से अधिक भाग की मांग करती हैं जो उच्चतर टैरिफ में परिणत होता है।

आउटलुक

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके फलस्वरूप, विशेषकर विद्युत ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि हुई है। जो लगभग 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2007-08 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 704 केडब्ल्यूएच/प्रति व्यक्ति हो गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान ऊर्जा और अधिकतम कमी क्रमश: 11.7 प्रतिशत तथा 13.3 प्रतिशत रही। सीईए द्वारा मार्च, 2007 में प्रकाशित 17वीं एनर्जी पॉवर रिपोर्ट ने 2011-2012 में लगभग 969 बिलियन यूनिट और 2016-17 में 1932 बिलियन यूनिट की ऊर्जा मांग का अनुमान लगाया था। वर्ष 2011-12 में अधिकतम डिमांड 153 जीडब्ल्यू तथा 2016-2017 में 218 जीडब्ल्यू का अनुमान लगाया गया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विद्युत के सभी स्रोतों से बढ़ती हुई विद्युत मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को भरने के लिए संस्थापित क्षमता में वृद्धि करनी होगी।

देश में पिछले वर्षों में जल विद्युत का विकास धीमा रहा है जिससे जल-तापीय मिश्रण हुआ है। 31 मार्च, 2010 के अनुसार परम्परागत जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1,48,700 मेगावाट तथा सीईए द्वारा अभिज्ञात पम्पड् स्टोरेज परियोजनाओं के जरिए 94,000 मेगावाट विशाल जल विद्युत संभाव्यता के बावजूद भी केवल 36,863 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जा सकती थी। इसके अलावा, कम होते जा रहे कोयला रिजर्वों और जीवाश्म ईंधन बढ़ाने के बारे में चिन्ता से देश की भावी विद्युत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरणीय अनुकूल जल विद्युत परियोजनाओं का अत्यंत महत्व है। इस प्रकार, आगामी वर्षों में जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है।

यह विचारणीय है कि भारत सरकार ने विद्युत सेक्टर सुधारों के उद्देश्य से विभिन्न शुरुआतें की है। जल विद्युत पर जोर दिया जा रहा है जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2001 में संभावित जल विद्युत रैंकिंग का अध्ययन, मई 2003 में 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहलों की घोषणा और जो विद्युत नीति, 2008 का प्रारंभ करने सहित भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से स्पष्ट होता है कि इन कार्रवाईयों से अवसर सृजित हो रहे हैं तथा जल विद्युत विकास क्षेत्र में निवेशकों तथा परियोजना निष्पादकों के लिए माहौल बन रहा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के कार्यात्मक तथा प्रचालनात्मक क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं और कारोबार / प्रक्रिया शक्तियों के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों तथा मैनुअलों द्वारा शासित होते हैं। संगठनात्मक ढांचा परम्परागत प्राधिकार और जिम्मेवारी के रूप में सुपरिभाषित है कंपनी का एक पृथक तथा पूर्ण आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग निगम मुख्यालय में है और क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकोष्ठ हैं जिनमें लेखा-परीक्षा करने के लिए अनुभवी दक्ष लोग हैं, जो नियमित अंतराल पर लेखा-परीक्षा करते हैं। लेखा-परीक्षा अभिमतों और कृत कार्रवाई रिपोर्ट का एक सार लेखा-परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है। समिति की शिफारिशों तथा दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जाता है।

प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा

क) वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रचालनों का परिणाम

वित्त वर्ष 2009 की तुलना में वित्त वर्ष 2010 के लिए निगम के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है ।

आय

वित्तीय वर्ष	2010	2009
बेची गई विद्युत इकाइयां (मिलियन यूनिट) **आय करोड़ रूपए में**	14,841.67	14,587.88
ऊर्जा बिक्री	4,218.90	2,671.85
अनुबंध, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	113.08	48.97
अन्य आय	560.11	540.67
कुल	**4,892.09**	**3,261.49**

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री, अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी सेवाओं तथा अन्य आय अतिरिक्त निधियों के निवेश पर प्राप्त ब्याज, प्रतिभूति बांड्स / दीर्घविधि अग्रिमों, लाभांश आय आदि से होती है। टैरिफ नार्म में संशोधन और पिछले वर्ष की बिक्री के कारण कुल आय जो वित्त वर्ष में 3,261.49 करोड़ रुपए थी वह बढ़कर 50 प्रतिशत वित्त वर्ष 2010 में 4,892.09 करोड़ रुपए हो गई।

टैरिफ

केन्द्रीय विद्युत आयोग (सीईआरसी) विभिन्न बिजली घरों के लिए विद्युत प्रभार निर्धारित करता है। दिनांक 19 जनवरी, 2009 से अधिसूचना संख्या एल-7/ 145 (160) / 2008-सीईआरसी के द्वारा सीईआरसी द्वारा एक नई टैरिफ नीति जारी की गई थी जो टैरिफ अवधि 2009-14 से संबंधित है।

टैरिफ का निर्धारण वार्षिक निर्धारित प्रभारों (एएफसी) के संदर्भ में किया जाता है जिसमें ये शामिल है - इक्विटी अवमूल्यन, ऋण पर ब्याज, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा संचालन एवं रखरखाव पर रिटर्न। इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) लागू आय कर दर के संदर्भ में जोड़ी जाती है ताकि आयकर की वसूली की जा सके। पूंजी प्रभारों की वसूली विद्युत उत्पादन के लिए हमारी मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण नियामक वार्षिक प्लांट उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे परियोजना की प्रकृति पर आधारित प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित किया जाता है।

हम एन ए पी ए एफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने तथा संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार हैं। यह वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2009 के बदले में टैरिफ प्रणाली के विपरीत है जिसमें निर्धारित क्षमता स्तरों से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार वसूल किए गए थे।

ऊर्जा की बिक्री

एनएचपीसी अधिकांश उपभोक्ताओं को बिजली बेचता है जिसमें मुख्यतया राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत सेवाएं शामिल हैं। विद्युत बिक्री दीर्घावधि विद्युत खरीद करारों पर की जाती है स्टेशन-वार टैरिफ निर्धारण होने तक उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2010 के लिए बिक्री इस अधिसूचना में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर अनन्तिम रूप से स्वीकार की जाती है। संरक्षण के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि टैरिफ याचिकाओं की सीईआरसी द्वारा सावधानी से जांच की जाती है।

वित्त वर्ष 2010 में हमने 3,619.20 मेगावाट की वाणिज्यिक क्षमता से 14,841.67 मि.यू. बिजली की बिक्री की और वर्ष 2009 में हमने 3,614.20 मेगावाट की वाणिज्यिक क्षमता से 14,567.88 मि.यू. बिजली बेची। यह बेची गई यूनिटों की संख्या में 1.74 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। वर्ष 2009 में 1.85 रुपए प्रति यूनिट की तुलना में वर्ष 2010 में 2.91 रुपए प्रति यूनिट की औसत बिक्री हुई। वर्ष 2010 में प्रति इकाई दर में वृद्धि का कारण प्रभारित टैरिफ मानक तथा विद्युत स्टेशनों के टैरिफ को अंतिम रूप देने/संशोधन के कारण पूर्व वर्षों की बिक्री के परिकलन होना है। तथापि, पूर्व वर्षों की बिक्री को छोड़कर औसत बिक्री कीमत वर्ष 2009 में 1.86 रुपए प्रति यूनिट की तुलना में 2010 में 2.4 रुपए प्रति यूनिट थी।

वित्त वर्ष 2009 में ऊर्जा की रु. 2671.85 करोड़ की ऊर्जा बिक्री गी कि गई थी और वित्त वर्ष 2010 में 57.90 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के कारण रु. 4218.90 करोड़ की बिक्री हुई। वित्त वर्ष 2009 में 97 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010 में बिक्री वसूली 99.69 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2010 में हमारी कंपनी की प्लांट उपलब्धता कारक(पीएएफ) 84.10 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में पूर्व वर्षों लेकिन वर्तमान वर्ष में मान्य बिक्री भी शामिल है। इसमें ग्रिड अनुशासन लाने के लिए विनियमन में निर्धारित बारम्बारता, विदेशी मुद्रा विनिमय दर बदलाव (एफईआरवी) के कारण अदायगी की दरें भी जुड़ी हुई हैं।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार, ब्याज भुगतान संबंधी विनियम दर परिवर्तन, स्टेशनों/यूनिटों के लिए समझे गए नियामक ऋण के लिए समनुरूप

पुनर्भुगतान ऋणों और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान पर लाभभोगियों का देय / वसूल किया जाता है। आईसीएआई के विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों की रिस्टेटमेंट और बैलेंस शीट तारीख पर निर्धारण के बाद लाभ तथा हानि में समायोजित करने के बजाए लेखों में आस्थगित देयता. परिसम्पत्ति सृजित करके गणना में लिया जाता है।

वर्षानुवर्ष तुलना के लिए पूर्व वर्ष की बिक्री का प्रभाव, यूआई एण्ड एफईआरवी को ऊर्जा की बिक्री से हटा दिया गया है ताकि ऊर्जा की समायोजित बिक्री का पता लगाया जा सके।

इस तरह के समायोजन के पश्चात् ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपए में)

	वित्त वर्ष 2010	**वित्त वर्ष 2009**
कुल बिक्री	4,326.87	2,698.06
घटा : अवमूल्यन के प्रति अग्रिम (ए ए डी)	107.97	26.21
शुद्ध बिक्री	**4,218.90**	**2,671.85**
घटा :		
(क) पूर्व वर्ष की बिक्री (ए ए डी का शुद्ध)	706.33	(17.01)
(ख) यूआई प्रभार	110.39	156.01
(ग) एफईआरवी	65.71	119.07
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**3,336.47**	**2,413.78**

वित्त वर्ष 2010 में 705.33 करोड़ रुपए (कुल 844.14 करोड़ रुपए) की पूर्व वर्ष की बिक्री (ए ए डी का निवल) में बढ़ौत्तरी मुख्यतया बिजली घरों के संबंध में टैरिफ को अंतिम रूप देने और संशोधन के कारण हुई (संदर्भ नोट 5(ख) लेखे का सैड्यूल 24 नोट्स)

38.23 प्रतिशत तक समायोजित बिक्री में वृद्धि प्राथमिक रूप से तीन बिजली घरों के टैरिफ में संशोधन एएडी के प्रभाव के अलावा, सीईआरसी द्वारा 01.04.2009 से बदलते हुए टैरिफ मानक के कारण है।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से भी में कुछ राजस्व प्राप्त होता है। इनके कार्यों में प्राथमिक रूप से ग्रामीण सड़कों के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम विशेषकर वितरण लाइनों से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन दो स्कीमों के कार्य को भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा निरीक्षित किया जाता है और इनका निष्पादन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। पूरे भारत में कुछेक विशेष क्षेत्रों में हमें सौंपी गई परियोजनाओं के लिए हम उत्तरदायी है। इसके अलावा, कंपनी जे एण्ड के पी डी सी की ओर से बगलियार पावर स्टेशन का भी संचालन करती है।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से हमारी आय बगलियार पावर स्टेशन से आय होने के कारण वृद्धि हुई है। हमारी आय वित्त वर्ष 2009 में 48.97 करोड़ रूपए थी जो वित्त वर्ष 2010 में बढ़कर 113.08 करोड़ रूपए हो गई। इस प्रकार कुल 130.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य आय

अन्य आय में मुख्यतया एकल समय सेटलमेंट स्कीम के तहत नई पावर बांड/दीर्घावधि अग्रिमों, आधिक्य नकदी निवेश, सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश पर लाभांश और विविध स्रोतों से होती है।

वित्त वर्ष 2010 में हमारी अन्य आय 560.11 करोड़ रुपए थी जो वित्त वर्ष 2009 में हमारी अन्य आय से 3.60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 540.67 करोड़ रुपए थी। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपए में)

अन्य आय	**वित्त वर्ष 2010**	**वित्त वर्ष 2009**
प्रतिभूति पावर बांड / दीर्घावधि अग्रिम पर ब्याज	161.31	185.27
लाभभोगी राज्यों से ब्याज	83.64	0.14
आवधिक जमा पर ब्याज	185.61	174.32
लाभांश	25.02	51.76
परियोजनाओं की बिक्री	-	37.52
अन्य विविध आय	104.53	91.66
कुल	**560.11**	**540.67**

वित्त वर्ष 2009 में 185.27 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2010 में 161.31 करोड़ रूपए प्रतिभूत पावर बांड / दीर्घावधि अग्रिमों से ब्याज पर हुई। 23.96 करोड़ रूपए ब्याज से आय में कमी 281.81 करोड़ रूपए की राशि के इन बांडो/दीर्घावधि अग्रिमों के विमोचन से हुई।

वित्त वर्ष 2010 के दौरान हमारी अन्य आय में पावर स्टेशनों के टैरिफ को अंतिम रूप देने/संशोधन के कारण लाभभोगी राज्यों से ब्याज में 83.50 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2010 के दौरान निगम को आईपीओ से 4025.70 करोड़ रूपए की प्राप्ति हुई है। इस निधि से 3288 करोड़ रुपए एफडीआर में निवेश किए गए। आधिक्य निधि की बढ़ोत्तरी के बावजूद औसतन एफडीआर ब्याज दरों में गिरावट के कारण ब्याज से हुई आय में संगत रूप से वृद्धि नहीं हुई है।

वित्त वर्ष 2010 के दौरान हमने अपनी सहायक कंपनी में निवेश करके लाभांश के रूप में 25.02 करोड़ रूपए अर्जित किए जबकि वित्त वर्ष 2009 में 51.76 करोड़ रुपए अर्जित किए थे।

वर्ष 2010 तथा 2009 में अन्य विविध आय क्रमश: 104.53 करोड़ रुपए तथा 91.66 करोड़ रूपए थी जो मुख्य रूप से अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम पर ब्याज विलम्ब भुगतान सरचार्ज, राइट-बैंक ऑफ लाइबिलीटीज आदि पर ब्याज से हुई।

व्यय

(करोड़ रूपए में)

व्यय	वित्त वर्ष 2010	वित्त वर्ष 2009
विद्युत उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्चे	304.36	326.47
कमचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ	529.84	492.51
मूल्य ह्रास	1,033.25	518.24
ब्याज एवं वित्त प्रभार	457.08	505.18
प्रावधान	80.50	190.97
संविदाओं, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी सेवाओं पर व्यय	82.39	61.16
कुल व्यय	**2,487.42**	**2,094.53**

दिनांक 19.01.20009 की सीईआरसी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई नई दरों पर मुख्यतया मूल्यह्रास प्रभारों के कारण वर्ष 2009 में हमारा कुल व्यय 2,094.53 करोड़ रूपए था। जिसमें 2010 में 18.76 प्रतिशत की वृद्धि से कुल व्यय 2,487.42 करोड़ रूपए हो गया। हमारी कुल आय के प्रतिशत के रूप में 2010 में हमारा व्यय 50.85 प्रतशत था जो वर्ष 2009 में 64.22 प्रतिशत था। यह कमी मुख्यतया पावर स्टेशनों के टैरिफ को अंतिम रूप देने/संशोधन करने के कारण ऊर्जा की बिक्री में वृद्धि से हुई है।

विद्युत उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य खर्चे

विद्युत उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य खर्चों में प्राथमिक रूप से भवनों, संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण, सुरक्षा खर्चे, बीमा खर्चे आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2010 में ये खर्चे हमारे कुल व्यय का लगभग 12 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2009 में 16 प्रतिशत। स्पष्ट शब्दों में इन खर्चों में वर्ष 2009 में 326.47 करोड़ रूपए का वित्त वर्ष 2010 में लगभग 7 प्रतिशत की कमी से 304.36 करोड़ रुपए हुआ। बिक्री योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट के संदर्भ में यह गत वित्त वर्ष में 0.22 करोड़ रुपए की तुलना में 2010 में 0.20 करोड़ रुपए था।

22.11 करोड़ रूपए की कमी सुरक्षा, बीमार खर्च में वृद्धि और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन खर्चों में कमी का प्रभाव था। विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन खर्चों के प्रभाव को इसकी बिलिंग जिसे ऊर्जा की बिक्री के लिए परिकलित किया जाता है, बराबर कर दिया है।

कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ

कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा लाभों में वेतन तथा मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि तथा अन्य निधियों तथा कल्याण खर्चों में अंशदान शामिल हैं। ये खर्चे वर्ष 2009 में लगभग 24 प्रतिशत की तुलना में 2010 में हमारे कुल व्यय का लगभग 21 प्रतिशत थे। स्पष्ट शब्दों में 01.01.2007 से देय निगम के कर्मचारियों के वेतन संशोधन में किए गए अतिरिक्त प्रावधान से वित्त वर्ष 2010 में 37.33 करोड़ रूपए की वृद्धि इन खर्चों पर हुई। इन्हें आंशिक रूप से दीर्घावधि/रोजगार पश्चात के लाभ दायित्वों से क्षतिपूर्ति की गई। इसके फलस्वरूप, गत वित्त वर्ष में 0.34 करोड़ रूपए से चालू वर्ष में 0.36 करोड़ रूपए की बिक्रीयोग्य ऊर्जा की कर्मचारी लागत प्रति यूनिट में वृद्धि हुई।

निर्माण परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ लागत को ''निर्माण के दौरान व्यय'' से परिणत किया गया।

जल विद्युत स्टेशनों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी की लागत को इस मद में शामिल किया जाता है। निर्माण परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भुगतान को भी इस मद में शामिल किया जाता है।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, हमारे वेतन रोल पर 11,618 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2009 को 12,295 कर्मचारी थे। इनमें से वित्त वर्ष 2010 और 2009 में क्रमश: 4,971 तथा 5,253 कर्मचारियों को कारोबार में संचालन एवं रखरखाव में लगाया गया था। कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा अन्य लाभों में 2009 के 492.51 करोड़ रूपए से वृद्धि होकर 2010 में 7.58 प्रतिशत की दर से 529.84 करोड़ रुपए की बढ़ोंत्तरी हुई।

कुल आय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य लाभों में वित्त वर्ष 2009 में 15.10 प्रतिशत की कमी हुई थी जबकि 2010 में 10.83 प्रतिशत की कमी हुई जो मुख्य रूप से पावर स्टेशनों के परिवर्तित टैरिफ नार्म तथा इन्हें अंतिम रूप देने / संशोधन के कारण ऊर्जा की बिक्री में वृद्धि से हुई है।

अवमूल्यन

कंपनी की परिकलन नीति के अनुसार, अवमूल्यन स्ट्रेट लाइन पद्धति पर प्रभारित किया जाता है जो 19.01.2009 की अधिसूचना द्वारा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसम्पत्ति की लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, इसमें वे कुछ मदें शामिल नहीं है जिन पर कंपनी द्वारा मूल्यांकित दरों पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 616 के प्रावधान के अनुसार कंपनियां विद्युत उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियां उक्त अधिनियम की अनुसूची XIV में निर्धारित के अतिरिक्त, लेखों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अवमूल्यन की दरें अपना सकती है।

टैरिफ नीति, 2006 जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी की गई है, दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प संख्या 23 / 2 / 2003-आरएण्डआर (वाल्यूम III) के द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 का एक उत्तराधिकारी में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अवमूल्यन दरें टैरिफ तथा परिकलन के प्रयोजन के लिए लागू होगी। तदनुसार, एनएचपीसी परिकलन में अवमूल्यन को प्रभारित करने के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरें अपना रहा है।

हमारी अवमूल्यन लागत वित्त वर्ष 2010 में 99.38 प्रतिशत बढ़कर 1,033.25 करोड़ रुपए हो गई है जो 2009 में 518.24 करोड़ रुपए थी। हमारे अवमूल्यन खर्चों में दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए 01.04.2009 से प्रभावी नई दरों पर अवमूल्यन प्रभारित करने के कारण मुख्यतया वृद्धि हुई है। हमारी कुल आय के प्रतिशत के रूप में 2009 में अवमूल्यन में 15.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो 2010 में बढ़कर 21.12 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2010 तथा 2009 में अवमूल्यन की औसत दर क्रमशः 5.18 प्रतिशत तथा 2.58 प्रतिशत थी।

ब्याज तथा वित्त प्रभार

हमारे ब्याज प्रभारों में मुख्य रूप से बांड तथा आवधिक ऋण पर ब्याज खर्चें शामिल है। लेखा प्रयोजनों के लिए हमारे उधार लेनेवाले रूपयों में उनमें विदेशी मुद्रा के रूप से जापानी येन, यूएस डालर और यूरो शामिल है। इसके अतिरिक्त, हम लिए गए ऋणों के संबंध में गारण्टी शुल्क के परिकलन पर भी व्यय करते हैं।

ब्याज तथा वित्त प्रभार 2009 में 505.18 करोड़ रुपए की तुलना में 2010 में 9.52 प्रतिशत घटकर 457.08 करोड़ रूपए हो गए। इसका मुख्य कारण ऋणों का पुनर्भुगतान तथा ऋणों की पुन:प्राप्ति था।

प्रावधान

संदेहपूर्ण ऋणों, दावों तथा अग्रिमों तथा स्टोर एवं स्पेयर्स के लोप के कारण प्रावधान बनाए गए हैं। ऐसे के प्रावधानों का आकलन वर्षानुवर्ष होता हैं तथा यह प्रबंधन मूल्यांकन पर आधारित होते है।

हमारे प्रावधान वित्त वर्ष 2009 में 190.97 करोड़ रूपए से 2010 में 57.85 प्रतिशत घटकर 80.50 करोड़ रूपए रह गए। यह कमी मुख्यतया दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम) - (अनुसूची 24 के संदर्भ नोट 7 (ख) - लेखों के नोट) के निपटाए गए कर्जों से संबंधित डूबे एवं संदेहपूर्ण ऋणों के लिए 2009 में 120.81 करोड़ रूपए के प्रावधान के कारण था।

वित्त वर्ष 2010 के दौरान धौलीगंगा पावर स्टेशन की लागत के लिए 70.84 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था जिसकी सिफारिश सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) नोट के अनुसार समय और लागत संबंधी स्थायी समिति द्वारा डिसएलाउंस के लिए की गई है।

संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य पर परिव्यय

संविदाओं परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य पर व्यय, निर्माण संविदाओं, संविदा और परामर्शी कार्मिक तथा प्रशासन और संविदाओं से संबंधित ओवरहैड व्यय से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय जिसे हम या तो एजेंसी आधार पर या अन्यथा तीसरे पक्षों (प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की ओर से भारत सरकार) की ओर से निष्पादित करते हैं, को दर्शाता है।

संविदाओं, परियोजनाओं प्रबंधन और परामर्शी कार्य पर हमारा व्यय वित्त वर्ष 2009 में 61.16 करोड़ रूपए से बढ़कर 2010 में 34.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से 82.39 करोड़ रूपए हो गया। इस वृद्धि का कारण कार्य में हुई प्रगति तथा बगलियार पावर स्टेशन के ओ एण्ड एम को नया कार्य सौंपने से हुआ।

कराधान पूर्व लाभ

ऊपर वर्णित कार्यों से कराधान पूर्व हमारे लाभ में वशद्धि हुई जो 2009 में 1,178.34 करोड़ रुपए था और में 103.85 प्रतिशत से बढ़कर 2,402.08 करोड़ रुपए हो गया।

कर के प्रावधान

वित्त वर्ष 2010 में वित्त वर्ष 2009 में 103.12 करोड़ रूपए की तुलना में कर के लिए 311.58 करोड़ रूपए प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2010 में कर वृद्धि कर पूर्व लाभ में बढ़ोत्तरी होना बताया गया है।

पिछले वित्त वर्ष तक मुख्य गतिविधियों से संबंधित न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को लाभभोगियों पर लगाया गय था। तथापि, वित्त वर्ष 2010 से 2009-14 के लिए नए टैरिफ नार्म्स के फलस्वरूप आरओई को लागू आय कर के संदर्भ में पूरा कर लिया गया है ताकि आय कर भी वसूली की जा सके।

लिक्विडिटी तथा पूंजी संसाधन

लिक्विडिटी

कार्यशील पूंजी प्रदान करने तथा पूंजी आवश्यकताओं के निधियन के लिए हम आंतरिक तथा बाह्य दोनो प्रकार के संसाधनों पर निर्भर हैं। हमने अपनी पूंजी व्यय को आंतरिक रूप से सृजित निधियों, भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान, भारत सरकार इक्विटी अंशदान और ऋण का वित्त पोषण से पारम्परिक रूप से निधियन किया है। हम सामान्यतया आवधिक ऋणों या जारी बांड के रूप में दीर्घकालीन उधार आरंभ करते हैं जो भारतीय रूपए या विदेशी मुद्रा में हो सकता है। 31 मार्च 2010 तथा 2009 में हमारे पास नकदी के बराबर क्रमशः 5,097.38 करोड़ रूपए और 1,899 करोड़ रूपए थे।

नकदी प्रवाह

(करोड़ रूपए में)

	वित्त वर्ष 2010	वित्त वर्ष 2009
प्रचालन गतिविधियों से कुल नकद	3,138.32	2,510.10
निवेश गतिविधियों से कुल नकद आउटफ्लो	(4,572.51)	(2,862.49)
वित्त पोषण गतिविधियों से नेट कैश	4,631.62	411.07

प्रचालन से कुल नकद

वित्त वर्ष 2010 में संचालन गतिविधियों से हमारी कुल नकदी 3,138.32 करोड़ रूपए थी। कर पूर्व हमारे पास सकल लाभ था तथा असाधारण मदों के पश्चात 2,402.08 करोड़ रूपए था। प्रचालन गतिविधियों से हमारी कुल नकदी 1,032.29 करोड़ रूपए के अवमूल्यन (पूर्व अवधि सहित) की नॉन-कैश मदों, अवमूल्यन के प्रति अग्रिम पर आस्थगित राजस्व में 416.12 करोड़ रूपए और 107.97 करोड़ रूपए की छूट को छोड़कर ब्याज को दर्शाता है। परिसम्पत्तियों और देयताओं में परिवर्तन जिनका वर्तमान अवधि नकदी प्रवाह प्रभाव पड़ता है। ये मुख्य रूप से 529.11 करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी में वृद्धि, व्यापार तथा अन्य देयताओं में प्राप्य तथा वृद्धि के प्रभाव से हुआ हैं।

वित्त वर्ष 2009 में प्रचालन गतिविधियों से हमारे पास कुल 2,510.10 करोड़ रूपए थे। कर पूर्व हमारे पास शुद्ध लाभ था तथा उसके पश्चात 1,178.34 करोड़ रूपए की असाधारण मदें थी। संचालन गतिविधियों से हमारी कुल नकदी 521.79 करोड़ रूपए के अवमूल्यन (पूर्व अवधि सहित) की नॉन-कैश मदों, अवमूल्यन के प्रति अग्रिम पर आस्थगित राजस्व में 474.79 करोड़ रूपए तथा 27.19 करोड़ रूपए की छूट को छोड़कर ब्याज को दर्शाता है। परिसम्पत्तियों और देयताओं में परिवर्तन जिनका वर्तमान अवधि नकदी प्रभाव पड़ता है, में मुख्य रूप से 235.57 करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी की वृद्धि, व्यापार तथा अन्य देयताओं में प्रारंभ तथा वृद्धि के प्रभाव शामिल हैं।

निवेश गतिविधियों से कुल नकद

वित्त वर्ष 2010 में हमारे पास निवेश गतिविधियों में किया गया 4,72.51 करोड़ रूपए थे यह मुख्यतया 2,997.53 करोड़ रूपए की अचल परिसम्पत्तियों पर हुए व्यय को प्रतिबिंबित करता है। 1,600.45 करोड़ रूपए के निवेश में वृद्धि लाभांश की अल्प राशि द्वारा समेकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2009 में हमारे पास निवेश गतिविधियों में किया गया 2,862.49 करोड़ रु. थे। 3,172.17 करोड़ रु. की अचल परिसम्पत्तियों पर यह परिलक्षित व्यय 255.61 करोड़ रु. निवेश में कमी और अल्प लाभांश राशि के ऑफसेट से हुआ।

वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकद

वित्त वर्ष 2010 में हमारे पास वित्तपोषण गतिविधियों से कुल 4,631.62 करोड़ रूपए का कुल नकद प्रवाह था। नए उधार से हमने 3,458.42 करोड़ रूपए जुटाए। हसमें 3,450 करोड़ रूपए का घरेलू आवधिक ऋण तथा विदेश से उधार के 8.42 करोड़ रूपए शामिल हैं। अंश पूंजी और अंश प्रीमियम से क्रमश: 1,118.25 करोड़ रूपए तथा 2,868. 74 करोड़ रूपए जुटाए गए। हमने 1,669.58 करोड़ रूपए का उधार चुकाया और ब्याज एवं वित्त प्रभार के 914.20 करोड़ रूपए चुकाए। हमने अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) 230.01 करोड़ रूपए दिए।

वित्त वर्ष 2009 में वित्तपोषण गतिविधियों में हमारा कुल नकदी प्रभाव 411.07 करोड़ रूपए था। नए उधार से हमने 2,331.46 करोड़ रूपए जुटाए। इसमें 2,306.00 करोड़ रूपए का घरेलू आवधिक ऋण तथा विदेश से उधार के 25.46 करोड़ रूपए शामिल हैं। हमने 771.06 करोड़ रूपए का उधार चुकाया और ब्याज एवं वित्त प्रभार के 777.67 करोड़ रूपए चुकाए। हमने अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) के 371.66 करोड़ रूपए चुकाए।

वित्त वर्ष 2009 तथा 2010 के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि का मुख्य कारण कंपनी की प्रारंभिक पब्लिक आफर (आईपीओ) के फलस्वरूप शेयर कैपिटल तथा शेयर प्रीमियम राशि का प्राप्त होना था।

बैलेंस शीट मदों की चर्चा

बैलेंस शीट की मुख्य विशेषताएं

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च को	
	वित्त वर्ष 2010	वित्त वर्ष 2009
अचल परिसम्पत्तियां	30,419.95	28,142.43
निवेश	4,394.05	2,793.60
निवेश पर ब्याज	182.65	81.01
इन्वेटरीज	44.31	37.16
संविदा कार्य की प्रगति	26.84	19.55
विविध कर्जदार	1,140.21	294.66
नकद एवं बैंक बैलेंस	5,097.38	1,899.95
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	534.66	393.74
ऋण एवं अग्रिम	1,295.74	1,693.20

वित्तीय स्थिति

कुल राशि

वित्त वर्ष 2010 के अंत में कंपनी की कुल रशि में गत वित्त वर्ष की 17,978.29 करोड़ रूपए की तुलना में 23,273.19 करोड़ रूपए थी इसमें 29.45 प्रतिशत की वृद्धि आईपीओ बिक्री तथा कर पश्चात लाभ में वृद्धि के कारण हुई।

कुल अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों के रूप में परिभाषित अवमूल्यन के पश्चात हमारी अचल परिसम्पत्तियां 31 मार्च, 2010 तथा 2009 को क्रमश: 30,419.95 करोड़ रूपए तथा 28,142.43 करोड़ रूपए की थी। हमारी अचल परिसम्पत्तियों में भूमि, बांध, नहरें, पावर हाऊस सहित भवन, संयंत्र तथा मशीनरी, कार्यालय, उपकरण, कम्प्यूटर तथा अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में कुल ्चल परिसम्पत्तियों के मूल्य में 8.09 प्रतिशत की वृद्धि पूंजी कार्यों की प्रगति में वृद्धि के कारण हुई।

निवेश

निवेश का उद्देश्य दीर्घावधि और लागत को पूरा करना है। 31 मार्च 2010 तथा 2009 के अनुसार हमारा कुल निवेश क्रमश: 4,394.04 करोड़ रूपए और 2,793 करोड़ रूपए का था।

निवेश में वृद्धि आईपीओ बिक्री, स्व-बीमा निधि तथा संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों तथा पुन:भुगतान में कमी एवं स्क्रुनाइज्ड पावर बांड के कारण वृद्धि हुई।

एकल समय सेटलमेंट स्कीम के अनुसार में पावर बांड को भी निवेश के लिए परिकलित किया जाता है। 31 मार्च 2010 तथा 2009 के अनुसार ये निवेश क्रमश: 1,521.55 करोड़ रु. तथा 1,778 करोड़ रु. के थे। पावर बांड में कमी इसकी पुन: प्राप्ति के कारण आई।

निवेश पर ब्याज

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को निवेश पर प्राप्त ब्याज क्रमश: 182.65 करोड़ रूपए तथा 81.01 करोड़ रुपए था। निवेश पर प्राप्त ब्याज वित्त वर्ष 2009 की तुलना में 2010 में 125.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो आईपीओ बिक्री को निवेश करके प्राप्त ब्याज से हुई।

इन्वेंटरी

इन्वेटरी का मूल्य कुल वसूल करने योग्य मूल्य पर आंका जाता है। हमारे प्रबंधन ने अपनी इन्वेटरियों का मूल्य स्टाक की वास्तविक जांच के आधार पर आंका है। 31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारी इन्वेटरियों का मूल्य क्रमश: 44.31 करोड़ रुपए तथा 37.16 करोड़ रूपए था।

संविदा कार्य प्रगति पर

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारे निविदा कार्य प्रगति पर क्रमश: 26.84 करोड़ रूपए तथा 19.55 करोड़ रुपए का था।

विविध कर्जदार

विविध कर्जदार में प्राथमिक रूप से विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्तियां शामिल है। 31 मार्च, 2010 तथा 2009 को विविध कर्जदार पर क्रमश: 1,140.21 करोड़ रूपए तथा 294.66 करोड़ रूपए थे। वित्त वर्ष 2009-2010 के बीच दुलहस्ती पावर स्टेशन के टैरिफ के संशोधन एवं वित्त वर्ष 2010 की बिलिंग वित्त वर्ष 2009 में सीआरसी मानकों में लागू टैरिफ के कारण पूर्ववर्ती वर्षों की बिक्री एवं किश्तों की वसूली से विविध देयताओं में 286.96 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

नकद और बैंक बैलेंस

हमारी नकदी और बैंक बैलेंस में ये शामिल है (i) हमारे चालू खाता में बैलेंसशीट तारीख के अनुसार कैश सरप्लस तथा अल्पावधि जमा तथा (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ संबद्ध लागतों के संबंध में और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत सरकार से प्राप्त खर्च न किया गया अग्रिम।

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारा नकद बैंक बैलेंस क्रमश: 5,097.38 करोड़ रुपए तथा 1,899.85 करोड़ रूपए था। वित्त वर्ष 2010 में 3,197.43 करोड़ रूपए की वृद्धि, खर्च न की गई आईपीओ तथा स्व-बीमा फण्ड की आवधिक जमाओं में निवेश करने से हुई।

अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारी अन्य चालू परिसम्पत्तियां क्रमश: 534.66 करोड़ रूपए तथा 393.74 करोड़ रूपए की थीं। वित्त वर्ष 2009 की तुलना में 2010 में हमारी परिसम्पत्तियों में 35.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से आस्थगित कर वसूली के कारण हुआ।

टैरिफ अवधि 2009-10 तथा उसके बाद के लिए आयकर वसूली की पद्धति सीईआरसी द्वारा संशोधित की गई है, वर्तमान वित्त वर्ष से लाभभोगियों से आस्थगित कर दायित्व वसूला नहीं जा सका। 31.03.2009 को आस्थगित कर दायित्व के बारे में टैरिफ अधिसूचना में यह व्यवस्था है कि इसे सीधे ही लाभभोगियों से वसूला जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस तरह से 122.94 करोड़ रूपए को कार्यरूप दिया गया है जिसका 2010-11 में दावा किया जाएगा। (अनुसूची 9 का क्र. (एफ) - वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम)।

ऋण तथा अग्रिम

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारे ऋण तथा अग्रिम क्रमशः 1,295.74 करोड़ रूपए तथा 1,693.20 करोड़ रुपए था। ऋणों तथा अग्रिमों में अग्रिम आयकर, कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा सप्लायरों को अग्रिम शामिल है।

वित्त वर्ष 2009 की तुलना में वित्त वर्ष 2010 में ऋणों तथा अग्रिमों में 23.47 प्रतिशत तक कमी आई जिसका मुख्य कारण ठेकेदारों तथा सप्लायरों के अग्रिम में कटौती से हुआ है।

देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च	
	2010	**2009**
प्रतिभूति ऋण	10,953.18	8,212.38
गैर-प्रतिभूति ऋण	2,915.04	4,021.65
अवमूल्यन के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम से प्राप्त आय	1,437.44	1,329.47
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	4,417.84	3,813.51

प्रतिभूति ऋण

31 मार्च, 2010 और 2009 को हमारी प्रतिभूति ऋण क्रमशः 10,953.18 करोड़ रूपए और 8,212.38 करोड़ रूपए थी। प्रतिभूति ऋण में घरेलू बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों के प्रति सुरक्षित पूंजी बाजार में जुटाए गए कारपोरेट बाण्ड्स के उधार शामिल है।

वित्त वर्ष 2010 के दौरान प्रतिभूति सुरक्षित ऋणों में 33.37 प्रतिशत की वृद्धि ऋणों के पुर्नभुगतान के कारण कमी तथा नए उधार के कारण वृद्धि का सकल प्रभाव है।

गैर-प्रतिभूति ऋण

31 मार्च, 2010 तथा 2009 के अनुसार हमारे गैर-प्रतिभूति ऋण क्रमशः 2,915.04 करोड़ रूपए तथा 4,021.65 करोड़ रूपए था। गैर-प्रतिभूति ऋणों में घरेलू बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं एवं कम्पनी की परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया है, शामिल है।

वित्त वर्ष 2009 की तुलना में वित्त वर्ष 2010 में गैर-प्रतिभूति ऋणों में 27.52 प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी मुख्यतया वित्त वर्ष 2010 के दौरान 800 करोड़ रूपए के अल्पावधि ऋण के पुर्नभुगतान के कारण हुई थी।

अवमूल्यन के प्रति अग्रिम से प्राप्त आय

2008-09 तक अवमूल्यन के प्रति अग्रिम (एएडी) पावर स्टेशन के संचालन के शुरुआती वर्षों में टैरिफ के एक घटक के तौर पर प्राप्य था ताकि उस पावर स्टेशन के संबंध में ऋणों का पुनर्भुगतान किया जा सके।

एएडी की अवधारण को टैरिफ अवधि 2009-14 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित नए टैरिफ में हटा दिया गया है।

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारा एएडी क्रमशः 1,43,7.44 करोड़ रूपए तथा 1,329.47 करोड़ रुपए था। बहियों में एएडी स्टेंडिंग को एक क्रमबद्ध तरीके में वापस लिया जा रहा है।

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

31 मार्च, 2010 तथा 2009 को हमारी वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान क्रमशः 4,417.84 करोड़ रूपए तथा 3,813.51 करोड़ रूपए थी। हमारी वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में विविध ऋणदाता, कान्ट्रेक्ट करनेवालों से अग्रिम, प्रतिभूति जमा, रिटेंशन राशि, मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान, प्राप्य मूल्यांकन और लाभांश कर आदि शामिल हैं।

वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में 2009 की तुलना में 2010 में 15.85 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो मुख्यतया लाभांश के प्रावधान में वृद्धि (लाभांश कर सहित) तथा 01.01.2007 से मजदूरी संशोधन के प्रावधान के कारण हुई है।

बैलेंस शीट से भिन्न मदें

आनुषंगिक देयताएं

वित्त वर्ष 2010 तथा 2009 को हमारी आनुषंगिक देयताओं के घटकों की तालिका निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	**वित्त वर्ष 2010**	**वित्त वर्ष 2009**
निम्नलिखित के संबंध में अस्वीकृत ऋणों के प्रति कंपनी के विरुद्ध दावे :		
पूंजी कार्य	4,452.69	3,870.55
भूमि मुआवजा मामले	82.82	94.61
विवादास्पद आयकर, बिक्री कर अन्य मदें	2,388.25	2,471.47
कुल	**6,923.76**	**6,436.63**

31 मार्च, 2009 को आनुषंगिक देयताएं 6,436.63 करोड़ रूपए थे। जो 31 मार्च, 2010 में 7.57 प्रतिशत बढ़कर 6,923.76 करोड़ रूपए हो गया इस वृद्धि का मुख्य कारण पूंजी कार्यों से संबंधित अनुषांगिक देयताओं में बढ़ौत्तरी होना है।

सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम कंपनियों का कारोबार तथा वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यम कम्पनियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमि. से जाना जाता है) एनएचपीसी लिमि. (51 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश सरकार की (49 प्रतिशत) एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 01.08.2000 को शामिल किया गया था जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रूपए की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर परियोजना (1,000 मेगावाट) स्थापित की है। एनएचडीसी ने मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में रीवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आरटीपीपी) जो सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है, स्वामित्व आधार पर 1320 मेगावाट (2660 मेगावाट) पर 29 जून, 2009 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुक्रु (बैतुल) में 100 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए स्थल भी आबंटित किया गया है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपरेशन लिमिटेड को 230 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी से एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत) तथा मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत) के एक संयुक्त उद्यम के तौर पर 23.10.2009 को स्थापित किया गया था। इसे स्थापित करने के पश्चात एनएचपीसी लिमि. की पूर्व लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना को इस कंपनीने सौंप दिया गया है।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स को एनएचपीसी लिमि, एनटीपीसी लिमि., पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. तथा टाटा कन्सेलटेन्सी सर्विसेस लिमि. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में ''नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड'' के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर एक पावर एक्सचेंज संचालित करने के लिए 11.12.2008 को स्थापित किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी की 16.67 प्रतिशत इक्विटी है। यह पावर एक्सचेंज ''डे अहेड आधार'' पर विद्युत की ट्रेडिंग करने और सभी कारोबार को एक पारदर्शी, उचित और खुले तरीके से क्लियरिंग सुनिश्चित करेगा जिसमें पावर मार्किट के सभी प्लेयर तक इसकी पहुंच हो सके।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल, एनएचपीसी लिमि., एनटीपीसी लिमि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में 22.05.2009 को स्थापित किया गया इनमें से प्रत्येक की 25 प्रतिशत इक्विटी है। इस कम्पनी को देश में शार्ट-सर्किट टेस्ट सुविधा के लिए एक ऑन-लाइन हाईपावर टेस्ट लैबोरेटरी हेतु स्थापित किया गया था।

पीटीसी इण्डिया लिमिटेड

कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में विद्युत की ट्रेडिंग, विद्युत का आयात/निर्यात तथा अभिनिर्धारित निजी विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की खरीद तथा इसे अभिज्ञात राज्य बिजली बोर्डों/अन्यों को बेचना शामिल है। एनएचपीसी के पास पीटीसी की प्रदत्त पूंजी का 4.17 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2010 के दौरान, कम्पनी ने इस बात की समीक्षा की कि क्या परिकलन मानक (एएस) 27-संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रावधान पीटीसी इण्डिया लिमि. में किए गए निवेश पर लागू होते हैं। चूंकि एनएचपीसी का यह कथन कि ''पीटीसी इंडिया लिमिटेड में निवेश हेतु इस मानक के प्रावधान लागू नहीं होते'' इसलिए इसे इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रकटन से हटा दिया गया है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण, लेखा मानक (एएस)-21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखा मानक (एएस)-27 ''के अनुसार संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' को इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण, परिणामों का एवं संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2010	वित्त वर्ष 2009
कुल आय	5,874.62	4,072.04
कर पूर्व लाभ	2,754.17	1,486.25
कर पश्चात लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन)	2,175.56	1,184.89

(ख) पावर स्टेशनों का कार्य निष्पादन

एनएचपीसी के आपरेटिंग पावर स्टेशन, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित है, ने 1.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है। विद्युत स्टेशनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विद्युत स्टेशन	''बहुत अच्छा'' एमओयू रेटिंग के लिए 2009-10 में सृजन लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2009-10	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2008-09	एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (प्रतिशत) 2009-10	वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत) 2009-10
बैरास्यूल	768	623	673	87.00	91.1
लोकतक	448	381	498.	87.00	72.6
सलाल	3029	3024	3009	62.00	59.5
टनकपुर	446	471	428	57.00	63.1
चमेरा-I	1665	2065	2142	92.00	97.7
उड़ी	2587	2703	3032	62.00	72.5
रंगित	334	329	333	87.00	91.8
चमेरा – II	1481	1369	1372	92.00	97.8
धौलीगंगा	1100	1134	1117	87.00	92.7
दुलहस्ती	1883	2264	2199	92.00	96.7
तीस्ता – V*	2533	2598	1887	87.00	94.0
सेवा – II	107	-	-	82.00	-
कुल	16381	16960	16690	79.89	84.1

* विद्युत उत्पादन में इनफार्म पावर शामिल है।

वर्ष 2009-10 के पीएएफ (प्रतिशत) के आंकड़ें अनंतिम हैं बशर्ते कि संबंधित आरपीसी द्वारा प्रमाणित हो।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास

कंपनी का विश्वास है कि कर्मचारियों का सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी दल कर्मचारियों की सतत वृद्धि एवं उनकी सफलता हेतु महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में एनएचपीसी ने चार विद्युत केन्द्रों नामत: टनकपुर विद्युत केन्द्र (उत्तराखण्ड), चमेरा-I पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश), सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) तथा उड़ी-I पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की हैं।

प्रशिक्षण

एनएचपीसी देश में उन अग्रणी कुछ शैक्षिक संस्थाओं से सहयोक कर रहा है जो इसके कर्मचारियों की क्षमता और ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए बेहतर प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करते हैं। इसमें से कुछ ये है : आईआईएम, बंगलौर - कलकत्ता, एमडीआई - गुडगांव, आईएमटी - गाजियाबाद, आईएसबी – हैदराबाद, आईआईएम – कोजीकोड़, आईआईएम – इंदौर, आईआईएम – लखनऊ, एएससीआई – हैदराबाद, सीपीआरआई – बंगलौर, एनसीबी – वल्लभगढ़, आईएसएम – धनबाद, नेशनल वाटर अकेडमी-पुणे, आईआईटी-रूड़की-दिल्ली, केएलजी सिस्टल-गुड़गांव आदि, एबीबी एआरईवीए (टी एण्ड डी), एल्सटॉम, वीए-टेक, भेल, सीमेंस तथा अन्य जैसे उपस्कर निर्माण, में मुख्य हैं तथा पावर सेक्टर में विद्यमान नई तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

क्षेत्रीय-III कार्यालय, कोलकाता में स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्रीय-III तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत पावर स्टेशनों/परियोजनों में तैनात कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। केन्द्र अद्यतन प्रशिक्षण सहायता एवं उपस्करों से सुज्जित है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी में कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया गया था।

महिला कर्मचारी

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

समूह	**31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या**	**महिला कर्मचारियों की संख्या**	**सम्पूर्ण कर्मचारी संख्या का प्रतिशत**
कुल	**11,657**	**995**	**8.54**

महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु उठाए गए कदम:

- ऐसे कर्मचारियों हेतु विशेष तौर पर आयोजित किए जानेवाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए योग्य महिला कर्मचारियों को नामित करने में हमेशा ही विशेष ध्यान रखा जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में छोटे बच्चोंवाली महिलाओं हेतु क्रेच सुविधा प्रदान की जाती है।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों/फरियादों की सुनवाई हेतु तीसरी पार्टी के सहयोग से एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
- अपने नए नवजात/छोटे बच्चों की देखभाल हेतु महिला कर्मचारियों हेतु ''चाइल्ड केयर लीव'' का प्रावधान किया गया है।
- बच्चे को गोद लेने पर भी ''चाइल्ड केयर लीव'' का प्रावधान।
- नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु समय में छूट।
- एलटीसी/मेडिकल नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प।

औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एनएचपीसी के सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मधुर रहे। इस अवधि के दौरान हड़ताल अथवा तालाबंदी की सूचना नहीं मिली।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को जहां संभव था नीति निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं / स्टेशनों / यूनिटों से संबंद्ध शहरों में शैक्षिक, मनोरंजन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के बारे में सूचना

एनएचपीसी दूरदराज के उन क्षेत्रों जहां इसके विद्युत घर / परियोजनाएं अवस्थित हैं, में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के बारे में सजग है। एनएचपीसी उन विभिन्न सथानों में स्कूलों तथा कालेजों के लिए बजट आबंटन प्रदान करता है, जहां इसकी परियोजनाओं / पावर स्टेशनों के पास अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक होती है। सभी कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। प्राकृतिक आपदाओं / महामारी के दौरान एनएचपीसी के समुदाय को सहायता प्रदान की और चिकित्सा शिविर लगाए गए।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएचपीसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की भर्ती के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करता है। राष्ट्रपति के सभी निदेशों का पालन किया जा रहा है। पदोन्नति पर विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए शिथिल मानक लागू किए जाते हैं। संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की आवधिक बैठक कराता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग सम्पर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में हैं।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शानेवाली एक तालिका नीचे दी गई है :

	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	कुल प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग.
कुल	**11657**	**1489**	**12.77%**	**570**	**4.89%**	**991**	**8.50%**

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

निम्नलिखित तालिका विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है :

समूह	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी			% शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत	
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
कुल	**11657**	**11**	**5**	**75**	**91**	**0.8%**

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदम

एनएचपीसी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में डीओपीटी, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करता है। इसके अलावा, निम्नलिखित कल्याणकारी स्कीमें भी हैं :

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी की पुनर्वास स्कीम में सेवाकाल के दौरान विकलांग हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कर्मचारियों के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके लिए ब्याज रहित ऋण भी दिए जाते है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सलाह/सहायता भी प्रदान की गई।

2. अंधता एवं अस्थि विकलांगता से पीड़ित कर्मचारियों को मासिक परिवहन भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए उठाया गया दूसरा कदम है।
3. कर्मचारियों के शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को बालक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत विशेष रियायत प्रदान की जाती है। एक वर्ष में दो से भी अधिक अकादमी सत्रों को जारी रखने के बावजूद भी उन्हें प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है।
4. कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को श्रवण सहायक उपकरणों की खरीद हेतु भी शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की आश्रित के रूप में गणना करने के दौरान आयु-सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वार विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जानेवाले विकलांगता एवं विकास संबंधी सम्मेलनों / सेमिनारों / प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित विकलांगताओं से पीड़ित विविध प्रकार से विकलांग कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है।

सहायक कारपोरेशन

एनएचडीसी लिमिटेड जिसे पहले नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन कहा जाता था, **एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।** एनएचपीसी ने 1000 मेगावाट इंदिरा सागर परियोजना तथा ओमकारेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (520 मेगावाट) स्थापित किए हैं और राज्य को आवश्यक विद्युत दी। एनएचपीसी मध्य प्रदेश राज्य में ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्टिककारपोरेशन लिमिटेड मणिपुर राज्य में स्थित 66 मेगावाट की लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट निष्पादित करने के लिए **एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है।** 25 नए संयुक्त उद्यम कंपनी को एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के लिए क्रमश: 76:24 शेयर होल्डिंग अनुपात से 23 अक्तूबर, 2009 को शामिल किया गया था। कंपनी ने 25.02.2010 से अपना कारोबार शुरु किया।

सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम

मणिपुर में 1500 मेगावाट तिपईमुख हाइड्रोइलेक्ट्रिक (बहुद्देशीय) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार तथा एसजेवीएन लिमिटेड, के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एनएचपीसी लिमि., एसजेवीएन लि. तथा मणिपुर सरकार की शेयर होल्डिंग क्रमश: 69 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होगी। प्रमोटर्स एग्रीमेन्ट तैयार किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संयुक्त उद्यमों में प्रवेश किया :

1. मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड : एनएचपीसी ने 12 करोड़ रूपए इक्विटी में निवेश किया। कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में पावर की ट्रेडिंग, पावर का आयात/निर्यात शामिल है।
2. नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड : यह एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेस लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एनएचपीसी ने इसमें 83 लाख रुपए इक्विटी का योगदान किया है।
3. नेशनल हाईपावर टेस्ट लेबोरेटरी (एनएचपीटी) लिमिटेड : यह एनएचपीसी लिमि., एनटीपीसी लिमि., पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमि. तथा दामोदर घाटी निगम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एनएचपीसी ने इक्विटी के रूप में 88 लाख का योगदान किया है।

पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण

कंपनी पर्यावरण प्रतिरक्षण तथा निर्माण कार्यकलापों में एक संतुलन बनाए रखकर मानव जाति की बहुमूल्य विरासत प्रकृति को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्माण कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव को, यदि कोई हो तो, प्रतिपूरक वनीकरण, जली-ग्रहण क्षेत्र उपचार, वन्य-जीव संरक्षण ग्रीन बेल्ट विकास, मत्स्य प्रबंधन, कचरा स्थलों एवं खदान स्थलों के कायाकल्प, पुनर्वास तथा पुन: स्थापना इत्यादि जैसे तौर-तरीके अपनाकर कम किया जाता है तथा उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

एनएचपीसी परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की समस्याओं, चिंताओं एवं अभिलाषाओं के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार से, एनएचपीसी ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुन: स्थापना नीति, 2007 के अनुसरण में अपनी स्वयं की पुनर्वास एवं पुन:स्थापना (आर एण्ड आर) नीति, 2007 तैयार की है। यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के भूमि, मकान, अन्य संसाधनों आजीविका के साधनों इत्यादि के नुकसान से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करती है। यह नीति आय सृजन तथा स्थानीय लोगों एवं वंचित समूहों की चिंताओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में एक निश्चित समझबूझ प्रदान करती है। परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक वहनीयता पर मुख्य जो दिया गया है।

यह नीति एनआरआरपी-2007 में प्रस्तावित किए गए लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी प्रदान करती है। ये लाभ सिंचाई सहायता प्रणाली, उन लोगों के लिए भूमि का प्रावधान जिन्होंने अपनी भूमि खो दी है, गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की अविवाहित लड़कियों के लिए विवाह, अनुदान, संपदारहित युवाओं के लिए जीवन-निर्वाह अनुदान, स्वयं सहयता समूहों का गठन, अनाथों के साथ विशेष व्यवहार, सामुदायिक एवं सामाजिक विकास योजना हेतु परियोजना की अनुमानित लागत के 0.75 प्रतिशत तक उच्चतर पुनर्वास अनुदान राशि है। इसके अतिरिक्त, निगम परियोजना निर्माण के दौरान क्रियान्वित की गई प्रबंधन योजनाओं की क्षमता मूल्यांकन हेतु निर्माण की उपरांत पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का आयोजन भी करता है।

सचेतक विवरण

इस रिपोर्ट में निहित विचार एवं अग्रगामी विवरण कतिपय जोखिमों एवं अनिश्चिताओं के अध्यधीन तथा युक्तिसंगत अवधारणाओं पर आधारित है, जिनसे ऐसे विवरणों में दर्शाए गए वास्तविक परिणामों में भिन्नता हो सकती है। पाठकों को इस रिपोर्ट की अन्य सूचनाओं तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गई सूचनाओं की ध्यानपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी इन अग्रगामी विवरणों की नई सूचनाओं, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप समीक्षा या इन्हें सार्वजनिक रूप से अद्यतन बनाने का कोई दायित्व नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखा-परीक्षित परिणामों पर आधारित है।

संलग्नक-III

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेश पर निदेशक रिपोर्ट पर अनुबंध पर प्रत्युत्तर निम्न प्रकार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय:

धौलीगंगा एवं दुलहस्ती पॉवर स्टेशनों का ऊर्जा लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है और पॉवर स्टेशनों द्वारा ऊर्जा बचत में सुधार हेतु सीपीआरआई की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश एवं प्रस्ताव, यदि कोई हैं तो, को लागू किया जा रहा है:

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान तीस्ता-V पॉवर स्टेशन की ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रारम्भ की जा रही है।

ग) ऊर्जा की खपत में कमी एवं सामग्रियों के उत्पादन की लागत पर उसके प्रभाव हेतु उपरोक्त (क) एवं (ख) उपायों का प्रभाव:

घ) कम निष्पादन स्थल पर ऊर्जा सक्षम डिवाइसों/उपकरणों को बदलने की प्रक्रिया चरणबद्ध आधार पर की जाएगी:

लागू नहीं।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन:

(ङ) प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा पत्र ख के अनुसार संलग्न है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च:

(च) निर्यातों से संबंधित गतिविधियां; निर्यातों को बढ़ाने के लिए की गई पहलें; उत्पादों एवं सेवाओं तथा निर्यात नियोजन हेतु नए बाजारों का विकास:

एनएचपीसी की कोई निर्यात योजना नहीं है।

(छ) प्रयुक्त एवं अर्जित कुल विदेशी मुद्रा

विवरण		**रु. करोड़ में 2009-10**	**रु. करोड़ में 2008-2009**
1.*	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य:		
	i) पूंजीगत सामग्री		
	ii) स्पेयर पार्टस्	155.173.91	374.976.47
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जाने कैसे		
	ii) ब्याज		
	iii) अन्य विविध	11.2373.37104.44	0.2698.84250.53
3.*	परिचालन यूनिटों में प्रयुक्त स्पेयर पाट्र्सों एवं उपस्करों का मूल्य		
	आयातित	0.89 (20.79%)	4.34 (48.65%)
	देशी	3.39 (79.21%)	4.58 (51.35%)
4.**	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	(i) ब्याज आय	—	—
	(ii) अन्य	—	—
	* संग्रहण आधार		
	** रोकड़ आधार		

प्रपत्र - ख

1. विशिष्ट क्षेत्र जिन पर कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है:

- बैरास्यूल एवं लोकतक पॉवर स्टेशन जैसे दो पॉवर स्टेशनों के जल निस्सारक का अभिकलनात्मक फ्लूइड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण।
- पश्चिम बंगाल में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली दुर्गादुअनी मिनी टाइडल पॉवर स्टेशन का विकास।
- राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना - हाइड्रो जनरेटरों के टर्बाइन हेतु गाद सहिष्णु सामग्री का विकास।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं - उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के तहत जलमग्न क्षेत्रों में सुरंग बनाना।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न लाभ

- धौलीगंगा एवं दुलहस्ती पॉवर स्टेशनों का ऊर्जा लेखा परीक्षा पूरा कर लिया गया है और पॉवर स्टेशनों द्वारा ऊर्जा बचत में सुधार हेतु सीपीआरआई की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

पर्यावरण परिवर्तन पर स्वच्छ विकास तंत्र (सीएमडी) लाभों के लिए संयुक्त राष्ट्र संरचना समझौता (यूएनएफसीसीसी) की सीएमडी कार्यकारी मंडल द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में निम्मो बाजगो (45 मेगावाट) तथा चुतक (44 मेगावाट) नाम की दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के चालू होने से वार्षिक तौर पर क्रमश: लगभग 187,893 मैट्रिक टन कार्बन डाइआक्साइड और लगभग 166,831 मैट्रिक टन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन

भी कम होगा। इस हिसाब से एनएनपीसी को दोनों परियोजनाओं से अगले सात वर्षों में अतिरिक्त आय मिलेगी जो कि सात वर्षों के अगली दो अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी)

तीस्ता-V पॉवर स्टेशन वीसीएस (ऐच्छिक कार्बन मानक 2007.1) की वांछित आवश्यकताओं के संबंध में सफलतापूर्वक विधिमान्य है। इस विधिमान्यकरण के फलस्वरूप अगले 10 वर्षों में 20444420 टन कार्बन डाइआक्साइड (कुल) का उत्सर्जन कम होने का अनुमान है जो बाद में नवीनीकृत किया जा सकेगा।

जलाशय तलछट अध्ययनों पर सहभागिता के लिए नवम्बर, 2006 में कटाव एवं तलछट (आईआरटीसीईएस) पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चीन एवं एनएचपीसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एनएचपीसी की चमेरा-I एवं धौलीगंगा-I नाम के दो जलाशयों एवं आईआरटीसीईएस, चीन से बाजियाजुई एवं हॉगशां नामक दो जलाशयों को हाइड्रो जलाशयों में अवसादन प्रबधन पर सहभागिता अनुसंधान के लिए चुना गया है। उपरोक्त अनुसंधान का परिणाम दोनों के हाइड्रो जलाशयों में अवसादन के विरूद्ध बचाव उपाय हेतु उपयोगी होगा।

एनएचपीसी, एसजेवीएनएल एवं सीपीआरआई के संयोजन से भूजल अवयव के सेवा आयु के दीर्घीकरण हेतु गाद सहिष्णु सामग्री के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना जमशेदपुर के राष्ट्रीय मैटालर्जीकल प्रयोगशाला में कार्यान्वित है।

सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पॉवर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूबीआरईडीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में यह अपने किस्म की पहली परियोजना है।

अध्ययन के समस्त स्तरों पर हाइड्रोलिक डिजाइन में प्रयुक्ती के लिए जल चालक प्रणाली में प्रवाह पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए एनएचपीसी के संगणक फ्लूइड डायनामिक (सीएफडी) प्रयोगशाला की सफलतापूर्वक स्थापना की गई। दो पॉवर स्टेशनों के पैनस्टॉक का सीएफडी विश्लेषण पूरा कर लिया गया है।

3. वर्ष 2010-11 के लिए भावी नियोजन कार्रवाई:

वर्ष 2010-11 के लिए निम्नलिखित नियोजित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जारी रहेंगी :

- स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम):
  - सीडीएम लाभ प्राप्त करने के लिए किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का पंजीकरण।
  - लोकतक पॉवर स्टेशन का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु स्वैच्छिक उत्सर्जन कमियों की सुरक्षा एवं बिक्री।
  - तीस्ता-V पॉवर स्टेशन हेतु स्वैच्छिक उत्सर्जन कमियों की सुरक्षा एवं बिक्री।
  - सात हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं नामत: चमेरा-III, पार्बती-II, पार्बती-III, सेवा-II, टीएलडीपी-III, टीएलडीपी-IV एवं उड़ी-II स्टेशनों का निर्माण की विभिन्न स्तरों पर स्वैच्छिक उत्सर्जन कमियों (वीईआर) की सुरक्षा एवं बिक्री।
- सलाल पॉवर स्टेशन के पैनस्टॉक का सीएफडी विश्लेषण।
- पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पॉवर परियोजना का विकास।
- हाइड्रोजनरेटर के टर्बाइन हेतु गाद सहिष्णु सामग्री को विकास पर राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास योजना।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत नई योजना प्रस्ताव - उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के तहत जलमग्न क्षेत्रों में सुरंग बनाना।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कुल 2.65 करोड़ रु. व्यय हुआ।

प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवाचार

1. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवाचार हेतु किए गए प्रयास की संक्षेप में जानकारी।

जल के भीतर रहने वाले टरबाइन घटकों हेतु हार्ड कोटिंग के क्षेत्र में विशेषाकृत संगठनों के साथ विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययन/परीक्षण किए गए ताकि गाद से कटाव के प्रति उनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा सके और संभावित हल के रूप में तापीय स्प्रे तकनीकों की पहचान की जा सके।

2. उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभों अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि निम्न प्रकार हैं:

हार्ड कोटिंग एक सतत प्रक्रिया है और हाइड्रो टर्बाइन के लाभ हेतु भूजल अवयवों पर अंतिम कोटिंग सामग्री के पश्चात् लाभ प्राप्त होंगे। एचवीओएफ प्रक्रिया सहित टगंस्टन कार्बाइड कोबाल्ट कोटिंग से उत्साहवर्धक परिणाम प्रदर्शित होने की संभावना है।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी :

विदेशी सलाहकारों की मदद से निम्न गतिविधियां अपनाई गई हैं :

- एनएचपीसी देश में नवीन एवं पुनर्नियोजित ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा भूतापीय ऊर्जा के विखण्डन हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनएचपीसी को मैसर्स जियोथर्मएक्स, यू.एस.ए. जैसी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के मार्फत भारत में भू-तापीय क्षेत्र मे स्तरीय अध्ययन का दर्जा प्राप्त है। तत्तापानी भूतापीय क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव एनएचपीसी ने तैयार किया है और इसे एनएनआरई को प्रस्तुत किया गया है। एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर में पुगा भूतापीय क्षेत्रों को पीएफआर प्रस्तुत किया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पुगा भूतापीय क्षेत्र का विकास जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किया जाए।
- पर्यावरण के अनुकुल सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, हरित पॉवर के उन्नयन हेतु अनुसंधान एवं विकास संभाग द्वारा एनएचपीसी की निम्मो बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 25 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र एवं स्टैंड एलोन स्ट्रीट लाइटों की पायलेट परियोजना को लागू किया गया। वर्तमान में, दिनांक 17 जनवरी, 2007 को 20 स्टैंड एलोन स्ट्रीट लाइटों एवं 25 केडब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू किया गया है और ये परियोजना स्थल पर पूरी तरह कार्य कर रहे हैं।
- एनएचपीसी ने पश्चिम बंगाल स्थित (3.75 मेगावाट क्षमता) दुर्गादुआनी टाइडल परियोजना के डीपीआर का अद्यतनीकरण एवं उन्नयन पूरा कर लिया है।

संलग्नक-IV

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे नियमावली, 1975) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंगर्तत अपेक्षित सूचना

क) पूरे वित्तीय वर्ष में वार्षिक रूप से पारिश्रमिक के रूप में 24,00,000/- लाख रु. अथवा अधिक राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण।

क) वित्तीय वर्ष में 2,00,000/- लाख रु. तक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण।

नाम श्री/सर्वश्री कर्मचारी संख्या	कार्य की प्रकृति	कर्मचारी की अर्हता व अनुभव	रोजगार प्रारंभ करने की तिथि	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक (रु.)	पिछला रोजगार	टिप्पणी
इंद्रपाल, 120108एन	एएम (प्र.), सीपीएमजी	बी.ए. 30 वर्ष अनुभव	30/11/1978	60	1039207	सीडब्ल्यूसी	सेवानिवृत्त
वी के मणिकतला, 100510वाई	सीई, सीईपी	बी.ई (मैके.) 26 वर्ष अनुभव	14/06/1982	60	1211772	सीडब्ल्यूसी	सेवानिवृत्त
डी सी चौहान, 100330डब्ल्यू	एसएम(वित्त), वित्त	एसएएस, 29 वर्ष अनुभव	12/8/1980	60	2465141	रक्षा महानियंत्रक	सेवानिवृत्त
गुरबचन सिंह, 137924 के	मास टेक (फिट.), सलाल	अनपढ़	1/12/1982	58	849537		स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
टी मंडल, 100274एच	ईडी, सीईपी सेवानिवृत्त	बीई (सिविल), 29 वर्ष अनुभव	29/12/1979	60	1898714	इन्जीनियरिंग प्रो. (आई) लि. कैलाश	सेवानिवृत्त
ए के बोस, 120228एल	एएम (प्र.)	बी.ए. 26 वर्ष अनुभव	16/06/1983	60	1607838	मंत्रालय	सेवानिवृत्त
ए ए खान, 100008के	सीई (ई), टी एंड आरई सेवानिवृत्त	बीई (विद्युत) 28 वर्ष अनुभव	31/12/1980	60	1671670	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सेवानिवृत्त
पी एन पी सिंह, 101173एफ	सीई (सी), सीईपी	बीई (विद्युत) 25 वर्ष अनुभव	27/03/1984	54	1654317	जय प्रकाश असोसिएट्स प्रा. लि.	मृत्यु
डी डी पंत, 110364एच	प्रबंधक (मैक.) सेवानिवृत्त ओ एंड एम	मैक. इंजी. में डिप्लोमा, 33 वर्ष अनुभव	स्थापना के बाद से	60	1302566	ओ एंड एम में कार्यग्रहण किया	सेवानिवृत्त
दिलीप कारकुन, 100758एच	जीएम, डिजाइन (सिविल) सेवानिवृत्त	बीई (सिविल), एम टैक. 25 वर्ष अनुभव	25/07/1984	60	2274102	राष्ट्रीय परियोजना कारपो. लि.	सेवानिवृत्त
वी के जैन, 100052टी	ईडी, आरएंडडी	एफआईई, बीई (विद्युत) 32 वर्ष अनुभव	1/8/1977	59	2030124	सीईए	समय से पूर्व सेवानिवृत्ति
वी के सदोत्रा, 130016वाई	एएम (प्र.), एचआर	बी.ए. (ऑनर्स) 37 वर्ष अनुभव	स्थापना के बाद से	56	2410946		स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
एस एम हुसैन, 100466 ए	ईडी, सीईपी सेवानिवृत्त	बीएससी,इजी. (सिविल) 28 वर्ष अनुभव	14/12/1981	60	2243249	सिंचाई विभाग, बिहार सरकार	सेवानिवृत्त
कु. गुरशरनित कौर, 120085डब्ल्यू	डीएम (सैक्श) इंजी. जीयो.	हायर सैकेंडरी, 31 वर्ष अपेक्षित	15/07/1978	60	1689047		सेवानिवृत्त
एस सी राम, 110037एक्स	एसएम (ई), टी एंड आरई	ईलेक्ट्रीक इंजी. में डिप्लोमा, 34 वर्ष अनुभव	12/01/1976	60	2335953		सेवानिवृत्त
सी एस आहूजा, 100342L	प्रमुख (अनुसंधान) इंजी. जीयो.	एम. ए. मैथ्स 31 वर्ष अनुभव	27/09/1978	60	1810762	बीएसएल परियोजना	सेवानिवृत्त
भीम सैन, 110211वाई	प्रबंधक (वित्त) वित्त	बी. कॉम, एसईई, एमबीए, 31 वर्ष अनुभव	1/12/1978	54	4046760	बीएसएल, परियोजना, सुंदरनगर (एचपी)	मृत्यु
सुभाष रॉय,100534एच	ईडी, लागत इंजीनियरिंग सेवानिवृत्त	एफआईई, बीई (सिविल) 27 वर्ष अनुभव	27/09/1982	59	2007222	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, त्रिपुरा	समय से पूर्व सेवानिवृत्त

टिप्पणी :

1 उपरोक्त वर्णित व्यक्ति कंपनी के नियमित कर्मचारी थे।

2 पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, अवकाश नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सब्सिडाइज्ड लीज्ड मकान का भुगतान, कर्मचारियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय का भुगतान तथा नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान शामिल है। तथापि, इसमें परियोजना स्थल पर कंपनी की डिसपेंसरियों/अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए चिकित्सा उपचार का आर्थिक मूल्य शामिल नहीं है, जबकि यह कर्मचारीवार मात्रात्मक नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुरूप ग्रेच्युटी/समूह बीमा के हकदार होते हैं।

3 उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक में वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/त्याग लाभ दिए जाएंगे और इससे कंपनी के कर्मचारियों को नियमित पारिश्रमिक संरचना का संकेत नहीं मिलता।

4. उपरोक्त कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी कंपनी के निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - एनएचपीसी लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

1. हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (पूर्व में नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन), के 31 मार्च, 2010 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा, निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक क्षेत्रीय कार्यालय, निगम मुख्यालय और 4 अन्य कार्यालय (ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के रिटर्न शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर मान्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।

3. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 जिसे कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) संशोधन आदेश, 2004 (जिसे एतद्पश्चात आदेश कहा गया है) की अपेक्षा अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तो के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

4. उपरोक्त अनुच्छेद 3 में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ii) लेखा परिक्षकों के बीच काम का बंटवारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा एनएचपीसी को लिखे गए दिनांक 12.08.2009 के पत्र संख्या सीए. V सीओवाई/एनएचपीसी (5)/51 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार किया गया।

   (iii) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है। शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई और हमने उन पर उचित कार्रवाई की।

(iv) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त लेखा परीक्षा विवरणों के अनुरूप है।

(v) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

(vi) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.न. 8/5/2001-सीएल के अंतर्गत अधिसुचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते।

(vii) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत देय उपकर की मात्रा निर्धारित नहीं की है, इसलिए हम यह उपकर जमा करने में कंपनि के नियमित होने अथवा अन्यथा पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

(viii) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे तत्सम्बन्धी टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां के साथ पढ़ें जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते है:

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010 को कंपनी की स्थिति,

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का लाभ,

(ग) निर्माण के दौरान व्यय विवरण के मामले में उल्लिखित तारीख को समाप्त हुई अवधि तक किए गए व्यय, और

(घ) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।

कृते **जीएसए एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन नं 000257 एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि के रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी ने सामान्यत: उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गये अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

(ग) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण निपटान नहीं किया गया है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान भंडार, कलपुर्जे, इस्पात तथा सीमेंट की मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ती तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति जहाँ कहीं भौतिक होती है, उसका लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (iii) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नही होते है।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कपंनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कंपनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नही लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (iii) के उप-खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृती के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरित नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

(v) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्ट की जानी हो।

(ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर यह उप-खंड लागू नही होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कपंनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों एंव उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कवर होनेवाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

(vii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कपंनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरुप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, रिपोर्टिंग पहलुओं और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के संदर्भ में इसे और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) हमने केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डो के अनुरक्षण हेतु बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लेखा तथा अभिलेखों को तैयार तथा अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने उनकी सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन अभिलेखों का एक विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2010 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई देय बकाया राशि नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि 2099.36 करोड़ रुपए है।

सांविधि	देयों की प्रकृति	जिस फोरम पर विवाद लंबित है	करोड़ रुपए में
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आईटीओ, टीडीएस फरीदाबाद	0.08
	आयकर	आईटीओ, टीडीएस पालमपुर	0.01
विभिन्न राज्यो के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	1934.07
	बिक्री कर	बिक्री कर अपील प्राधिकरण, श्रीनगर, जम्मू ॲण्ड कश्मीर	117.35
	बिक्री कर	संयुक्त आयुक्त अपील	0.98
	बिक्री कर	कर निर्धारक प्राधिकारी, चम्बा	3.39
	बिक्री कर	एसीसीटी पश्चिम बंगाल बिक्री कर	40.39
असम मूल्य सम्वर्धित कर 2003	वैट	कर आयुक्त, असम	3.03
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	मुंबई सीमा शुल्क	0.06
		कुल	**2099.36**

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत मे कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार , कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों कों देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) कंपनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खण्ड 4(13) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारे मतानुसार कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर इस खण्ड के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतू किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार , कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर,हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि जुटाई नहीं गई है।

(xviii) कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा, 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंवटन नही किया है।

(xix) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के संबंध में प्रतिभूति का सृजन किया है।

(xx) हमने वित्तीय विवरण की अनुसूची 24 की टिप्पणी संख्या- 3 (क) में वर्णित पब्लिक इश्यू द्वारा उगाही गयी निधि के इस्तेमाल के प्रयोजन की जांच की है।

(xxi) वित्तीय विवरण की सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निष्पादित की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते **जीएसए एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन नं 000257 एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2010

एनएचपीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

390 मेगावाट दुल हस्ती पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर) - बांध

31 मार्च, 2010 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपये में)

	अनुसूची			31 मार्च, 2010			31 मार्च, 2009
निधियों के स्रोत							
क. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		12300.74			11182.49	
ii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		10972.45	23273.19		6798.13	17980.62
ख. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		10953.18			8212.38	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		2915.04	13868.22		4021.65	12234.03
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1437.44			1329.47
घ. विलंबित कर देयता (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			2509.64			2412.98	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर			2370.54	139.10		2412.98	-
कुल				**38717.95**			**31544.12**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
(क) सकल ब्लाक		21302.37			21460.08		
घटाएं - मूल्यह्रास		4907.44			3816.27		
(ख) निवल ब्लाक			16394.93			17643.81	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		12802.50			9401.77	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1222.52	30419.95		1096.85	28142.43
ख. निवेश	8			4394.05			2793.60
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		182.65			81.01		
ii) मालसूची		44.31			37.16		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		26.84			19.55		
iv) विविध देनदार		1140.21			294.66		
v) नकदी तथा बैंक शेष		5097.38			1899.95		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		534.66			393.74		
vii) ऋण तथा अग्रिम		1295.74	8321.79		1693.20	4419.27	
घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		2129.59			2150.25		
ii) प्रावधान		2288.25	4417.84		1663.26	3813.51	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				3903.95			605.76
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए)	11			-			2.33
कुल				**38717.95**			**31544.12**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000257एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं. 83899

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

31 मार्च, 2010 के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपये में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2010			31 मार्च, 2009		
आय							
i) बिक्री	12		4326.87			2698.06	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12A		107.97	4218.90		26.21	2671.85
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय	13			113.08			48.97
iii) अन्य आय	14			560.11			540.67
कुल आय				**4892.09**			**3261.49**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			304.36			326.47
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			529.84			492.51
iii) मूल्यह्रास	17			1033.25			518.24
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			457.08			505.18
v) प्रावधान	19			80.50			190.97
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20			82.39			61.16
कुल व्यय				**2487.42**			**2094.53**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**2404.67**			**1166.96**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			2.59			(11.38)
कर पूर्व लाभ				**2402.08**			**1178.34**
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			388.65			110.54	
ii) छुट-पुट लाभ कर			-			9.45	
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			(93.23)			(16.87)	
iv) विलंबित कर		96.66			395.91		
घटाएं: प्राप्य विलंबित कर समायोजन		80.50	16.16	311.58	395.91	-	103.12
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के बाद)				**2090.50**			**1075.22**
अग्रेणीत शेष				1963.66			1344.53
जोड़ें:							
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि				14.25			14.25
ii) स्व. बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि				-			0.06
iii) लाभांश पर कर-पश्च लेख				3.98			8.57
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**4072.39**			**2442.63**
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				100.00			-
ii) स्व बीमा निधि को अंतरित				32.99			98.74
iii) लाभांश:							
- अंतरिम				-			125.00
- प्रस्तावित				676.54			200.00
iv) लाभांश पर कर:							
- अंतरिम				-			21.24
- प्रस्तावित				112.36			33.99
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष				**3150.50**			**1963.66**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)							
बुनियादी				**1.76**			**0.96**
तनूकृत				**1.76**			**0.96**
निर्माण के दौरान व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 तक लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000257एन

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता नं. 83899

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये में)

	01.04.09 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.10 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृत : 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00	-	-	15,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त : पूर्णत: प्रदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 12,300,742,773 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर) पूर्णत: प्रदत्त (उक्त में से 10/- रुपए प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अलावा विचार पर आवंटित किया गया है।)	11,182.49	1,118.25	-	12,300.74
कुल	**11,182.49**	**1,118.25**	**-**	**12,300.74**

अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010				31 मार्च 2009			
	01.04.2009 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2010 के अनुसार अंतिम शेष	01.04.2008 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2009 के अनुसार अंतिम शेष
पूंजीगत आरक्षित	-	-	-	**-**	-	-	-	-
बॉण्ड मोचन आरक्षित	128.25	100.00	14.25	**214.00**	142.50	-	14.25	128.25
शेयर प्रीमियम	-	2,907.45	38.71 *	**2,868.74**	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	4,120.06	-	-	**4,120.06**	4,120.06	-	-	4,120.06
लाभ एवं हानि खाते पर अधिशेष	1,963.66	2,108.73	921.89	**3,150.50**	1,344.53	1,098.10	478.97	1,963.66
स्व-बीमा आरक्षित	586.16	32.99	-	**619.15**	487.48	98.74	0.06	586.16
कुल	**6,798.13**	**5,149.17**	**974.85**	**10,972.45**	**6,094.57**	**1,196.84**	**493.28**	**6,798.13**

** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 के प्रावधानों के अनुसार शेयर इश्यू समायोजन*

अनुसूची 3 - ऋण निधियां प्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
क. बॉण्ड		
बॉण्ड्स	2456.00	513.00
ख. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण- भारतीय मुद्रा	8497.18	7699.38
कुल (परिशिष्ट देखें)	**10953.18**	**8212.38**

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31मार्च 2009
(ए) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला *2 (100,000,000/- रुपए प्रत्येक के 7.7 प्रतिशत 1/10 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य भूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक) (31.03.09 से 31.03.18 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रुपए)	456.00	513.00
बॉण्ड - पी श्रृंखला *5 , 7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय - शून्य रुपए)	2,000.00	-
कुल बॉण्ड (ए)	**2,456.00**	**513.00**
(बी) सावधि ऋण		
केनरा बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रुपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	51.00	68.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 12.50 करोड़ रुपए) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	37.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रुपए) (09.07.07 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	28.00	32.00
बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.12.06 से 10 वर्षों की 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	65.00	75.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (02.05.04 से 5 करोड़ रुपए की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	40.00	50.00
हाउजिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 14.28 करोड़ रुपए) (13.02.07 से 14 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	64.29
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.10.06 से 10 वर्षों की 40 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	65.00	75.00
पंजाब नैशनल बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 15 करोड़ रुपए) (26.10.04 से 10 वर्षों की 20 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	67.50	82.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (30.01.07 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	32.14
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (07.01.07 से 7 वर्षों की 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	32.14
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 21.43 करोड़ रुपए) (18.09.06 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	64.29	85.71
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (28.06.09 से 4 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	30.00	40.00

अनुसूची 3 - का परिशिष्ट

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 208.33 करोड़ रुपए) (15.04.09 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2,291.67	2,500.00
केनरा बैंक*2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए)) (09.11.07 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला))	140.00	160.00
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रुपए) (23.02.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	128.10	146.40
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	140.00	160.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (30.04.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1,896.00	1,896.00
इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.02.12 से 3 समान किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	501.00	296.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.60 करोड़ रुपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	158.10	176.70
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	70.00	70.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.07.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	912.00	507.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 41.30 करोड़ रुपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	382.02	413.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 50 करोड़ रुपए) (15.01.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	487.50	500.00
इंडियन बैंक *4 और 9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (29.09.14 से 5 वें वर्ष के बाद बुलेट रूप में चुकाया जाने वाला)	55.00	-
यूको बैंक *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (31.12.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	600.00	-
कुल प्रतिभूत ऋण (बी)	**8,497.18**	**7,699.38**
कुल (ए+बी)	**10,953.18**	**8,212.38**

टिप्पणी :

1. निगम की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. निगम के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. कारपोरेशन के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भंडारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लोडैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्कम राज्य में स्थित तीस्ता-V जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों को समान बंधक/रेहन रखकर संरक्षित।
7. कंपनी की उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भंडारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. कंपनी के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियां के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

अनुसूची 4 - ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
क. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	2,696.04	3,187.65
ख. भारत सरकार से ऋण		
सरकार से ऋण	219.00	34.00
ग. अल्पावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण - भारतीय मुद्रा	-	800.00
कुल (परिशिष्ट देखें)	**2,915.04**	**4,021.65**

अनुसूची 4 - का परिशिष्ट

ऋण निधियां - अरक्षित

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
(क) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा				
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत				
नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक	22.96		51.84	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.96 करोड़ रुपए)				
क्रेडिट कमर्शियल डीई फ्रांस	51.83		173.53	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 51.83 करोड़ रुपए)				
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा	334.59		363.24	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 62.52 करोड़ रुपए)				
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-I	190.15		217.08	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 11.88 करोड़ रुपए)				
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-II	701.77		795.94	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 38.99 करोड़ रुपए)				
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-III	590.36		625.68	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
डश बैंक तथा अन्य	804.38	2,696.04	960.34	3,187.65
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 89.37 करोड़ रुपए)				
(ख) भारत सरकार से ऋण				
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	204.00		34.00	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (निम्मो बाजगो जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किश्तों में देय)				
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	15.00	219.00	-	34.00
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (चूटक जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के बाद 12वें वर्ष से 24 समान वार्षिक किश्तों में देय)				
(ग) अल्पावधि ऋण				
बैंक ऑफ बड़ौदा	-		100.00	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
बैंक ऑफ बड़ौदा	-		100.00	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-		100.00	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
इंडियन ओवरसीज बैंक	-		300.00	
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-	200.00	800.00
(एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)				
कुल अरक्षित ऋण		**2,915.04**		**4,021.65**

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				विशुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2009	सवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2010	01.04.2009	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2010	31.03.2010	31.03.2009
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	195.00	11.95	0.42	206.53	-	-	-	-	206.53	195.00
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	110.30	9.87	30.66	89.51	3.75	2.87	0.11	6.73	82.78	106.55
iii)	भूमि-अवर्गीकृत/ उपयोग का अधिकार	720.03	31.89	79.09	672.83	11.99	1.99	-	13.98	658.85	708.04
iv)	भवन	1,668.88	19.34	3.19	1,685.03	369.65	84.43	0.25	454.33	1,230.70	1,299.23
v)	सड़के और पुल	368.91	6.17	21.18	353.90	51.39	12.38	(1.41)	62.36	291.54	317.52
vi)	रेलवे साइडिंग्स	40.06	0.11	-	40.17	6.79	2.67	-	9.46	30.71	33.27
vii)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैके)	12,292.45	(106.33)	24.48	12,161.64	1,908.23	653.15	(1.16)	2,560.22	9,601.42	10,384.22
viii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,540.57	(6.61)	9.00	5,524.96	1,227.88	301.36	(2.35)	1,526.89	3,998.07	4,312.69
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	83.41	1.22	0.15	84.48	34.29	3.95	(0.01)	38.23	46.25	49.12
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	59.16	2.12	-	61.28	9.19	3.72	-	12.91	48.37	49.97
xi)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	24.75	0.95	0.23	25.47	8.78	1.19	(0.05)	9.92	15.55	15.97
xii)	निर्माण उपकरण	70.97	5.79	2.74	74.02	46.03	5.24	(2.42)	48.85	25.17	24.94
xiii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	27.59	2.05	0.15	29.49	2.34	0.98	(0.05)	3.27	26.22	25.25
xiv)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.39	0.09	0.03	3.45	0.84	0.18	(0.02)	1.00	2.45	2.55
xv)	वाहन	27.27	1.80	2.15	26.92	21.23	0.64	(1.89)	19.98	6.94	6.04
xvi)	विमान/नौकाएं	0.81	0.10	-	0.91	0.63	0.03	-	0.66	0.25	0.18
xvii)	फर्नीचर और फिक्सचर	36.26	3.03	0.55	38.74	14.03	3.10	(0.23)	16.90	21.84	22.23
xviii)	कम्प्यूटर	50.13	9.35	1.22	58.26	38.10	5.78	1.13	45.01	13.25	12.03
xix)	संचार उपकरण	14.93	(1.64)	0.38	12.91	6.48	0.82	(2.27)	5.03	7.88	8.45
xx)	कार्यालय उपकरण	34.92	3.15	1.14	36.93	12.36	2.45	(0.50)	14.31	22.62	22.56
xxi)	अनुसंधान और विकास	1.36	0.03	-	1.39	0.12	0.09	-	0.21	1.18	1.24
xxii)	अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	15.14	14.78	0.03	29.89	9.63	11.47	0.01	21.11	8.78	5.51
xxiii)	अन्य आस्तियां	39.38	2.82	0.59	41.61	14.66	2.58	(0.38)	16.86	24.75	24.72
xxiv)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	15.89	8.25	1.47	22.67	1.25	0.55	-	1.80	20.87	14.64
xxv)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और < 5000 रुपये।	16.64	1.35	0.56	17.43	16.63	1.27	(0.48)	17.42	0.01	0.01
xxvi)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	1.88	0.51	0.44	1.95	-	-	-	-	1.95	1.88
	कुल	**21,460.08**	**22.14**	**179.85**	**21,302.37**	**3,816.27**	**1,102.89**	**(11.72)**	**4,907.44**	**16,394.93**	**17,643.81**
	पिछले वर्ष	20,639.51	971.18	150.61	21,460.08	3,262.66	554.44	(0.83)	3,816.27	17,643.81	17,376.85

अनुसूची -6 चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपये में)

		01.04.2009	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2010
i	भवन	593.55	330.50	(16.65)	23.76	883.64
ii	सड़कें और पुल	62.05	14.66	(1.11)	7.41	68.19
iii	रेलवे साइडिंग्स $	1.77	0.01	-	0.11	1.67
iv	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	3,380.82	1,324.75	(93.40)	17.26	4,594.91
v	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,104.20	1,010.11	(45.58)	6.56	3,062.17
vi	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	4.14	7.53	(4.33)	0.20	7.14
vii	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	1.07	1.01	(0.12)	1.46	0.50
viii	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	0.99	1.34	-	1.06	1.27
ix	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.94	1.67	(0.12)	1.14	1.35
x	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.52	23.81	(4.07)	17.58	4.68
xi	अमूर्त परिसंपत्तियां	4.36	7.66	(0.06)	11.44	0.52
xii	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	15.25	7.22	(0.54)	0.99	20.94
xiii	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	109.23	56.80	(3.49)	-	162.54
xiv	निर्माण वर्ष के दौरान व्यय	3,161.78	975.47*	(94.62)	-	4,042.63
	कुल	**9,442.67**	**3,762.54**	**(264.09)**	**88.97**	**12,852.15**
	घटाएं : प्रावधानों के लिए	40.90	8.75	-	-	49.65
	कुल	**9,401.77**	**3,753.79**	**(264.09)**	**88.97**	**12,802.50**
	पिछले वर्ष	6,313.20	4,353.88	(978.56)	286.75	9,401.77

$ इसमें 1.67 करोड़ रुपये शामिल है 'जो रेलवे साइडिंग न सौंपे जाने के कारण रेलवे से रिफंड के रूप में दावा किए जा रहे हैं।

* अनुसूची 22 देखें - निर्माण वर्ष के दौरान खर्च

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
क. निर्माण भंडार (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किए अनुसार)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	40.90		47.69	
ii) खुले औजार	0.12		0.03	
iii) रद्दी मालसूची	0.06		0.12	
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होनेवाले भंडार	1.52		4.87	
v) संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	77.58		70.68	
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	1.56	118.62	3.31	120.08
ख. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	109.68		88.50	
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
- बैंक गारंटी के प्रति	775.22		761.77	
- अन्य	219.00		126.50	
iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.07		2.28	
घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.07	1103.90	2.28	976.77
कुल		**1222.52**		**1096.85**

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.31		3.29	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.04	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.75		0.02	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-		-	
अंतिम शेष		**1.56**		**3.31**
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2.28		2.28	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.07		-	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.15)		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.08		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.05		-	
अंतिम शेष		**0.07**		**2.28**

अनुसूची 8 - निवेश

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
	चालू वर्ष / (गत वर्ष)	(रुपए में)		
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में (गैर-व्यापार) - स्व.बीमा निधि				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150,000	10,000	150.77	-
	(-)			
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12,380	10,000	12.26	-
	(-)			
(ख) इक्विटी शेयर				
पीटीसी इंडिया लि.	12,000,000	10	12.00	12.00
	(12,000,000)			
इंडियन ओवरसीज बैंक **(गैर-व्यापार)**	360,800	10	0.36	0.36
	(360,800)			
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स (गैर-व्यापार) - स्व बीमा निधि				
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467	1,000,000	45.97	-
	(-)			
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688	1,000,000	69.62	-
	(-)			
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30	1,000,000	2.99	-
	(-)			
8.90 पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1,250,000	10.00	-
	(-)			
8.90 पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1,250,000	10.00	-
	(-)			
8.90 पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1,250,000	10.00	-
	(-)			
उप-जोड़ (क)			**323.97**	**12.36**

अनुसूची 8 - निवेश *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति चालू वर्ष / (गत वर्ष)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (रुपए में)	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
ख. अनुद्धत				
(क) बांड्स				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड:				
अरुणाचल प्रदेश	5,832 (6,804)	1,000	0.58	0.68
बिहार	114,420 (133,490)	1,000	11.44	13.35
हरियाणा	3,390,000 (3,955,000)	1,000	339.00	395.50
हिमाचल प्रदेश	107,208 (125,076)	1,000	10.72	12.51
जम्मू कश्मीर	4,624,176 (5,394,872)	1,000	462.42	539.49
झारखंड	85,860 (100,170)	1,000	8.59	10.02
मेघालय	3,192 (3,724)	1,000	0.32	0.37
मिजोरम	19,260 (22,470)	1,000	1.93	2.24
नागालैंड	41,520 (48,440)	1,000	4.15	4.84
पंजाब	1,336,860 (1,559,670)	1,000	133.69	155.97
राजस्थान	170,946 (227,928)	1,000	17.09	22.79
सिक्किम	14,016 (16,352)	1,000	1.40	1.63
त्रिपुरा	16,008 (18,676)	1,000	1.60	1.87
उत्तर प्रदेश	4,721,340 (5,508,230)	1,000	472.13	550.82
उत्तरा खंड	524,580 (612,010)	1,000	52.46	61.20
पश्चिम बंगाल	40,332 (47,054)	1,000	4.03	4.71
(ख) जेवी में इक्विटी शेयर				
(i) नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	833,500 (833,500)	10	0.83	0.83
(ii) नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड $	875,000 (-)	10	0.88	-
(ग) सहयोगी कम्पनियों कें इक्विटी शेयर				
(i) एनएचडीसी लिमिटेड	10,024,200 (10,024,200)	1,000	1,002.42	1,002.42
(ii) लोकतक डाउन स्ट्रीम हाईड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड $	44,400,000 (-)	10	44.40	-
उप-जोड़ (ख)			**2,570.08**	**2,781.24**

अनुसूची 8 - निवेश *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति चालू वर्ष / (गत वर्ष)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (रुपए में)	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
ग. सावधि-जमा-आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि बैंकों में जमा			1,500.00	-
उप-जोड़ (ग)			**1,500.00**	**-**
कुल योग (क + ख + ग)			**4,394.05**	**2,793.60**

$ शेयर अभी प्राप्त किए जाते हैं।

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
उद्धृत निवेश		
(i) संचयी लागत	323.97	12.36
(ii) संचयी बाजार मूल्य	450.70	85.58
अनुद्धृत निवेश		
सचित लागत	4,070.08	2,781.24

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010			31 मार्च 2009
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज			182.65			81.01
ख. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		50.85			47.97	
ii) खुले औजार		0.96			0.64	
iii) कबाड़ माल सूची		2.41			2.22	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ		0.25			0.38	
v) निर्माण स्थल पर सामान		11.93			11.12	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		0.98			0.73	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *1		23.07			25.90	
कुल			44.31			37.16
ग. चालू कार्य						
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)		52.88			45.59	
घटाएं - ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम/जमाराशि		26.04	26.84		26.04	19.55
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)						
i) छह माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए	18.57			7.38		
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	194.44			194.97		
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए	1121.64	1334.65		287.28	489.63	
(इसमें एनएचडीसी की ओर बकाया शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।						
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		194.44			194.97	
कुल			1140.21			294.66

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010			31 मार्च 2009		
ङ. नकद एवं बैंक शेष (अनुसूची 24 की टिप्पी संख्या 27 (ख) देखें)						
i) हाथ में नकदी (0.32 करोड़ रुपए के हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टाम्प्स शामिल हैं, पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रुपए)		0.69			0.70	
ii) बैंक शेष						
• अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में - स्व. बीमा निधि		0.03			-	
- चालू खाते में - अन्य		342.19			240.06	
- बचत खाते में - स्व. बीमा निधि		306.50			-	
- बचत खाते में - अन्य #		4447.88			1659.16	
• अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में						
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक		0.02			-	
बैंक ऑफ भूटान		0.07			0.03	
कुल			5097.38			1899.95
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) प्रोदभूत ब्याज						
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम		60.52			36.94	
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		32.97			32.97	
- बैंकों में जमाराशि - स्व. बीमा निधि		0.03			-	
- बैंकों में जमाराशि		13.21			60.92	
ii) अन्य		154.95			86.70	
iii) की गई आस्थगित कर वसूली		122.94			-	
iv) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे		153.75			182.16	
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3		3.71			5.95	
कुल			534.66			393.74
छ. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत	97.60			100.89		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	22.07			23.43		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.16			0.16		
ii) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	164.85			190.22		
iii) अरूणाचाल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00			225.00		

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010				31 मार्च 2009
ख) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) अनुषंगी कम्पनिया						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	37.61			1.95		
ii) संविदाकार तथा अपूर्तिकर्ता						
- प्रतिभूत	2.93			0.13		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) :						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	88.63			177.89		
- अन्य	21.72			176.26		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.16			2.90		
iii) कर्मचारी						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.33			1.01		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			0.01		
iv) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.04			0.22		
घटाएं : संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *4	0.32	661.78		3.06	897.01	
v) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार चढाव परिसंपत्तियां	552.62			772.97		
ग) जमा						
अग्रिम आय कर	741.85			501.22		
घटाएं: कराधान हेतु प्रावधान *5	660.51	81.34		478.00	23.22	
कुल			1295.74			1693.20
कुल योग (क से छ)			**8321.79**			**4419.27**

रुपये 1859.63 करोड़ आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि शामिल है।

गैर अधिसूचित बैंको के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	31.03.2010 को	31.03.2009 को
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	0.22	0.22
डॉश बैंक, टोकियो शाखा		
चालू खाता	-	6.20
फर्स्ट मायक्रो फाईनेंस बैंक दुशान्बे, (ताजिकिस्नान)		
चालू खाता	0.03	-

निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे

i) अवधि के अंत में देय राशि	0.24	0.08
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	0.25	0.11

उन कंपनीयों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - कि राशि शुन्य रुपये (पिछले वर्ष शुन्य रुपए)

अनुषंगी कंपनियों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष का ब्यौरा

एनएचडीसी लिमिटेड	2.70	1.95
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोल्क्सि कारपोरेशन लिमिटेड	34.90	-

प्रावधानों के ब्यौरे

अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान *1

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	25.90		35.71	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.79		0.08	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.31		9.37	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.31		0.52	
अंतिम शेष		**23.07**		**25.90**

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	194.97		77.13	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.66		120.81	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		2.97	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.19		-	
अंतिम शेष		**194.44**		**194.97**
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	5.95		15.88	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.45	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		0.17	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.15		10.54	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.09		0.01	
अंतिम शेष		**3.71**		**5.95**
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.06		0.50	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.01		2.59	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.17		0.03	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.58		-	
अंतिम शेष		**0.32**		**3.06**
कराधान हेतु प्रावधन *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	478.00		435.19	
वर्ष के दौरान वर्धन	416.22		127.36	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.21)		(3.97)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	112.70		56.34	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	120.80	**660.51**	24.24	**478.00**
अंतिम शेष				

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
क. देयताएं				
i) विविध देनदार				
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय -शून्य रुपये)		-		-
खा) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय -शून्य रुपये)		-		-
ग) अन्य		720.53		568.46
ii) जमा /धारिता राशि		349.30		223.49
iii) ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देंय नही ब्याज		221.41		224.60
iv) जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	210.19		133.60	
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	188.64	21.55	126.95	6.65
v) ग्राहकों / ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	2681.20		1577.95	
घटाएं - परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्यो पर खर्च राशि	2284.45	396.75	998.19	579.76
vi) विदेशी मुद्रा खाते में उतार-चढाव से विलंबित आय		229.65		428.33
vii) अन्य देयताएं - स्वबीमा निधि		0.25		-
viii) अन्य देयताएं		190.15		118.96
कुल देयताएं (क)		**2129.59**		**2150.25**

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
ख. प्रावधान				
i) प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	200.00		200.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	676.54		200.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	200.00		200.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		676.54		200.00
ii) प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	33.99		33.99	
वर्ष के दौरान वर्धन	112.36		33.99	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	30.01		25.42	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.98		8.57	
अंतिम शेष		112.36		33.99
iii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	390.32		187.96	
वर्ष के दौरान वर्धन	292.44		202.57	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.51)		(0.21)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष	682.25		390.32	
घटाएं : अग्रिम अदा किया गया	179.65		129.59	
अंतिम शेष		502.60		260.73
iv) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	43.88		33.66	
वर्ष के दौरान वर्धन	44.51		43.88	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.03)		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	32.19		30.78	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11.66		2.88	
अंतिम शेष		44.51		43.88
v) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	745.03		568.81	
वर्ष के दौरान वर्धन	215.82		217.83	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	107.07		41.61	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		853.78		745.03
vi) हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		23.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		23.00	
अंतिम शेष		-		-
vii) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.98		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.98	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.98		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		0.98

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
viii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	366.94		411.68	
वर्ष के दौरान वर्धन	9.41		89.37	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	90.76		93.55	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	265.27		40.56	
अंतिम शेष		20.32		366.94
ix) प्रावधान - अन्य				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	11.71		36.22	
वर्ष के दौरान वर्धन	73.64		11.45	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(0.17)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.96		29.68	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.25		6.11	
अंतिम शेष		78.14		11.71
कुल प्रावधान (ख)		**2288.25**		**1663.26**
कुल (क+ख)		**4417.84**		**3813.51**

अनुसूची 11 - विविध व्यय
(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i) शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)		-		2.33
ii) समायोजन प्रतिक्षित व्यय	37.06		37.06	
घटाएं - बट्टेखाते में डाले जाने हेतु स्वीकृत परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	37.06	-	37.06	-
iii) बट्टेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	5.30		3.48	
घटाएं - जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान	5.30	-	3.48	-
कुल		**-**		**2.33**

अनुसूची 12 - बिक्री

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
विद्युत की बिक्री	4326.87	2708.03
घटाए - टैरिफ समायोजन	-	0.98
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय -प्रारंभ किए जाने से पूर्व **(अनुसूची 22 I (i) को अंतरित)**	-	8.99
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**4326.87**	**2698.06**

अनुसूची 12 - क मुल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
वर्ष के दौरान	137.81	72.96
घटाएं -वर्ष के दौरान बट्टाएं खाते में डाला गया	29.84	46.75
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**107.97**	**26.21**

अनुसूची 13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो से आय

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
संविदा आय	56.34	12.94
परियोजना प्रबंधान/परामर्शी कार्यो से आय	56.74	36.03
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**113.08**	**48.97**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i)	**दीर्घावधि निवेश से आय**				
	क) **व्यापार**				
	- अनुंषगी कंपनीयों से लाभांश		23.42		50.43
	- लाभांश - अन्य		1.44		1.20
	- ब्याज				
	सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत करमुक्त बॉण्ड)		145.68		167.48
	ख) **गैर-व्यापार**				
	- लाभांश आय -अन्य		0.16		0.13
	- ब्याज स्व बीमा निधि		0.25		-
	- इंडियन बैंक में जमा राशि पर ब्याज (सकल) (स्त्रोत पर कर कटौती रुपये 3.79 करोड, पिछले वर्ष शुन्य रुपये)		62.53		-
ii)	**अन्य आय**				
	क) ब्याज				
	- ग्राहकों से देंयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		15.63		17.79
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		23.58		21.63
	- जमा खाता -स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक (स्त्रोत पर कर कटौती किया गया कर रुपये 31490, पिछले वर्ष शुन्य रुपये)		0.03		-
	- इंडियन बैंक (सकल) (स्त्रोत पर कर कटौती किया गया कर रुपये 5.98 करोड, पिछले वर्ष 26540 रुपये)		123.07		174.44
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम		5.47		5.87
	- लाभग्राही राज्यों से ब्याज		83.64		0.14
	- अन्य		81.08		62.16
	ख) विलंब भुगतान अधिभार		4.73		10.82
	ग) परियोजना के अंतरण पर लाभ		-		37.52
	घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		4.66		0.94
	ङ) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #		229.10		35.82
	च) विनिमय दर अंतर		27.36		17.29
	छ) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)		14.38		12.51
	ज) अन्य	31.06		62.96	
	घटाएं : हेजिंग समायोजन लेखा	-	31.06	17.87	45.09
	कुल		**877.27**		**661.26**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 आई (ii) से (vi) तथा 22 जे (i))		313.71		114.26
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)		3.45		6.33
	लाभ एवं हानी लेखा को ले जाया गया कुल		**560.11**		**540.67**
#	**पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे**				
क)	खराब तथा संदिग्ध ऋण		1.19		-
ख)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा		4.63		-
ग)	खराब तथा संदिग्ध दावे		0.09		0.01
घ)	भण्डार तथा कलपूर्जो के मूल्य में कमी		1.14		0.52
ङ)	भण्डार तथा कलपूर्जो में कमी		0.17		0.01
च)	गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान		0.43		-
छ)	हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान		-		23.00
ज)	प्रतिबध्द पूंजी खर्च हेतु प्रावधान		187.44		-
झ)	उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		11.66		2.88
ञ)	अन्य प्रावधान / देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता है		22.35		9.40
	कुल		**229.10**		**35.82**

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i)	भंडार एवं कलपूर्जो कि खपत		4.28		8.92
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	- भवन	27.67		24.26	
	- मशीनरी	32.39		37.40	
	- अन्य	26.47	86.53	28.96	90.62
iii)	किराया/भाडा खर्च		33.42		26.67
iv)	दरें और कर		2.87		3.38
v)	बीमा		19.43		2.48
vi)	स्व बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी		-		0.06
vii)	सुरक्षा व्यय		87.81		72.11
viii)	विद्युत प्रभार		22.70		21.91
ix)	यात्रा एवं वाहन		19.20		18.51
x)	स्टाफ कार पर व्यय		7.65		8.27
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		10.59		9.85
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार		6.40		8.32
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.45		0.54
xiv)	दान	-	2.09		
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		5.05		5.36
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.59		0.49
xvii)	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		4.48		4.96
xviii)	परामर्शी प्रभार -विदेशी		0.01		-
xix)	प्रतिपुरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		5.41		69.17
xx)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भुमि पर व्यय		21.49		15.21
xxi)	बट्टेखाते में डाले गए परियोजना व्यय		1.00		-
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.68		0.74
xxiii)	बट्टेखाते में डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे		2.21		-
xxiv)	बट्टेखाते में डाले गए भंडार		1.30		1.30
xxv)	बट्टेखाते में डाली गयी अचल परिसंपत्तियां		0.11		0.08
xxvi)	पंचाट / अदालती मामलों पर ब्याज		6.90		1.66
xxvii)	अन्य सामान्य खर्च		49.10		35.85
xxviii)	विनिमय दर अंतर	13.35		76.28	
	घटाएं : वसूली योग्य ईआरपी	-	13.35	57.26	19.02
xxix)	विदेशी मुद्रा में उतार चढाव समायोजन		65.69		104.42
xxx)	लेखा परीक्षा खर्च		1.09		0.91
xxxi)	निदेशक खर्च		0.20		0.08
xxxii)	अनुसंधान एवं विकास कार्य		0.55		0.15
	कुल		**480.54**		**533.13**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 बी, 22सी, 22 ई (i) 22जे (ii))		158.04		197.54
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यो में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)		17.94		8.92
	घटाएं : डिपोजिट कार्यो में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)		0.20		0.20
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**304.36**		**326.47**

अनुसूची 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
i)	वेतन मजदूरी, भत्ते और लाभ	928.09	813.81
ii)	उपदान, भविष्य निधी तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	148.61	178.78
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	82.57	71.43
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.18	0.24
	कुल	**1159.45**	**1064.26**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची 22ए, तथा 22जे (iii)	568.38	528.85
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यो को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	60.18	41.91
	घटाएं : जमा कार्यो को अंतरित व्यय (देखे अनुसूची 10)	1.05	0.99
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**529.84**	**492.51**

अनुसूची 17 - मूल्यह्रास

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1102.89	554.44
घटाएं : ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची 22जी,तथा 22जे (4)	67.93	35.35
घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	1.71	0.85
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**1033.25**	**518.24**

अनुसूची 18 - ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	क) बॉण्ड	74.52		43.89	
	ख) विदेशी ऋण	74.73		101.32	
	ग) सावधि ऋण	719.87		625.76	
	घ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.02	869.14	-	770.97
ii)	ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	22.90		245.64	
	घटाएं : वसूली योग्य	22.90	-	245.64	-
iii)	बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय		0.08		0.27
iv)	शेयर इश्यू परवर्ती व्यय		0.29		-
v)	उपभोक्ताओं को छूट		41.78		31.97
vi)	प्रतिबध्दता शुल्क		0.06		2.10
vii)	ऋण पर गांरटी शुल्क		38.25		32.85
viii)	बैंक प्रभार		1.54		1.15
ix)	अन्य वित्त प्रभार		1.65		1.37
	कुल		**952.79**		**840.68**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार (देखें अनुसूची 22डी,तथा 22जे(5))		494.89		333.92
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20 देखें)		0.82		1.58
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**457.08**		**505.18**

अनुसूची 19 - प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
i)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	0.66	120.81
ii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.08	2.59
iii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	-	0.45
iv)	भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.79	0.12
v)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	8.75	69.09
vi)	बट्टे में डाली गई अचल परिसंपत्तियां हेतु प्रावधान	0.04	0.56
vii)	अन्य	70.84	-
	कुल	**81.16**	**193.62**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची) 22एफ)	-	0.10
	घटाएं : संविदा,तथा परामर्शी व्ययो को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	0.66	2.55
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**80.50**	**190.97**

अनुसूची 20 - संविदा परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
i)	**प्रत्यक्ष व्यय**		2.49		3.98
ii)	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	- वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	42.13		26.03	
	- उपदान, भविष्य निधी तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	5.51		4.80	
	- स्टाफ कल्याण व्यय	2.94	50.58	1.74	32.57
iii)	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	- भवन	0.32		0.32	
	-मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	0.37		0.02	
	- अन्य	0.48	1.17	0.57	0.91
iv)	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	- किराया/किराया प्रभार	4.13		2.04	
	- यात्रा एवं वाहन	2.66		1.11	
	- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.18		0.28	
	- बीमा	0.02		0.02	
	- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.43		0.34	
	- विज्ञापन एवं प्रचार	0.04		0.42	
	- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.42		0.32	
	- अन्य व्यय	7.10		1.51	
	- दरें तथा कर	-		0.01	
	- सुरक्षा	0.21		0.22	
	- विद्युत	0.12		0.07	
	- परामर्शी प्रभार	0.10	15.41	0.04	6.38
v)	मूल्यह्रास		0.98		0.50
vi)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.81		1.57
vii)	प्रावधान		0.66		2.55
viii)	कार्य प्रगति पर				
	- निर्माण संविदा		0.73		(0.73)

अनुसूची 20 - संविदा परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
ix) **कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:**				
क) अन्य आय	(0.28)		(0.22)	
ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1.36		1.63	
ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	9.60		9.34	
घ) मूल्यह्रास	0.73		0.35	
ङ) ब्याज और वित्त प्रभार	0.01		0.01	
च) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.01	11.43	0.02	11.13
कुल व्यय		**84.26**		**58.86**
x) घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली		3.17		6.11
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**81.09**		**52.75**
xi) पूर्वावधि समायोजन		1.30		8.41
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**82.39**		**61.16**

अनुसूची 21 - पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
आय				
i) अन्य	1.34		13.83	
उप जोड़		1.34		13.83
व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	-		23.31	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	(0.82)		2.18	
iii) ब्याज और वित्त प्रभार	7.42		-	
iv) अन्य	1.44		(74.68)	
v) मूल्यह्रास	(2.86)		7.28	
उप जोड़		5.18		(41.91)
जोड़		**3.84**		**(55.74)**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22जे (vi))				
पूर्वावधि व्यय	(0.03)		(51.80)	
घटाएं : पूर्वावधि आय	0.03		0.99	
जोड़		(0.06)		(52.79)
घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20 देखें)		1.31		8.43
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**2.59**		**(11.38)**

अनुसूची 22 - वर्ष के दौरान निर्माण व्यय

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	300.10		273.42	
ii)	उपदान और भविष्य निधि को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	49.53		61.97	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	24.81		21.66	
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.09		0.17	
	उप जोड़		374.53		357.22
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
i)	भवन	6.26		4.09	
ii)	मशीनरी	3.75		4.79	
iii)	अन्य	7.28		8.48	
	उप जोड़		17.29		17.36
ग.	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
i)	किराया/किराया प्रभार	15.11		15.62	
ii)	दरे तथा कर	1.41		0.25	
iii)	बीमा	0.33		0.41	
iv)	सुरक्षा व्यय	22.21		17.92	
v)	विद्युत प्रभार	4.52		4.65	
vi)	यात्रा एवं वाहन	4.80		4.80	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	3.24		3.27	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक	3.85		3.26	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	1.32		1.32	
x)	मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय खर्च	0.01		0.04	
xi)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.34		1.21	
xii)	लेखापरिक्षकों को पारिश्रमिक	0.01		0.01	
xiii)	डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार: - देशीय	1.26		0.98	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	5.41		69.16	
xv)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	20.41		13.65	
xvi)	बट्टेखाते में डाली गयी परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	0.01		0.56	
xvii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.08		0.04	
xviii)	अन्य सामान्य व्यय	13.34		10.16	
	उप जोड़		98.66		147.31
घ.	**ब्याज तथा वित्त प्रभार**				
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	क) भारत सरकार ऋण	-		-	
	ख) बॉण्ड	35.01		-	
	ग) विदेशी ऋण	-		0.02	
	घ) सावधि ऋण	457.38		330.20	
ii)	बॉण्ड निगम/सेवा व्यय	0.03		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		1.88	
iv)	ऋण पर गांरटी शुल्क	-		0.01	
v)	अन्य वित्त प्रभार	2.23		1.68	
	उप जोड़		494.65		333.79

अनुसूची 22 - वर्ष के दौरान निर्माण व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
ड. विनिमय दर अंतर (निवल)					
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)		13.09		4.78	
ii) घटाएं : विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)		25.44		17.25	
	उप जोड़		(12.35)		(12.47)
च. प्रावधान		-		0.10	
	उप जोड़		-		0.10
छ. मूल्यह्रास		53.03		28.37	
	उप जोड़		53.03		28.37
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)					
पूर्वावधि व्यय		(0.07)		(52.14)	
घटाएं : पूर्वावधि आय		0.03		0.99	
	उप जोड़		(0.10)		(53.13)
झ. घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली					
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमिशनिंग पूर्व		-		8.99	
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याजा		82.28		58.51	
iii) विविध प्राप्तियां		5.20		25.76	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		0.04	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान		192.11		4.70	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न		1.84	281.43	3.10	92.11
	उप जोड़		**281.43**		**101.10**
ञ. कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय					
i) अन्य आय		(6.84)		(4.90)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		29.00		28.09	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ		193.85		171.63	
iv) मूल्यह्रास		14.90		6.98	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.24		0.13	
vi) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		0.04		0.34	
	उप जोड़		**231.19**		**202.27**
	कुल (क से ज) - झ + ञ) (अनुसूची - 6 को अंतरित)		**975.47**		**919.72**

अनुसूची 23 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण / निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षो) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नही है, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मदत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमी के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमी की लागत के रुप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/उइस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यक प्रचालन प्रारंभ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों कों परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकी इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होंना है, अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ऱ्हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता न हो , विशेष रूप से जब उन्हें सम्बध्द संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पुंजीकरण और पूंजी ऱ्हास सम्बध्द संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जो की लागत, शुध्द बही मूल्य या शुध्द वसूली में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नही आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपूर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चो की पहचान की जाती है उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण कें दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2 मूल्यऱ्हास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पध्दति पर प्रभारित किया जाता है । किंतु, निर्माण संयंत्र एवं मशिनरी और कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरणों का मूल्यऱ्हास क्रमश: 11.25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से किया जाता है, क्योंकी निगम द्वारा आंकी गई दरें सम्बध्द परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है। किंतु, अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में स्वयं अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है।

5.3 5000 रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750 रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को(अचल परिसंपत्तियों को छोडकर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000 रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यऱ्हास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोडकर) और जिनका मूल्य 750 रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में उसका ऋण चुकता किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें में जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यऱ्हास भूमी के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यऱ्हास की दर, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शूल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृध्दि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते है और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. मालसूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5,000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारंभ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथी को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथी पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक - 15 (2005) में परिभाषित' सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 अवकाश यात्रा रियासत, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पध्दति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षो में टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आने वाले वर्षो की बिक्री में शामिल की जाने वाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तो और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यो की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को बिजलीघरो के सकल ब्लाक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक लाभ और हानि विनियोग लेखे के जरिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 'स्व बीमा आरक्षित निधि' में अंतरित कर दिया जाता है ताकि विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।

12. विविध

12.1. परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यो संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

12.2. बिजलीघरों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

12.3 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चो और अवधि-पूर्व खर्चो/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

12.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

14. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची 24 - लेखे पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया हैं:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01/04/2009 को (रुपये)	31/03/2010 को (रुपये)
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है - - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	 3870.55 94.61	 4452.69 82.82
- विवादित आयकर मांग	-	0.09
- विवादित बिक्री कर मांग	2062.41	2099.20
- अन्य	409.06	288.96
कुल	**6436.63**	**6923.76**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलो के संबंध में लिखित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) जिन मामलों में पंचाट/अदालत के निर्णय प्राप्त हो गए हैं, किंतु कंपनी में विचाराधीन हैं, से संबंधित दावों की राशि आकस्मिक देयता के रूप में जारी रखी गयी है और लेखा-बहियों में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

ङ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 41.96 करोड रुपए (पिछले वर्ष 31.58 करोड रुपए) की प्रतिपूर्ती किए जाने की संभावना है।

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधो की अनुमानित राशि 8265.86 करोड रु०(पिछले वर्ष 9709.30 करोड रुपए) है।

3. क) 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 26 रुपये प्रतिशेअर प्रीमियम पर 10 रुपये मूल्य के 167,73,74,015 शेयरों का निगम जारी किया । प्रत्येक शेयर का मूल्य 36 रुपये प्रस्तावित किया गया। इनमें से कंपनी द्वारा 111,82,49,343 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू प्रस्तावित किए गया, जिनमें 4,19,34,350 इक्विटी शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे और 55,91,24,672 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रस्तावित किया गये । प्रिमियम सहित इस इश्यू का कुल मूल्य 6038.55 करोड रुपये था। कंपनी ने 2907.45 करोड रूपये प्रीमियम सहित कुल 4025.70 करोड रुपये शेयर प्राप्ति के रूप में रखे जबकि भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की बिक्री से प्राप्त 2012.85 करोड रुपये बिजली मंत्रालय, भारत सरकार को अदा किए। कंपनी की प्राप्तियों में से 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 616.06 करोड रुपये का इस्तेमाल पूंजी खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया, जो उपभोग के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के आंतरिक प्रोद्भवन से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कंपनी की वर्तमान निवेश नीति के अनुसार 3288 करोड रुपये निवेश किए गए है, 50 करोड रुपये की पूर्ति अस्थायी तौर पर आईपीओ खर्च को पूरा करने के लिए की गयी और शेष 71.64 करोड रुपये कारपोरेट लिक्विडिटी टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) के अंतर्गत बैंक खाते में जमा हैं।

ख) आईपीओ के लिए शेयर इश्यू व्यय के रुप 49.07 करोड रुपये खर्च किए गए है, जिसमें 10.36 करोड रुपये बिक्री शेयर होल्डर के नाते भारत सरकार के हिस्से के रुप में खर्च किए गए है। भारत सरकार से 10.34 करोड रुपये प्राप्त किए जा चुके है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाता (अनुसूची 2) के संदर्भ में एनएचपीसी का शेयर व्यय समायोजित कर दिया गया है।

4. क) 1864.13 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2046.46 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल को कवर करने वाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व, जिसकी राशि 56.89 करोड रुपये (पिछले वर्ष 92.69 करोड रुपये) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

ख) भूमि के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रुपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

5. क) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीआरसी) ने विनियमों के जरिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्ते अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार के तहत ये नियम एवं शर्ते 1 अप्रेल, 2009 से लागू हैं।

एनएचपीसी ने 11 में से 10 बिजलीघरों के संदर्भ में 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु 31.03.2010 तक की टेरिफ की स्थिति सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत की है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार बिजलीघर वार टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते उक्त अधिसूचना में वर्णित सिध्दांतों के आधार पर चालू वर्ष के लिए बिक्री अस्थायी तौर पर 3306.63 करोड रुपये समझी गई है। संतुलन सिध्दांत को भी ध्यान में रखा गया ई, क्योंकि टैरिफ की स्थिती सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन है।

सीईआरसी की उपरोक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते कंपनी को 31 मार्च, 2009 को लागू सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ दरों से लाभार्थियों के बिल तैयार करने होंगे। इस आधार पर 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर गणना की गई बिलिंग राशि 2901.49 करोड रुपये है, जिसमें वसूली योग्य आयकर के रुप में 194.28 करोड रुपये की राशि भी शामिल है।

ख) चालू वर्ष की निवल बिक्री में 816.51 करोड रुपये (27.63 करोड रुपये की आय कर राशि को छोड कर) पिछले वर्ष की बिक्री से संबंधित है, जो मुख्य रूप से बिजलीघरों के संदर्भ में टैरिफ के निर्धारण और संशोधन से प्राप्त हुए हैं।

6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए है, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

7. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ मे अन्य एजेंसियों को सौपीं गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

ग) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अन्य चालू परिसंपत्तियों (अनुसूची - 9) और अन्य देयताओं (अनुसूची - 10) के अंतर्गत 32.97 करोड रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

घ) देनदारों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जाने वाली 120.81 करोड रुपये कि राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस राशि की वसूली का मामला बिद्युत मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। किंतु, प्रचुर सावधानी के रूप में वर्ष 2008-09 की बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया।

8. क) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहू उद्देशीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित की गई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का मामला लंबित रहते,इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है। सियांग बेसिन परियोजनाओं में से, सियांग लोअर और सियांग जल-विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकों (डिवेलॅमर्स) को सौंपी जा चुकी हैं और सियांग लोअर और सियांग परियोजनाओं के बारे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का निबटरा किए जाने से उत्पन्न देयता की वसूली संबंध निजी विकासक (डिवेलॅपर) से की जानी है। सियांग बेसिन की एक परियोजना , ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे अन्य ऐजेंसी को सौंपा गया है और इसके लिए परियोजना पर 31.03.2010 तक खर्च किए गए 37.06 करोड रुपये प्रचुर सावधानी के रूप में बहियों में दर्ज किए गए हैं।

ख) पकल दुल, किरु और क्वार पन-बिजली परियोजनाएं राज्य सरकार की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनीयों के रूप में निष्पादित की जानी हैं। संयुक्त उद्यम कंपनीयों का गठन लंबित रहते एनएचपीसी द्वारा इन परियोजनाओं पर 31.03.2010 तक क्रमश: 121.87 करोड रुपये और 42.61 करोड रुपये खर्च किए है, जो 'चालू पूंजी कार्य'शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

9. क) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडॅल परियोंजनाएं स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के सुपुर्द करने में रुचि प्रदर्शित की ई, जिसके लिए एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इन परियोजना के कार्यान्वियन के बारे में अंतिम निर्णय लंबित रहते चालू वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए 2.15 करोड़ रुपये और 0.72 करोड रुपये के पूंजी व्यय को प्रचुर सावधानी के रूप में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जो 20.04.2004 से 31.03.2009 की उस अवधि के लिए, जिसमें ये परियोजनाएं उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण निलंबन के तहत थीं, इन परियोजनाओं पर पिछले वर्ष तक पहले ही किए जा चुके 32.03 करोड रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है।

ख) उत्तराखंड सरकार/भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए निगम ने लखावर व्यास परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड (यूजेवीएनएल) को सौंपने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए एनएचपीसी द्वारा 31.03.2009 तक परिसंपत्तियों के निर्माण/परियोजना के सीडब्ल्यूआईपी पर किए गए व्यय (पूंजी एवं ऊपरी खर्च/पर्यवेक्षण प्रभार सहित) की अदायगी के लिए यूजेवीएनएल ने 73.07 करोड रुपये अदा किए है। परियोजना की सुपुर्दगी के लंबित रहते, उक्त राशि उपरोक्त तिथि तक एनएचपीसी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक समायोजित की गई है और शेष राशि को अनुसूची 10-चालू देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत ''अन्य देयताओं'' के रूप में दिखाया गया है। प्रचुर सावधानी के रुप में इस परियोजना पर एनएचपीसी द्वारा 31.03.2009 से आगे 2009-10 के दौरान उस तारीख तक किए गए खर्च कि अदायगी के लिए 5.88 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, जिस तारीख तक यूजेवीएनएल द्वारा खर्च की अदायगी का निर्णय अभी किया जाना है।

10. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित है, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर चालू वित्त वर्ष की बहियों में 291.93 करोड रुपये (पिछले वर्ष 202.36 करोड रुपये) का प्रावधान किया गया है।

11. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढाव का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
(i) मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रुप में)	(1.67)	71.45
(ii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	22.90	245.64
(iii) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(12.35)	(12.47)
(iv) चालू पूंजीगत कार्यो के लिए प्रभारित राशि	(1.12)	(3.83)
(v) अचल परिसंपत्तियों को अग्रेषित राशि को जोडने पर समायोजित राशि	(177.55)	432.28

ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान प्रांसगिक व्यय (ईडीसी)'को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 492.39 करोड रुपये (पिछले वर्ष 332.11 करोड रुपये है)।

12. क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारंभ/संशोधित किया गया है:

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 2.5	अवर्गीकृत भूमि और इस्तेमाल का अधिकार संबंधी लेखांकन नीति में संशोधन ताकि उसे सीईआरसी द्वारा 2009-10 के दौरान अधिसूचित मूल्यह्रास की नई दरों के अनुरुप बनाया जा सके।	कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 4.1	प्रशासन और सामान्य शीर्ष व्ययों के पूंजीकरण के तथ्य को प्रकट करने के लिए लेखांकन नीति में संशोधन	परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
नीति सं. 5.2	लेखांकन नीति को नया रुप दिया गया ताकि इस तथ्य को प्रकट किया जा सके कि अस्थायी निर्माणों के लिए अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है।	परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
नीति सं. 5.6	पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन के बारे में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।	कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 5.7	पट्टे पर धारित भूमि पर बनायी गई परिसंपत्तियों महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।	कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 14	Modification in accounting policy regarding taxes on income in view of new tariff norms	जहां तक आयकर का प्रश्न है। लगाया जा सका। किंतु चालू वर्ष के दौरान विलंबित कर देयता पैदा होने के कारण मुनाफे में 16.16 करोड रुपये की कमी आयी।

ख) सीईआरसी ने अधिसूचना संख्या एल-7/145 (160)/2008--सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के जरिए मूल्यह्रास की दरें और टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की वसूली की पध्दती में संशोधन किया है। सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें भारत सरकार के संकल्प संख्या 23/2/2005 आरएंडआर (वोल्यू. IIII) दिनांक 6 जनवरी, 2006 के पैरा 5.3 के उप-पैरा (ग) के संदर्भ में लेखांकन के प्रयोजन के लिए भी लागू है। तद्नुरूप, बहियों में मूल्यह्रास तत्संबंधी संशोधित दारों से प्रभारित किया गया है और वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास 525.77 करोड रुपये अधिक है।

13. क) एनएचपीसी ने स्व बीमा पॉलिसी के स्थान पर 31.07.2009 से इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क (आईएआर) बीमा पॉलिसी का प्रावधान किया है। तद्नुरुप, लेखांकन नीति संख्या 11(अनुसूची 23) के अनुसार चालू वर्ष के लिए स्व बीमा आरक्षी का प्रावधान 30.06.2009 को सकल ब्लॉक के मूल्य पर समानुपातिक आधार पर 30.06.2009 तक किया गया है।

ख) 30.07.2009 तक निर्मित प्रारक्षित निधि, जिसे अब ''स्व बीमा निधि'' का नाम दिया गया है, को सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू बांड्स और बैंक जमा राशियों में निवेश किया गया है ताकि इस निधि को उन दावों की अदायगी के लिए उद्दिष्ट किया जा सके, जिनका भुगतान उपरोक्त आईएआर पॉलिसी के अंतर्गत नहीं किया जायेगा। 31.03.2010 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिती इस प्रकार है :-

तुलन-पत्र की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	(राशि करोड रु.में)
अनुसूची 8 - निवेश	(i) केंन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	163.03
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	148.58
अनुसूची 9 - चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा	306.50
	(ii) प्रोद्भूत ब्याज (करों के बाद निवल)	1.26
	(iii) चालू खाता	0.03
अनुसूची 10 - चालू देयताएं एवं प्रावधान	(i) अन्य देयताएं	(0.25)
	कुल	**619.15**

इस प्रकार निवेशित स्व बीमा निधि की कुल आय 0.24 करोड रुपये (करो के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के जरिए स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

14. **लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :**

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को संबंध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटि) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.035 करोड रुपये है। 0.10 करोड रुपये की अधिकतम सीमा पर विचार करते हुए तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबध्द अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रुप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग)का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ङ. अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है। कंपनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नकदीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. एलटीसी

कर्मचारी 2 वर्ष के ब्लाक में एलटीसी सुविधा पाने के हकदार हैं। एलटीसी संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मुल्य के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त योजनाएं (ख,ग,घ,ङ) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

31.03.2010 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका - 1 : निम्नलिखित तिथी को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित
छूट दर	7.5%	7%
भविष्य की वेतनवृध्दि	5%	4.5%

तालिका - 2 : दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियासत	सेवानिवृत्ति पर भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधी में कंपनी का अंशदान।
वर्ष के शुरु में पीवीओ	342.69	205.96	142.62	25.11	3.93	24.72
ब्याज लागत	25.70	15.45	10.70	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	17.12	11.05	4.91	13.92	0.30	7.23
अदा किया गया लाभ	(14.20)	(70.20)	(3.74)	(13.37)	(0.08)	(5.47)
बीमांकिक (लाभ/हानी)	36.01	58.41	15.00	-	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48

तालिका - 3 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियासत	सेवानिवृत्ति पर समान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधी में कंपनी का अंशदान।
वर्ष के शुरु में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिती	(407.32)	(220.67)	(169.49)	(25.66)	(4.15)	(26.48)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48

तालिका - 4 लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे मे ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियासत	सेवानिवृत्ति पर समान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधी में कंपनी का अंशदान।
वर्तमान सेवा लागत	17.12	11.05	4.91	13.92	0.30	7.23
ब्याज लागत	25.70	15.45	10.70	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों से प्रत्याशित लाभ						
वर्ष के लिए मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	36.01	58.41	15.00	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी में मान्य व्यय	78.83	84.91	30.61	13.92	0.30	7.23

15. क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टाट्‌यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

16. इंस्टीट्‌यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक -18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:-

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कंपनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री एस.के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं) - 10.04.2009 से कार्यभार संभाला।
श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक) - 28.04.2009 से कार्यभार संभाला।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार:

विवरण	2009-10 के दौरान	2008-09 के दौरान
निवेश	-	0.83

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 0.96 करोड रुपये (पिछले वर्ष 0.64 करोड रुपये) दिया गया और 31.03.2010 को कंपनी की ओर बकाया राशि 0.24 करोड रुपये (पिछले वर्ष 0.08 करोड रुपये) थी।

17. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 14.40 करोड रुपये (विगत वर्ष 12.59 करोड रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुध्द वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रुप मे दर्शाया गया है।

18. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	2009-10 के दौरान	2008-09 के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर - पश्चात निवल लाभ(करोड रुपये)	2090.50	1075.22
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेअरों की भारित औसत संख्या - आधारभूत - कम की गई	11850379339 11850379339	11182493430 11182493430
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत - कम की गई	1.76 1.76	0.96 0.96
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

19. आय पर करों हेतु लखांकन के बारें में इन्सीटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटैंट आफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन मे वर्तमान वर्ष में 96.66 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 395.9 करोड़) की विलम्बित कर देयता का प्रावधान किया गया है। जिसका मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

		01.04.2009	31.03.2010
विलंबित कर देयता			
i)	मूल्यह्रास	2725.34	2701.58
	घटाएं : विलंबित कर आस्तियां		
ii)	समाहित न किया गया संचित मूल्यह्रास	-	-
iii)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय माना जाना है।	131.23	-
iv)	संदेहास्पद ऋणों, स्व-बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु प्रावधान	76.20	72.22
v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	104.93	119.72
	विलंबित कर देयता (निवल)	**2412.98**	**2509.64**

20. संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	**निम्नलिखित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात**	
	31.03.2010	**31.03.2009**
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	25%	-
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत में संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
क	परिसंपत्तियां	1.47	0.83
ख	देयताएं (इक्विटी सहित)	1.47	0.83
ग	आकस्मिक देयताएं	-	-
घ	पूंजी प्रतिबध्दताएं	-	-
		वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
ङ	आय	0.06	0.01
च	व्यय	0.89	0.03

21. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2010 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

22. क) निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक:

(करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
(i) वेतन तथा भत्ते	0.66	0.47
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.06	0.03
(iii) आवासीय परिसर हेतु किराया	0.13	0.11
(iv) अन्य लाभ	0.11	0.03
(v) स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग शुल्क	0.23	0.08

ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक अधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी -

	नॉन ए.सी.कार	**ए.सी.कार**
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

23. वैधानिक लेखाकारों का पारिश्रमिक

(करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.22
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.08
लेखा परीक्षा व्यय	0.32	0.28
अन्य मामले	0.42	0.26
लागत लेखा परीक्षक		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.06
-लेखा परीक्षा व्यय	0.01	0.01

24. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्यौरे :-

(करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
(i) लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) स्थापित क्षमता (मेगावाट)*	3619.20	3614.20
(iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	16857.10	16582.72
(iv) वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट) ***	14841.67	14587.88

* लोकतक बिजलीघर की दर मुक्त क्षमता।

** अपुष्ट विद्युत शामिल है तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांसफोरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को नि:शुल्क विद्युत छोडकर।

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
25.	क)* सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	155.17	374.97
	ii) कलपुंर्जे	3.91	6.47
	ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	11.23	0.26
	ii) ब्याज	73.37	98.84
	iii) अन्य विविध मामले	104.44	250.53
	ग)* प्रचालन यूनिटों मे उपभोग किए गए कलपुंर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	0.89 (20.79%)	4.34 (48.65%)
	ii) देशीय	3.39 (79.21%)	4.58 (51.35%)
	घ)** विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

** नकद आधार

26. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भूगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किंतु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षो में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौतीयोग्य व्यय के रुप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता ।	शून्य

27. (क) नकदी तथा नकदी-तुल्य में साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए बैंकों के पास रखी गई मार्जिन राशि - 14.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है जो 31.03.2010 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ख) नकदी तथा नकदी-तुल्य में कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से किए जा रहे ग्रामीण सडक और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो के लिए रखे गए 488.41 करोड रुपये शामिल हैं, जो कंपनी के कारोबार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अनुसूची 9 के अंतर्गत ''ऋणों एवं अग्रिमों'' के अंतर्गत इन कार्यो के संदर्भ में ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं को दिए गए अग्रिम के रूप में दिए गए 93.58 करोड रुपए शामिल है।

28. पिछले वर्ष के आंकडों/प्रारंभिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबध्द/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल.श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

तुलनपत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण संख्या	राज्य कोड	तुलन-पत्र की तिथि
3 2 5 6 4	0 5	3 1 0 3 2 0 1 0

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(पूंजी करोड़ रुपये में)**

सार्वजनिक निर्गम*	राइट निर्गम
4 0 2 5 . 7 0	शू न्य
सार्वजनिक निर्गम	निजी नियोजन
शू न्य	शू न्य

* including share premium of ₹ 2907.45 Crore

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (करोड़ रुपये में)

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
4 3 1 3 5 . 7 9	4 3 1 3 5 . 7 9

निधियों के स्त्रोत

प्रदत्त पूंजी#	आरक्षित तथा अधिशेष
1 2 3 0 0 . 7 4	1 0 9 7 2 . 4 5
आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण
1 0 9 5 3 . 1 8	2 9 1 5 . 0 4

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	विविध व्यय
3 0 4 1 9 . 9 5 @	4 3 9 4 . 0 5
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां	निवेश
3 9 0 3 . 9 5	शू न्य
संचित हानि	
शू न्य	

@ इसमें रुपये 12,802.50 करोड़ रुपये के पूंजीगत चालू कार्य और रुपये 1,222.52 करोड़ रुपये के निर्माण भण्डार एवं

IV **कंपनी के तीन प्रदान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम**

कारोबार	कुल व्यय
4 3 3 1 . 9 8 **	2 4 9 0 . 0 1
कर-पूर्व लाभ	कर उपरांत लाभ
2 4 0 2 . 0 8	2 0 9 0 . 5 0
प्रति शेयर अर्जन रुपये में	लाभांश राशि (करोड़ रुपये में)
0 1 . 7 6	6 7 6 . 5 4

** इसमें 560.11 करोड रुपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

V **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम**

i) उत्पाद विवरण

ज	ल		वि	द्यु	त	का		उ	त्पा	द	न													

मद कोड संख्या

	-	

ii) उत्पाद विवरण

नि	र्मा	ण		अ	नु	बं	ध														

मद कोड संख्या

	-	

iii) उत्पाद विवरण

प	रा	म	र्शी		से	वा	एं												

मद कोड संख्या

	-	

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर न. 000257एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता स. 83899

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
ख. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		2402.08		1178.34
जोडे:				
पूर्वावधि सहित मूल्यहास	1032.39		521.79	
टैरिफ समायोजन/मूल्यहास के प्रति अग्रिम	107.97		27.19	
छूट के अतिरिक्त ब्याज	416.12		474.79	
अन्य प्रावधान/समायोजन	48.58		161.78	
परिसंपत्तियां की बिक्री/अंतरण पर हानि/(लाभ)	(4.06)		(37.72)	
विनिमय दर अंतर/उतार-चढाव समायोजन लेखा	42.90		106.10	
लाभांश आय	(25.02)	1618.88	(51.76)	1202.17
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		4020.96		2380.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृध्दि)/कमी	(9.23)		1.13	
चालू संविदा कार्य में (वृध्दि)/कमी	(8.29)		55.63	
प्राप्य में (वृध्दि)/कमी	(910.30)		(95.58)	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृध्दि)/कमी	398.71	(529.11)	274.39	235.57
कर से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		3491.85		2616.08
घटाएं : अदा किया गया कर		353.53		105.98
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3138.32**		**2510.10**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय/विक्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(2997.53)		(3172.17)
परिसंपत्तियों की बिक्री/अंतरण पर प्राप्तियां		0.19		2.31
निवेश में कमी /(वृध्दि)		(1,600.45)		255.61
स्व बीमा निधी पर प्राप्त लाभांश/ब्याज		25.28		51.76
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4572.51)**		**(2862.49)**
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां		1118.25		-
शेयर प्रीमियम		2868.74		-
लाभांश और लाभांश कर		(230.01)		(371.66)
ऋणों से प्राप्तियां		3458.42		2331.46
ऋणों का पुनर्भुगतान		(1669.58)		(771.06)
व्याज तथा वित्तीय प्रभार		(914.20)		(777.67)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (ग)		**4631.62**		**411.07**
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल (वृध्दि)/कमी (क-ख-ग)		**3197.43**		**58.68**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथ नकदी तुल्य		1899.95		1841.27
नकदी प्रवाह विवरण का स्पटीकरण टिप्पणियां		5097.38		1899.95

नकदी प्रवाह विवरण का स्पष्टीकरण टिप्पणिया

1. नकदी तथा नकदी-तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बेंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधी जमा राशियां शामिल है, आते है। इसके अतिरिक्त, इसमें 14.34 करोड रुपये (पिछले वर्ष शून्य रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के प्रति बैंको में रखा गया है जो 31.03.2010.
2. ऋणो के निपटान हेतु निगम को आवंटित बॉण्ड और उन पर अर्जित ब्याज जो कि प्रमुख उत्पादन क्रियाकलाप से संबंधित है, को प्रचालन गतिविधियों से नकदी का भाग माना गया है।
3. अचल परिसंपत्तियां और चालू निर्माण कार्य में पूंजीकृत 494.65 करोड रुपए के ब्याज तथा वित्तिय प्रभार शामिल नही है।
4. 31.03.2010 को आरहित न किए गए ऋण की राशि 9,243.44 करोड रुपए है।
5. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 488.41करोड रुपए शामिल है, जो अन्य एंजसियों की ओर से निगम द्वारा किए जा रहे ग्रामीण सडक और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो के लिए रखे गए है और यह राशि निगम के कार्यव्यापार के लिए मुक्त रुप से उपलब्ध नहीं है।
6. पिछले वर्ष के आकडो को जहॉ-कही आवश्यक हो पुन: समूहबध्द/पुन: व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है ।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर न. 000257एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता स. 83899

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

अनुषंगी कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में विवरण

1. **कंपनी का नाम और पता**	**एनएचडीसी लिमिटेड,एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक ब्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)।**	**लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलिक लिमिटेड**
2. अनुषंगी कंपनी के वित्तीस वर्ष का समापन	31 मार्च 2010	31 मार्च 2010
3. एनएचपीसी और उसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी		
(क) शेयरों की संख्या और	(क) 1000 रुपये प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर	(क) 10 रुपये प्रत्येक के पूर्णत:प्रदत्त 4,44,00,000 इक्विटी शेयर
(ख) धारण की सीमा	(ख) जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरो में से 1,00,24,200 शेयर नेशनल एनएचपीसी लिमिटेड के पास है।	(ख) जारी किए गए 6,00,00,000 शेयरों में से 4,44,00,000 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास है।
4. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया है।		
(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष	(क) तुलन पत्र में लाभ के रुप में अग्रेनीत 187.54 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 95.65 करोड़ रुपए।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत (1.16) करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात (0.86) करोड़ रुपए।
	(ख) 10.83 करोड़ रुपए का लाभांश जो 21.23 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	(ख) शून्य
(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 925.36 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 471.93 करोड़ रुपये।	शून्य
5. अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यो से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो।		
(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	शून्य	शून्य
(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	124.12 करोड़ रुपए का लाभांश जो 243.37 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	
6. अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन	शून्य	शून्य
7. वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों), देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्दिष्ट वित्तीय प्रलेखन संरचना के अनुरूप तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को व्यावसायिक संकाय, चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया संस्थान द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों एवं लेखा परीक्षा के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार देने की जिम्मेदारी है। यह दिनांक 26 मई, 2010 को की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट से शुरु किया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष को एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और इसमें कुछ लेखाकृत रिकार्डों की चयनित जांच तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई टिप्पणी बन सके अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-

(एम. के. विश्वास)
व्यावसायिक लेखा परीक्षकों के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2010

120 मेगावाट सेवा-II पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर) - बांध का जलाशय क्षेत्र

एनएचडीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम)

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को कंपनी की 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी के संपरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणी भी संलग्न है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने गत वर्ष की अपेक्षा 16.83% की वृद्धि दर्शाते हुए कुल 1005.93 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है। वित्तीय परिणामों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:-

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी व एनएचडीसी श्री के.एम. सिंह, मुख्य कार्यपालक निदेशक, एनएचडीसी से लाभांश चेक प्राप्त करते हुए।

1. मुख्य वित्तीय उपलब्धियां:

(रुपये लाख में)

विवरण	2009-10	2008-09*
विद्युत की बिक्री अन्य आय सहित	100593	86101
मूल्यह्रास, ब्याज (वित्तीय प्रभार सहित) व कर पूर्व लाभ	90927	75502
मूल्यह्रास	24963	12599
मूल्यह्रास के बाद एवं ब्याज व कर पूर्व लाभ	65964	62903
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	28229	27083
मूल्यह्रास, ब्याज के बाद परंतु कर से पूर्व लाभ	37735	35820
कर	16505	5204
मूल्यह्रास, ब्याज व कर के बाद लाभ	21230	30616
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	92536	70634
अतिरिक्त प्रावधान का आहरण - लाभांश	1	
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	113767	101250

*जैसा कि पुनर्समूहीकृत किया गया है

विनियोजन :

स्वयं बीमा आरक्षित कोष	3351	3341
प्रस्तावित लाभांश	2123	4592
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	353	781
आरक्षित तथा अधिशेष का अग्रेनीत शेष लाभ	107940	92536

समीक्षाधीन वर्ष का तुलनात्मक कर पश्चात् लाभ (पीएटी) कम हो गया है, जिसका मुख्य कारण डिफर्ड टेक्स लाइबिलिटी (जोकि 01.04.2009 से प्रभावी सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2009 के अनुसार हितग्राही से वसूली नहीं की जानी है), 01.04.2009 से प्रभावी आंशिक रूप से मूल्यह्रास में वृद्धि तथा इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के दीर्घावधि ऋण अंतरण कराने पर आया अतिरिक्त ब्याज लागत है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने इंदिरा सागर परियोजना हेतु आवधिक ऋण अंतरण कराकर 1354.17 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण उठाया है।

2. राजस्व वसूली:

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 1010.42 करोड़ रुपए (प्राधिकृत छूट सहित) की रिकार्ड राजस्व वसूली की है। इसमें इंदिरा सागर परियोजना के पुराने बकाया प्रतिभूति देयों के विरूद्ध ईएमआई की राशि 134.16 करोड़ रुपए भी शामिल है।

3. विद्युत उत्पादन:

एनएचडीसी की दोनों परियोजनाओं यथा आईएसपी व ओएसपी से वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 3071 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ है जो कि गत वर्ष की तुलना में 29.66% अधिक है।

4. लाभांश:

वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान कंपनी ने 1005.93 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। कंपनी की रु. **212.30** करोड़ की लाभप्रदता को दृष्टिगत करते हुए बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए एनएचपीसी एवं मध्यप्रदेश शासन की पूंजी पर शुद्ध लाभ का 10% (लागू लाभांश कर छोड़कर) यानि 21,22,94,168 रुपए का लाभांश भुगतान किये जाने की अनुशंसा की है। बशर्ते आगामी वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाये।

5. पूंजी संरचना:

वर्ष के दौरान 1962.58 करोड़ रुपए की 'पेडअप' कैपिटल के साथ कंपनी की पूँजी संरचना अपरिवर्तित रही है।

6. कार्यों की प्रगति:

- **इंदिरा सागर प्रोजेक्ट (आईएसपी):**

इंदिरा सागर पावर स्टेशन (8 x 125 मेगावाट) एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट तथा संस्वीकृत वार्षिक अभिकल्प ऊर्जा 1979 मि.यू. है और जो नर्मदा कछार (बेसिन) पर बने डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं के लिए मदर परियोजना है। यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है एवं इसकी सकल भंडारण क्षमता 12.22 बीएम³ है और इस जलाशय से छोड़े गए पानी से ओंकारेश्वर पावर स्टेशन में भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एफआरएल 262.13 मीटर के विरूद्ध ई.एल. 260.0 मी. तक जलाशय भरने की स्वीकृति दी गई है।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान इंदिरा सागर पावर स्टेशन का विद्युत उत्पादन 2118 मि.यू. रहा। इस पावर स्टेशन से मार्च, 2010 तक 13125 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया गया एवं 89.49% पीएएफ प्रदर्शित हुआ जबकि प्रचलित सीईआरसी मानकीय स्तर (नॉरमैटिव वैल्यु) 85% है।

- **ओंकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट (ओएसपी)-**

ओंकारेश्वर परियोजना (8 x 65 मेगावाट), इंदिरा सागर परियोजना के डाउन स्ट्रीम में पहला प्रोजेक्ट है। ओंकारेश्वर परियोजना की संस्थापित क्षमता 520 मेगावाट है और संस्वीकृत वार्षिक अभिकल्प ऊर्जा 1166 मि.यू. है। ओंकारेश्वर परियोजना नवम्बर, 2007 में रिकार्ड समय में निर्धारित अवधि से पहले पूर्ण हुई। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ओंकारेश्वर परियोजना से वर्तमान

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं एनएचडीसी, श्री आर. एस. मीना, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी एवं श्री के. एम. सिंह, मुख्य कार्यपालक निदेशक के साथ भोपाल में पत्रकार सम्मेलन के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए।

श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी एवं एनएचडीसी नेहरु कैंसर अस्पताल, भोपाल में मरीजों के लिए पेयजल सुविधा का उद्घाटन करते हुए।

में विद्युत उत्पादन एफआरएल 196.60 मी. के विरूद्ध जलाशय का स्तर ईएल 189 मी. बनाए रखकर किया जा रहा है, तदनुसार संस्थापित क्षमता 520 मेगावाट की तुलना में 400 मेगावाट पीकिंग पावर का ही विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ओंकारेश्वर परियोजना का विद्युत उत्पादन 953 मि.यू. रहा। इस पावर स्टेशन से मार्च, 2010 तक 2455 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया गया एवं 99.80% पीएएफ प्रदर्शित हुआ जबकि प्रचलित सीईआरसी मानकीय स्तर (नॉरमैटिव वैल्यु) 90% है। (यह ईएल 189 मी. के प्रतिबंधित जलाशय स्तर पर 400 मेगावाट की "कमीशन्ड इन्सटाल्ड कैपिसिटी" पर आधारित है।)

7. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन-कंपनी के आबजेक्ट क्लॉज में परिवर्तन:

वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने "आबजेक्ट क्लॉज" में परिवर्तन करके "परम्परागत तथा गैर परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन करना" शामिल कर लिया है।

8. कंपनी के नाम में परिवर्तन:

वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी का नाम "नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड" से बदलकर "एनएचडीसी लिमिटेड" हो गया है।

9. विविधीकरण गतिविधियाँ :

- **रेवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2 x 660 मेगावाट) :**

  एनएचडीसी ने मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में स्वामित्व आधार पर 1320 मेगावाट (2 x 660 मेगावाट) क्षमता के सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित रेवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आरटीपीपी) को स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन के साथ दिनांक 29 जून, 2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निवेश पूर्व गतिविधियाँ तथा डीपीआर बनाने हेतु आवश्यक कार्य यथा भू-तकनीकी अन्वेषण, भूमि अधिग्रहण, सामाजिक प्रभाव विश्लेषण इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की डीपीआर जुलाई, 2010 तक बनकर तैयार होने की संभावना है।

- **पवन ऊर्जा परियोजना:**

  100 मेगावाट क्षमता वाला पवन ऊर्जा परियोजना का कार्यस्थल (साइट) बैतुल जिले के कुकरू नामक स्थान पर चिन्हित किया गया है। वायु संसाधन आकलन अध्ययन हेतु तीन पवन मस्तूल संस्थापित किए गए हैं। वायु आकलन आंकड़ों का संकलन प्रक्रियांतर्गत है।

10. पर्यावरण एवम् वन:

पर्यावरण संबंधी निगम के उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय के सभी अनुबंधों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 86,030 हेक्टेयर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत 11,660 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र का क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 62,975 हेक्टेयर तथा ओंकारेश्वर परियोजना में 28,455

हेक्टेयर लक्ष्य वाले क्षेत्र के वन एवं गैरवन क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र का उपचार कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वन्य जीवों के आवासीय क्षेत्र को पहुंचे नुकसान की क्षति पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय उद्यान तथा दो अभ्यारणों को स्थापित करने की अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की जा रही है। ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत राज्य वन शोध संस्थान, जबलपुर के सहयोग से एक वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है।

11. सतर्कता संबंधी गतिविधियां:

एनएचडीसी का सतर्कता विभाग, विभिन्न प्रक्रियाविधियों तथा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये तन्त्र में पारदर्शिता लाने तथा भेदभाव समाप्त करने के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रबंधन के प्रयासों में लगातार सहयोग दे रहा है। संगठन द्वारा जारी किये गये सभी परिपत्रों/दिशा-निर्देशों तथा साथ ही भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों को नियमित रूप से सभी विभागाध्यक्षों एवं परियोजना प्रमुखों को वितरित किया जाता है। निवारात्मक उपाय के रूप में परियोजनाओं पर नियमित रूप से सतर्कता सराहना कार्यक्रम/कार्यशालाएं तथा आकस्मिक एवं नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। निगम के क्रिया-कलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए तथा विद्यमान प्रणाली एवं प्रक्रियाविधियों में लगातार सुधार करते हुए शेयर होल्डरों के हित की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

12. राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट:

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में एनएचडीसी, निगम मुख्यालय, भोपाल के राजभाषा अनुभाग द्वारा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास किए गए । राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान हेतु निगम को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए है:

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल द्वारा एनएचडीसी को राजभाषा प्रथम पुरस्कार।
- अखिल भारतीय अंम्बिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार समिति एवं प्रकाशन संस्थान, भोपाल द्वारा 'अम्बिका प्रसाद दिव्य राजभाषा सम्मान'।
- परिवर्तन जनकल्याण समिति, दिल्ली द्वारा 'हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन शिरोमणि सम्मान'।
- दुष्यंत कुमार स्मारक पाण्डुलिपि संग्रहालय, भोपाल द्वारा एनएचडीसी को भाषा भारती पुरस्कार।
- राजभाषा किरण संस्थान, ठाणे मुम्बई द्वारा आरोहण पत्रिका को उत्कृष्ट पत्रिका पुरस्कार।

विशिष्ट कार्य:

- एनएचडीसी, निगम मुख्यालय, भोपाल को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।
- "आरोहण" का प्रकाशन, नराकास बैठक का प्रायोजन, हिन्दी पखवाड़ा, विशिष्ट हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

13. मानव संसाधन विकास:

कर्मचारी निगम की मुख्य परिसम्पत्ति है एवं तदनुसार संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में निरंतर विकास के लिए वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय प्रयास किए गए हैं। कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता में सुधार के लिए सभी स्तरों पर विकासात्मक कार्यान्वयन एवं बहु निपुणता व पुनः तैनातियों संबंधी प्रशिक्षण को ध्यानगत रखते हुए कर्मचारी कार्यक्षमता विकास हेतु संसाधनात्मक पहल की गई जिसमें सभी कार्यपालकों के के.आर.ए. आधारित निष्पादन प्रणाली को शामिल किया गया है। आपके निगम की बेजोड़ कार्यशैली विश्वास और खुलेपन पर आधारित है। जो कि अधिकारों के प्रत्यायोजन, विकेन्द्रीकरण एवं पारदर्शिता द्वारा सशक्त प्रणाली की व्यवस्था के साथ की गई है। संगठन प्रत्येक कर्मचारी को एक उपलब्धिकर्ता मानता है जो अनूठे कार्य के लिए संकल्पित है। विकास को सुगम बनाने एवं दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए सावधि कार्य चक्रानुक्रम एवं आंतरिक अवस्थिति स्थानांतरण किए जाते है। मानव संसाधन कृत्यों में अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए समेकित दृष्टिकोण का अनुकरण किया है। समृद्ध पुस्तकालय की व्यवस्था एवं कार्यपालकों को व्यवसायिक संस्थाओं की सदस्यता लिये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि उनके ज्ञान का विकास हो सके। नये भर्ती हुए कार्मिकों को एक व्यवस्थित एवं औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कंपनी की संस्कृति से जोड़ने के प्रयोजन से वरिष्ठ कार्यपालकों से संबद्ध किया गया है। नियुक्ति पश्चात् प्रशिक्षण तथा विकास अवसर एक प्रमुख भाग होने से सुव्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर न्यूनतम सात मानव दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को उच्च उत्तरदायित्व ग्रहण करने योग्य बनाया जा सके । परियोजनाओं में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि टीम भावना का विकास हो। प्रशिक्षण कार्यक्रमों

गतिविधियों का अभिकल्पन कर्मचारियों को उच्च उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने योग्य बनाने के प्रयोजन से किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एवं कार्यशालाओं की श्रृंखला के द्वारा कंपनी नेतृत्व निर्माण क्षमता एवं रणनीतिक अभिविन्यास पर भी ध्यान बनाये हुए है। लोगों के लिए व्यवस्थित देखभाल के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ आपके निगम ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास किया है। आपके निगम ने कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए उत्तम गुणवत्तायुक्त आधुनिक कॉलोनी का विकास किया है, जिसमें शैक्षणिक, चिकित्सीय एवं मनोरंजनात्मक सुविधायें उपलब्ध है। इसके साथ-साथ कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। हमारा उद्योग में दुर्घटना रहित मानव घंटों के सर्वोत्तम रिकार्ड है। निगम लोगों के सामर्थ तथा सक्षमता को वर्तमान में उभरती हुई व्यावसायिक चुनौतियों से सामना करने पर जोर देता है।

14. निगमीय सामाजिक दायित्व - सामुदायिक विकास:

आपका निगम समाज की आवश्यकता के प्रति दीर्घस्थायी प्रतिबद्धता रखता है जो कि इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी आर्थिक विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब व्यवसाय से किया लाभार्जन समाज तक पहुँचे। हमारा दृढ़विचार है कि निगम के लक्ष्य सामाजिक लक्ष्यों के समानांतर चलें। आपका निगम वित्तीय विचार से परे कार्य की आवश्कता से परिचित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है। हमारा निगमीय अस्तित्व केवल विद्युत उत्पादन करना ही नहीं हैं, बल्कि जहाँ हम कार्य करते हैं उन समुदायों के जीवन स्तर सुधारने तथा समाज की भलाई के लिए अपनी सम्पूर्ण पहचान बनाना है।

समाज के रचनात्मक भागीदार के रूप में एनएचडीसी सामाजिक दायित्वों के उद्‌देश्यों को पूरा करने में ठोस कार्यवाही करता रहा है और इसके द्वारा ही अपने अंशधारियों एवं ग्राहकों का मूल्य संवर्धन किया है।

आपके निगम ने एक व्यापक निगमीय सामाजिक दायित्व नीति बनाई है। नीति के अनुसार निगम ने एक निर्धारित बजट राशि सामुदायिक कल्याण एवं विकास कार्यक्रम हेतु रखी है। जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं । और पूरे राज्य में प्रसार हुआ है। सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत समुदायों की भागीदारी तथा उनकी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल मुहैया कराना, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण तथा अन्य सीमावर्ती विकास आदि गतिविधियाँ शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य में हमने इन कार्यक्रमों से सामाजिक तथा सामुदायिक पहल की है जिससे हजारों लोगों को सहारा मिला है ताकि वे खुलकर जी सकें।

आपके निगम ने अपनी निगमीय कार्यसूची में निगमीय सामाजिक दायित्वों को उच्च स्थान दिया है। निगम इस तरह से व्यवसाय को बढ़ाने व सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए और जहाँ यह कार्यरत है, वहाँ के समुदाय के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दृढ़निश्चय के साथ कुछ इस तरह से कार्य करना चाहते हैं कि व्यवसाय से परे प्रत्येक व्यक्ति के सपने साकार हो सकें।

15. सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 का कार्यान्वयन:

भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 का अनुपालन एनएचडीसी में होता आ रहा है। इस अधिनियम के अनुपालन हेतु समस्त आंतरिक व्यवस्था जैसे कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अन्य औपचारिकतायें भी पूर्ण कर ली गयी हैं। व्यावसायिक संस्था द्वारा समय-समय पर आयोजित आवश्यक प्रशिक्षण एवं सेमिनार में भाग लेने हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। आवेदकों द्वारा लोक सूचना के संबंध में चाही गयी जानकारी तथा उसके उत्तर हेतु संबंधित से ली जाने वाली जानकारी हेतु अलग से एक रजिस्टर मेंन्टेन किया जा रहा है।

16. औद्योगिक संबंध:

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध वातावरण निरंतर सौहार्द पूर्ण रहे हैं। कंपनी ने सकारात्मक उपाय अपनाये एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खुलेपन की नीति का अनुकरण किया। इस मैत्रीपूर्ण वातावरण के कारण वर्ष के दौरान किसी श्रम दिन की क्षति नहीं हुई।

17. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण:

आपके निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग नि:शक्तजनों के पदों की भर्ती एवं कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए समय समय पर जारी आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुकरण किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से नि:शक्तजनों की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। नि:शक्तजनों के लिए परियोजना/कार्यालय में सुगम व्यवस्था बनाई गई है।

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्राअर्जन व व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना को कंपनी नियमावली 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'ए'** में दिया गया है।

19. लेखा परीक्षक:

मैसर्स मल्टी एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भोपाल को वर्ष 2009-10 के लिए लेखा-परीक्षा संचालित करने हेतु 'सांविधिक लेखा परीक्षक' नियुक्त किया गया।

20. लेखा परीक्षक प्रतिवेदन:

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में अनुसूची-24 में शामिल निगम की विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वयं में स्पष्ट है। लेखा परीक्षक की टिप्पणियों एवं प्रबंधन द्वारा दिये गये उनके जवाब (अगर कोई हो) **अनुलग्नक 'बी'** में संलग्न है। भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **अनुलग्नक 'सी'** पर हैं।

21. कॉस्ट अडिटर्स:

केन्द्र सरकार के अनुमोदन से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 233बी के तहत वित्त वर्ष 2009-10 हेतु प्रत्येक फर्म के सम्मुख दर्शाये गए पावर परियोजनाओं के लागत लेखाकरण अभिलेखों का ऑडिट करने हेतु निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

1. प्रभा शर्मा, भोपाल, इंदिरा सागर पावर प्रोजेक्ट।
2. एम. गोयल एण्ड कंपनी, इंदौर, ओंकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट।

22. निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 217(2एए) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद् द्वारा यह पुष्टि की जाती है:-

कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में, प्रयोज्य लेखा मानदंड का सामग्री प्रेषण संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है।

कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाये है जो इतने युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है कि ये वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थित तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी ने परिसंपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख-रखाव के लिए उचित उपाय किये है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'अनवरत संबंध' आधार पर लेखे तैयार किये गये हैं।

23. आडिट कमेटी:

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के तहत बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व आडिट कमेटी ने वार्षिक वित्तीय ब्यौरे की समीक्षा कर ली है। वर्तमान आडिट कमेटी में श्री राजेश डोंगरे, अध्यक्ष के साथ, श्री के. एम. सिंह, मुख्य कार्यपालक निदेशक तथा श्री आर.के. तनेजा, निदेशक शामिल हैं।

24. कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी नियमावली, 1975 (कर्मचारियों के ब्यौरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना अनुलग्नक 'डी' में दी गई है।

25. निदेशकों का विवरण:

बोर्ड के संरचना में श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशक मिनिस्ट्री ऑफ पावर, भारत सरकार, एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश शासन के शामिल हैं।

एनएचपीसी ने श्री आर. जयासीलन को दिनांक 24 जुलाई, 2009 से एनएचडीसी में निदेशक के रूप में मनोनीत किया है। श्री आर.के. तनेजा जो कि पहले कंपनी के निदेशक मंडल से हट गए थे, पुन: निदेशक मंडल में मनोनीत कर दिये गये हैं।

एनएचपीसी ने श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), ऊर्जा मंत्रालय, को दिनांक 22 जनवरी, 2010 से एनएचडीसी में निदेशक के रूप में मनोनीत किया है। श्री जयंत कावले, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), ऊर्जा मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार ने श्री ओ. पी. रावत, अपर मुख्य सचिव, एन.वी. डी.डी. एवं उपाध्यक्ष एन.वी.डी.ए., श्री आर. एस. जुलानिया, सदस्य (आर), एन.वी.डी.ए. को क्रमश: 19 अगस्त, 2009 एवं 15 सितम्बर, 2009 से एनएचडीसी बोर्ड में निदेशक के रूप में मनोनीत किया है। एनएचडीसी बोर्ड में मनोनीत श्री एम.के. जैन, सदस्य (पावर), एन.वी.डी.ए. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनएचडीसी बोर्ड से हट गए थे। मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें पुन: एनएचडीसी बोर्ड में 13 नवम्बर, 2009 से मनोनीत किया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने श्री रजनीश वैश, सदस्य (आर.), एन.वी.डी.ए. को 26 मई, 2010 से एनएचडीसी बोर्ड में श्री आर.एस. जुलानिया, सदस्य (आर.), एन.वी.डी.ए. के स्थान पर मनोनीत किया है।

श्री प्रदीप भार्गव, अपर मुख्य सचिव, एन.वी.डी.डी. एवं उपाध्यक्ष एन.वी.डी.ए., तथा श्री व्ही. के. भाटिया, सदस्य (इंजीनियरिंग), एन.वी.डी.ए. जो कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं हैं।

कंपनी के बहिर्गामी निदेशक द्वारा दिये गये योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड आभार प्रकट करता है।

26. आभार:

विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तर पर दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-भारत सरकार, बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड एनएचडीसी के परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता है, जिनके साहस, समर्पण व योगदान से निगम को संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकी है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में अधिकाधिक योगदान देते रहेंगे।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

हस्ता./-

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनएचडीसी लिमिटेड

दिनांक : 25.06.2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-ए

ऊर्जा संरक्षण :-

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	जवाब
(क)	ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए।	1. नव निर्मित कार्यालय में सी.एफ.एल. लैम्प लगाए गए हैं। 2. कार्यालय परिसर में स्प्लिट एअर कंडीशनर लगाए गये हैं, जिनको आवश्यकतानुसार चालू/बंद किया जा सके। 3. उपकरणों को उपयोग करने एवं उपयोग के पश्चात ठीक प्रकार से बंद करने का निर्देश विभिन्न स्थानों में इंगित किया गया है। 4. पावर फैक्टर सुधार हेतु एनएचडीसी परिसर में ए.पी.एफ.सी. सिस्टम स्थापित किया गया है। 5. ऊर्जा की बचत करने हेतु विद्युत ग्रह में अधिकतम हवा एवं प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है। 6. विद्युत गृह की प्रकाश व्यवस्था को छोटे-छोटे परिपथों में विभक्त किया गया है। इस तरह आवश्यकतानुसार वाँछित क्षेत्र परिपथ को चालू/बंद किया जा सकता है। 7. अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए लैम्प एवं संबंधित उपकरणों की नियमित अन्तराल पर साफ सफाई की जाती है। 8. पंपों के निश्क्रिय प्रचालन को रोकने के लिए सभी पम्पों में स्वप्रचालन व्यवस्था स्थापित की गई है। 9. पावर ट्रान्सफार्मर के ठंडे पानी की निकासी जहाँ तक संभव है, अलग से निकासी हेडर स्थापित कर प्राकृतिक गुरूत्व द्वारा की गई है। 10. कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु नियमित अन्तराल पर सभी पम्पों/मोटरों को संरेखण कर ग्रीसिंग किया जाता है। 11. आवश्यकता से अधिक खपत के स्थान चिन्हित करने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर मीटरिंग की जाती है ताकि अनावश्यक खपत कम करने हेतु प्रतिकारक उपाय किए जा सकें। 12. मानवीय संचालन कम करने हेतु वाह्य प्रकाश व्यवस्था को टाइमर स्विच द्वारा संचालित किया गया है ताकि बिजली समय से बंद/चालू की जा सके। 13. कम्प्रेसर, हाइड्रोलिक गेट, ओपीयु तथा गाइड वेन इत्यादि के समस्त रिसाव बिन्दुओं को सील एवं बेंडिंग कर उचित रख-रखाव के साथ अच्छी अवस्था में रखना।
(ख)	अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।	निरंक
(ग)	उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यून करने के लिए किए गए।	1. उपर्युक्त वर्णित सभी बिन्दुओं के योगदान के फलस्वरूप विद्युत खपत में कमी और ऊर्जा में भारी बचत हुई है।
(घ)	प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस परिशिष्ट के फार्म ए में संलग्न है।	1. एनएचडीसी इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

ऊर्जा संरक्षण

फार्म - "बी"

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	जवाब
(क)	कंपनी द्वारा वे विशेष क्षेत्र जिसमें अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) के कार्य किए गए	इस वर्ष के दौरान कोई विशेष अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया।
(ख)	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ।	-
(ग)	भावी कार्य योजना	इंदिरा सागर/ओंकारेश्वर परियोजना के लगातार चलने के उपरान्त और उसके बाद विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने के बाद विभिन्न सप्लायरों की सलाह द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य निगम में उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा।
(घ)	आर. एण्ड डी . पर उपाय। (क) पूँजी (ख) आवर्ती (ग) कुल (घ) कुल आर.एण्ड डी. खर्च जो कि टर्नओवर का प्रतिशत है।	वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास के कार्यो में कोई विशिष्ट खर्च नहीं किया गया। यह उम्मीद की जाती है कि आगामी वर्षों में आर. एण्ड डी. में खर्चा किया जाएगा।

प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	जवाब
(क)	प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण।	1. निगम मुख्यालय एवं परियोनाओं में "ओरेकल आधारित इंटिग्रेटेड साफ्टवेयर ऐप्लीकेशन" में सामाजिक सुरक्षा स्कीम एवं फिक्स्ड ऐसेट रजिस्टर का क्रियान्वयन।
(ख)	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।	1. सावधि परिसम्पत्ति रजिस्टर का कम्प्यूटरीकरण जिससे "परिसम्पत्ति प्रबंधन" की परिशुद्धता में वृद्धि हुई है। 2. समेकित प्रतिवेदन/वाउचर्स का आटोमैटिक जनरेशन।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयायित प्रौद्योगिकी।	निरंक

विदेशी मुद्रा में आय व व्यय

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	जवाब
1.	निर्यात के क्रियाकलाप, निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए पहल, वस्तु और सेवा के लिए विकसित नये निर्यात के बाजार और निर्यात योजना।	निरंक
2.	कुल विदेशी मुद्रा में आय कुल विदेशी मुद्रा में व्यय	निरंक निरंक

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे नियमावली, 1975) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना **अनुलग्नक-डी**

क)	संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विवरण समूचे वर्ष 24,00,000/- रुपये अथवा उससे कम या अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया था:
	निल

ख) वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष के भाग हेतु नियोजित कर्मचारियों के विवरण जिनका पारिश्रमिक 2,00,000/- रुपये से कम नहीं था:

नाम	कार्य की प्रकृति	रोजगार प्रारंभ करने की तिथि	आयु (वर्ष)	पारिश्रमिक	पिछला रोजगार	टिप्पणी
एम.डब्ल्यू. खान	महाप्रबंधक (वित्त)	3/14/1991	60	1885088	एनएचपीसी	सेवानिवृत्त
मारकन्डे प्रसाद	हेड स्टोर कीपर	7/18/1979	60	615268	एनएचपीसी	सेवानिवृत्त
ज्ञानी चौधरी	सहायक (स्पेशल)	1/10/1976	60	510283	एनएचपीसी	सेवानिवृत्त

नोट:

1. उक्त नामित व्यक्ति एनएचपीसी के एनएचडीसी में ट्रान्सफर में कार्यरत थे।
2. पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, छुट्टी नगदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, सहायता प्राप्त पट्टे पर दिये गये आवासों हेतु भुगताना, नियोक्ता द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया योगदान एवं वर्ष के दौराना भुगतान किये गये सेवानिवृत्ति/विदाई लाभ भी शामिल है।
3. उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारियों में कोई भी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नही है।
4. एनएचडीसी के सभी शेयर एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 51:49 के आधार पर धारित किये गये हैं।

अनुलग्नक-बी

एनएचडीसी, भोपाल (मध्य प्रदेश) के सदस्यो हेतु
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने **एनएचडीसी लिमिटेड,** भोपाल के 31 मार्च, 2010 की स्थिति में संलग्न तुलन-पत्र की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएँ और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करनेवाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, और हमारे द्वारा उचित समझे जाने वाली ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

उपरोक्त वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

ii) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

iii) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त लेखा परीक्षा विवरणों के अनुरूप है।

हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

iv) कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 829 (ई) के माध्यम से जारी परिपत्र के अनुसार यह निर्देश दिये गये हैं कि निदेशकों की अपात्रता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए हमारे मतानुसार इस खंड की आवश्यकता इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती है।

v) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं -

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010 को कंपनी की स्थिति का,

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का, और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते **मल्टी असोशिएट्स**
सनदी लेखाकार

(ए. के. गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 84003
एफआरएन - 509955सी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी ने सामान्यत: उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से करवाया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सम्मुख प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार ऐसे भौतिक प्रमाणीकरण में पाई गई विसंगतियां हमारे मतानुसार महत्वपूर्ण नहीं थीं। परंतु लेखा बहियों में उनसे उचित रूप से निपटा गया है।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्त्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना इससे प्रभावित नहीं हुआ है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मार्गस्थ मदों के अतिरिक्त कंपनी की मालसूची का भौतिक सत्यापन बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से करवाया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रियाविधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है।

(ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है और भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आनेवाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के क्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख कमी नहीं पाई गई।

(v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। वर्ष के दौरान 5 लाख से अधिक के कारोबार की तर्कसंगतता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(vi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कवर होनेवाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

(vii) हमारे मतानुसार कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(viii) हमने केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों की मोटे तौर पर समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लेखा तथा अभिलेखों को रखा तथा अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने उनकी सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन अभिलेखों का एक विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद, शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यत: नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2010 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में देय कोई बकाया राशि नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार उचित प्राधिकारियों के पास जमा न कराये गये आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के विवादित देय वास्तव में शून्य हैं।

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नहीं है और इसने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) कंपनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) कंमनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।

(xv) कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) समग्र आधार पर दीर्घावधि ऋणों से संबंधित निधियों के उपयोग की समीक्षा और हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना के आधार पर कंपनी ने सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर उगाहे गए धन का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

(xviii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है, इसलिए उनके संबंध में प्रतिभूति अथवा प्रभार के सृजन का प्रश्न नहीं उठता है।

(xx) कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान किसी प्रतिभूति का कोई पब्लिक इश्यू नहीं निकाला है और इसलिए ऐसे इश्यू द्वारा उगाही गई राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(xxi) अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ किसी धोखा-धड़ी को नहीं पाया गया है अथवा सूचित नहीं किया गया है।

कृते **मल्टी असोशिएट्स**
सनदी लेखाकार

(ए. के. गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 84003
एफआरएन - 509955सी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

एनएचडीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

1000 मेगावाट इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) - पावर हाऊस का जेनरेटर तल

31 मार्च, 2010 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपये में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
निधियों के स्रोत					
क. शेयरधारकों की निधि					
i) शेयर पूंजी	1	196258		196258	
ii) शेयर पूंजी जमा	1क	-		-	
iii) आरक्षी एवं अधिशेष	2	243493	439751	228200	424458
ख. ऋण निधियां					
i) प्रतिभूत ऋण	3	248331		251107	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4	-	248331	18587	269694
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि			10238		9505
घ. विलंबित कर (निवल)					
विलंबित कर देयताएं		65136		57054	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर		53835	11301	57054	-
कुल			**709621**		**703657**
निधियों का उपयोग					
क. स्थिर पूंजी व्यय					
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5				
क) सकल ब्लाक		671364		669404	
घटाएं - मूल्यह्रास		80162		49903	
ख) निवल ब्लाक		591202		619501	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6	434		684	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7	3	591639	12	620197
ख. निवेश	8	-		-	
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9				
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-		-	
ii) मालसूची		402		381	
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		-		-	
iv) विविध देनदार		39357		46900	
v) नकदी तथा बैंक शेष		103067		70613	
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		5459		3654	
vii) ऋण तथा अग्रिम		4713		2836	
		152998		**124384**	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10				
i) देयताएं		11905		10769	
ii) प्रावधान		23111		30155	
		35016		**40924**	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां			**117982**		**83460**
घ. विविध व्यय	11		-		-
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न कि गए की सीमा तक)					
कुल			**709621**		**703657**
लेखांकन नीतियां	23				
लेखे पर टिप्पणी	24				
अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ए.के.गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 84003
एफआरएन - 509955**सी**

कृते **निदेशक मंडल** के लिए एवं उनकी ओर से

आर. के. तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के. एम. सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

31 मार्च, 2010 के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

(लाख रुपये में)

विवरण		अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय						
i)	बिक्री	12	90268		83543	
	घटाएं - टैरिफ समायोजन		-		-	
	घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12क	733	89535	7951	75592
ii)	संविदा, तथा परामर्शी कार्य आय	13		-		-
iii)	अन्य आय	14		11058		10509
	कुल आय			**100593**		**86101**
व्यय						
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15		5147		4263
ii)	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16		4618		4645
iii)	मूल्यह्रास	17		24963		12599
iv)	ब्याज तथा वित्त प्रभार	18		28229		27083
v)	प्रावधान	19		48		1
vi)	संविदा, तथा परामर्शी कार्य व्यय	20		-		-
	कुल व्यय			**63005**		**48591**
	कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन			**37588**		**37510**
	पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21		(147)		1690
	कर पूर्व लाभ			**37735**		**35820**
	कराधान हेतु प्रावधान					
i)	वर्तमान कर		6418		5131	
ii)	छुट-पुट लाभ कर		-		74	
iii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		(1214)		(1)	
iv)	विलंबित कर		11301		15840	
	घटाएं - प्राप्य विलंबित कर समायोजन		-	16505	(15840)	5204
कर पश्चात लाभ				**21230**		**30616**
	पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेणीत शेष			92536		70634
	ब्रॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि			-		-
	पूंजी आरक्षी से पश्च लिखित राशि			-		-
	अन्य आरक्षित से पश्च लिखित राशि (वापस लिया गया अत्याधिक प्रावधान-लाभांश)			1		-
	स्व बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि			-		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष				**113767**		**101250**
i)	पूंजी आरक्षित को अंतरित		-		-	
ii)	बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित		-		-	
iii)	स्व बीमा आरक्षी को अंतरित		3351		3341	
iv)	सामान्य आरक्षी को अंतरित		-		-	
v)	लाभांश :		-			
	- अंतरिम		-		-	
	- प्रस्तावित		2123		4592	
vi)	लाभांश पर कर		-		-	
	- अंतरिम		-		-	
	- प्रस्तावित		353	5827	781	8714
	तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष			**107940**		**92536**
	प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)					
	आधारभूत ईपीएस (रुपये प्रति शेयर)			108.17		156.00
	कम किया गया ईपीएस (रुपये प्रति शेयर)			108.17		156.00
	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	22				
	लेखांकन नीतियां	23				
	लेखाओं पर टिप्पणियां	24				

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ए.के.गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 84003
एफआरएन - 509955सी

आर. के. तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के. एम. सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

वी. के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
प्राधिकृत		
प्राधिकृत पूंजी : 1000/- रुपये प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर (31-03-2009 को 30000000)	300000	300000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त	196258	196258
1000/- रुपये प्रत्येक के 1,96,25,800 (31.03.2008 को 1,96,25,800) पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर। उक्त में से 1,00,24,200 (31.03.2009 को 1,00,24,200) शेयर धारक कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को और 96,01,600 (31.03.2009 को 96,01,600) शेयर मध्यप्रदेश सरकार को आबंटित किये गये हैं।		
टिप्पणी		
उक्त इक्विटी शेयरों में से 74,83,528 (31.03.2009 को 74,83,528) शेयरों को समझौता ज्ञापन के अनुपालन में नकदी प्राप्त हुए बिना पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों के रूप में आबंटित किया गया था।		
कुल	**196258**	**196258**

अनुसूची 1क - शेयर पूंजी जमा लेखा

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
1 एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी) से	-	-
2 एनवीडीए लेखे से	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अधिशेष

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2010 के अनुसार					31 मार्च 2009 के अनुसार				
		01.04.2009	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2010	01.04.2008	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2009
क.	बॉण्ड विमोचन आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख.	सामान्य आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग.	लाभ एवं हानि खाता	92536	21230	5827	1	107940	70634	30616	8714	-	92536
घ.	स्व-बीमा आरक्षित	11907	3351	-	-	15258	8566	3341	-	-	11907
ङ	सहायता अनुदान आरक्षित										
i	इंदिरा सागर परियोजना के सिंचाई घटकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तौर पर समानुपातिक अंशदान।	34917	53	1557	-	33413	34948	697	728	-	34917
ii	एनवीडीए लेखे से हस्तांतरित सरदार सरोवर परियोजना हेतु आर्थिक सहायता।	44626	67	1990	-	42703	44664	892	930	-	44626
iii	इंदिरा सागर परियोजना के आर एंड आर कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदान।	22953	500	888	-	22565	21201	2331	579	-	22953
iv	ओंकारेश्वर परियोजना के सिंचाई घटकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तौर पर समानुपातिक अंशदान।	17516	-	882	(181)	16453	16733	1108	325	-	17516
v	ओंकारेश्वर परियोजना के आर एंड आर कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदान	3745	1598	182	-	5161	3074	740	69	-	3745
	कुल	**228200**	**26799**	**11326**	**(180)**	**243493**	**199820**	**39725**	**11345**	**-**	**228200**

अनुसूची 3 - ऋण निधियां प्रतिभूत

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
सावधि ऋण		
I) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत	248331	177417
ii) ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावीय ऋण पर	-	73244
iii) प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत (आरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स) (अनुसूची-3 का अनुबंध देखें.)	-	446
कुल	**248331**	**251107**

टिप्पणी :
उपरोक्त बकाया सावधि ऋण चल संपत्ति/अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को ऋणदाताओं के पक्ष में रेहन रख कर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित किया गया है और सम्बद्ध विद्युत स्टेशन की भी वर्तमान तथा भविष्य की चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों को ऋणदाताओं के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित किया गया है।

अनुसूची 3 - का अनुबंध

ऋण निधियां - प्रतिभूत

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
क. - **इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन**		
i **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3120 लाख रुपए) (30.09.2009 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	28080	-
ii **देना बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2642 लाख रुपए) (30.09.2009 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	23777	-
iii **देना बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2250 लाख रुपए) (31.03.2010 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	18667	-
iv **एचडीएफसी बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3726 लाख रुपए) (30.09.2009 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	33530	-
v **एचडीएफसी बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1979 लाख रुपए) (31.03.2010 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	18802	-
vi **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 650 लाख रुपए) (30.09.2009 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	5850	-
vii **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**	-	4167
viii **सिडबी**	-	8333
ix **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**	-	8333
x **पंजाब नैशनल बैंक**	-	22917
xi **इंडियन ओवरसीज बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 417 लाख रुपए) (31.12.2007 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	3750	4167
xii **बैंक ऑफ बड़ौदा** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 125 लाख रुपए) (31.12.2007 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जानेवाला)	1125	1250
उप जोड़ (क)	**133581**	**49167**
ख. **ओंकारेश्वर विद्युत स्टेशन**		
i पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 13500 लाख रुपए) (15.01.2009 से प्रारंभ होने वाली 20)	114750	128250
उप जोड़ (ख)	**114750**	**128250**
कुल (क+ख)	**248331**	**177417**

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
अल्पावधि ऋण		
इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन		
i सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-	4800
ii देना बैंक	-	8333
iii जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	-	1012
iv ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	-	50000
vi सिंडिकेट बैंक	-	765
vii यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	-	8334
कुल	**-**	**73244**

अनुसूची 4 - ऋण निधियां अप्रतिभूत

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
अल्पावधि ऋण		
i) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-अप्रतिभूत-(इलाहबाद	-	18423
ii) बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय	-	164
कुल	**-**	**18587**

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास				विशुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2009 के अनुसार	संवर्धन/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण	संवर्धन/ समायोजन अन्य के कारण	कटौती/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण	कटौती/ समायोजन अन्य के कारण	31.03.2010 के अनुसार	01.04.2009 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार	01.04.2009 के अनुसार
		1	2A	2B	3A	3B	4	5	6	7	8	9	10
1	भूमि-फीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भूमि-लीबहोल्ड	176	-	-	-	-	176	20	6	-	26	150	156
3	भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	219204	-	5013	-	-	224217	16307	7819	-	24126	200091	202897
4	भवन	65660	-	389	-	(387)	65662	6332	2209	(16)	8525	57137	59328
5	सड़के और पुल	1011	-	161	-	-	1172	192	39	-	231	941	819
6	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैके)	218333	-	49	-	(1770)	216612	12535	11433	(57)	23911	192701	205798
8	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	157997	-	182	-	(1744)	156435	12732	8242	(72)	20902	135533	145265
9	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2440	-	5	-	(33)	2412	172	128	(2)	298	2114	2268
10	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	281	-	14	-	-	295	19	17	-	36	259	262
11	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	318	3	-	-	-	321	69	17	-	86	235	249
12	निर्माण उपकरण	538	-	34	-	-	572	141	65	-	206	366	397
13	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	237	-	-	-	-	237	10	10	-	20	217	227
14	विद्युतीय संस्थापनाएं	12	-	-	(3)	-	9	5	1	(1)	5	4	7
15	वाहन	153	-	-	-	(30)	123	110	6	(28)	88	35	43
16	विमान/नौकाएं	15	-	-	-	-	15	12	1	-	13	2	3
17	फर्नीचर और फिक्सचर	437	-	31	-	(6)	462	132	41	(2)	171	291	305
18	कम्प्यूटर	212	-	26	-	(7)	231	160	27	(6)	181	50	52
19	संचार उपकरण	52	-	1	-	(3)	50	12	3	(1)	14	36	40
20	अन्य उपकरण	245	-	10	-	(21)	234	77	20	(7)	90	144	168
21	अनुसंधान और विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	7	-	-	-	(1)	6	5	2	(1)	6	-	2
23	अन्य आस्तियां	200	-	8	-	(1)	207	43	15	-	58	149	157
24	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	1755	-	37	-	-	1792	701	358	-	1059	733	1054
25	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	116	-	3	-	(9)	110	116	3	(9)	110	-	-
26	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	5	-	10	-	(1)	14	1	-	(1)	-	14	4
कुल		**669404**	**3**	**5973**	**(3)**	**(4013)**	**671364**	**49903**	**30462**	**(203)**	**80162**	**591202**	**619501**
31.03.2009 के अनुसार		**659225**	**1**	**10206**	**(1)**	**(27)**	**669404**	**34535**	**15230**	**138**	**49903**	**619501**	**624690**

टिप्पणी

वर्ष के लिए मूल्यह्रास	30462
लाभ व हानि खाते में भारित	24963
आईईडीसी में भारित	-
पूंजीगत आरक्षित में भारित	5499

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कटौतियों को दर्शाते हैं।

अनुसूची 6 - चालू पूंजी कार्य

(लाख रुपये में)

	विवरण	01.04.2009 के अनुसार	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2010 के अनुसार
i)	भवन	333	270	(1)	(389)	213
ii)	सड़कें और पुल	-	144	-	(144)	-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv)	बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग आदि	-	44	-	(44)	-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	48	-	(48)	-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	48	4	-	(5)	47
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	1	13	-	(14)	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-	-	-	-
xi)	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	61	3	-	(61)	3
xii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं	14	81	-	(37)	58
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	113	-	-	113
xv)	आर एंड आर तथा पूरक वृक्षारोपण पर व्यय	227	136	(92)	(271)	-
xvi)	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी)	-	-	-	-	-
	कुल	**684**	**856**	**(93)**	**(1013)**	**434**
	पिछले वर्ष	**1927**	**7350**	**(1325)**	**(7268)**	**684**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं।

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
क. निर्माण भंडार (लागत पर मूल्यांकित तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार)		
1. भंडार तथा कलपुर्जे	-	-
2. खुले औजार	-	-
3. रद्दी मालसूची	-	-
4. परिवहन/निरीक्षण लंबित होनेवाले भंडार	-	-
5. संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	-	-
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1	-	-
उप जोड़	**-**	**-**
ख. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम		
1. प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
2. अप्रतिभूत - बैंक गारंटी के प्रति (अच्छे माने गए)	-	-
3. अप्रतिभूत - अन्य (अच्छे माने गए)	3	12
4. अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-	-
घटाएं - संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान *2	-	-
उप जोड़	**3**	**12**
कुल	**3**	**12**
*** प्रावधानों का ब्योरा**		
1. निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची - 19 (iv)	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि 14 (ई)	-	-
अंतिम शेष	-	-
2. संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची - 19 (ii)	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि 14 (बी)	-	-
अंतिम शेष	-	-

अनुसूची 8 - निवेश

(लाख रुपये में)

विवरण	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	31 मार्च 2010 के अनुसार	31 मार्च 2009 के अनुसार
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत			-	
इक्विटी शेयर $				
उप-जोड़ (क)				
ख. अनुद्धृत			-	-
क) अनुषंगी कम्पनियों में इक्विटी शेयर				
ख) बांड्स			-	-
बांड $				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त				
राज्य सरकार विशेष बांड				
			-	-
उप-जोड़ (ख)			-	-
$ डीमैट रूप में				
उद्धत निवेश				
(i) संचयी लागत				
(ii) संचयी बाजार मूल्य				
- एनएसई उद्धत			-	-
- बीएसई उद्धत				
अनुद्धत निवेश				
संचित लागत			-	-
कुल			-	-

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 के अनुसार		31 मार्च, 2009 के अनुसार	
क. निवेश पर उपचित ब्याज	-	-	-	-
ख. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	305		337	
ii) खुले औजार	1		2	
iii) कबाड़ माल सूची	24		14	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	19		5	
v) निर्माण स्थल पर सामान	63		33	
vi) ठेकेदारारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	-		-	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *1	(10)	402	(10)	381
ग. चालू कार्य				
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-		-	
ii) चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-	-	-
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)				
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण	-		-	
- अच्छे माने गए (जिनमें 24963 लाख रुपये की प्रतिभूत राशि शामिल है, 31.03.2009 को यह राशि 35310 लाख रुपये थी।)	24963		38542	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	-		-	

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2010 के अनुसार			31 मार्च 2009 के अनुसार	
ii) अन्य ऋण		-			-	
- अच्छे माने गए		8363			8358	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		-			-	
- घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		-			-	
- बिजली की बिक्री के लिए देनदार - बिल ने किए गए		6031	39357		-	46900
ङ) नकद एवं बैंक शेष						
i) हाथ में नकदी (526934 रुपए के चैक और हस्तगत मोहरें शामिल हैं, 31.03.09 को यह राशि 11520 लाख रुपये थी)		11			5	
ii) बैंक शेष						
अधिसूचित बैंकों के साथ						
चालू खाते में		2398			7111	
जमा खाते में						
(स्व बीमा आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित जमा सहित)		100658			63497	
अन्य बैंकों के साथ						
चालू खाते में		-			-	
जमा खाते में		-	103067		-	70613
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) जमा-राशि पर प्रोदभूत ब्याज		3374			1827	
ii) अन्य		871			702	
iii) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त दावे		1282			1147	
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3		(68)			(22)	
iv) स्व-बीमा आरक्षित से प्रतिपूर्ति योग्य दावे		-	5459		-	3654
छ. ऋण तथा अग्रिम						
ए. ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
प्रतिभूत	819			680		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	107			155		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
ii) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में						
राज्य सरकार को ऋण	-	926		-	835	
बी) अग्रिम (नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) **धारक कम्पनी**						
प्रतिभूत	-			-		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			-		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
ii) संविदाकार तथा अपूर्तिकर्ता						
प्रतिभूत	-			-		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	14			-		
- अन्य	132			13		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
iii) कर्मचारी						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1096			800		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
iv) अन्य अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			-		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
घटाएं - संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों हेतु प्रावधान *4	-			-		
v) अन्य प्राप्य	-	1242		-	813	
सी) जमा						
अग्रिम आय कर और स्रोत पर काटा गया कर	17649			17255		
घटाएं कराधान हेतु प्रावधान*5	15104	2545	4713	16067	1188	2836
कुल			**152998**			**124384**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं

(लाख रुपये में)

	2009-10	2008-09
गैर - अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे	शून्य	शून्य
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
वर्ष के अंत में देय राशि	7	3
वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	7	3

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (31.03.2009) : शून्य रुपए)

वर्ष के दौरान किसी समय पर धारक कम्पनी के साथ अधिकतम शेष राशि का ब्यौरा

	2009-10	2008-09
एनएचपीसी लिमिटेड	(270)	(195)

वर्ष के दौरान किसी समय पर धारक कम्पनी के साथ अधिकतम शेष राशि का ब्यौरा

	31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
प्रावधानों के ब्यौरै				
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10		10	
अनुसूची-19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूचि -14ई (डी)	-		-	
अंतिम शेष		10		10
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
अनुसूची - 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूचि - 14ई (ए)	-		-	
अंतिम शेष		-		-
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	22		21	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	47		1	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूचित 14ई (सी)	-		-	
अंतिम शेष		68		22
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूचित 14ई (बी)	-		-	
अंतिम शेष	-		-	
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16067		12086	
वर्ष के दौरान वर्धन	6418		5205	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6167		1224	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1214		-	
अंतिम शेष		**15104**		**16067**

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010 के अनुसार	31 मार्च 2009 के अनुसार
क. देयताएं		
1. **विविध देनदार**		
क) सूक्ष्म और लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-	-
खा) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-	-
ग) अन्य	10039	8551
2. जमा / एजेंसी पर व्यय न की गई राशि	-	-
3. जमा / धारिता राशि	750	766
4. जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	-	-
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	-	-
5. ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	636	818
6. ग्राहकों/ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	-	-
घटाएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यो के संदर्भ में वसूली योग्य राशि	-	-
7. सहायता अनुदान - जिनका उपयोग लंबित है।	-	-
8. अनुषंगी / धारक कम्पनियां की ओर बकाया	270	195
9. विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव से विलंबित देयताएं	-	-
10. अन्य देयताएं	210	439
कुल देयताएं (क)	**11905**	**10769**

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010 के अनुसार		31 मार्च 2009 के अनुसार	
ख. प्रावधान				
1. प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4592		9888	
वर्ष के दौरान वर्धन	2123		4592	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4592		9888	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		2123		4592
2. प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	781		1680	
वर्ष के दौरान वर्धन	353		781	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	781		1680	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		353		781
3. मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2355		1274	
वर्ष के दौरान वर्धन	1175		1284	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	8		203	
अनुसूची - 14 (ई) के अनुसार वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-		-	
अंतिम शेष		3522		2355
4. उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	234		238	
वर्ष के दौरान वर्धन	247		228	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	204		232	
अनुसूची 14 (ई) के अनुसार वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	52		-	
अंतिम शेष		225		234
5. छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	403		251	
वर्ष के दौरान वर्धन	164		174	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	236		22	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		331		403
6. उपदान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	206		113	
वर्ष के दौरान वर्धन	32		95	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6		2	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		232		206
7. आरईएचएस हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	82		69	
वर्ष के दौरान वर्धन	25		13	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		107		82
8. अवकाश यात्रा रियायत हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	37		40	
वर्ष के दौरान वर्धन	44		30	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45		33	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		36		37
9. अवकाश यात्रा रियायत पर एम.सी. हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	47		30	
वर्ष के दौरान वर्धन	19		20	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	28		3	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		38		47

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010 के अनुसार		31 मार्च 2009 के अनुसार	
10. टीटीए (सेवा निवृत्ति बैगेज भत्ता) हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	25		20	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		5	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5		-	
अंतिम शेष		20		25
11. प्रावधान - अन्य				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	95		146	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	92		51	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		3		95
12. परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
13. आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
14. हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
15. टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
16. बिजली की स्व-खपत के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
17. प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	21298		20408	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		2500	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1509		1610	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3668		-	
अंतिम शेष		16121		21298
कुल प्रावधान (ख)		**23111**		**30155**
कुल (क + ख)		**35016**		**40924**

अनुसूची 11 - विविध व्यय के लिए प्रावधान

(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010 के अनुसार		31 मार्च 2009 के अनुसार	
प्रारंभिक व्यय	-		-	
अन्य विलंबित राजस्व व्यय	-		-	
शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)	-		-	
समायोजन प्रतीक्षित व्यय	-		-	
घटाएं - बट्टे खाते में डाले जानेवाले परियोजना खर्च की स्वीकृति के लिए प्रावधान	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	1		-	
घटाएं - जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान	(1)	-	-	-
कुल			-	-

अनुसूची 12 - बिक्री

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की बिक्री	80205	78884
विद्युत की बिक्री - बिल न की गई	6031	-
पूर्व वर्ष बिक्री	4032	-
विद्युत की बिक्री (एमएटी)	-	4585
विद्युत की बिक्री (एफएटी)	-	74
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - प्रारंभ किए जाने से पूर्व (अनुसूची 22 (I) (i) को अंतरित)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**90268**	**83543**

अनुसूची 12क - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान	733	7951
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाला गया	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**733**	**7951**

अनुसूची 13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो से आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदा आय	-	-
परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से आय	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**-**	**-**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i) **दीर्घावधि निवेश से आय**	-	-
क) व्यापार		
अनुषंगियों से लाभांश	-	-
लाभांश - अन्य	-	-
ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
ख) गैर-व्यापार		
लाभांश - अन्य	-	-

अनुसूची 14 - अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ii) **अन्य आय**		
क) ब्याज	-	-
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
- इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर की गई 1010 लाख रुपयें की कर कटौती) कर्मचारी ऋण और अग्रिम	7307	5587
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज (स्रोत पर की गई 178 लाख, रुपये की कर कटौती)	58	50
- अन्य (स्रोत पर की गई 33 लाख रुपये की कर कटौती 31.03.2009 को शून्य	3014	4004
ख) विलंब भुगतान अधिभार	163	624
ग) परियोजना की बिक्री पर लाभ	-	-
घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2	-
ङ) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	76	9
च) विनिमय दर अंतर	-	-
छ) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)	-	-
ज) अन्य (स्रोत पर की गई 0.48 लाख रुपये की कर कटौती, 31.03.2009 को शून्य	146	171
कुल	**11058**	**10509**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 I	-	-
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित आय	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**11058**	**10509**
# पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे		
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	-
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे	-	-
घ) भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	-	-
च) आकस्मिताओं हेतु प्रावधान	-	-
छ) निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	-
ज) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	-	-
झ) लंबित जांच हानि हेतु प्रावधान	-	-
ञ) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	52	-
ट) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान	-	-
ठ) अन्य प्रावधान/देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	24	9
कुल	**76**	**9**

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i) भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	255	189
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण :		
- भवन	424	284
- मशीनरी	484	228
- अन्य	651	539
iii) किराया/भाड़ा खर्च	295	288
iv) दरें और कर	12	11
v) बीमा	11	8

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
vi)	स्व : बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी	-	-
vii)	सुरक्षा व्यय	414	232
viii)	विद्युत प्रभार	1053	1058
ix)	यात्र एवं वाहन	112	137
x)	स्टाफ कार पर व्यय	34	35
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	48	50
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार	65	84
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	19	16
xiv)	दान	-	-
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (प्रयुक्त)	51	54
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं	2	5
xvii)	परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	72	35
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेशी	-	-
xix)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-
xx)	निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय	600	-
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-	-
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	2	2
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए स्थगित राजस्व व्यय	-	-
xxiv)	बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	-	-
xxv)	बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय	-	546
xxvi)	बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	-
xxvii)	बट्टे खाते डाले गए भंडार	-	-
xxviii)	बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां	1	-
xxix)	मध्यस्थता/अदालती मामलों पर ब्याज भुगतान	-	-
xxx)	अन्य सामान्य खर्च	534	451
xxxi)	विनिमय दर अंतर	-	-
xxxii)	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (ऋण)	-	-
xxxiii)	लेखा परीक्षा खर्च (लेखे की टिप्पणियां देखें)	8	11
xxxiv)	निदेशकों का खर्च	-	-
xxxv)	अनुसंधान व विकास व्यय	-	-
	कुल	**5147**	**4263**
	घटाएं : ईडीसी में अंतरित व्यय (अनुसूची 22 ख, 22ग, 22ङ (i) और 22 ज (ii) देखें)	-	-
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)	-	-
	लाभ व हानि खाते में ली गयी कुल राशि	**5147**	**4263**

अनुसूची 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	3838	3853
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	430	515
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	350	277
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
	कुल	**4618**	**4645**
	घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत {देखें अनुसूची 22 ए और 22 जे (iii)}	-	-
	घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	-	-
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**4618**	**4645**

अनुसूची 17 - मूल्यह्रास

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	30462	15230
कुल	**30462**	**15230**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित {देखें अनुसूची - 22 जी तथा 22 जे (iv)}	-	-
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
घटाएं - पूंजी आरक्षित से अंतरित (बट्टे खाते में डाला गया अनुदान) (देखें अनुसूची - 2)	5499	2631
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**24963**	**12599**

अनुसूची 18 - ब्याज तथा वित्त प्रभार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i) निम्नलिखित पर ब्याज		
क) भारत सरकार से ऋण	-	-
ख) बॉण्ड	-	-
ग) विदेशी ऋण	-	-
घ) सावधि ऋण	27407	26275
ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
च) अन्य ब्याज प्रभार	-	-
ii) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-	-
iii) हेजिंग लेन-देन पर हानि		
iv) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
v) बट्टेखाते में डाले गए शेयर इश्यू व्यय		
vi) उपभोक्ताओं को छूट	789	766
vii) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
viii) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
ix) रॉयल्टी	-	-
x) लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-	-
xi) बैंक प्रभार	3	4
xii) अन्य वित्त प्रभार	30	38
कुल	**28229**	**27083**
घटाएं - आईईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार - {देखें अनुसूची 22 डी और 22 जे (v)}	-	-
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**28229**	**27083**

अनुसूची 19 - प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	1
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	47	-
iv) भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	-
v) भंडार तथा कलपुर्जो में कमी के लिए प्रावधान	-	-
vi) निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
vii) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-	-
viii) अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	1	-
ix) अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	-	-
कुल	**48**	**1**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय - {देखें अनुसूची 22 एफ तथा 22जे (vi)}	-	-
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**48**	**1**

अनुसूची 20 - संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
i) **प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
ii) **कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-	-
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	-	-
- स्टाफ कल्याण व्यय	-	-
iii) **मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
- भवन	-	-
- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	-	-
- अन्य	-	-
iv) **प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
- किराया/किराया प्रभार	-	-
- यात्रा एवं वाहन	-	-
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	-	-
- बीमा	-	-
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-	-
- विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	-
- लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
- अन्य व्यय	-	-
- दरें तथा कर	-	-
- सुरक्षा	-	-
- विद्युत	-	-
- आकस्मिताएं	-	-
- परामर्शी प्रभार	-	-
- ईआरवी	-	-
v) मूल्यह्रास	-	-
vi) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-	-
vii) निर्माण संविदाओं पर हानि	-	-
viii) प्रावधान	-	-
ix) कार्य प्रगति पर :		
- निर्माण संविदा	-	-
- परामर्श संविदा	-	-
x) निगमित कार्यालय व्यय (निवल)	-	-
कुल व्यय	**-**	**-**
घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	-	-
वर्ष के दौरान निवल व्यय	-	-
पूर्वावधि समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**	**-**

अनुसूची 21 - पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	-	(1664)
ii) मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	-
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	-
iv) अन्य	5	126
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	1	1
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-	2
iii) ब्याज	-	-
iv) अन्य	1	5
v) मूल्यह्रास	(144)	144
जोड़	**(147)**	**1690**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय {देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे (vii)}		
पूर्वावधि व्यय	-	-
घटाएं - पूर्वावधि आय	-	-
जोड़	**-**	**-**
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**(147)**	**1690**

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते	-	-
ii) उपदान और भविष्य निधि को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	-	-
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	-	-
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	-	-
ii) मशीनरी	-	-
iii) अन्य	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय		
i) किराया/किराया प्रभार	-	-
ii) दरें तथा कर	-	-
iii) बीमा	-	-
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	-	-
vi) यात्रा एवं वाहन	-	-
vii) स्टाफ कार पर व्यय	-	-
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-	-
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
x) मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	-	-
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	-

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
xii) लेखापरिक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
xiii) डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार :	-	-
- देशीय	-	-
- विदेशी	-	-
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-
xv) निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय	-	-
xvi) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
xvii) बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	-
xviii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
xix) अन्य सामान्य व्यय	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार		
i) निम्नलिखित पर ब्याज :	-	-
क) भारत सरकार से ऋण	-	-
ख) बॉण्ड	-	-
ग) विदेशी ऋण	-	-
घ) सावधि ऋण	-	-
ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
च) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-	-
ii) हेजिंग लेन-देन पर हानि	-	-
iii) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
vi) अन्य वित्त प्रभार	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
ङ. विनिमय दर अंतर (निवल)		
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-	-
ii) घटाएं - विनिय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
च. प्रावधान	**-**	**-**
उप-जोड़	**-**	**-**
छ. मूल्यह्रास	**-**	**-**
उप-जोड़	**-**	**-**
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)		
i) पूर्वावधि व्यय	-	-
ii) घटाएं - : पूर्वावधि आय	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
झ. घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली		
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	-
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-	-
iii) विविध प्राप्तियां	-	-
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताएं/प्रावधान	-	-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-	-
उप - जोड़	**-**	**-**
ञ. निगमित कार्यालय प्रबंधन व्यय		
i) अन्य आय	-	-
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य आय	-	-
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	-	-
iv) मूल्यह्रास	-	-
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-	-
vi) प्रावधान	-	-
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-	-
उप - जोड़	**-**	**-**
चालू पूंजी कार्य को अंतरित राशि		
चालू कार्य		
(क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+ञ+झ)	**-**	**-**

अनुसूची 23 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परंपराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोदभवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते है।

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तिया अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई है। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि संबंधी मुआवजे और अन्य खर्चो के लिए किए गए अस्थायी भुगतान भूमि की लागत के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होनेवाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायत/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तरह अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जानेवाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और इनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें सम्बद्ध संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास सम्बद्ध संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होनेवाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)'' पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जानेवाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2 मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरणों का मूल्यह्रास क्रमश: 11.25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से किया जाता है, क्योंकि निगम द्वारा आंकी गई दरें सम्बद्ध परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होती हैं। किन्तु, अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में स्वयं अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शतप्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रूपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में उसका ऋण चुकता किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की दर, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रबारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्रतिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होनेवाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होनेवाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होनेवाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होनेवाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आनेवाले वर्षों की बिक्री में शामिल की जानेवाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जानेवाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को बिजलीघरों के सकल ब्लाक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक लाभ और हानि विनियोग लेखे के जरिए वर्ष दर वर्ष आधार पर 'स्व-बीमा आरक्षित निधि' में अंतरित कर दिया जाता है ताकि विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।

12. विविध

12.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

12.2 बिजलीघरों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जानेवाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

12.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

12.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आनेवाली की ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

14. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आयकर को प्रमुख क्रियाकलाप अर्थात् विद्युत के उत्पादन से संबंधित सीमा तक लाभग्राहियों को अंतरित किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आनेवाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

15. सहायता अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार से ''सिंचाई तथा आर एंड आर घटक'' और गुजरात सरकार से ''सरदार सरोवर घटक'' के प्रति प्राप्त अंशदान की राशि पृथक परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित नहीं है इसलिए इसे प्रारंभ में सहायतानुदान-आरक्षित माना जाता है और बाद में आय में उसी अनुपात में समायोजित किया जाता है जिसमें ऐसे अंशदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

अनुसूची 24 - लेखे पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देवताओं का प्रावधान नहीं किया गया है :

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2010 को (रुपये)	31.03.2009 को 31.03.2009 (रुपये)
क) निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हे ऋण नहीं माना गया है- - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	 20367 187185 228	 18868 174448 227
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	शून्य	शून्य
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
अन्य-उपकर	शून्य	शून्य
कुल	**207780**	**193543**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति शून्य रुपए (31-03-2009 को शून्य रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

2. क) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 5310 लाख रुपये (31-03-2009 को 5173 लाख रुपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यो हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपये (31-03-2009 को 3461 लाख रुपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 8578 लाख रुपये (31-03-2009 को 8422 लाख रुपये) है।

3. मध्यप्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम में भागीदार होने के चलते सीसीईए अनुमोदन के अनुसार विभिन्न लेखे पर नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार योगदान दिया है।

क. **इंदिरा सागर पावर स्टेशन : -**

(राशि लाख रुपये में)

निधि के स्रोत	31.03.2009 तक	वर्ष अप्रैल 09 से मार्च 10 के दौरान	31.03.2010 को
1. वस्तु रूप में नकदी/समायोजित व्यय	124131	1651	125782
2. प्राप्त नकदी	54720	शून्य	54720
3. ओएसपीएस से हस्तांतरित राशि	1116	(260)	856
कुल	**179967**	**1391**	**181358**
निधि का उपयोग			
1. इक्विटी पूंजी	66000	शून्य	66000
2. सिंचाई घटक	38012	53	38065
3. एसएसपी घटक	48573	67	48640
4. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	24566	500	25066
5. वसूले गये विद्युत प्रभार	279	शून्य	279
6. सिंचाई/ओएसपीएस की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	शून्य	3308
7. समायोजन हेतु लंबित राशि	(771)	771	शून्य
कुल	**179967**	**1391**	**181358**

ख. ओंमकारेश्वर पावर स्टेशन :

(राशि लाख रुपये में)

निधि के स्रोत	31.03.2009 तक	वर्ष अप्रैल 09 से मार्च 10 के दौरान	31.03.2010 को
1. वस्तु रूप में नकदी/समायोजित व्यय	8213	20	8233
2. प्राप्त नकदी	41476	शून्य	41476
3. सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	शून्य	3308
कुल	**52997**	**20**	**53017**
निधि का उपयोग:			
1. इक्विटी पूंजी	30016	शून्य	30016
2. सिंचाई घटक	18018	(181)	17837
3. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	3847	1598	5445
4. आईएसपीएस को हस्तांतरित राशि	1116	(260)	856
5. समायोजन हेतु लंबित राशि/एनवीडीए से वसूली योग्य दावे	शून्य	(1137)	(1137)
कुल	**52997**	**20**	**53017**

4. क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के जरिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्ते अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के तहत ये नियम एवं शर्ते 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार टैरिफ याचिका दायर करने और बिजलीघर वार टैरिफ निर्धारित करने का काम लंबिद रहते 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिसूचना में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री अस्थायी तौर पर 90268 लाख रुपये समझी गई है। किन्तु, वर्ष के लिए बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दर के आधार पर (ओएसपीएस के मामले में अस्थायी) की गई है जो उक्त अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च, 2009 को लागू थी। वास्तव में वर्ष की बिक्री के अंतर्गत 2009-14 की अवधि के लिए लागू नए टैरिफ मानदंड के अनुसार गणना की गई बिक्री और बिलिंग की गई बिक्री के बीच अंतर के रूप में 6031 लाख रुपये की राशि शामिल है।

भारत सरकार के संकल्प संख्या 23/02/2005 - आरएंडआर (वोल्यूम-3) दिनांक 6 जनवरी, 2006. जिसके तहत टैरिफ नीति अधिसूचित की गई है, के पैरा 5.3 के उप-पैरा (ग) के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरें टैरिफ और लेखांकन दोनों के प्रयोजन के लिए लागू होंगी। 19.01.2009 की अधिसूचना जिसके द्वारा सीईआरसी ने 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए नए मानदंड अधिसूचित किए हैं, के अनुसार 01.04.2009 से मूल्यहास की दर में संशोधन होने से चालू वर्ष का मूल्यहास प्रभार 12364 लाख रुपये अधिक है।

5. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्र और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

(ख) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधिन है।

(ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जानेवाली चालू परिसंपत्तियों की किंमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियों में भूमि विस्थापितों को किए गए मुआवजे के भुगतान में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एलए के अंतर्गत स्रोत पर न की गई कर कटौती के रूप में वसूली योग्य 9 लाख रुपये (31.03.2009 को 9 लाख रुपये) और विस्थापितों को दोहरा भुगतान की गई 12 लाख रुपये (31.03.2009 को 12 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया गया है।

6. कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर 31.03.2010 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की बहियों में 1175 लाख करोड़ रुपए (31.03.2009 को 1284 लाख रुपए) का प्रावधान और किया गया है। वर्ष के दौरान वेतन-संशोधन के प्रति एकमुश्त अग्रिम के रूप में 297 लाख रुपये (31.03.009 को 793 लाख रुपए) का भुगतान किया गया है।

7. (क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रुपये में)

		वर्ष **2009-10** के लिए	वर्ष **2008-09** के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(20)	64

8. लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के लेखे पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	लेखांकन नीतियां	परिवर्तन का 'लाभ एवं हानि लेखे' पर प्रभाव
1	लेखांकन नीति संख्या 4.1 (ख) : परियोजना चालू हो जाने पर प्रशासन और सामान्य शीर्ष व्ययों के पूंजीकरण के तथ्य को प्रकट करने के लिए लेखांकन नीति में संशोधन, परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।	शून्य
2	लेखांकन नीति संख्या 5.1: लेखांकन नीति को नया रूप दिया गया ताकि इस तथ्य को प्रकट किया जा सके कि अस्थायी निर्माणों के लिए अधिग्रहण / पूंजीकरण के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है।	कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) में 5 लाख रुपये की कमी आयी।
3	लेखांकन नीति संख्या 5.3: पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन।	शून्य
4	लेखांकन नीति संख्या 5.7: पट्टे पर धारित भूमि पर सृजित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन।	शून्य
5	लेखांकन नीति संख्या 14: आय पर करों के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन	शून्य
6	आरएंडआर खर्च संबंधी पूर्ववर्ती लेखांकन नीति हटाई गई, इससे पहले आरएंडआर खर्च को डीएएम लागत के हिस्से के रूप में लिया जाता था और अब इसे भूमि अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार के रूप में लेखांकन नीति 2.4 और 2.5 के अंतर्गत लिया जाता है।	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 2859 लाख रुपये की वृद्धि हुई

9. (क) एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान 31.03.2010 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्तमान में एनएचडीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एचएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। 31.03.2010 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में मानक-15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं

	वर्ष 31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका
छोड़ने की दर	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत
छूट दर	8.10% (इसी तारीख को सरकारी बांड पर बाज़ार लाभ)	7.80% (इसी तारीख को सरकारी बांड पर बाज़ार लाभ)
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	23	24

तालिका 2 : दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2010 को			**31.03.2009 को**		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	**अवकाश नकदीकरण**	**आरई एचएस**	**उपदान (ग्रेज्युइटि)**	**अवकाश नकदीकरण**	**आरई एचएस**
वर्ष के शुरू में पीवीओ	206	403	82	113	251	69
ब्याज लागत	16	31	6	9	20	5
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य
वर्तमान सेवा लागत	40	40	18	40	79	23
अदा किया गया लाभ	(6)	(236)	शून्य	(2)	(22)	शून्य
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(24)	90	1	44	66	(15)
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	3	शून्य	शून्य	9	शून्य
वर्ष के अंत में पीवीओ	232	331	107	206	403	82

तालिका 3 और 4 लागू नहीं।

तालिका 5 : मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2010 को			31.03.2009 को		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि - दायित्व	(24)	90	1	44	66	(15)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-योजना परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल लाभ/हानि	(24)	90	1	44	66	(15)
वर्ष के लिए मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	(24)	90	1	44	66	(15)
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका 6 : तुलन-पत्र में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2010 को			31.03.2009 को		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	232	331	107	206	403	82
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त-पोषण की स्थिति	(232)	(331)	(107)	(206)	(403)	(82)
न माने गए बीमांकिक लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	232	331	107	206	403	82

तालिका 7 : लाभ एवं हानि लेखे में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2010 को			31.03.2009 को		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस
वर्तमान सेवा लागत	40	40	18	40	79	23
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	16	31	6	9	20	5
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक लाभ/हानि	(24)	90	1	44	66	(15)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में लिए गए व्यय	32	161	25	95	165	13

तालिका 8 : तुलन-पत्र में मान्य देयता संचलन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2010 को			31.03.2009 को		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरई एचएस
प्रारम्भिक निवल देयता	206	403	82	113	251	69
उक्त के अनुसार व्यय	32	161	25	95	165	13
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	3	शून्य	शून्य	9	शून्य
अदा किया गया लाभ	(6)	(236)	शून्य	(2)	(22)	शून्य
अंतिम निवल देयता	232	331	107	206	403	82

(ख) अवकाश यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण पर भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान तथा सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के कारण देयता (31.03.2010 को) क्रमश: 36 लाख रुपये, 38 लाख रुपये और 20 लाख रुपये है। (31.03.2009 को यह क्रमश: 37 लाख रुपये, 47 लाख रुपये और 25 लाख रुपये थी)।

(ग) कंपनी की भविष्य निधि योजना आरपीएफसी द्वारा अधिशासित है और यह परिभाषित अंशदान योजना है। वर्ष के लिए अदा किया गया/देय अंशदान खर्च के रूप में लिया जाता है और वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि के रूप में प्रभारित किया जाता है।

10. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के दो पावर स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

11. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है –

(क) पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के.एम. सिंह (01.06.08 से)	पूर्ण कालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित।

ख) संबंधित पार्टी

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
एनएचपीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम भागीदार
मध्य प्रदेश सरकार	संयुक्त उद्यम भागीदार

ग) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों/निदेशकों के साथ कारोबार

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध	कारोबार का विवरण	31.03.2010 को (राशि लाख रुपये में)	31.03.2009 को (राशि लाख रुपये में)
1. एनएचपीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम भागीदार	(i) वर्ष के दौरान निवेश	शून्य	शून्य
		(ii) संचयी निवेश	100242	100242
		(iii) परामर्शी कार्यों के लिए किया गया भुगतान	2	2
		(iv) देय शेष	270	195
		(v) प्राप्य शेष	शून्य	शून्य

घ) निदेशकों को किया गया/देय भुगतान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
i वेतन और भत्ते	11	15
ii भविष्य निधि में अंशदान	1	1
iii आवासीय भवन के लिए किराया	2	2
iv अन्य लाभ	1	2
v स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस	0.27	0.03

उपरोक्त आंकडे ग्रेच्युटि, छुट्टी भुगतान, पीआरएमएस, एलटीसी, बैगेज व छुट्टी भुगतान पर ईपीएफ के प्रावधान को शामिल नहीं करते है क्यों कि उपरोक्त सभी को वास्तविक मूल्यांकन आधार पर निगम द्वारा पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है।

12. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं जो ऐसी नहीं हो, जिन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 75 लाख रुपये (31.03.2009 को 67 लाख रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में 29 लाख रुपये (31.03.2009 को 10 लाख रुपये) के लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप में दर्शाया गया है।

13. प्रति शेयर अर्जन की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए		वर्ष 2008-09 के लिए	
	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए)	212,29,41,683	212,29,41,683	306,16,38,793	306,16,38,793
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत	108.17	108.17	156.00	156.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	1000	1000	1000	1000

14. (क) कर योग्य आय के अभाव में आयकर हेतु प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसार किया गया है।

(ख) 'आय पर करों हेतु लेखांकन' के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में, वर्तमान वर्ष के दौरान 11301 लाख रुपये (31.03.2009 को 15840 लाख रुपये) की विलंबित कर देयता का प्रावधान किया गया है। संचित विलंबित कर देयता के मद-वार ब्योरे निम्नानुसार है -

	विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति	31.03.2010 को (लाख रुपये में)	31.03.2009 को (लाख रुपये में)
I	**विलंबित कर देयता : -**		
	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास का अंतर	66611	65032
	घटाएं : विलंबित कर आस्तियां		
II	समाहित न किया गया संचित मूल्यह्रास (अग्रसारित किये जाने के लिए)	1280	7978
III	संदिग्ध ऋणों तथा अन्य के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
IV	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	195	शून्य
	निवल विलंबित कर देयता	65136	57054
	निवल विलंबित कर देयता - लाभार्थियों से वसूली योग्य सीमा तक	53835	57054

(ग) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार समाहित न किए गए मूल्यह्रास को अनिश्चित काल तक अग्रसारित करने की अनुमति दी जाती है। व्यापार के स्वरूप, बाज़ार परिदृश्य और राजस्व व्यवस्था को देखते हुए इस बात की लगभग निश्चितता है कि कंपनी समाहित न किए गए मूल्यह्रास की भरपायी भावी कर योग्य लाभ में से कर लेगी, अत: इसे विलंबित कर आस्ति के रूप में समझा गया है।

15. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2010 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

16. सांविधिक लेखा-परीक्षको को पारिश्रमिक:

क) साविधिक लेखा परीक्षक: -

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
i) लेखा परीक्षा शुल्क	5	6
ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
iii) प्रमाणीकरण शुल्क	1	1
iv) अन्य मामले	शून्य	शून्य
v) जेब से किए गए व्यय	शून्य	2

ख) **लागत लेखा परीक्षक**:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
क) लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
ख) जेब से किए गए व्यय	शून्य	शून्य

17. मात्रात्मक ब्यौरे -

विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थापित क्षमता (मेगावाट)	1520	1520
वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	3071.22	2368.45
वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	3051.43	2345.01

18. **निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी -**

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	669
	ii) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध मामले		
	(क) पूंजीगत कार्य	शून्य	141
	(ख) दौरे	शून्य	2
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	शून्य	शून्य
	ii) देशीय	225	189
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

* प्रोदभवन आधार ** नकद आधार

19. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटी करण निम्नानुसार है

क्र. सं.	विवरण	(राशि लाख रुपये में)
i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
v)	वर्षो में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौतीयोग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

20. परिसमाप्त क्षति, यदि कोई हो, का लेखांकन वसूली प्रभावी होने पर किया जाता है और मामले को प्रबंधन द्वारा निपटाया गया समझा जाता है।

21. पावर स्टेशनों को सीओ प्रबंधन व्यय उनकी स्थापित क्षमता की भारित औसत के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुन: निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

आर. के. तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के. एम. सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

वी.के. त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

ए. के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता सं. 84003

तुलन का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रुपरेखा

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण: 1 0 | 1 4 3 3 7

राज्य कोड: 1 0

तुलन-पत्र की तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 1 0

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (पूंजी करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम	राइट निर्गम
शू न्य	शू न्य
बोनस	निजी नियोजन *
शू न्य	शू न्य

* एनएचपीसी और मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त शेयर पूंजी जमा शामिल है।

III. निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (लाख रुपये में)

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
7 4 4 6 3 7	7 4 4 6 3 7

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित तथा अधिशेष
1 9 6 2 5 8	2 4 4 7 3 1
आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण
2 4 8 3 3 1	शू न्य

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	निवेश
5 9 1 6 3 9 @	शू न्य
शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	विविध व्यय
1 1 9 2 2 0	शू न्य
संचित हानि	
शू न्य	

@ इसमें 434 लाख रुपये के पूंजीगत चालू कार्य और 3 लाख रुपये के निर्माण भंडार और ग्रमिम शामिल हैं।

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रुपये में)

कारोबार	कुल व्यय
8 9 5 3 5 #	6 2 8 5 8
कर पूर्व लांभ	कर उपरांत लांभ
3 7 7 3 5	2 1 2 3 0
प्रति शेयर अर्जन रुपये में	लाभांश राशि
1 0 8 . 1 7	1 0 6 2

#इसमें 11058 लाख रुपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

V. कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम

I. उत्पाद विवरण

ज	ल		वि	द्यु	त		का		उ	त्	पा	द	न																	

उत्पाद विवरण

	-	

II. उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	-	

III. उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	-	

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ए.के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता सं. 84003
एफआरएन - 509955सी

आर.के. तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के.एम. सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	37735		35820	
जोड़ें -				
- पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास	24819		12743	
- अन्य प्रावधान/समायोजन	48			
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (लाभ)	733		9505	
- बिक्री आस्ती पर हानि/लाभ	-		2	
- छूट को छोड़कर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	27440		26317	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		90775		84387
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(21)		(185)	
विविध देनदार में (वृद्धि)/कमी	7542		8757	
ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	4891		2996	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1486)		(901)	
चालू देयताओं और प्रावधान में (वृद्धि)/कमी	(8825)	2101	(4022)	6645
		92876		91032
अदा किए गए अग्रिम कर	(6768)		4441	
		(6768)		4441
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)		86108		86591
ख) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण	(1011)		(2919)	
चालू पूंजी कार्य	(764)		(5964)	
निर्माण भंडार और अग्रिम	9		28	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	5		1	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		(1761)		(8854)
ग) वित्त - पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी इश्यू से प्राप्तियां	-		-	
शेयर पूंजी जमा से प्राप्तियां	-		-	
ऋण से प्राप्तियां	198853		246102	
ऋण का पुनर्भुगतान	(219605)		(266935)	
एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त निधिया	1672		1138	
अदा किया गया लाभांश	(4592)		(9888)	
अदा किया गया लाभांश कर	(781)		(1681)	
अदा किया गया ब्याज और वित्तीय प्रभार	(27440)		(26317)	
वित्त-पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(51893)		(57581)
नकदी तथा नकदी - तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)		32454		20156
नकदी तथा नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		70613		50457
नकदी तथा नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		103067		70613

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 15517 लाख रुपये (31.03.2009 को 14444 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो निगम द्वारा स्वबीम प्रति धारित है जो अन्यथा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. 148500 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत ऋण में 31.03.2010 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 7001 करोड़ रुपए है।
3 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर प्राप्त नकदी (करों को छोड़कर) 5 लाख रुपये (31.03.2009 को 1 लाख रुपये) है।
4 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुन: समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ए.के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता सं. 84003
एफआरएन - 509955C

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

आर.के. तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

के.एम. सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

अनलग्नक - "सी"

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिर्पोटिंग ढांचे के अनुसार तैयार किया जाना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखांकन तथा सुनिश्चितता मानकों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय परिणामों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपनी दिनांक 19 मई, 2010 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा यह उत्तरदायित्व निभाए जाने की सूचना दी है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय विवरणों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेज पर पहुंच के बिना की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी के कार्मिकों की जांच और कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनित परीक्षण पर आधारित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया है जिससे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./-

(एम. के. विश्वास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जून, 2010

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लि.

लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लि. (एलडीएचसीएल) को कंपनी के कार्य निष्पादन पर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखा विवरण लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट और 23 अक्तूबर, 2009 से आरंभ अर्थात 31 मार्च, 2010 को शामिल किये जाने की तिथि से भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट तथा समीक्षा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कंपनी का गठन

आपकी कंपनी को मणिपुर राज्य में 66 मेगावॉट क्षमता की लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचपीसी लिमिटेड तथा मणिपुर सरकार के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 23 अक्तूबर, 2009 को शामिल किया गया था। आपकी कंपनी में कारोबार को शुरू करने का प्रमाणपत्र 25 फरवरी, 2010 को प्राप्त किया है। 60 करोड़ रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी एनएचपीसी लि. तथा मणिपुर सरकार द्वारा क्रमश: 74:26 के अनुपात में जुटाया गया है।

2. कंपनी के मामलों की स्थिति

(क) परिचालन समीक्षा

कंपनी ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना अध्ययनों को पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सीआईएसएमएचई, नई दिल्ली को सौंपा है। मैसर्स सीआईएसएमएचई ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के मसौदे को एनएचपीसी कार्पोरेशन कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया है। उपायुक्त, तामेंगलौंग जिले की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से मणिपुर सरकार द्वारा तैयार परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची सीआईएसएमएचई, नई दिल्ली को सौंप दी गई है। सीआईएसएमएचई द्वारा किया जा रहा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एक माह के अंदर पूरा किए जाने की संभावना है। सीआईएसएमएचई द्वारा अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने में एक माह का समय और लग जाएगा।

परियोजना की वानिकी मंजूरी के लिए एलडीएचसी ने 223.5 हैक्टेयर वन भूमि को प्रयोग में लाने के लिए मुख्य वन संरक्षक को आवेदन किया है। इस मामले को वन विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा परियोजना की वानिकी मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को पहले ही भेज दिया गया है।

सर्वे आफ इंडिया परियोजना का सर्वेक्षण न करने पर अड़ा हुआ है। तथापि, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली तथा एनएचपीसी कार्पोरेट कार्यालय के हस्तक्षेप पर सर्वे आफ इंडिया परियोजना का इस शर्त पर सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है कि सुरक्षा व्यवस्था असम रायफल जैसी केन्द्रीय मिलिट्री फोर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाए। सर्वेक्षण करने के लिए असम रायफल से सर्वे आफ इंडिया के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि हेतु इस मामले को मणिपुर सरकार के मुख्य विद्युत सचिव के साथ उठाया गया है।

(ख) वित्तीय पुनरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने कार्पोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम में इक्विटी अंशदान के लिए प्रमोटरों से प्राप्त निधियों को एसबीआई में जमा किया है और उस पर 51,19,824 रु. ब्याज स्वरूप प्राप्त किए हैं। इस अवधि के दौरान कंपनी का स्थापना व्यय 1,04,12,531 रु. था। आपकी कंपनी में कंपनी को शामिल करने के लिए व्यय वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले पूंजीगत परियोजना को प्रारंभ और चालू करने पर 1,16,27,35 रु. की राशि खर्च हुई है जो कि निवल हानि है और इसे लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है और तद्नुसार लेखाओं में दर्शाया गया है। इस वर्ष हानियां हुई हैं इसलिए आरक्षित लेखा में कुछ भी अंतरित नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी अपने प्रारंभिक चरण में है तथा इस अवधि के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया है अत: बोर्ड द्वारा किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

3. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रगटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कंपनी ने कुछ भी अर्जित तथा निर्गम नहीं किया है।

4. कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 सह-पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत किसी भी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं हुई थी।

5. सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स शरद जैन एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति की है।

6. निगमित अभिशासन

अनुलग्नक-I के अनुपालन तथा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** के रूप में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र सहित निदेशकों के रिपोर्ट के तौर पर निगमित अभिशासन पर एक अलग विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

7. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय परिणामों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए एल डी एच सी एल इम्फाल के लेखाओं के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों की समीक्षा न करने के बारे में क्रमश: **अनुलग्नक-III** और **अनुलग्नक-IV** में संलग्न है।

8. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अनुसार अपेक्षित निदेशक एतद द्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू परीकलन मानकों और साथ ही सामग्री लाने ले जाने से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण का पालन भी किया गया है।;

ii) निदेशकों ने इस प्रकार की परिकलन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान है कि ये यथोचित एवं विवेकपूर्ण होंगे ताकि वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा उस अवधि के दौरान निगम के लाभ की सही व उचित स्थिति का पता चल सके।;

iii) निदेशकों के निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में पर्याप्त परिकलन रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त सावधानी करती है।

iv) निदेशकों ने वर्तमान सरोकार आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

9. निदेशक मंडल

कंपनी के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 40 के अनुसरण में अध्यक्ष एनएचपीसी लि., कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तदनुसार श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लि., कंपनी के अध्यक्ष है। कंपनी आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अनुसार अन्य प्रथम निदेशक श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, निदेशक, श्री जे.के. शर्मा, निदेशक, श्री लियांगसी पॉल गोमई, निदेशक एवं श्रीमती कल्याणी मिश्रा थे। इस समय आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-:

1.	श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष
2.	श्री लियांगसी पॉल गोनमई	निदेशक
3.	श्री विजय कुमार	निदेशक
4.	श्री के.के. जोशी	निदेशक
5.	श्रीमती कल्याणी मिश्रा	निदेशक

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी लि., मणिपुर सरकार तथा इसके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों तथा कंपनी के लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि आनेवाले वर्षों में कंपनी के कर्मचारी बेहतर योगदान देते रहेंगे।

निदेशक मंडल के लिए ओर उनकी ओर से

हस्ता./-
(एस.के. गर्ग)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00055651

दिनांक : **10-08-2010**
स्थान : **नई दिल्ली**

अनुलग्नक - I

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

मैसर्स लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलैक्ट्रिक कारपोरेशन

हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कारपोरेट अभिशासन पर **मैसर्स लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक निगम** (कम्पनी) द्वारा वांछित कारपोरेट अभिशासन के अनुपालन शर्तों की जांच की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा परीक्षा है और न ही उनके विचारों की अभिव्यक्ति ।

हमारे विचार से तथा हमारे द्वारा की गई जांच से तथा कंपनी, इसके अधिकारी एवं एजेंटों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण एवं हमारे सर्वोच्च ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्न बिन्दुओं के अलावा उपरोक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित समस्त प्रावधानों का संकलन किया गया है।

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
2. कंपनी 23 अक्तूबर, 2009 को निगमित हुई थी तथा इसने समस्त लागू विधियों के साथ अनुपालन से संबंधित कोई रिपोर्ट बोर्ड के सामने नहीं रखी।
3. कंपनी ने अभी तक समस्त बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु कोई आचार संहिता नही रखी है।
4. कंपनी के निदेशक मंडल के पास अभी तक बोर्ड चार्टर का औपचारिक विवरण नहीं है जिससे बोर्ड एवं व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों का पता चल सके।
5. कंपनी ने अपने बोर्ड के नए सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, इसके वर्तमान सदस्य एनएचपीसी लि., प्रधान सचिव (ऊर्जा), मणिपुर सरकार तथा ऊर्जा मंत्रालय की नामिती हैं अतएव वे व्यापार मॉडल, जोखिम विवरणिका इत्यादि से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
6. चूंकि कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, तथापि कंपनी में न तो इसकी लेखा परीक्षा समिति में न तो सदस्य के रूप में और न ही अध्यक्ष के रूप में कोई स्वतंत्र निदेशक है।
7. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लेखा परीक्षा समिति की भूमिका की परिभाषा दी है। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन अभी भी प्रक्रियाधीन है।
8. कंपनी ने अभी तक कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।
9. कंपनी ने अभी तक कोई भ्रष्टाचार विरोधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) नहीं अपनाई है।
10. कंपनी ने अभी तक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति नहीं बनाई है।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की न तो किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही सक्षमता अथवा प्रभावीपन है जिससे प्रबंधन कंपनी का कार्य कर सके।

गरिमा दुग्गल एवं एसोसिएट के लिए
कंपनी सचिव

ह/-
गरिमा दुग्गल
स्वामी
सदस्यता सं. **21818**
सी.पी. सं. **8413**

निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

निगमित अभिशासन कानूनों, पद्धतियों का कार्य देखता है और उन कानूनों को लागू करता है जो इसके दावेदारों, विशेषकर इसके शेयरहोल्डरों, क्रेडिटर्स, ग्राहकों, राज्य और कर्मचारियों की तुलना में प्रबंधकीय निर्णय लेने संबंधी कंपनी की क्षमता का निर्धारण करते हैं। लोकतक डाऊन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) प्रबंधक, अपने सभी स्टेकहोल्डरों के बेहतर हित में कार्य करने का प्रयत्न करेंगे तथा स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए बेहतर निगमित अभिशासन क्रियाओं को अपनाने की प्रक्रिया कंपनी द्वारा हाल ही में शुरू की गई है।

1. अभिशासन के कोड संबंधी ज्ञान:

(i) प्रचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली का होना तथा पारदर्शी तरीके से समयबद्ध आधार पर बोर्ड को सूचना उपलब्ध कराना ताकि बोर्ड प्रबंधन की जवाबदेही की मानीटरिंग कर सके।

(ii) उद्यम तथा संपूर्ण देश की संपत्ति के सृजन के लिए व्यापार, उद्यम की क्षमता बढ़ाना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी तथा बोर्ड निगमित मूल्यों का समर्थन करें और उन्हें अपने व्यवहार में लागू करे।

2. निदेशक मंडल का गठन तथा श्रेणी:

(I) बोर्ड का गठन:

कंपनी के बोर्ड के निदेशक "बोर्ड" में पांच (5) निदेशक शामिल हैं जो कि सभी गैर-कार्यपालक हैं। इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। बोर्ड का गठन तथा अन्य निदेशक पदों की संख्या तथा 31 मार्च, 2010 की स्थितिनुसार निदेशकों द्वारा धारित समिति की स्थिति निम्नलिखित है:

नाम	कार्यपालक/गैर कार्यपालक/ स्वतंत्र	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य स्थिति समिति	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री एस.के. गर्ग	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
श्री लियांगसी पॉल गोनमई	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	—	शून्य	1
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	—	शून्य	1
श्री विजय कुमार*	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	—	1	शून्य
श्री के.के. जोशी**	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	—	शून्य	शून्य

* श्री विजय कुमार ने दिनांक 26 मार्च, 2010 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।
** श्री के.के.जोशी ने दिनांक 29 मार्च, 2010 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री एस.के. गर्ग (डीआईएन सं० : 00055651), आयु 59 वर्ष हमारे अध्यक्ष हैं। श्री गर्ग ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आप एक सनदी लेखाकार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य हैं। आपको वर्ष 2008 में उत्कृष्ट परियोजना प्रबंधन के संबंध में तथा परियोजना प्रबंधन एसोसिएट्स मानद फैलोशिप पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा आपको वर्ष 2009 में आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा भारतीय शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको 37 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है, जिसमें 7 वर्ष ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव भी शामिल है। आप एनएचपीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं।

श्री लियांगसी पॉल गोनमई (डीआईएन सं० : 02302356), आयु 56 वर्ष, हमारे निदेशक हैं। आपने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है तथा आप 1983 बैंच के आईएएस अधिकारी हैं। इस समय आप मणिपुर सरकार में मुख्य सचिव (आदिवासी पर्वतीय/विद्युत विकास) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले आप विभिन्न पदों अर्थात् निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा पर्यटन आयुक्त, बिक्री एवं उत्पाद कर; उपायुक्त चंदेल; उपायुक्त तामेंगलौंग; निदेशक, आदिवासी कल्याण; निदेशक, खाद्यान्न आपूर्ति; सचिव, सहकारिता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; वाईएएस, बागवानी एवं मृदा संरक्षण; आयुक्त, कृषि एवं बागवानी; आयुक्त, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जी ए डी एवं आदिवासी विकास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के पदों पर कार्यरत रहे हैं।

श्रीमती कल्याणी मिश्रा (डीआईएन सं० : 02695750), आयु 39 वर्ष, हमारे निदेशक हैं। आपने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आप 1999 बैंच के भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी हैं। इस समय आप उप सचिव, हाइड्रो-।, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आपने उप निदेशक, औद्योगिक संबंध (नीति), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामले, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सहायक निदेशक (योजना), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार के पदों पर कार्य कर चुकी हैं।

श्री विजय कुमार (डीआईएन सं० : 03021294), आयु 49 वर्ष, हमारे निदेशक हैं। आप विज्ञान में स्नातक हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ कौस्ट एवं वर्क एकाउंटेंट के सदस्य हैं तथा एक अर्हता प्राप्त लागत लेखाकार हैं। आपको हाइड्रो पावर सेक्टर एकाउंटिंग में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। इस समय आप 28 दिसम्बर, 2007 से एनएचपीसी लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर आसीन हैं। आपको लेखों को अंतिम रूप देने, टैरिफ का निर्धारण करने का पर्याप्त अनुभव है। आप इस समय महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा), एनएचडीसी भोपाल, जो एनएचपीसी की एक सहायक कंपनी हैं, के पद पर आसीन हैं और एनएचडीसी लिमिटेड में आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों के प्रभारी भी हैं।

श्री के.के. जोशी (डीआईएन सं० : 03023696), आयु 58 वर्ष, हमारे निदेशक हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आपको हाइड्रो सेक्टर में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आप निर्माण उपस्कर योजना प्रभाग के महाप्रबंधक के पद पर आसीन हैं। इससे पहले आप मई, 2006 से दिसम्बर, 2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड के चमेरा परियोजना चरण-III के महाप्रबंधक रहे हैं। आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं की चुनौतियों से निपटने में माहिर हैं और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए परियोजना विकास से हाइड्रो सेक्टर में विभिन्न क्षमताओं में विशेष अनुभव रखते हैं।

(ii) गैर कार्यपालक निदेशकों का मुआवजा तथा प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी निदेशक को कंपनी की बैठक में भाग लेने के लिए कोई सिटिंग-फीस नहीं दी गई।

(iii) बोर्ड की बैठकें, समिति की बैठकें तथा प्रक्रिया विधि :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गईं जो कि पूर्व निर्धारित थी। कंपनी ने 3 माह में एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित की और दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 3 माह से अधिक नहीं था। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं तथापि, सभी प्रमुख निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। विभिन्न घटनाक्रम के संबंध में विस्तृत सूचना/ प्रगति का ब्यौरा बोर्ड को दिया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	7 दिसम्बर, 2009	5	5
2	3 मार्च, 2010	5	5

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशक मंडल की उपस्थिति निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	वर्ष 2009-10 के दौरान बैठकों में उपस्थिति	
	बोर्ड की बैठक	पिछली वार्षिक आम बैठक
श्री एस. के. गर्ग (एनई)	2	लागू नहीं
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (एनई)$	2	लागू नहीं
श्री जे. के. शर्मा (एनई) $	2	लागू नहीं
श्री विजय कुमार (एनई)*	शून्य	लागू नहीं
श्री के. के. जोशी (एनई)**	शून्य	लागू नहीं
श्री लियांगसी पॉल गोनमई (एनई)	2	लागू नहीं
श्रीमती कल्याणी मिश्रा (एनई)	2	लागू नहीं

$ श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी लिमिटेड और श्री जे. के. शर्मा, निदेशक (परियोजना), एनएचपीसी लिमिटेड के नामांकन 23 मार्च, 2010 से एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा हटा लिया गया था, उनके संबंध में नामांकन

* श्री विजय कुमार ने 26 मार्च, 2010 को कंपनी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

** श्री के. के. जोशी ने 29 मार्च, 2010 को कंपनी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

एनई, "गैर कार्य पालक निदेशक" के लिए दर्शाया गया है ।

लोकतक डाऊन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है और इसे 23 अक्तूबर, 2009 को निगम में शामिल किया गया था। निगमित अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों को हाल ही में अनिवार्य किया गया अत: सभी विद्यमान कानूनों की अनुपालना रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नहीं रखी जा सकी ।

(iv) आचार संहिता:

कंपनी कारोबार के उच्चतम मानक के अनुसरण में कार्य करने को प्रतिबद्ध है और सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है। चूंकि निगमित अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों को हाल ही में अनिवार्य किया गया है अत: कारोबार आचार संहिता तथा निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संबंधी नियम नहीं बनाए गए हैं ।

(v) जोखिम प्रबंधन:

निदेशक मंडल ने निगमित तथा संचालन उद्देश्यों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली का समन्वय एवं एकीकरण सुनिश्चित किया है तथा जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार पद्धति के एक भाग के रूप में शुरू किया जाता है, न कि निश्चित समय पर एक कार्य के रूप में ।

3. लेखा परीक्षा समिति:

समिति के निदेशक मंडल ने मार्च, 2010 में एक लेखा परीक्षा समिति गठित की है। लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान गठन में निम्नलिखित गैर कार्यपालक निदेशक शामिल हैं :

i) श्री विजय कुमार गैर-कार्यपालक निदेशक तथा समिति के अध्यक्ष

ii) श्री लियांगसी पॉल गोनमई गैर-कार्यपालक निदेशक

iii) श्रीमती कल्याणी मिश्रा गैर कार्यपालक निदेशक

कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अत: समिति के अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई । कंपनी के सचिव को समिति के सचिव के रूप में नामित किया गया है ।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

क) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनदेखी तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण उचित, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।

ख) सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पुन: नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो उसे बदलने अथवा हटाने और लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना ।

ग) बोर्ड का अनुमोदन लेने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना जिनमें से निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा:

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2 कक) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट एवं निदेशक के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले ।
- लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन और इसके कारण ।
- प्रबंधन द्वारा निर्णय को लागू करने के आधार पर मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां ।
- लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन किए गए।
- प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हता ।
- लेखाकरण मानकों का अनुपालन ।
- किसी भी संबंधित पार्टी के व्यवहार का प्रकटीकरण ।

घ) प्रबंधन के साथ सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा करना ।

ङ) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभागाध्यक्ष की वरिष्ठता, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, संरचना, कवरेज तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की बारम्बारता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की समीक्षा करना ।

च) आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में चर्चा करना ।

छ) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा के दौरान अगर किसी भी मामले में संभावित धोखाधड़ी या अनियमितता पाई जाए तो ऐसे मामलों को बोर्ड के ध्यान में लाना ।

ज) लेखा परीक्षा की प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र और संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए पश्च लेखा परीक्षा चर्चा के बारे में लेखा परीक्षा शुरू होने से पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।

झ) बोर्ड के परामर्श पर कोई भी अन्य मामला।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 (क) के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के अधिकार

4. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

5. पारिश्रमिक समिति

कंपनी द्वारा अभी तक कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई है ।

6. शासी निकाय की बैठकें :

कंपनी ने आज तक कोई भी वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की है तथापि, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एनएचपीसी लिमिटेड, सम्पर्क कार्यालय, मार्फत मुख्य अभियंता (विद्युत), मणिपुर विद्युत विभाग, इम्फाल, प. इम्फाल, मणिपुर से लोकतक पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट आफिस-लोकतक, कोमकेराप, मणिपुर में शिफ्ट करने के बारे में चर्चा करने हेतु दिनांक 17 मई, 2010 को कंपनी के शेयरहोल्डरों की एक असाधारण बैठक आयोजित की गई ।

6.1 गत तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा :

क्र. सं.	बैठक का विवरण	पारित विशेष संकल्प
1.	17 मई, 2010 को आयोजित असाधारण बैठक	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मत पत्रों के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 की वार्षिक आम बैठक जुलाई-अगस्त, 2010 में आयोजित किए जाने की प्रत्याशा है।

7. प्रकटीकरण:

(i) **संगत पार्टी का संव्यवहार :** प्रवर्तकों अथवा निदेशकों एवं प्रबंधन आदि के साथ वस्तु स्वरूप ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जिसका कुल मिलाकर कंपनी के हित में कोई संभावित विवाद हो।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किन्हीं दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई शासित अथवा दंड नहीं लगाया गया।

(iii) **व्हिसिल ब्लोअर नीति :** कंपनी ने कोई व्हिसिल ब्लोअर नीति नहीं अपनाई है। तथापि, किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति में जाने से मना नहीं किया गया है।

(iv) गैर सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए सीपीएसई हेतु निगमित अभिशासन समिति दिशानिर्देशों को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अत: कंपनी इन दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का पालन कर रही है।

(v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए ।

(vi) लेखा बही में व्यय की किसी भी मद जो करोबार के प्रयोजनार्थ न हो, को लेखा बही में डेबिट नहीं किया गया।

(vii) बोर्ड के निदेशकों तथा उच्च प्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

(viii) वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय का प्रतिशत:

क्र.सं.	विवरण	कुल व्यय की प्रतिशतता	अभियुक्तियां
1	प्रशासनिक व्यय	115483/10412531=1.11%	
2.	कार्यालय व्यय	शून्य	

(ix) **लेखाकरण मानक:**
कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों का पालन किया है ।

(x) **समेकित वित्तीय विवरण**
कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

(xi) **सैगमेंट-वार लाभ और हानि विवरण**
कंपनी उत्पाद अथवा सेवाएं प्रदान नहीं करती है और विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन नहीं करती है इसलिए लेखाकरण मानक-17, सैगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार सैगमेंट-वार लाभ और हानि को प्रकाशित करना लागू नहीं होता ।

(xii) **बोर्ड का प्रकटीकरण जोखिम प्रबंधन**
कंपनी को अभी अपनी जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करनी है।

(xiii) **निदेशकों का पारिश्रमिक**
निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया जाता।

8. संचार के साधन
इस बारे में सूचना शून्य है।

9. लेखा परीक्षा अर्हता
कंपनी के लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणियां, अभियुक्तियां अथवा शर्ते नहीं हैं।

10. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण
लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत का कारोबार कर रहा है। कंपनी के बोर्ड में एनएचपीसी लिमिटेड के नामिती, मुख्य सचिव (विद्युत) मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय के नामिती शामिल हैं। इसलिए वे कंपनी के कारोबार मॉडल, व्यापार के जोखिम प्रोफाइल से अच्छी तरह परिचित हैं।

11. अनुपालन प्रमाण पत्र:
पूर्णकालिक पद्धति में मैसर्स गरिमा दुग्गल एसोसिएट्स कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों 2010 के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते
(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष
डीआईएन : 00055651

दिनांक : 10-08-2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-II

प्रबंधन वार्ता एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I औद्योगिक संरचना एवं विकास

लोकतक डाऊनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना 66 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना विद्युत उत्पादन करेगी जिससे मणिपुर राज्य का चहुंमुखी विकास होगा।

II क्षमता एवं कमजोरी

यह परियोजना मणिपुर के स्थानीय दूरस्थ क्षेत्र खासकर तामेंगलौंग जिले का विकास करेगी। इस परियोजना के निष्पादन में कानून और व्यवस्था की एक मात्र कमजोरी है।

III अवसर एवं खतरे

स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के पर्याप्त अवसर हैं जिसके कारण उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। इस परियोजना के निर्माण में मणिपुर राज्य में विद्रोह का खतरा है।

IV खंडवार अथवा उत्पाद-वार निष्पादन

परियोजना हेतु पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति लेने के लिए प्रबंधन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा परियोजना के स्थल की रूपरेखीय सर्वेक्षण की जाती है।

V रूपरेखा

परियोजना के कार्य को शीघ्र शुरू किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

VI जोखिम एवं चिंता

मणिपुर राज्य में विद्यमान विद्रोह के चलते परियोजना के समापन में विलंब का जोखिम बना हुआ है बशर्ते कि मणिपुर सरकार द्वारा उचित सुरक्षा प्रदान न किया जाए।

VII आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयुक्तता

एनएचपीसी में विद्यमान आंतरिक कंट्रोल सिस्टम का अनुसरण किया जा रहा है।

VIII प्रचालन निष्पादन के तहत वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय निष्पादन तथा प्रचालन निष्पादन पर चर्चा निदेशकों की रिपोर्ट में की गई है।

IX मानव संसाधन का विकास

मानव संसाधन के विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

X पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा विकास, विदेशी विनियमन संरक्षण परियोजना की शुरूआत से ही आवश्यक कार्रवाई तथा सावधानियां नियमानुसार बरती जाएगी।

XI कारपोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

परियोजना की शुरूआत से क्षेत्र का विकास नियम के तहत करना कारपोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व होगा ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष
डीआईएन : 00055651

दिनांक : 10-08-2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक - III

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यो हेतु लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 के अनुसार संलग्न तुलन - पत्र और उससे संबधित 23 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि लेखा और उसके साथ संलग्न 23 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के लिए निर्माण के दौरान व्यय लेखा की लेखा परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है ।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में आमतौर पर मान्य लेखा - परीक्षण मानदंडो के अनुसार की है । इन मानदंडो में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करनेवाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल हैं । लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिध्दांतो और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तो के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 (संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमनें उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

2. उपरोक्त वर्णित अनुबंध के पैरा-(I) में की गई टिप्पणियों के अलावा हम रिपोर्ट करते है कि :

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्‍वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   ग) इस रिपोर्ट से संबध्द तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और निर्माण के दौरान व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।

   घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबध्द तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और निर्माण के दौरान व्यय लेखा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरुप है।

   ङ) कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या 08.05.2001 सी. एल. वी. (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते है।

   च) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी टिप्पणियों (अनुसूची-24) तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची-23) के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं –

      i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010 को कंपनी की स्थिति तथा

      ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में 23 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए कंपनी की निवल हानि

      iii) निर्माण के दौरान व्यय लेखा के मामले में 23 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए कंपनी के निवल व्यय का।

कृते शरद जैन एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 083837

स्थान : लोकतक
दिनांक : 17 मई, 2010.

शाखा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

1. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए है जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

   (ख) हमें सूचित किया गया है कि इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अत: हम भौतिक सत्यापन की आवृत्ति के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

   (ग) चूंकि इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना इससे प्रभावित नहीं हुआ है।

2. (क) इस अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडार, कलपुर्जो, इस्पात, सीमेंट से संबंधित माल-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अत: हम भौतिक सत्यापन की आवृत्ति के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

   (ख) चूंकि माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तत्संबंधी सत्यापन की उपयुक्तता और तर्कसंगतता के बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

   (ग) हमारी राय में कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है किन्तु, किसी भौतिक जांच की रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण विसंगतियों, यदि कोई हों, के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती।

3. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियो, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत नही दिए है या नही लिए है।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है । परियोजना निर्माणाधीन होने के कारण इस अवधि में वस्तु एवं सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई।

5. लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने कपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबध्द कंपनियो, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई ऋण प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत मंजूर नहीं किए है।

6. हमारी राय में और हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों एवं कंपनी (जमा स्वीकरण) नियम 1975 में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

7. हमारे मतानुसार हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

8. कंपनी निर्माणावस्था में है इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित लागत रिकार्डो के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

9. (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में भविष्य निधि अंशदानों की जानकारी नियमित रूप से इसकी धारक कंपनी, एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय को भेजी जा रही है ताकि उसे एनएचपीसी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराया जा सके और हमें दी गयी जानकारी के अनुसार ये अंशदान जमा कराने की वास्तविक तारीख देय होने की तारीखों के भीतर रही है तथा जहां तक पीएफ और ईडीएलआई पर प्रशासनिक प्रभार का प्रश्न है, वे देय होने पर निर्धारित तारीख से पहले उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराए गए है और जैसा की हमें जानकारी दी गई है परियोजना स्तर पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।

   (ख) आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सम्पदाकर सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई राशि देय नहीं है और तत्संबंधी कोई विवाद बकाया नहीं है, अत: किसी विवाद के लंबित होने के बारे में प्रमात्रा (क्वांटम) और फोरम के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

10. आदेश का खंड 4(X) कंपनी पर लागू नहीं होता।

11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तिय संस्थान या बैंक से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। अत: आदेश का खंड 4(XI) कंपनी पर लागू नहीं होता।

12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

13. कंपनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(XIII) कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खंड 4 (XIV) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा बैकों/वित्तिय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नही दी है।

16. लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।

17. कंपनी ने अल्पावधि आधार पर किसी धन की उगाही नहीं की है।

18. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अंशदाताओं के नाते केवल अपने प्रमोटर्स (प्रवर्तकों) को शेयर आवंटन किए।

19. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋण पत्र जारी नही किया है।

20. कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू से धन उगाही नहीं की है।

21. हमारे पूर्ण विवेक और विश्वास तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धडी प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते शरद जैन एसोसिएटस
सनदी लेखाकार

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 083837

स्थान : लोकतक
दिनांक : 17 मई, 2010.

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, इम्फाल के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, इम्फाल के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्दिष्ट वित्तीय प्रलेखन संरचना के अनुरूप तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को व्यावसायिक संकाय, चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया संस्थान द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों एवं लेखा परीक्षा के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी दिनांक 17 मई, 2010 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा यह उत्तरदायित्व निभाए जाने की सूचना दी है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, इम्फाल के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लेता हूं।

के लिए तथा उनकी ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ता./-

(एम. के. विश्वास)
व्यावसायिक लेखा परीक्षकों के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जून, 2010

280 मेगावाट धौलीगंगा पावर स्टेशन (उत्तराखंड) - बांध

लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक लेखे

2000 मेगावाट सुबानसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश/असम) - निर्माणाधीन पावर हाऊस

31 मार्च, 2010 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ		31 मार्च 2010
निधियों के स्रोत			
क. शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	1	600,000,000	
शेयर पूंजी जमा	1क		
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			
आरक्षित तथा अधिशेष	2	-	
			600,000,000
ख. ऋण निधियां			
i) प्रतिभूत ऋण	3		-
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		-
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि			-
घ. विलंबित कर देयता			
विलंबित कर देयताएं निवल		-	-
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर		-	-
कुल			**600,000,000**
निधियों का उपयोग			
क. स्थिर पूंजी व्यय			
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5		
क) सकल ब्लाक		28,918,580	
घटाएं - मूल्यह्रास		18,934,536	
ख) निवल ब्लाक			9,984,044
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		322008235
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		3,802,921
ख. निवेश	8		-
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9		
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-	
ii) मालसूची		-	
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		-	
iv) विविध देनदार		-	
v) नकदी तथा बैंक शेष		600,486,366	
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		4,731,466	
vii) ऋण तथा अग्रिम		5,706,503	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10		
i) देयताएं		353,317,824	
ii) प्रावधान		5,029,061	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां			252,577,450
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11		11,627,350
कुल			**600,000,000**
लेखांकन नीतियां	23		
लेखे पर टिप्पणी	24		

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की
संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शरद जैन एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

शरद जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या : 083837

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल

(विजय कुमार)
निदेशक
एलडीएचसीएल

(डी.के. रे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.05.2010

23 अक्तूबर से 31 मार्च, 2010 तक के अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ		31 मार्च 2010
आय			
i) बिक्री	**12**		-
घटाएं - शुल्क समायोजन			-
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**12क**		-
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय	**13**		-
iii) अन्य आय	**14**		-
कुल आय			**-**
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	**15**		11627350
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	**16**		-
iii) मूल्यह्रास	**17**		-
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	**18**		-
v) प्रावधान	**19**		-
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	**20**		-
vii) लाभभोक्ता राज्यों को प्रोत्साहन			-
कुल व्यय			**11627350**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन			**(11627350)**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	**21**		-
कर पूर्व लाभ			**(11627350)**
कराधान हेतु प्रावधान			
i) वर्तमान कर			-
ii) छुट-पुट लाभ कर			-
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			-
iv) विलंबित कर			-
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर समायोजन		-	
कर पश्चात लाभ			**(11627350)**
पिछले वर्ष के खाते से अग्रेनीत शेष		-	
बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि			
पूंजी आरक्षित से पश्च लिखित राशि			
अन्य आरक्षी से पश्च लिखित राशि			
स्व. बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि		-	
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष			**(11627350)**
i) पूंजी आरक्षित को अंतरित			-
ii) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित			-
iii) सामान्य आरक्षी को अंतरित			-
iv) स्व बीमा आरक्षी को अंतरित			-
v) लाभांश :			-
- अंतरिम			
- प्रस्तावित			
vi) लाभांश पर कर			
- अंतरिम			
- प्रस्तावित			-
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष			**(11627350)**
लेखांकन नीतियां	**23**		
लेखे पर टिप्पणी	**24**		

अनुसूची **1** से **24** तक लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की
संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शरद जैन एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

शरद जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या : 083837

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल

(विजय कुमार)
निदेशक
एलडीएचसीएल

(डी.के. रे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.05.2010

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

विवरण		31.03.2010 को अंतिम शेष
प्राधिकृत :-		
प्राधिकृत : 10/- रुपए प्रत्येक के 230000000 इक्विटी शेयर		2300000000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त :-		
I) 10/- रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,44,00,000 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा धारित किए गए हैं (5 नामितों के ज़रिए 5 नम्बर इक्विटी शेयर सहित)	444000000	
II) 10/- रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,56,00,000 शेयर मणिपुर सरकार द्वारा धारित किए गए हैं (1 नामित के ज़रिए 1 नम्बर इक्विटी शेयर सहित)	156000000	600000000
कुल		600000000

अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण		31.03.2010 को अंतिम शेष
पूंजीगत आरक्षित		-
बांड मोचन आरक्षित		-
सामान्य आरक्षित	-	
लाभ एवं हानि खाते पर		-
स्व-बीमा आरक्षित	-	
कुल		-

अनुसूची 3 - ऋण निधियां प्रतिभूत

विवरण		31.03.2010 को अंतिम शेष
क. बॉण्ड		
i) बांड/डिबेंचर प्रतिभूत		-
ii) ब्याज प्रोद्भूत और देय-प्रतिभूत बांड और डिबेंचर		-
ख. सावधि ऋण		
i) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत		-
ii) सावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत		-
iii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा-प्रतिभूत		-
iv) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-विदेशी मुद्रा-प्रतिभूत		-
v) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत		-
vi) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत		-
vii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-विदेशी मुद्रा-प्रतिभूत		-
viii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-विदेशी मुद्रा-प्रतिभूत		-
ix) कार्यशील पूंजी मांग ऋण-प्रतिभूत		-
x) नक़द ऋण-प्रतिभूत		-
xi) अनुषंगी से ऋण-प्रतिभूत		-
xii) अनुषंगी से ऋण पर प्रतिभूत और देय ब्याज-प्रतिभूत		-
xiii) सरकारों से ऋण-प्रतिभूत		-
xiv) सरकारों से ऋण पर प्रतिभूत और देय ब्याज-प्रतिभूत	-	
xv) अन्य एजेंसियों से ऋण-प्रतिभूत	-	
xvi) अन्य एजेंसियों से ऋण पर प्रतिभूत और देय ब्याज-प्रतिभूत	-	
कुल		NIL

अनुसूची 4 - ऋण निधियां अप्रतिभूत

(राशि रुपये में)

विवरण			31.03.2010 को अंतिम शेष
क.	**सावधि ऋण**		
	i)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-अप्रतिभूत	-
	ii)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-अप्रतिभूत	-
	iii)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत	
		क) भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	-
		ख) अन्य	-
	iv)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत	-
ख.	**भारत सरकार से ऋण**		
	i)	सरकारों से ऋण-अप्रतिभूत	-
	ii)	सरकारों से ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-अप्रतिभूत	-
ग.	**बांड/डिबेंचर**		
	i)	बांड/डिबेंचर-अप्रतिभूत	-
	ii)	बांड/डिबेंचर पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-अप्रतिभूत	-
घ.	**अल्पावधि ऋण**		
	i)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-अप्रतिभूत	-
	ii)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-अप्रतिभूत	-
	iii)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत	-
	iv)	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-विदेशी मुद्रा-अप्रतिभूत	-
ङ	**अन्य ऋण**		
	i)	मियादी जमाराशि-अप्रतिभूत	-
	ii)	मियादी जमाराशि पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-अप्रतिभूत	-
	iii)	अनुषंगी से ऋण-अप्रतिभूत	-
	iv)	अनुषंगी से ऋण पर प्रतिभूत और देय ब्याज-अप्रतिभूत	-
	v)	अन्य एजेंसियों से ऋण-अप्रतिभूत	-
	vi)	अन्य एजेंसियों से ऋण पर प्रतिभूत और देय ब्याज-प्रतिभूत	-
		कुल	**-**

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				विशुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2009 के अनुसार	संवर्धन/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण (एनएचपीसी लिमिटेड से हस्तांतरित)	संवर्धन/ समायोजन अन्य के कारण	कटौती/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण	कटौती/ समायोजन अन्य के कारण	31.03.2010 के अनुसार	01.04.2010 के अनुसार	अवधि के लिए	समायोजन प्रत्यावर्तन, हस्तांतरण बाहर, (हस्तांतरण अंदर) (एनएचपीसी लिमिटेड से हस्तांतरित)	31.03.2010 के अनुसार (5+6+7)	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
	1	2A	2B	3A	3B	4	5	6	7	8	9	10
भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
भूमि-लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि-उपयोग का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	5336923	-	-	-	5336923	-	534500	1369508	1904008	3432915	-
सड़के और पुल	-	4589217	174524	-	-	4763741	-	73020	302898	375918	4387823	-
रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग, आदि)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-	94554	-	-	-	94554	-	2188	57010	59198	35356	-
निर्माण उपकरण	-	7472225	-	-	-	7472225	-	7122	6756061	6763183	709042	-
जलापूर्ति प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युतीय संस्थापनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	-	5630248	-	-	-	5630248	-	-	5067223	5067223	563025	-
विमान/नौकाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	879154	16000	-	-	895154	-	10719	789808	800527	94627	-
कम्प्यूटर	-	1198916	-	-	-	1198916	-	862	1080709	1081571	117345	-
संचार उपकरण	-	108455	-	-	-	108455	-	1708	85892	87600	20855	-
कार्यालय उपकरण	-	689432	-	-	-	689432	-	30902	447392	478294	211138	-
अनुसंधान और विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अगोचर आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियां	-	1240102	-	-	-	1240102	-	34077	794847	828924	411178	-
उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं। **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <= 5000 रुपये	-	1468035	20795	-	-	1488830	-	20790	1467300	1488090	740	-
अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**28707261**	**211319**	**-**	**-**	**28918580**	**-**	**715888**	**18218648**	**18934536**	**9984044**	**-**

अनुसूची 6 - चालू पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	प्रारंभिक शेष	संवर्धन	समायोजन (एनएचपीसी लिमिटेड से हस्तांतरित)	पंजीकृत	अंतिम शेष
i)	भवन	-	-	-	-	-
ii)	सड़कें और पुल	-	-	1948004	-	1948004
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल)	-	-	-	-	-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-	-	-	-
xi)	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एलडीएचसीएल के स्वामित्व में नहीं हैं। *	-	-	-	-	-
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार		158524	25138599	-	25297123
xv)	पूरक वृक्षारोपण पर व्यय			-		-
xvi)	निर्माण के दौरान व्यय ** (इस अनुसूची से संबद्ध परिशिष्ट देखें).		5262679	289500429		294763108
	कुल	**-**	**5421203**	**316587032**	**-**	**322008235**
	घटाएं : प्रावधान	-	-	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

-* नोट 1 : इस शीर्ष के अंतर्गत पूंजी व्यय पूरी तरह लेखांकन नीति संख्या 2.3 के अनुसार दर्ज किया जायेगा।

** नोट 2 : समायोजन के अंतर्गत पूर्व अवधि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान के रूप में रु. 15,54,239 और 22.10.2009 तक की अवधि के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट और क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधन व्यय के लिए रु. 1,50,110 शामिल है।

अनुसूची 6 - का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण			31 मार्च 2010
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ**		
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	175747008	
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	32174830	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	27624860	
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	4869	
	उप जोड़		235551567
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
i)	भवन	2423361	
ii)	मशीनरी	51451	
iii)	अन्य	10814854	
	उप जोड़		13289666

ग.	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
i)	किराया	3076501	
ii)	दरें और कर	53396	
iii)	बीमा	1745348	
iv)	सुरक्षा व्यय	-	
v)	विद्युत प्रभार	56464	
vi)	यात्रा एवं वाहन	6179992	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	3213099	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	1585523	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	1357161	
x)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	23045	
xi)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (प्रयुक्त)	1252352	
xii)	लेखापरीक्षकों को परिश्रमिक	44739	
xiii)	डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार:		
	- स्वदेशी	103056	
	- विदेशी	-	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जलं-ग्रहण क्षेत्र-सुधार/ पर्यावरण पर खर्च	-	
xv)	निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय	183233	
xvi)	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	
xvii)	बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	13562	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	
xix)	अन्य सामान्य व्यय	2926221	
	उप जोड़		21813692
घ.	**ब्याज तथा वित्त प्रभार**		
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :		
	क) भारत सरकार का ऋण	-	
	ख) बॉण्ड	-	
	ग) विदेशी ऋण	-	
	घ) सावधि ऋण	-	
	ङ) नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	
ii)	ब्याज लागत को समायोजन माने गए विनिमय अंतर	-	
iii)	हेजिंग कारोबार पर हानि	-	
iv)	बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	-	
v)	प्रतिबद्धता शुल्क	-	
vi)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	
vii)	अन्य वित्त प्रभार	147764	
	उप जोड़		147764
ङ	**विनिमय दर अंतर (निवल)**		
i)	विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-	
ii)	घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-	
	उप जोड़		-
च.	**प्रावधान**	1531747	
	उप जोड़		1531747
छ.	**मूल्यह्रास**		
	उप जोड़	19373726	
ज.	**पूर्वावधि व्यय (निवल)**		19373726
i)	पूर्वावधि व्यय	65299	
ii)	घटाएं : पूर्वावधि आय		-
	उप जोड़		65299

झ.	**घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली**		
i)	विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		-
ii)	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	(7855294)	
iii)	विविध प्राप्तियां	(647584)	
iv)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(61513)	
v)	पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताएं/प्रावधान	(1598827)	
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/ आउट टर्न		
	उप जोड़		(10163218)
ञ.	**कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**	13152865	13152865
	चालू पूंजी कार्य को अंतरित राशि (क + ख + ग + घ + ङ + च + छ + ज + झ + ञ)		**294763108**

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण			**31 मार्च 2010**
क.	**निर्माण भंडार (लागत पर मूल्यांकित तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार)**		
i)	भंडार तथा कलपुर्जे	274921	
ii)	खुले औजार	-	
iii)	रद्दी मालसूची	-	
iv)	परिवहन/निरीक्षण लंबित होनेवाले भंडार	-	
v)	संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	-	
	घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान *1	-	274921
ख.	**पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम**		
i)	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	
ii)	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)		
	– बैंक गारंटी के प्रति	-	
	– अन्य	3528000	
iii)	अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	1531747	
	घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान *2	1531747	
	उप जोड़		3528000
	कुल		**3802921**
	*** प्रावधानों का ब्यौरा**		
1	**निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19 (iv)	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	
	राशि 14 (ई)	-	
	अंतिम शेष	-	-
2	**संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान**		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1531747	
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	अनुसूची 19(ii)	-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	राशि 14 (ई)	-	
	अंतिम शेष		**1531747**

अनुसूची 8 - निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य
	वर्तमान वर्ष / (गत वर्ष)	(रुपए में)
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)		
क. उद्धृत		
इक्विटी शेयर $		
पीटीसी इंडिया लि.	-	-
इंडियन ओवरसीज बैंक (गैर-व्यापार)	-	-
उप-जोड़ (क)	**-**	**-**
ख. अनुद्धृत		
(क) अनुषंगी कम्पनियों में इक्विटी शेयर		
नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डिवेलॅपमेंट कारपोरेशन	-	-
(ख) बांड $		
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड	-	-
उप-जोड़ (ख)	**-**	**-**
जोड़ (क + ख)	**-**	**-**
$ डीमैट रूप में		
उद्धृत निवेश		
(i) संचयी लागत	-	-
(ii) संचयी बाजार मूल्य		
- एनएसई उद्धृत	-	-
- बीएसई उद्धृत	-	-
अनुद्धृत निवेश		
संचित लागत	-	

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2010
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	-	
ख. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)		
i) भंडार तथा कलपुर्जे	-	
ii) खुले औजार	-	
iii) कबाड़ माल सूची	-	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	-	
v) निर्माण स्थल पर सामान	-	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	-	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *	-	
कुल		**-**
ग. चालू कार्य		
चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	
परामर्शी कार्य (डब्ल्यूआईपी)	-	
		-

घ. विविध देनदार (असंरक्षित)		
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण		
- अच्छे माने गए	-	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	-	
ii) अन्य ऋण	-	
- अच्छे माने गए	-	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	-	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *	-	
कुल		**-**
ङ. नकद एवं बैंक शेष		
i) हाथ में नकदी, पेशगी, हस्तगत चेक और ड्राफ्ट-शामिल (शून्य रुपए के चैक, ड्राफ्ट और हस्तगत मोहरों सहित)	40471	
ii) बैंक शेष		
• अधिसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में	465895	
- जमा खाते में #	599980000	
• अन्य बैंकों के साथ (प्रत्येक बैंक के साथ अलग-अलग)		
- चालू खाते में	-	
बैंक ऑफ भूटान, फुएन्तशोलिंग ड्यूशे बैंक, टोकियो शाखा		
- जमा खाते में	-	
		600486366
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
i) प्रोदभूत ब्याज		
- बकाया निबटारें के लिए राज्य सरकारों को ऋण	-	
- जमा	4731342	
ii) अन्य	-	
iii) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त दावे	124	
घटाएं - प्रावधान*	-	
iv) स्व-बीमा आरक्षित से प्रतिपूर्ति योग्य दावे	-	
		4731466
छ. ऋण तथा अग्रिम		
क) ऋण		
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)		
- प्रतिभूत	-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	189150	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)		
ii) ग्राहकों के बकाया निबटारे के लिए राज्य सरकारों को ऋण		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	
बी) अग्रिम		
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)		
i) **अनुषंगी कम्पनी**		
- प्रतिभूत	-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-	
ii) संविदाकार तथा अपूर्तिकर्ता		
- प्रतिभूत	-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)		
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	-	
- अन्य	-	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-	
iii) कर्मचारी		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	5128870	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)		
iv) अन्य अग्रिम		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)		
घटाएं - संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	
v) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां	-	
vi) अन्य प्राप्य	-	
जमा		
अग्रिम आय कर और स्रोत पर काटा गया कर	388483	
कुल		**5706503**

क.	**गैर - अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे**		
	बैंक ऑफ भूटान		
	i) चालू खाता		-
	डॉश बैंक, टोकियो शाखा		
	ii) चालू खाता		-
ख.	**निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे**		
	i) अवधि के अंत में देय राशि		-
	ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए		-
ग.	**वर्ष के दौरान किसी समय पर धारक कम्पनी के साथ अधिकतम शेष राशि का ब्यौरा**		
	एनएचपीसी लिमिटेड		-349038209
	अप्रचालित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	अवधि के दौरान वर्धन	-	
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
	अंतिम शेष	-	
	संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	अवधि के दौरान वर्धन	-	
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	अवधि के दौरान सीओ को प्रत्यावर्तित/हस्तांतरित राशि		
	अंतिम शेष	-	
	संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान *		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	अवधि के दौरान वर्धन	-	
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
	अंतिम शेष	-	
	खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	अवधि के दौरान वर्धन	-	
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
	अंतिम शेष	-	
	अन्य वसूली योग्य हेतु प्रावधान *		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	अवधि के दौरान वर्धन	-	
	अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
	अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
	अंतिम शेष	-	

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2010
क. देयताएं		
i) **विविध देनदार**		
क) सूक्ष्म औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय	-	
ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-	
ग) अन्य	3655956	
ii) जमा / एजेंसी पर व्यय न की गई राशि	-	
iii) जमा / धारिता राशि	26567	
iv) जमा कार्यो के प्रति अग्रिम	-	
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	-	
v) ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं ब्याज	-	
vi) परियोजना की लागत/संविदाकारों के प्रति अग्रिम	-	
vii) सहायता अनुदान - जिनका उपयोग लंबित है।	-	
viii) धारक कम्पनी (एनएचपीसी लिमि.) की ओर बकाया	349038209	
ix) विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव से विलंबित देयताएं	-	
x) अन्य देयताएं	597092	
कुल देयताएं		**353317824**
ख. प्रावधान		
कराधान हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
अवधि के दौरान वर्धन	-	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष	-	
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
अवधि के दौरान वर्धन	-	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष	-	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
अवधि के दौरान वर्धन	-	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष	-	
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		
अवधि के दौरान वर्धन	2731604	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	1846084	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष		4577688
अनुदान/पीएलआई हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार (एनएचपीसीएल से स्थानांतरित)	206516	
अवधि के दौरान वर्धन	299373	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	26569	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	27947	
अंतिम शेष		451373
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
अवधि के दौरान वर्धन	-	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष	-	

उपदान हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
आरईएचएस हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
अवकाश यात्रा रियायत हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
अवकाश यात्रा रियायत पर एम.सी. हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
टीटीए (सेवा निवृत्ति बैगेच भत्ता) हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-
बिजली की स्व-खपत के लिए प्रावधान	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-
अवधि के दौरान वर्धन	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-
अंतिम शेष	-

प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान

पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
अवधि के दौरान वर्धन	-	
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	
अंतिम शेष	-	
		5029061
कुल (क + ख)		**358346885**

अनुसूची 11 - विविध व्यय (बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(राशि रुपये में)

विवरण		**31 मार्च 2010**
प्रारंभिक व्यय		11627350
घटाएं - लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित	11627350	0
अन्य विलंबित राजस्व व्यय		0
बट्टे खाते में डाले जानेवाले की स्वीकृति वाले परियोजना व्यय		0
शेयर जारी करने का व्यय		0
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतिक्षावाली हानियां		0
लाभ एवं हानि खाता		
i) अवधि के लिए हानि	11627350	
घटाएं - जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान		0
कुल		**11627350**

अनुसूची 12 - बिक्री

(राशि रुपये में)

विवरण	**31 मार्च 2010**
विद्युत की बिक्री	-
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - प्रारंभ किए जाने से पूर्व (अनुसूची 22(i) को स्थानांतरित)	
कुल	**-**

अनुसूची 12क - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण		**31 मार्च 2010**
अवधि के दौरान	-	
घटाएं - वर्ष के दौरान पश्च लिखित		-
कुल		**-**

अनुसूची 13 - संविदाओं और परामर्शी कार्यो से आय

(राशि रुपये में)

विवरण	**31 मार्च 2010**
संविदा आय -	
परामर्शी कार्यों से आय	
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**-**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
i) दीर्घावधि निवेश से आय	
क) व्यापार	
अनुषंगियों से लाभांश	-
लाभांश - अन्य	-
ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5 प्रतिशत करमुक्त बॉण्ड)	-
ख) गैर-व्यापार	
लाभांश - अन्य	-
ii) अन्य आय	
क) ब्याज	
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-
- इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर की गई 388483 रुपये की कर कटौती)	5119825
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज	-
- अन्य	-
ख) विलंब भुगतान अधिभार	-
ग) परियोजना की बिक्री पर लाभ	-
घ) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	27947
ङ) विनिमय दर अंतर	-
च) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)	-
छ) अन्य	2080
कुल	**5149852**
जोड़ें : कोरपोरेट कार्यालय/ईडी कार्यालय की हिस्सेदारी)	-
कुल	**5149852**
घटाएं : आईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 बी, 22 सी और 22ई (i)	5149852
घटाएं - संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय (देखें अनुसूची 20)	
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे	
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण	
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे	
घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	
च) आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	
छ) निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	
ज) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	
झ) अनुदान राशि के लिए प्रावधान	
ञ) लंबित जांच हानि हेतु प्रावधान	
ट) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	27947
ठ) अन्य प्रावधान/देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	
ड) कारपोरेट कार्यालय/ईडी क्षेत्र	-
कुल	**27947**

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2010
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		-
मरम्मत तथा अनुरक्षण :		
- भवन		235989
- मशीनरी		-
- अन्य		103687
किराया/भाड़ा खर्च		15000
दरें और कर		-
बीमा		24746
स्व : बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी		-
सुरक्षा व्यय		-
विद्युत प्रभार		-
यात्रा एवं वाहन		14432
स्टाफ कार पर व्यय		-
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		2287
विज्ञापन एवं प्रचार		-
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		-
दान (रुपये 50000)	-	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री (प्रयुक्त)		5954
पुस्तकें व पत्रिकाएं	-	
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी		-
परामर्शी प्रभार - विदेशी		-
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		-
निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय		-
बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		-
बट्टे खाते डाले गए स्थगित राजस्व व्यय		-
बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय		11627350
बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय		-
बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे		-
बट्टे खाते डाले गए भंडार		-
बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां		-
मध्यस्थता/अदालती मामलों पर ब्याज भुगतान		-
बट्टे खाते डाला गया निगम से असंबद्ध परिसंपत्तियों पर किया गया पूंजी व्यय		-
		-
अन्य सामान्य खर्च		8325
विनिमय दर अंतर		-
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव समायोजन (ऋण)		-
लेखा परीक्षा खर्च		44739
निदेशकों का खर्च		-
अनुसंधान व विकास व्यय		-
कुल		**12082509**
जोड़ें : कारपोरेट कार्यालय/ईडी कार्यालय का हिस्सा		
घटाएं : ईडीसी में अंतरित व्यय (अनुसूची 22 ख, 22 ग, और 22 ङ (i) देखें)		
कुल		455159
घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (देखें अनुसूची 20)		-
लाभ एवं हानि खाते में लिया गयी कुल राशि		**11627350**

अनुसूची 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
वेतन, मजदूरी, भत्ते	7149610
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	1520915
स्टाफ कल्याण व्यय	568502
अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-
कुल	**9239027**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए)	9239027
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**

अनुसूची 17 - मूल्यह्रास

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	715888
जोड़ें : कारपोरेट कार्यालय/ईडी कार्यालय का हिस्सा	-
कुल	**715888**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास (देखें अनुसूची - 22जी तथा 22जे (iv))	715888
घटाएं - संविदा एवं परामर्शी को अंतरित मूल्यह्रास (देखें अनुसूची -20)	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**

अनुसूची 18 - ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
निम्नलिखित पर ब्याज :	
क) भारत सरकार से ऋण	-
ख) बॉण्ड	-
ग) विदेशी ऋण	-
घ) सावधि ऋण	-
ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-
च) अन्य ब्याज प्रभार	-
छ) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-
हेजिंग लेन-देन पर हानि	-
बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-
बटटेखाते में डाले गए शेयर इश्यू व्यय	-
उपभोक्ताओं को छूट	-
प्रतिबद्धता शुल्क	-
ऋण पर गारंटी शुल्क	-
रॉयल्टी	-
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-
बैंक प्रभार	2457
अन्य वित्त प्रभार	-
कुल	**2457**
घटाएं - ईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत व्यय {देखें अनुसूची 22डी तथा 22जे (v)}	2457
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी व्यय को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**

अनुसूची 19 - प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-
प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-
प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	-
भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-
भंडार तथा कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान	-
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-
निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-
प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	-
सीएटी योजना/पर्यावरण व्यय हेतु प्रावधान	-
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	-
कुल	**-**
जोड़ें : कारपोरेट कार्यालय/ईडी कार्यालय का हिस्सा (देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे (vi)	
घटाएं - संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित प्रावधान (देखें अनुसूची - 20)	
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**

अनुसूची 20 - संविदा एवं परामर्शी कार्य व्यय

(राशि रुपये में)

	विवरण		31 मार्च 2010
i)	**प्रत्यक्ष व्यय**	-	-
ii)	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**		
	- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-	
	- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	-	
	- स्टाफ कल्याण व्यय	-	-
			-
iii)	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
	- भवन	-	
	- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	-	
	- अन्य	-	
			-
iv)	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
	- किराया/किराया प्रभार	-	
	- यात्रा एवं वाहन	-	
	- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	-	
	- बीमा	-	
	- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-	
	- विज्ञापन एवं प्रचार	-	
	- मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	
	- लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		-
	- अन्य व्यय	-	
	- दरें तथा कर	-	
	- सुरक्षा	-	
	- विद्युत	-	
	- आकस्मिकताएं	-	
	- परामर्शी प्रभार	-	
	- ईआरवी	-	
			-
v)	मूल्यह्रास	-	
vi)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		-
vii)	निर्माण संविदाओं पर हानि		-
viii)	प्रावधान	-	
ix)	कार्य प्रगति पर		-
	- निर्माण संविदा	-	
	- परामर्श संविदा	-	
			-

x)	**निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :**		
क)	अन्य आय	-	
ख)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	-	
ग)	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	-	
घ)	मूल्यह्रास	-	
ङ)	ब्याज और वित्त प्रभार	-	
च)	प्रावधान	-	
छ)	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-	
	कुल व्यय	**-**	
xi)	घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	-	
	वर्ष के दौरान कुल खर्च		
xii)	पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-	
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**-**

अनुसूची 21 - पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2010
आय	
विद्युत की बिक्री	-
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-
अन्य	-
व्यय	
वेतन तथा मजदूरी	-
मरम्मत तथा अनुरक्षण	-
ब्याज	-
अन्य	-
मूल्यह्रास	-
कुल	-
जोड़ें : कारपोरेट कार्यालय/ईडी कार्यालय का हिस्सा	-
कुल	-
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय	
{देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे vi))}	-
पूर्वावधि आय	-
घटाएं - पूर्वावधि आय	-
कुल	**-**
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी व्यय को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**-**

अनुसूची 22 - लेखापरीक्षाधीन अवधि हेतु निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण			31 मार्च 2010
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**		
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	7149610	
ii)	उपदान और भविष्य निधि को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	1520915	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	568502	
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	
	उप जोड़		**9239027**
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
i)	भवन	235989	
ii)	मशीनरी	-	
iii)	अन्य	103687	
	उप जोड़		**339676**

ग.	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
i)	किराया/किराया प्रभार	15000	
ii)	दरें तथा कर	-	
iii)	बीमा	24746	
iv)	सुरक्षा व्यय	-	
v)	विद्युत प्रभार	-	
vi)	यात्रा एवं वाहन	14432	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	-	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2287	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	-	
x)	मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	-	
xi)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	5954	
xii)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	44739	
xiii)	डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार		
	- देशीय	-	
	- विदेशी	-	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	
xv)	निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय	-	
xvi)	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	
xvii)	बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	
xix)	अन्य सामान्य व्यय	8325	
	उप जोड़		**115483**
घ.	**ब्याज तथा वित्त प्रभार**		
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :		
	क) भारत सरकार से ऋण	-	
	ख) बॉण्ड	-	
	ग) विदेशी ऋण	-	
	घ) सावधि ऋण	-	
	ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	
ii)	ब्याज लागत की समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-	
iii)	हेजिंग लेन-देन पर हानि	-	
iv)	बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-	
v)	प्रतिबद्धता शुल्क	-	
vi)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	
vii)	अन्य वित्त प्रभार	2457	
	उप जोड़		2457
ङ.	**विनिमय दर अंतर (निवल)**		
i)	विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-	
ii)	घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-	
	उप जोड़	**-**	
च.	**प्रावधान**	-	
	उप जोड़		**-**
छ.	**मूल्यह्रास**	715888	
	उप जोड़		**715888**
ज.	**पूर्वावधि व्यय (निवल)**		
i)	पूर्वावधि व्यय	-	
ii)	घटाएं - : पूर्वावधि आय	-	
	उप जोड़		**-**

झ.	**घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली**			
	i)	विद्युत उत्पादन से आय कमीशनिंग पूर्व	-	
	ii)	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-5119825	
	iii)	विविध प्राप्तियां	-2080	
	iv)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	
	v)	पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताएं/प्रावधान	-27947	
	vi)	संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-	
		उप जोड़		**-5149852**
ञ.	**जोड़ें-निगमित/ईडी कार्यालय प्रबंधन व्यय**			
i)	अन्य आय		0	
ii)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य आय		0	
iii)	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ		0	
iv)	मूल्यहृास		0	
v)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		0	
vi)	प्रावधान		0	
vii)	पूर्वावधि समायोजन (निवल)		0	
		उप जोड़		**-**
		कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज-झ+ञ)		**5262679**

लेखांकन नीतियां
लेखे पर टिप्पणी

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

अनुसूची 23 - महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां

1. लेखाकंन संबधी परंपराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्‌भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते है।

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तिया अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहाँ पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षो) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि संबंधी मुआवजे और अन्य खर्चो के लिए किए गए अस्थायी भुगतान भूमि की लागत के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोंगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुध्द वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुंर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुंर्जो की किमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें सम्बद्ध संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो, उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास सम्बद्ध संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लगाए जाते है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गई हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मुल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मद किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जो की लागत, शुध्द बही मूल्य या शुध्द वसूली में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को “भंडार एवं कलपुर्जे“ माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चो की पहचान की जाती है और परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को “निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)” पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पुंजीगत कार्य के रुप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना ïi निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2 मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पध्दती पर प्रभारित किया जाता है। किंतु, निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्युटरों तथा उनसे संबंधित उपकरणों का मूल्सह्रास क्रमश: 11.25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से किया जाता है, क्योंकि निगम द्वारा आंकी गई दरें सम्बद्ध परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होती हैं। किन्तु, अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में स्वयं अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शतप्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकीन 750/- रुपये से अधिक मुल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोडकर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000/- रुपये या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोडकर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को “अमूर्त परिसंपत्तियां” माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में उसका ऋण चुकता किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की दर, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृध्दि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते है। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोडकर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखें में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलो में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनो पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार के प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यामान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है । प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रुप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित "सेंवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान" वर्ष के अंत में बीमांकित मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर स्विकार्य सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) उर्जा की बिक्री का लेखांकन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है । ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडो और पध्दती के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों / विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्विकृती की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बध्द वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षो में टैरिफ के एक घटक के रूप में मुल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आने वाले वर्षो की बिक्री में शामिल की जाने वाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तो और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यो की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को बिजलीघरों के सकल ब्लाक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक लाभ और हानि विनियोग लेखे के जरिए वर्ष दर वर्ष आधार पर "स्व बीमा आरक्षित निधि" में अंतरित कर दिया जाता है ताकि विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।

12. विविध

12.1. परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहिं हुए पूंजीगत कार्यो संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्विकृती का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

12.2. बिजलीघरों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

12.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चो और अवधि-पूर्व खर्चो/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

12.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली की ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिससें ये ऋण लिए गए थे।

14. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखें को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची 24 - लेखे पर टिप्पणियां

(31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखों का अनुलग्नक एवं हिस्सा)

1. क) 31.03.2010 को आकस्मिक देयताएं :-

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है –	शून्य
विवादित आयकर मांग	शून्य
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	शून्य
विवादित आयकर मांग	शून्य
अन्य – उपकर	शून्य
कुल	शून्य

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं मे सेवा मामलो के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं हैं ।

घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति शून्य रूपए की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है ।

2. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कारपोरेशन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तो के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाऊनस्ट्रीम पनबिजली परियोजना 22 अक्टूबर, 2009 को इसकी सभी अचल परिसंपत्तियों, सीडब्ल्यूआईपी, निर्माण भंडार और अग्रिमों, चालू आस्तियों (रोकड एवं बैंक शेष सहित) और चालू देयताओं के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी) के रूप में परिवर्तित कर दी गयी, जिसका निगमीकरण 23 अक्टूंबर, 2009 को चालू महत्व आधार पर लोकतक डाऊनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के नाम एवं शैली के अंतर्गत किया गया। 22 अक्टूबर, 2009 के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाऊनस्ट्रीम पनबिजली परियोजना की आस्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को हस्तांतरित आस्तियों के सकल मूल्य के रूप में समाहित किया गया । मूल्यह्रास का सकल मूल्य भी, जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कपंनी को हस्तांतरित मूल्य ह्रास के सकल मूल्य रूप में दर्शाया गया है ।

3. पूजींगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि शुन्य रूपये है ।

4. क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के जरिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के तहत ये नियम एवं शर्तें 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं ।

भारत सरकार के संकल्प संख्या 23/2/2005 - आरएंडआर (वोल्यूम-3) दिनांक 6 जनवरी, 2006, 5.3 उप-पैरा (ग) के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें टैरिफ और लेखांकन दोनों के प्रयोजन के लिए लागू होंगी।

5. क) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम , संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध लेनदार और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा / अग्रिम धन के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है ।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा ।

6. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित है, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर चालू वित्त वर्ष की बहियों में 0.018 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है ।

7. (क) वर्ष के दैरान विदेशी मुद्रा उतार-चढाव का प्रभाव निम्नानुसार है।

(रुपये करोड़ में)

	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i) मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य
(ii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य
(iii) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य
(iv) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोडने पर समायोजित राशि	शून्य

(ख) वर्ष के दौरान "निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)" को अंतरण के द्वारा पूजींकृत ऋण लागत की राशि शून्य रुपये है ।

8. कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (ऑपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में कंपनी की कोई लीजिंग व्यवस्था नहीं है ।

9. निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी –

(करोड़ रुपये में)

	31.03.2010 को अंतिम शेष
क)* सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य : i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कल पुर्जे	शून्य
ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय : i) जानकारी ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	शून्य
ग)* प्रचालन इकाइयों मे इस्तेमाल किए गए कलपुर्जो और घटकों का मूल्य : i) आयातित ii) देशीय	शून्य
घ)** विदेशी मुद्रा में आय: i) ब्याज ii) अन्य	शून्य

* प्रोद्भवन आधार पर

** रोकड आधार पर

10. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं –

सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष राशि	शून्य
सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए वर्ष में प्रोद्भवन तथा चुकाया न गया ब्याज	शून्य
तिमाही के दौरान वितरण/सेवाएं प्रदान करने की तारीख से सहमत समय अथवा 15 दिन से अधिक देरी से भुगतान की गई मूल राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
पिछले लेखा वर्ष से अग्रेनीत ब्याज की राशि, ऐसे ब्याज पर वर्ष के लिए ब्याज सहित	शून्य

11. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	राशि रुपये में
1.	लेखा परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	11,030
2.	यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में जेब से किए गए व्यय	33,709
	कुल	44,739

12. कंपनी का निगमीकरण 23 अक्टूबर, 2009 को किया गया और चूंकि यह कंपनी का पहला वर्ष है इसलिए पिछले वर्ष के आंकडों के प्रकटीकरण के प्रावधान लागू नहीं होते ।

(एस. के. गर्ग)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल

(विजय कुमार)
निदेशक
एलडीएचसीएल

(डी. के. रे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17/05/2010

समूह (एनएचपीसी लिमिटेड, उसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों) के समेकित वित्तीय विवरणों पर बोर्ड को लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रबंधन का उत्तर

1. हमने **एनएचपीसी लिमिटेड** (कपंनी), इसकी अनुषंगी कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के 31 मार्च, 2010 के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न समेकित लाभ एवं हानि लेखा, निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के समेकित विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रंबधन का उत्तरदायित्व हैं और प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरण और घटकों के संबंध में अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हमने कंपनी की निम्नांकित अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है और उनकी लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टे हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारे मतानुसार जहाँ तक अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल की गई राशियों का संबंध है, यह पूर्णत: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है। समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने की सीमा तक परिसंपत्तियों, राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के संबंध में अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी कम्पनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	7446.37	1005.93	324.54
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	94.67	-	60.05
संयुक्त उद्यम			
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	2.96	0.08	-0.16
नेशनल पावर ऐक्सचेंज लिमिटेड	5.19	0.20	-0.06

4. हम सूचित करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21, "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन मानक-27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय सूचना" की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

5. अपनी लेखापरीक्षा में हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और एनएचपीसी समूह के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टो पर विचार के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि हमारा यह मत है कि उक्त समेकित विवरण, टिप्पणियों एवं महत्त्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां के साथ पढ़े जाने पर, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :

   क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010, को समूह की स्थिति का,

   ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के लाभ का,

   ग) निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के समेकित विवरण के मामले में, सूचना देने वाली तिथि को समाप्त अवधि तक किए गए व्यय का, और

   घ) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह का।

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर न. 000257एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 83899

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.05.2010

520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश) - डाउनस्ट्रीम

31 मार्च, 2010 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र 2010

(करोड़ रुपये में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2010			31 मार्च, 2009		
निधियों के स्रोत							
क. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		12300.74			11182.49	
ii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		12806.49	25107.23		8585.26	19767.75
ख. अल्पसंख्यक हित				1589.53			1494.44
ग. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		13436.48			10723.45	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		2915.04	16351.52		4207.52	14930.97
घ. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1539.82			1424.52
ङ. विलंबित कर देयता (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			3161.00			2983.53	
घटाएं : प्राप्य विलंबित कर			2908.90	252.10		2983.53	-
कुल				**44840.20**			**37617.68**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लाक		28011.70			28146.92		
घटाएं - मूल्यह्रास		5710.08			4314.59		
ख) निवल ब्लाक			22301.62			23832.33	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		12839.04			9408.06	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1222.93	36363.59		1096.98	34337.37
ख. निवेश	8			3345.52			1790.35
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		182.65			81.01		
ii) मालसूची		48.34			41.52		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		26.84			19.55		
iv) विविध देनदार		1533.77			763.65		
v) नकदी तथा बैंक शेष		6189.53			2606.86		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		589.73			430.28		
vii) ऋण तथा अग्रिम		1294.94	9865.80		1713.65	5656.52	
घटाएं : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		2246.98			2256.00		
ii) प्रावधान		2487.73	4734.71		1912.93	4168.93	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				5131.09			1487.59
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			-			2.37
कुल				**44840.20**			**37617.68**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000257एन

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता स. 83899

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

31 मार्च, 2010 के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता

(करोड़ रुपये में)

	अनुसूची	31st मार्च, 2010			31st मार्च, 2009		
आय							
i) बिक्री	12		5229.56			3533.49	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12A		115.30	5114.26		105.72	3427.77
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय	13			113.06			48.93
iii) अन्य आय	14			647.30			595.34
कुल आय				**5874.62**			**4072.04**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			357.59			369.08
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			576.26			538.97
iii) मूल्यह्रास	17			1282.73			644.07
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			739.37			776.01
v) प्रावधान	19			80.98			190.98
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20			82.39			61.16
कुल व्यय				**3119.32**			**2580.27**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**2755.30**			**1491.77**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			1.13			5.52
कर पूर्व लाभ				**2754.17**			**1486.25**
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			452.83			161.85	
ii) छुट-पुट लाभ कर			-			10.19	
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			(105.38)			(16.88)	
iv) विलंबित कर		209.66			554.32		
घटाएं : प्राप्य विलंबित कर समायोजन		80.50	129.16	476.61	554.32	-	155.16
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)				**2277.56**			**1331.09**
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/(हानि) का अंश				102.00			146.20
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के बाद)				**2175.56**			**1184.89**
अग्रेणित शेष				2452.49			1748.54
जोड़ें :							
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि				14.25			14.25
ii) स्व. बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि				-			0.06
iii) लाभांश पर कर-पश्च लेख				3.98			8.57
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**4646.28**			**2956.31**
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				100.00			-
ii) स्व बीमा निधि को अंतरित				50.09			115.79
iii) लाभांश :							
- अंतरिम				-			125.00
- प्रस्तावित				676.54			200.00
iv) लाभांश पर कर:							
- अंतरिम				-			21.24
- प्रस्तावित				115.89			41.79
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष				**3703.76**			**2452.49**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)							
बुनियादी				**1.84**			**1.06**
तनूकृत				**1.84**			**1.06**
निर्माण के दौरान व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 तक लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 000257एन

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता स. 83899

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये में)

	01.04.09 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.10 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृत : 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00	-	-	15,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त : पूर्णत: प्रदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 12,300,742,773 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर) पूर्णत: प्रदत्त (उक्त में से 10/- प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अन्यथा विचार पर आवंटित किया गया है।	11,182.49	1,118.25	-	12,300.74
कुल	**11,182.49**	**1,118.25**	**-**	**12,300.74**

अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010				31 मार्च 2009			
	01.04.2009 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2010 के अनुसार अंतिम शेष	01.04.2008 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती	31.03.2009 के अनुसार अंतिम शेष
समेकन पर पूंजीगत आरक्षित	3.54	-	-	**3.54**	3.54	-	-	**3.54**
पूंजीगत अनुदान - मध्यप्रदेश सरकार से, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना और ओंकारेश्वर हेतु एनवीडीए।	1237.57	22.18	56.80	**1,202.95**	1,206.19	57.68	26.30	**1,237.57**
बॉण्ड शोधन आरक्षित	128.25	100.00	14.25	**214.00**	142.50	-	14.25	**128.25**
शेयर प्रीमियम	-	2,907.45	38.71*	**2,868.74**	-	-	-	**-**
सामान्य आरक्षित	4120.06	-	-	**4,120.06**	4,120.06	-	-	**4,120.06**
लाभ एवं हानि खाते पर अधिशेष	2448.95	2193.79	942.52	**3,700.22**	1,745.00	1,207.77	503.82	**2,448.95**
स्व-बीमा आरक्षित	646.89	50.09	-	**696.98**	531.17	115.78	0.06	**646.89**
कुल	**8585.26**	**5273.51**	**1052.28**	**12806.49**	**7,748.46**	**1,381.23**	**544.43**	**8,585.26**

** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 के प्रावधानों के अनुसार शेयर इश्यू समायोजन*

अनुसूची 3 - ऋण निधियां प्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
क. बॉण्ड		
बॉण्ड्स/डिबेंचर	2456.00	513.00
ख. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	10980.48	10210.45
कुल (परिशिष्ट देखें)	**13436.48**	**10723.45**

ऋण निधियां प्रतिभूत *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संयमी)		
बॉण्ड - ओशृंखला *2 100,000,000/- रुपए प्रत्येक के 7.7 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य भूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक (31.03.09 से 31.03.18 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रुपए)	456.00	513.00
बॉण्ड - पी शृंखला *5, 7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय - शून्य रुपए)	2,000.00	-
कुल बॉण्ड (ए)	**2,456.00**	**513.00**
(बी) सावधि ऋण		
केनरा बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रुपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	51.00	68.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 12.50 करोड़ रुपए) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	37.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रुपए) (09.07.07 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	28.00	32.00
बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.12.06 से 10 वर्षों की 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	65.00	75.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (02.05.04 से 5 करोड़ रुपए की 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	40.00	50.00
हाउजिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 14.28 करोड़ रुपए) (13.02.07 से 14 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	50.00	64.29
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (24.10.04 से 10 वर्षों की 20 त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	65.00	75.00
पंजाब नैशनल बैंक *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (26.10.04 से 10 वर्षों की 20 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	67.50	82.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (30.01.07 से 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	32.14
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 7.14 करोड़ रुपए) (07.01.07 से 7 वर्षों की 14 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	25.00	32.14
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 21.43 करोड़ रुपए) (18.09.06 से १४ अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	64.29	85.71

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (28.06.09 से 4 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	30.00	40.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 208.33 करोड़ रुपए) (15.04.09 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2,291.67	2,500.00
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (09.11.07 से 10 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला))\	140.00	160.00
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रुपए) (23.02.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	128.10	146.40
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	140.00	160.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (30.04.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1,896.00	1,896.00
इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.02.12 से 3 समान किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	501.00	296.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.60 करोड़ रुपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	158.10	176.70
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	70.00	70.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.07.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	912.00	507.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 41.30 करोड़ रुपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	382.02	413.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 50 करोड़ रुपए) (15.01.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	487.50	500.00
इंडियन बैंक *4 और 9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (29.09.14 से 5वें वर्ष के बाद बुलेट रूप में चुकाया जाने वाला)	55.00	-
यूको बैंक *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (31.12.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	600.00	-

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 31.20 करोड़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	280.80	
देना बैंक*11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 26.42 करोड़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	237.77	
देना बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.50 करोड़ रुपए) (31.03.10 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	186.67	
एचडीएफसी बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 37.26 करोड़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	335.29	
एचडीएफसी बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 19.79 करोड़ रुपए) (31.03.10 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	188.02	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 6.50 करोड़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	58.50	
पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ इंडिया *11		41.67
सिडबी *11		83.34
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया *11		83.33
पंजाब नैशनल बैंक *11		229.17
इंडियन ओवरसीज बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4.17 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होनेवाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	37.50	41.67
बैंक ऑफ बड़ौदा *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 1.25 करोड़ रुपए) (31.12.07 से प्रारंभ होनेवाली 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	11.25	12.50
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 135.00 करोड़ रुपए) (15.01.09 से प्रारंभ होनेवाली 20 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1,147.50	1,282.50
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-	48.00
देना बैंक	-	83.33
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	10.12
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	500.00
सिंडिकेट बैंक	-	7.65
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	83.33
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स **ब्याज प्रोदभूत और देय**	-	4.46
कुल प्रतिभूत ऋण (बी)	**10,980.48**	**10,210.45**
कुल (ए + बी)	**13,436.48**	**10,723.45**

टिप्पणी :-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-1 के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-2 के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भंडारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामायक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-2 की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
6. अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम-3 जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों को समान बंधक/रेहन रखकर संरक्षित।
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भंडारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियां के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
11. इंदिरा सागर पावर स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
12. ओंकारेश्वर पावर स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।

अनुसूची 4 - ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
क. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	2,696.04	3,187.65
ख. भारत सरकार से ऋण		
सरकार से ऋण	219.00	34.00
ग. अल्पावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण - भारतीय मुद्रा	-	985.97
कुल (परिशिष्ट देखें)	**2,915.04**	**4,207.52**

ऋण निधियां - अप्रतिभूत *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
(क) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा				
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत				
नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.96 करोड़ रुपए)	22.96		51.84	
क्रेडिट कमर्शियल डीई फांस (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 51.83 करोड़ रुपए)	51.83		173.53	
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 62.52 करोड़ रुपए)	334.59		363.24	
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-I (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 11.88 करोड़ रुपए)	190.15		217.08	
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-II (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 38.99 करोड़ रुपए)	701.77		795.94	
जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ओपरेशन ट्रांचे-III (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	590.36		625.68	
ड्यूश बैंक तथा अन्य (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 89.37 करोड़ रुपए)	804.38	2,696.04	960.34	3,187.65
(ख) भारत सरकार से ऋण				
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (निम्मो बाजगो जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किश्तों में देय)	204.00		34.00	
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (चूटक जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के बाद 12वें वर्ष से 24 समान वार्षिक किश्तों में देय)	15.00	219.00	-	34.00
(ग) अल्पावधि ऋण				
बैंक ऑफ बड़ौदा	-		100.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा	-		100.00	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-		100.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक	-		300.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक	-		200.00	
इलाहाबाद बैंक	-		184.23	
इलाहाबाद बैंक	-	-	1.64	985.87
कुल आरक्षित ऋण		**2,915.04**		**4,207.52**

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				विशुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2009	सवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2010	01.04.2009	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2010	31.03.2010	31.03.2009
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	195.00	11.95	0.42	206.53	-	-	-	-	206.53	195.00
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	112.06	9.87	30.66	91.27	3.94	2.93	0.11	6.98	84.29	108.12
iii)	भूमि-अवर्गीकृत/ उपयोग का अधिकार	2,912.08	82.02	79.09	2,915.01	175.06	80.18	-	255.24	2,659.77	2,737.02
iv)	भवन	2,324.69	23.77	7.06	2,341.40	432.93	106.56	0.22	539.71	1,801.69	1,891.76
v)	सड़के और पुल	379.03	8.25	21.18	366.10	53.31	12.78	(1.38)	64.71	301.39	325.72
vi)	रेलवे साइडिंग्स	40.07	0.11	-	40.18	6.80	2.67	-	9.47	30.71	33.27
vii)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैके)	14,470.99	(105.84)	42.19	14,322.96	2,033.33	767.38	(1.73)	2,798.98	11,523.98	12,437.66
viii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,119.02	(4.78)	26.45	7,087.79	1,355.12	383.75	(3.07)	1,735.80	5,351.99	5,763.90
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	107.73	1.27	0.49	108.51	36.01	5.23	(0.03)	41.21	67.30	71.72
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	61.97	2.26	0.01	64.22	9.16	3.88	-	13.04	51.18	52.81
xi)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	27.94	0.99	0.23	28.70	9.39	1.36	(0.05)	10.70	18.00	18.55
xii)	निर्माण उपकरण	76.35	6.88	2.74	80.49	47.43	5.89	(1.74)	51.58	28.91	28.92
xiii)	जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	29.96	2.05	0.15	31.86	2.44	1.08	(0.05)	3.47	28.39	27.52
xiv)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.50	0.09	0.06	3.53	0.89	0.19	(0.03)	1.05	2.48	2.61
xv)	वाहन	28.81	2.37	2.45	28.73	22.34	0.69	(1.66)	21.37	7.36	6.47
xvi)	विमान/ नौकाएं	0.97	0.10	-	1.07	0.74	0.04	-	0.78	0.29	0.23
xvii)	फर्नीचर और फिक्सचर	40.62	3.43	0.60	43.45	15.34	3.52	(0.18)	18.68	24.77	25.28
xviii)	कम्प्यूटर	52.24	9.72	1.29	60.67	39.69	6.06	1.18	46.93	13.74	12.55
xix)	संचार उपकरण	15.43	(1.62)	0.41	13.40	6.60	0.86	(2.27)	5.19	8.21	8.83
xx)	कार्यालय उपकरण	37.37	3.32	1.34	39.35	13.14	2.65	(0.53)	15.26	24.09	24.23
xxi)	अनुसंधान और विकास	1.36	0.03	-	1.39	0.12	0.09	-	0.21	1.18	1.24
xxii)	अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	15.21	14.78	0.03	29.96	9.67	11.49	-	21.16	8.80	5.54
xxiii)	अन्य आस्तियां	41.37	3.02	0.60	43.79	15.09	2.73	(0.30)	17.52	26.27	26.28
xxiv)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	33.43	8.63	1.47	40.59	8.25	4.13	-	12.38	28.21	25.18
xxv)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और < 5000 रुपये।	17.80	1.53	0.66	18.67	17.79	1.30	(0.43)	18.66	0.01	0.01
xxvi)	अप्रचलित/ अधिशेष आस्तियां	1.92	0.62	0.46	2.08	0.01	-	(0.01)	-	2.08	1.91
	कुल	**28,146.92**	**84.82**	**220.04**	**28,011.70**	**4,314.59**	**1,407.44**	**(11.95)**	**5,710.08**	**22,301.62**	**23,832.33**
	पिछले वर्ष	27,224.56	1,082.72	160.36	28,146.92	3,607.46	706.58	0.55	4,314.59	23,832.33	23,617.10

अनुसूची 6 - चालू पूंजी कार्य

(करोड़ रुपये में)

		01.04.2009	सवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2010
i	भवन	596.89	333.20	(16.65)	27.66	885.78
ii	रोड एवं पुल	62.04	16.10	(0.91)	8.85	68.38
iii	रेलवे साइडिंग्स $	1.77	0.01	-	0.11	1.67
iv	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	3,380.83	1,325.19	(93.40)	17.70	4,594.92
v	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,104.19	1,010.59	(45.58)	7.04	3,062.16
vi	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	4.63	7.57	(4.33)	0.24	7.63
vii	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	1.06	1.15	(0.12)	1.60	0.49
viii	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	1.00	1.34	-	1.06	1.28
ix	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.95	1.67	(0.12)	1.14	1.36
xi	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	2.58	23.84	(3.53)	18.19	4.70
xii	अमूर्त परिसंपत्तियां	4.36	7.66	(0.07)	11.44	0.51
xiii	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	15.38	8.03	(0.54)	1.36	21.51
xiv	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	109.23	57.95	(0.98)	-	166.20
xv	क्षतिपूरक वनरोपण पर व्यय	2.27	1.35	(0.92)	2.70	-
xvi	निर्माण वर्ष के दौरान व्यय	3,161.78	976.00*	(65.68)	-	4,072.10
	कुल	**9,448.96**	**3,771.65**	**(232.83)**	**99.09**	**12,888.69**
	घटाएं : प्रावधानों के लिए	40.90	8.75	-	-	49.65
	कुल	**9,408.06**	**3,762.90**	**(232.83)**	**99.09**	**12,839.04**
	पिछले वर्ष	6,332.47	4,426.77	(991.78)	359.40	9,408.06

$ इसमें 1.67 करोड़ रुपये शामिल है जो रेलवे साइडिंग न सौंपे जाने के कारण रेलवे से रिफंड के रूप में दावा किए जा रहे हैं।

* अनुसूची 22 देखें - निर्माण वर्ष के दौरान खर्च

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
क. निर्माण भंडार (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किए अनुसार)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	40.93		47.69	
ii) खुले औजार	0.12		0.03	
iii) रद्दी मालसूची	0.06		0.12	
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होनेवाले भंडार	1.52		4.87	
v) संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	77.58		70.68	
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान	1.56	118.65	3.31	120.08
ख. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	109.68		88.50	
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
- बैंक गारंटी के प्रति	775.22		761.77	
- अन्य	219.38		126.63	
iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.22		2.28	
घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.22	1104.28	2.28	976.90
कुल		**1222.93**		**1096.98**

अनुसूची 7 - निर्माण भण्डार तथा अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	31 March 2010		31 March 2009	
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.31		3.29	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.04	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.75		0.02	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-		-	
अंतिम शेष		**1.56**		**3.31**
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2.28		2.28	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.07		-	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.08		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.05		-	
अंतिम शेष		**0.22**		**2.28**

अनुसूची 8 - निवेश

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति चालू वर्ष / (गत वर्ष)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (रुपए में)	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में (गैर-व्यापार)-स्व.बीमा निधि				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150,000 (-)	10,000	150.77	-
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12,380 (-)	10,000	12.26	-
(ख) इक्विटी शेयर				
पीटीसी इंडिया लि.	12,000,000 (12,000,000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक (गैर-व्यापार)	360,800 (360,800)	10	0.36	0.36
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स बांड्स (गैर-व्यापार) - स्व बीमा निधि				
8.80 प्रतिशत इंडियन पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467 (-)	1,000,000	45.97	-
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688 (-)	1,000,000	69.62	-
8.65% प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30 (-)	1,000,000	2.99	-
8.90 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80 (-)	1,250,000	10.00	-
8.90 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80 (-)	1,250,000	10.00	-
8.90 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80 (-)	1,250,000	10.00	-
उप-जोड़ (क)			**323.97**	**12.36**

अनुसूची 8 - निवेश *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति चालू वर्ष / (गत वर्ष)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (रुपए में)	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
ख. अनुद्धत				
(ख) बांड्स				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
अरुणाचल प्रदेश	5,832 (6,804)	1,000	0.58	0.68
बिहार	114,420 (133,490)	1,000	11.44	13.35
हरियाणा	3,390,000 (3,955,000)	1,000	339.00	395.50
हिमाचल प्रदेश	107,208 (125,076)	1,000	10.72	12.51
जम्मू कश्मीर	4,624,176 (5,394,872)	1,000	462.42	539.49
झारखंड	85,860 (100,170)	1,000	8.59	10.02
मेघालय	3,192 (3,724)	1,000	0.32	0.37
मिजोरम	19,260 (22,470)	1,000	1.93	2.24
नागालैंड	41,520 (48,440)	1,000	4.15	4.84
पंजाब	1,336,860 (1,559,670)	1,000	133.69	155.97
राजस्थान	170,946 (227,928)	1,000	17.09	22.79
सिक्किम	14,016 (16,352)	1,000	1.40	1.63
त्रिपुरा	16,008 (18,676)	1,000	1.60	1.87
उत्तर प्रदेश	4,721,340 (5,508,230)	1,000	472.13	550.82
उत्तराखंड	524,580 (612,010)	1,000	52.46	61.20
पश्चिम बंगाल	40,332 (47,054)	1,000	4.03	4.71
उप-जोड़ (ख)			**1,521.55**	**1,777.99**
ग. सावधि-जमा-आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि बैंकों में			1,500.00	-
उप-जोड़ (ग)			**1,500.00**	**-**
कुल योग (क + ख + ग)			**3,345.52**	**1,790.35**
उद्धत निवेश				
(i) संचयी लागत			323.97	12.36
(ii) संचयी बाजार मूल्य			450.70	85.58
अनुद्धत निवेश				
संचित लागत			3,021.55	1,777.99

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		182.65		81.01
ख. माल सूचियां				
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	53.91		51.28	
ii) खुले औजार	0.97		0.66	
iii) कबाड़ माल सूची	2.64		2.36	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	0.45		1.03	
v) निर्माण स्थल पर सामान	12.56		11.45	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	0.98		0.73	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *1	23.17		25.99	
कुल		48.34		41.52
ग. चालू कार्य				
चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	52.88		45.59	
घटाएं - ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम/जमाराशि	26.04	26.84	26.04	19.55
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)				
i) छह माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण				
- अच्छे माने गए	268.20		392.79	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	194.44		194.97	
ii) अन्य ऋण				
- अच्छे माने गए	1,265.57		370.86	
	1,728.21		958.62	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2	194.44		194.97	
कुल		1,533.77		763.65
ङ. नकद एवं बैंक शेष (अनुसूची 24 की टिप्पणी संख्या 32 (ख) देखें)				
i) हाथ में नकदी (0.37 करोड़ रुपए के हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टाम्प्स शामिल हैं, पिछले वर्ष 0.18 करोड़ रुपए)	0.86		0.75	
ii) बैंक शेष				
• अधिसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाते में - स्व. बीमा निधि	0.03		-	
- चालू खाते में - अन्य	366.21		311.18	
- बचत खाते में - स्व. बीमा निधि	306.50		-	
- बचत खाते में - अन्य #	5,515.84		2,294.90	
• अन्य बैंकों के साथ				
- चालू खाते में				
- फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक	0.02		-	
बैंक ऑफ भूटान	0.07		0.03	
कुल		6,189.53		2,606.86
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां				
i) प्रोदभूत ब्याज				
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	60.51		36.94	
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	32.97		32.97	
- बैंकों में जमाराशि - स्व. बीमा निधि	0.03		-	
- बैंकों में जमाराशि	47.44		79.19	
ii) अन्य	163.66		93.72	
iii) की गई अस्थगित कर वसूली	122.94		0.00	
iv) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	166.57		193.63	
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3	4.39		6.17	
कुल		589.73		430.28

अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010			31 मार्च 2009
छ. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
प्रतिभूत	105.80			107.69		
ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	23.16			24.98		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.16			0.16		
उपभोक्ताओं से देयों के निपाटन में राज्य सरकार को ऋण						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	164.85			190.22		
iii) अरूणाचाल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00			225.00		
ख) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) संविदाकार तथा अपूर्तिकर्ता						
प्रतिभूत	2.93			0.13		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए):						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	88.77			177.89		
- अन्य	23.03			176.40		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.16			2.90		
ii) कर्मचारी						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.91			3.04		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			0.01		
iii) अन्य अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	0.04			0.22		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
घटाएं - संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान ***4**	0.32	635.49		3.06	905.58	
iv) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		552.62			772.97	
ग) जमा						
अग्रिम आय कर	918.39			673.77		
घटाएं कराधान हेतु प्रावधान ***5**	811.56	106.83		638.67	35.10	
कुल			1,294.94			1,713.65
कुल योग (क से छ)			**9,865.80**			**5,656.52**

रुपये 1,859.63 करोड़ आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि शामिल है।

गैर - अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	0.22	0.22
ड्यूश बैंक, टोकियो शाखा		
चालू खाता	-	6.20
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
चालू खाता	0.03	-
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
i) अवधि के अंत में देय राशि	0.24	0.08
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	0.25	0.11
उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)		

प्रावधानों के ब्यौरे

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
अप्रचालित भंडार तथा कलपुर्जा हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	25.99		35.80	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.79		0.08	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.31		9.37	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.30		0.52	
अंतिम शेष		**23.17**		**25.99**
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	194.97		77.13	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.66		120.81	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		2.97	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.19		-	
अंतिम शेष		**194.44**		**194.97**
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.17		16.10	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.47		0.45	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.01)		0.17	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.15		10.54	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.09		0.01	
अंतिम शेष		**4.39**		**6.17**
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.06		0.50	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.01		2.60	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.17		0.04	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.58		-	
अंतिम शेष		**0.32**		**3.06**
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	638.67		556.05	
वर्ष के दौरान वर्धन	480.40		179.41	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.21)		(3.97)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	174.36		68.58	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	132.94		24.24	
अंतिम शेष		**811.56**		**638.67**

अनुसूची 10 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधन

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
क. देयताएं				
i) **विविध देनदार**				
क) सूक्ष्म औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)		-		-
ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)		-		-
ग) अन्य		821.78		653.97
ii) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज		356.80		231.15
iii) जमा कार्यों के प्रति अग्रिम		227.76		232.77
iv) घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	210.19		133.60	
ग्राहकों/ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	188.64	21.55	126.95	6.65
v) घटाएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यो पर खर्च राशि	2,681.20		1,577.95	
अनुषंगी कम्पनियां की ओर बकाया	2,284.45	396.75	998.19	579.76
vi) विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव से विलंबित आय		229.65		428.34
vii) अन्य देयताएं - स्वबीमा निधि		0.25		-
viii) अन्य देयताएं		192.44		123.36
कुल देयताएं (क)		**2,246.98**		**2,256.00**

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
ख. प्रावधान				
i) **प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	200.00		200.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	676.54		200.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	200.00		200.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		676.54		200.00
ii) **प्रस्तावित लाभांश पर कर**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	41.79		50.79	
वर्ष के दौरान वर्धन	115.89		41.79	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	37.81		42.22	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.98		8.57	
अंतिम शेष		115.89		41.79
iii) **मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	413.86		200.69	
वर्ष के दौरान वर्धन	304.38		215.41	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.23)		(0.21)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.08		2.03	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष	717.93		413.86	
घटाएं : अग्रिम अदा किया गया	190.55		135.56	
अंतिम शेष		527.38		278.30
iv) **उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	46.24		36.04	
वर्ष के दौरान वर्धन	47.00		46.23	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	34.27		33.15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	12.19		2.88	
अंतिम शेष		46.78		46.24
v) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	753.03		574.04	
वर्ष के दौरान वर्धन	218.66		221.21	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	110.22		42.22	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.05		-	
अंतिम शेष		861.42		753.03
vi) **हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		23.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		23.00	
अंतिम शेष		-		-
vii) **टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.98		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.98	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.98		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		0.98
viii) **प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	579.92		615.76	
वर्ष के दौरान वर्धन	9.41		114.37	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	105.85		109.65	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	301.94		40.56	
अंतिम शेष		181.54		579.92
ix) **प्रावधान - अन्य**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	12.67		37.68	
वर्ष के दौरान वर्धन	73.64		11.45	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(0.17)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	7.88		30.18	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.25		6.11	
अंतिम शेष		78.18		12.67
कुल प्रावधान (ख)		**2,487.73**		**1,912.93**
कुल (क + ख)		**4,734.71**		**4,168.93**

अनुसूची - 11 विविध व्यय
(बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
i)	शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)		-		2.37
ii)	समायोजन प्रतीक्षित व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं - बट्टे खाते में डाले जानेवाले परियोजना खर्च की स्वीकृति के लिए प्रावधान	37.06	-	37.06	-
iii)	बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	5.31		3.48	
	घटाएं - जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान	5.31	-	3.48	-
	कुल		-		**2.37**

अनुसूची 12 - बिक्री

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
विद्युत की बिक्री	5,229.56	3,543.46
घटाएं - टैरिफ समायोजन	-	0.98
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - प्रारंभ किए जाने से पूर्व **(अनुसूची 22 I (i) को अंतरित))**	-	8.99
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**5,229.56**	**3,533.49**

अनुसूची 12क - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
वर्ष के दौरान	145.14	152.48
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाला गया	29.84	46.76
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**115.30**	**105.72**

अनुसूची 13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो से आय

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
संविदा आय	56.34	12.93
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से आय	56.72	36.00
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**113.06**	**48.93**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i) दीर्घावधि निवेश से आय				
क) व्यापार				
- लाभांश - अन्य		1.44		1.20
ब्याज				
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5 प्रतिशत करमुक्त बॉण्ड)		145.68		167.48
ख) गैर-व्यापार				
लाभांश आय - अन्य		0.16		0.13
ब्याज - स्व बीमा निधि		0.25		-
- इंडियन बैंक में जमा राशि पर ब्याज-(सकल) (स्रोत पर कर कटौती रुपये 3.79 करोड़, पिछले वर्ष शून्य रुपये)		62.53		-
ii) अन्य आय				
क) ब्याज				
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		15.63		17.79
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण		23.57		21.63
- जमा खाता - स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक (स्रोत पर कटौती किया गया कर 31490 रुपए. पिछले वर्ष शून्य रुपये)	0.03		-	
- इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर कटौती किया गया कर 16.07 रुपए. पिछले वर्ष 11.58 रुपये)		196.65		230.95
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम		6.05		6.36
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज		113.77		40.18
- अन्य		84.06		62.17
ख) विलंब भुगतान अधिभार		6.37		17.07
ग) परियोजना की बिक्री पर लाभ		-		37.52
घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		4.68		0.94
ङ) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #		229.86		35.91
च) विनिमय दर अंतर		27.36		17.29
छ) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)		14.38		12.51
ज) अन्य	32.51		64.67	
घटाएं : हेजिंग समायोजन लेखा	-	32.51	17.87	46.80
कुल		**964.98**		**715.93**
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 I (ii) से (vi) तथा 22 जे (i))		314.23		114.26
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित आय (देखें अनुसूची 20)		3.45		6.33
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**647.30**		**595.34**
# पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताओं/प्रावधानों के ब्यौरे				
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण		1.19		-
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा		4.63		-
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे		0.09		0.01
घ) खराब तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी		1.13		0.52
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी		0.17		0.01
च) गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान		0.43		-
छ) हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान		-		23.00
ज) प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान		187.44		-
झ) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		12.19		2.88
ञ) अन्य प्रावधान/देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है		22.59		9.49
कुल		**229.86**		**35.91**

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
i)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		6.82		10.81
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण:				
	- भवन	31.94		27.10	
	- मशीनरी	37.23		39.68	
	- अन्य	32.99	102.16	34.34	101.12
iii)	किराया/भाड़ा खर्च		36.46		29.55
iv)	दरें और कर		2.99		3.48
v)	बीमा		19.53		2.56
vi)	स्व : बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी		-		0.06
vii)	सुरक्षा व्यय		91.96		74.43
viii)	विद्युत प्रभार		33.24		32.50
ix)	यात्र एवं वाहन		20.32		19.87
x)	स्टाफ कार पर व्यय		7.99		8.62
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		11.07		10.36
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार		7.05		9.16
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.64		0.70
xiv)	दान		-		2.09
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (प्रयुक्त)		5.57		5.91
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.61		0.55
xvii)	परामर्शी प्रभार - स्वदेशी		5.63		5.27
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेशी		0.01		-
xix)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्राह्य क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		5.41		69.17
xx)	निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय		27.48		15.21
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		1.00		-
xxii)	परियोजना की बिक्री पर हानि		-		-
xxiii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.70		0.76
xxiv)	बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय		1.23		0.01
xxv)	बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय		-		5.46
xxvi)	बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे		2.21		-
xxvii)	बट्टे खाते डाले गए भंडार		1.30		1.30
xxviii)	बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां		0.12		0.08
xix)	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		6.90		1.66
xxx)	अन्य सामान्य खर्च		54.44		40.36
xxxi)	विनिमय दर अंतर	13.35		76.28	
xxxii)	घटाएं : वसूली योग्य ईआरपी	-	13.35	57.26	19.02
xxxiii)	विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव समायोजन (डेबिट)		65.69		104.42
xxxiv)	लेखा परीक्षा खर्च		1.17		1.02
xxxv)	निदेशक खर्च		0.21		0.08
xxxvi)	अनुसंधान व विकास व्यय		0.55		0.15
	कुल		**533.81**		**575.74**
	घटाएं : ईडीसी में अंतरित व्यय (देखे अनुसूची 22 बी, 22सी, 22ई(i), 22जे (ii))		158.09		197.54
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)		17.94		8.92
	घटाएं : डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)		0.19		0.20
	लाभ एवं हानि खाते में लिया गया कुल		**357.59**		**369.08**

अनुसूची 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	967.43	852.35
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	153.06	183.93
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	86.12	74.21
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.18	0.23
	कुल	**1,206.79**	**1,110.72**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए तथा 22जे (3))	569.30	528.85
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 20)	60.18	41.91
	घटाएं : जमा कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 10)	1.05	0.99
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**576.26**	**538.97**

अनुसूची 17 - मूल्यह्रास

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1,407.44	706.58
घटाएं : ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची - 22जी तथा 22जे (iv))	68.01	35.35
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	1.71	0.85
घटाएं : पूंजी अनुदान से अंतरित	54.99	26.31
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**1,282.73**	**644.07**

अनुसूची 18 - ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	क) भारत सरकार से ऋण	-		-	
	ख) बॉण्ड	74.52		43.89	
	ग) विदेशी ऋण	74.73		101.32	
	घ) सावधि ऋण	993.94		888.51	
	ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.02	1,143.21	-	1,033.72
ii)	ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	22.90		245.64	
	घटाएं : वसूली योग्य/ (भुगतान योग्य)	22.90	-	245.64	-
iii)	बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय		0.08		0.27
iv)	बट्टेखाते में डाले गए शेयर इश्यू व्यय		0.29		-
v)	उपभोक्ताओं को छूट		49.67		39.62
vi)	प्रतिबद्धता शुल्क		0.06		2.10
vii)	ऋण पर गारंटी शुल्क		38.25		32.85
viii)	बैंक प्रभार		1.57		1.19
ix)	अन्य वित्त प्रभार		1.95		1.76
	कुल		**1,235.08**		**1,111.51**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त प्रभार - (देखें अनुसूची 22डी तथा 22जे (v))		494.89		333.92
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		0.82		1.58
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**739.37**		**776.01**

अनुसूची 19 - प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010	31 मार्च 2009
i)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	0.66	120.81
ii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.08	2.60
iii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	0.47	0.45
iv)	भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.79	0.12
v)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	8.75	69.09
vi)	बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	0.05	0.56
vii)	अन्य	70.84	-
	कुल	**81.64**	**193.63**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे (6)	-	0.10
	घटाएं : संविदा तथा परामर्शी व्ययों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	0.66	2.55
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**80.98**	**190.98**

अनुसूची 20 - संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

			31 मार्च 2010		31 मार्च 2009
i)	**प्रत्यक्ष व्यय**		2.49		3.98
ii)	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	42.13		26.03	
	- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	5.51		4.80	
	- स्टाफ कल्याण व्यय	2.94	50.58	1.74	32.57
iii)	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	- भवन	0.32		0.32	
	- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	0.37		0.02	
	- अन्य	0.48	1.17	0.57	0.91
iv)	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	- किराया/किराया प्रभार	4.13		2.04	
	- यात्रा एवं वाहन	2.66		1.11	
	- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.18		0.28	
	- बीमा	0.02		0.02	
	- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.43		0.34	
	- विज्ञापन एवं प्रचार	0.04		0.42	
	- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.42		0.32	
	- अन्य व्यय	7.10		1.51	
	- दरें तथा कर	-		0.01	
	- सुरक्षा	0.21		0.22	
	- विद्युत	0.12		0.07	
	- परामर्शी प्रभार	0.10	15.41	0.04	6.38
v)	मूल्यह्रास		0.98		0.50
vi)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.81		1.57
vii)	प्रावधान		0.66		2.55
viii)	कार्य प्रगति पर				
	- निर्माण संविदा		0.73		(0.73)

अनुसूची 20 - संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
ix)	**निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :**				
	क) अन्य आय	(0.28)		(0.22)	
	ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1.36		1.63	
	ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	9.60		9.34	
	घ) मूल्यह्रास	0.73		0.35	
	ङ) ब्याज और वित्त प्रभार	0.01		0.01	
	च) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.01	11.43	0.02	11.13
	कुल व्यय		**84.26**		**58.86**
x)	घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली		3.17		6.11
	वर्ष के दौरान निवल व्यय		**81.09**		**52.75**
xi)	**पूर्वावधि समायोजन**		1.30		8.41
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**82.39**		**61.16**

अनुसूची 21 - पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
आय					
i)	विद्युत की बिक्री	-		(1.10)	
ii)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-		(15.53)	
iii)	देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-		-	
iv)	अन्य	1.39		15.10	
	उप जोड़		1.39		(1.53)
व्यय					
i)	वेतन तथा मजदूरी	0.01		23.32	
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण	(0.82)		2.20	
iii)	ब्याज	7.42		-	
iv)	अन्य	1.46		(74.62)	
v)	मूल्यह्रास	(4.30)		8.73	
	उप जोड़		3.77		(40.37)
	जोड़		**2.38**		**(38.84)**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची 22एच तथा 22जे (vii))				
	पूर्वावधि व्यय	(0.03)		(51.80)	
	घटाएं - पूर्वावधि आय	0.03		0.99	
	जोड़		**(0.06)**		(52.79)
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		1.31		8.43
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**1.13**		**5.52**

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ					
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते		300.81		273.42	
ii) उपदान और भविष्य निधि को अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)		49.68		61.96	
iii) स्टाफ कल्याण व्यय		24.87		21.67	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान		0.09		0.17	
	उप जोड़		375.45		357.22
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण					
i) भवन		6.29		4.09	
ii) मशीनरी		3.75		4.79	
iii) अन्य		7.29		8.48	
	उप जोड़		17.33		17.36
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय					
i) किराया/किराया प्रभार		15.11		15.61	
ii) दरें तथा कर		1.41		0.25	
iii) बीमा		0.33		0.41	
iv) सुरक्षा व्यय		22.21		17.92	
v) विद्युत प्रभार		4.52		4.65	
vi) यात्रा एवं वाहन		4.80		4.80	
vii) स्टाफ कार पर व्यय		3.24		3.27	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		3.85		3.26	
ix) विज्ञापन एवं प्रचार		1.32		1.32	
x) मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय		0.01		0.04	
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी		1.35		1.20	
xii) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		0.01		0.01	
xiii) डिजाइन तथा परामर्शी प्रभार - देशीय		1.26		0.99	
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्राह्य क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		5.41		69.16	
xv) निगम के स्वामित्व में न होनेवाली भूमि पर व्यय		20.41		13.65	
xvi) बट्टेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि		0.01		0.57	
xvii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.08		0.04	
xviii) अन्य सामान्य व्यय		13.34		10.16	
	उप जोड़		98.67		147.31
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार					
i) निम्नलिखित पर ब्याज :					
(क) बॉण्ड		35.01		0.00	
(ख) विदेशी ऋण		-		0.02	
(ग) सावधि ऋण		457.38		330.20	
ii) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय		0.03		-	
iii) प्रतिबद्धता शुल्क		-		1.88	
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क		-		0.01	
v) अन्य वित्त प्रभार		2.23		1.68	
	उप जोड़		494.65		333.79

अनुसूची 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय *(जारी)*

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च 2010		31 मार्च 2009	
ङ. विनिमय दर अंतर (निवल)					
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)		13.09		4.78	
ii) **घटाएं :** विनिय दर अंतर (क्रेडिट शेष)		25.44		17.25	
	उप जोड़		(12.35)		(12.47)
च. प्रावधान		-		0.10	
	उप जोड़		-		0.10
छ. मूल्यह्रास		53.11		28.37	
	उप जोड़		53.11		28.37
ज. पूर्वावधि व्यय (निवल)					
पूर्वावधि व्यय		(0.07)		(52.14)	
घटाएं : पूर्वावधि आय		0.03		0.99	
	उप जोड़		(0.10)		(53.13)
झ. घटाएं : प्राप्तियां तथा वसूली					
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व			-		8.99
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		82.79		58.51	
iii) विविध प्राप्तिया		5.20		25.76	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		0.04	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होनेवाली देयताएं/प्रावधान		192.12		4.70	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न		1.84	281.95	3.10	92.11
	उप जोड़		281.95		**101.10**
ञ. निगमित कार्यालय प्रबंधन व्यय					
i) अन्य आय		(6.84)		(4.90)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य आय		29.00		28.09	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ		193.85		171.63	
iv) मूल्यह्रास		14.90		6.98	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.24		0.13	
vi) प्रावधान		-		-	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)		0.04		0.34	
	उप जोड़		231.19		**202.27**
	कुल ((क से ज) - झ + ञ) (अनुसूची 6 को अंतरित)		**976.00**		**919.72**

अनुसूची 23 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोदभवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते है।.

2. अचल परिसंपत्ति

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई है। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होनेवाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायत/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तरह अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जानेवाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और इनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जो की किंमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें सम्बद्ध संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास सम्बद्ध संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जों को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होनेवाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)'' पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जानेवाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2 मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी और कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरणों का मूल्यह्रास क्रमश: 11.25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से किया जाता है, क्योंकि निगम द्वारा आंकी गई दरें सम्बद्ध परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होती हैं। किन्तु, अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में स्वयं अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शतप्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रूपया लगाया जाताहै।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और तीन वर्ष से अधिक में उसका ऋण चुकता किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की दर, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5,000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होनेवाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होनेवाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर स्वीकार्य सामान भत्ते हेतु प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होनेवाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं की अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होनेवाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है और उसे आनेवाले वर्षों की बिक्री में शामिल की जानेवाली विलंबित आय के रूप में माना जाता है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जानेवाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को बिजलीघरों के सकल ब्लाक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक लाभ और हानि विनियोग लेखे के जरिए वर्ष दर वर्ष आधार पर 'स्व-बीमा आरक्षित निधि' में अंतरित कर दिया जाता है ताकि विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।

12. विविध

12.1. परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

12.2. बिजलीघरों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जानेवाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

12.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

12.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आनेवाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

14. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आनेवाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

15. मध्य प्रदेश सरकार से ''सिंचाई तथा आर एंड आर घटक'' और गुजरात सरकार से ''सरदार सरोवर घटक'' के प्रति प्राप्त अंशदान की राशि पृथक परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित नहीं है इसलिए इसे प्रारंभ में सहायतानुदान-आरक्षित माना जाता है और बाद में आय में उसी अनुपात में समायोजित किया जाता है जिसमें ऐसे अंशदानों से अधिगृहीत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

अनुसूची 24 - 31.03.2010 को समाप्त वर्ष हेतु लेखे पर समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण और संयुक्त उद्यमों में इसका हित शामिल हैं।

2. क) लेखांकन के आधार:

   i) समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को कंपनी की रिपोर्टिंग की तिथि तक ही लिया गया है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

   iii) समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में हित की रिपोर्टिंग भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -27 - 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार की गई है।

   ख) समेकन का सिद्धांत:

   i) कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतर समूह शेषों, अंतर समूह कारोबार और वसूले न गए लाभ तथा हानि को हटाकर मिश्रित करके तैयार किया गया है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल है, जिसे लेखांकन और रिपोर्टिंग की आनुपातिक समेकन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हिसाब में लिया गया है, जिसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय एवं व्यय में कंपनी के हिस्से को पृथक लाइन आइटम समझा जाता है।

   iii) समेकित वित्तीय विवरण को समान कारोबार और समान परिस्थितियों में होनेवाली अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है।

3. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं-:

कंपनी का नाम	**अधिनिगमन का देश**	**स्वामित्व हित का अनुपात**
अनुषंगी कंपनियां:		
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	74%
संयुक्त उद्यम कंपनियां:		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	भारत	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.67%

4. क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं : -

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**01/04/2009 को प्रारंभिक शेष**	**31/03/2010 को अंतिम शेष**
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है -		
- पूंजीगत कार्य	4059.23	4656.36
- भूमि मुआवजा मामले	1839.09	1954.67
- अन्य	-	-
- विवादित आयकर मांग	-	0.09
- विवादित बिक्री कर मांग	2062.41	2099.20
- अन्य	411.33	291.24
कुल	**8372.06**	**9001.56**

   ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

   ग) उन दावों की राशि जहाँ मध्यस्था/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके हैं परंतु कंपनी में परीक्षण के अधिन हैं, वे आकस्मिक देयता बने हुए हैं और उनके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

   घ) किसी बाह्‌य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

   ङ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 41.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 31.58 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

5. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 8404.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9761.03 करोड़ रुपये) है।

6. क) 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 26 रुपये प्रतिशेयर प्रीमियम पर 10/- रूपये मूल्य के 167,73,74,015 शेयरों का निर्गम जारी किया। प्रत्येक शेयर का मूल्य 36 रुपये प्रस्तावित किया गया। इनमें से कंपनी द्वारा 111,82,49,343 इक्विटी शेयरों का नया इश्यू प्रस्तावित किया गया, जिनमें 4,19,34,350 इक्विटी शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे और 55,91,24,672 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रस्तावित किए गए। प्रीमियम सहित इस इश्यू का कुल मूल्य 6038.55 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 2907.45 करोड़ रुपये प्रीमियम सहित कुल 4025.70 करोड़ रुपये शेयर प्राप्ति के रूप में रखे जबकि भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की बिक्री से प्राप्त 2012.85 करोड़ रुपये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को अदा किए। कंपनी की प्राप्तियों में से 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 616.06 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूंजी खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया, जो उपभोग के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के आंतरिक प्रोद्भवन से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कंपनी की वर्तमान निवेश नीति के अनुसार 3288 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं, 50 करोड़ रुपये की पूर्ति अस्थायी तौर पर आईपीओ खर्च को पूरा करने के लिए की गयी और शेष 71.64 करोड़ रुपये कारपोरेट लिक्विडिटी टर्म डिपोजिट (सीएलटीडी) के अंतर्गत बैंक खाते में जमा हैं।

ख) आईपीओ के लिए शेयर इश्यू व्यय के रूप 49.07 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें 10.36 करोड़ रुपये बिक्री शेयर होल्डर के नाते भारत सरकार के हिस्से के रूप में खर्च किए गए हैं। भारत सरकार से 10.34 करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 के अनुसार शेयर प्रीमियम खाता (अनुसूची 2) के संदर्भ में एनएचपीसी का शेयर व्यय समायोजित कर दिया गया है।

7. क) 1864.13 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2046.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को कवर करनेवाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व जिसकी राशि 56.89 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 92.69 करोड़ रुपये) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

ख) भूमि के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रुपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

8. क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के जरिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम एवं शर्तें 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं।

एनएचपीसी ने 11 में से 10 बिजलीघरों के संदर्भ में 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु 31.03.2010 तक की टैरिफ की स्थिति सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत की है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार बिजलीघर वार टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते उक्त अधिसूचना में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर चालू वर्ष के लिए बिक्री अस्थायी तौर पर 3306.63 करोड़ रुपये समझी गई है। संतुलन सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि टैरिफ की स्थिति सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन है।

सीईआरसी की उपरोक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि सीईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते कंपनी को 31 मार्च, 2009 को लागू सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ दरों से लाभार्थियों के बिल तैयार करने होंगे। इस आधार पर 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर गणना की गई बिलिंग राशि 2901.49 करोड़ रुपये है, जिसमें वसूली योग्य आयकर के रूप में 194.28 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

ख) चालू वर्ष की निवल बिक्री में 816.51 करोड़ रुपये (27.63) करोड़ रुपये की आय कर राशि छोड़ कर) पिछले वर्ष की बिक्री से संबंधित है, जो मुख्य रूप से बिजलीघरों के संदर्भ में टैरिफ के निर्धारण और संशोधन से प्राप्त हुए हैं।

ग) एनएचडीसी के मामले में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिसूचना में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री अस्थायी तौर पर 863.39 करोड़ रुपये समझी गई है। इस आधार पर 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर गणना की गई बिलिंग राशि 803.08 करोड़ रुपये है, एनएचडीसी के संदर्भ में पिछले वर्ष की बिक्री 40.32 करोड़ रुपये थी (जिसमें आयकर के रूप में (-)3.69 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है)।

9. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

10. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताों के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्पिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जानेवाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

ग) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अन्य चालू परिसंपत्तियों (अनुसूची - 9) और अन्य देयताओं (अनुसूची-10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

घ) देनदारों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जाने वाली 120.81 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस राशि की वसूली का मामला बिजली मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। किन्तु, प्रचुर सावधानी के रूप में वर्ष 2008-09 की बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया ।

11. क) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित की गई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का मामला लंबित रहते, इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है। सियांग बेसिन परियोजनाओं में से, सियांग लोअर और सियांग जल-विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकों (डेवललॅपर्स) को सौंपी जा चुकी हैं और सियांग लोअर और सियांग परियोजनाओं के बारे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का निपटारा किए जाने से उत्पन्न देयता की वसूली सम्बद्ध निजी विकासक (डेवलॅपर) से की जानी है। सियांग बेसिन की एक परियोजना, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे अन्य ऐजेंसी को सौंपा गया है और इसके लिए परियोजना पर 31.03.2010 तक खर्च किए गए 37.06 करोड़ रुपये प्रचुर सावधानी के रूप में बहियों में दर्ज किए गए हैं।

ख) पकल दुल, किरु और क्वार पन-बिजली परियोजनाएं राज्य सरकार की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के रूप में निष्पादित की जानी हैं। संयुक्त उद्यम कम्पनियों का गठन लम्बित रहते एनएचपीसी द्वारा इन परियोजनाओं पर 31.03.2010 तक क्रमश: 121.87 करोड़ रुपये और 42.61 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 'चालू पूंजी कार्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

12. क) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडल परियोजनाएं स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के सुपुर्द करने में रुचि प्रदर्शित की है, जिसके लिए एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इन परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय लंबित रहते चालू वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर किए गए 2.15 करोड़ रुपये और 0.72 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय को प्रचुर सावधानी के रूप में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जो 20.04.2004 से 31.03.2009 की उस अवधि के लिए, जिसमें ये परियोजनाएं उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण निलंबन के तहत थीं, इन परियोजनाओं पर पिछले वर्ष तक पहले ही किए जा चुके 32.03 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है।

ख) उत्तराखंड सरकार/भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए निगम ने लखवार व्यासी परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड (यूजेवीएनएल) को सौंपने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए एनएचपीसी द्वारा 31.03.2009 तक परिसंपत्तियों के निर्माण/परियोजना के सीडब्ल्यूआईपी पर किए गए व्यय (पूंजी एवं ऊपरी खर्च/पर्यवेक्षण प्रभार सहित) की अदायगी के लिए यूजेवीएनएल ने 73.07 करोड़ रुपये अदा किए हैं। परियोजना की सुपुर्दगी के लंबित रहते, उक्त राशि उपरोक्त तिथि तक एनएचपीसी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक समायोजित की गई है और शेष राशि को अनुसूची-10 - चालू देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत ''अन्य देयताओं'' के रूप में दिखाया गया है। प्रचुर सावधानी के रूप में इस परियोजना पर एनएचपीसी द्वारा 31.03.2009 से आगे 2009-10 के दौरान उस तारीख तक किए गए खर्च की अदायगी के लिए 5.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिस तारीख तक यूजेवीएनएल द्वारा खर्च की अदायगी का निर्णय अभी किया जाना है।

13. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर चालू वित्त वर्ष की बहियों में 304.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 215.20 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है।

14. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
(i) मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.67)	71.45
(ii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	22.90	245.64
(iii) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(12.35)	(12.47)
(iv) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(1.12)	(3.83)
(v) अचल परिसंपत्तियों की राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(177.75)	432.92

ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)' को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 492.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 332.11 करोड़ रुपये है)।

16. क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित किया गया है : -

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 2.5	अवर्गीकृत भूमि और इस्तेमाल का अधिकार संबंधी लेखांकन नीति में संशोधन ताकि उसे सीईआरसी द्वारा 2009-10 के दौरान अधिसूचित मूल्यह्रास की नई दरों के अनुरूप बनाया जा सके।	कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 4.1	प्रशासन और सामान्य शीर्ष व्ययों के पूंजीकरण के तथ्य को प्रकट करने के लिए लेखांकन नीति में संशोधन।	परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
नीति सं. 5.2	लेखांकन नीति को नया रूप दिया गया ताकि इस तथ्य को प्रकट किया जा सके कि अस्थायी निर्माणों के लिए अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है।	परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
नीति सं. 5.6	पट्टे पर धारित भूमि के परिशोधन के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन।	कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 5.7	पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन।	कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
नीति सं. 14	नए टैरिफ मानदंडों को देखते हुए आय पर करों के बारे में लेखांकन नीति में संशोधन।	जहां तक आयकर का प्रश्न है मुनाफे पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। किन्तु चालु वर्ष के दौरान विलंबित कर देयता पैदा होने के कारण मुनाफे में 129.17 करोड़ रुपये की कमी आयी।
एनएचडीसी ने आरएंडआर खर्च संबंधी पूर्ववर्ती लेखांकन नीति हटा दी है। पहले आरएंडआर खर्च को डीएएम लागत के हिस्से के रूप में लिया जाता था और अब इसे भूमि अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार के रूप में लेखांकन नीति 2.5 के अंतर्गत लिया जाता है।		कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 28.59 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

ख) सीईआरसी ने अधिसूचना संख्या एल-7/145 (160)/2008-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के ज़रिए मूल्यह्रास की दरें और टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की वसूली की पद्धति में संशोधन किया है। सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें भारत सरकार के संकल्प संख्या 23/2/2005-आरएंडआर (वोल्यू.3) दिनांक 6 जनवरी, 2006 के पैरा 5.3 के उप-पैरा (ग) के संदर्भ में लेखांकन के प्रयोजन के लिए भी लागू हैं। तदनुरूप, बहियों में मूल्यह्रास तत्संबंधी संशोधित दरों में प्रभारित किया गया है और वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास 649.41 करोड़ रुपये अधिक है।

17\. क) एनएचपीसी ने स्व. बीमा पॉलिसी के स्थान पर 31.07.2009 से इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क (आईएआर) बीमा पॉलिसी का प्रावधान किया है। तदनुरूप, लेखांकन नीति संख्या 11 (अनुसूची 23) के अनुसार चालू वर्ष के लिए स्व. बीमा आरक्षी का प्रावधान 30.06.2009 को सकल ब्लॉक के मूल्य पर समानुपातिक आधार पर 30.07.2009 तक किया गया है।

ख) 30.07.2009 तक निर्मित प्रारक्षित निधि, जिसे अब ''स्व बीमा निधि'' का नाम दिया गया है, को सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू बांड्स और बैंक जमा राशियों में निवेश किया गया है ताकि इस निधि को उन दावों की अदायगी के लिए उद्दिष्ट किया जा सके, जिनका भुगतान उपरोक्त आईएआर पॉलिसी के अंतर्गत नहीं किया जायेगा। 31.03.2010 को स्व. बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है :-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
अनुसूची 8 - निवेश	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	163.03
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	148.58
अनुसूची 9 - चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा	306.50
	(ii) प्रोद्भूत ब्याज (करों के बाद निवल)	1.26
	(iii) चालू खाता	0.03
अनुसूची 10 - चालू देयताएं एवं प्रावधान	(i) अन्य देयताएं	(0.25)
	कुल	**619.15**

इस प्रकार निवेशित स्व. बीमा निधि की कुल आय 0.24 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के ज़रिए स्व. बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

18\. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटि) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करनेवाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.035 करोड़ रुपये है। 0.10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा पर विचार करते हुए तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ङ अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है। कंपनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नक़दीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. एलटीसी

कर्मचारी 2 वर्ष के ब्लाक में एलटीसी सुविधा पाने के हकदार हैं। एलटीसी संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त योजनाएं (ख, ग, घ और ङ) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

31.03.2010 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है :

एनएचपीसी के लिए

तालिका 1 : निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित	एलआईसी (1994-96) यथासंशोधित
छूट दर	7.5%	7%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5%	4.5%

तालिका 2 : दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्ष के शुरु में पीवीओ	342.69	205.96	142.62	25.11	3.93	24.72
ब्याज लागत	25.70	15.45	10.70	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	17.12	11.05	4.91	13.92	0.30	7.23
अदा किया गया लाभ	(14.20)	(70.20)	(3.74)	(13.37)	(0.08)	(5.47)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	36.01	58.41	15.00	-	-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48

तालिका 3 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्ष के शुरु में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(407.32)	(220.67)	(169.49)	(25.66)	(4.15)	(26.48)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	407.32	220.67	169.49	25.66	4.15	26.48

तालिका 4 : लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्यनिधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्तमान सेवा लागत	17.12	11.05	4.91	13.92	0.30	7.23
ब्याज लागत	25.70	15.45	10.70	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों से प्रत्याशित लाभ						
वर्ष के लिए मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	36.01	58.41	15.00	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईडीसी में मान्य व्यय	78.83	84.91	30.61	13.92	0.30	7.23

एनएचडीसी के लिए

तालिका 1 : निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका	एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका
छूट दर	8.10%	7.80%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5%	6%

तालिका 2 : दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शूरू में पीवीओ	2.06	4.03	0.82
ब्याज लागत	0.16	0.31	0.06
पिछली सेवा लागत			
वर्तमान सेवा लागत	0.40	0.44	0.18
अदा किया गया लाभ	(0.06)	(2.36)	(0.00)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.24)	0.89	0.01
वर्ष के अंत में पीवीओ	2.32	3.31	1.07

तालिका 3 : तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	2.32	3.31	1.07
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(2.32)	(3.31)	(1.07)
न माने गए बीमांकित लाभ/हानि	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	2.32	3.31	1.07

तालिका 4 : लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्तमान सेवा लागत	0.40	0.44	0.18
ब्याज लागत	0.16	0.31	0.06
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	-	-	-
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक लाभ/हानि	(0.24)	0.89	0.01
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में लिए गए व्यय	0.32	1.64	0.25

अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान तथा सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के कारण देयता (31.03.2010 को) क्रमश: 0.36 करोड़ रुपये, 0.38 करोड़ रुपये और 0.20 करोड़ रुपये है।

18. क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

    ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

19. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -:

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री एस. के. गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री. ए. बी एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
श्री. डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री. जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजना) - 10.04.2009 से कार्यभार संभाला।
श्री. आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)- 28.04.2009 से कार्यभार संभाला।
श्री. के. एम. सिंह	पूर्णकालिक निदेशक और एन.एच.डी.सी. में मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित।
श्री. आर. के तनेजा	एनएचडीसी में निदेशक।
श्री डी. के. राय	एलडीएचसीएल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
श्री. विजय कुमार	एलडीएचसीएल में निर्देशक ।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार:

विवरण	2009-10 के दौरान	2008-09 के दौरान
निवेश	-	0.83

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 1.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.83 करोड रुपये) दिया गया और 31.03.2010 को कपनी की ओर बकाया राशि 0.31 करोड रुपये (पिछले वर्ष 0.83 करोड रुपये) थी।

20. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथी गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लिजिंज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यत: परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय है। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 15.15 करोड रुपये (विगत वर्ष 13.26 करोड रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुध्द वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप में दर्शाया गया है।

21. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार है:

	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
अशं के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (करोड रुपए)	2175.56	1184.89
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – आधारभूत – कम की गई	 11850379339 11850379339	 11182493430 11182493430
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) – आधारभूत – कम की गई	1.84 1.84	1.06 1.06
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

22. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''आय पर करों हेतु लेखांकन'' संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में संचयी विलंबित कर देयता निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपए में)

		01.04.2009	31.03.2010
विलंबित कर देयता			
i)	मूल्यह्रास	3375.66	3367.69
	घटाएं : विलम्बि कर आस्तियां		
ii)	समाहित न किया गया संचित मूल्यह्रास	79.77	12.80
iii)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय माना जाना है	131.23	-
iv)	संदेहास्पद ऋणों, स्व-बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु प्रावधान	76.22	74.17
v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	104.92	119.72
विलबिंत कर देयता (निवल)		**2983.52**	**3161.00**

23. संयुक्त उद्यमों में हित :

कंपनी का नाम	**निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात**	
	31.03.2010	**31.03.2009**
नेशलन हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	25%	-
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2010 की स्थिती के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमो के संदर्भ में आय और व्यय को नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

		निम्नांकित तारीख को 31.03.2010	**निम्नांकित तारीख को 31.03.2009**
क.	परिसंपत्तियां	1.47	0.83
ख.	देयताएं (इक्विटी सहित)	1.47	0.83
ग.	आकस्मिक देयताएं	-	-
घ.	पूंजी प्रतिबध्दताएं	-	-

		वर्ष 2009-10 के लिए	**वर्ष 2008-09 के लिए**
ङ.	आय	0.06	0.01
च.	व्यय	0.89	0.03

24. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2010 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

25. क) निदेशकों को अदा किया गया / अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक :

(करोड़ रुपये में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
(i) वेतन तथा भत्ते	0.77	0.62
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.07	0.04
(iii) आवासीय परिसर हेतु किराया	0.14	0.13
(iv) अन्य लाभ	0.12	0.05
(v) स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग शुल्क	0.23	0.08

ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक अधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी :-

	नॉन ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 एचपी तक	325 रुपय प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

26. सांविधिक लेखा परीक्षको को पारिश्रमिक

(करोड़ रुपये में)

	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
सांविधिक लेखा परिक्षा शुल्क	0.26	0.27
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.08	0.09
लेखा परीक्षा व्यय	0.32	0.30
अन्य मामले	0.43	0.27
लागत लेखा परिक्षक		
- लेखा परिक्षा शुल्क	0.07	0.07
- लेखा परिक्षा व्यय	0.01	0.01

27. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्यौरे:-

	विवरण	वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
(i)	लाइसेंस क्षमता (मेगावॉट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	स्थापित क्षमता (मेगावॉट)*	5139.20	5134.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	19928.32	18951.17
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट) ***	17893.10	16932.89

* लोकतक बिजलीघर की दर मुक्त क्षमता।

** अपुष्ट विद्युत शामिल है तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांसफोरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को निशुल्क विद्युत छोडकर।

(करोड़ रुपये में)

			वर्ष 2009-10 के लिए	वर्ष 2008-09 के लिए
28.	क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:		
		i) पूंजीगत वस्तुएं	155.17	381.66
		ii) कलपुर्जे	3.91	6.47
	ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
		i) ज्ञान	11.23	0.26
		ii) ब्याज	73.37	98.84
		iii) अन्य विविध मामले	104.44	251.96
	ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
		i) आयातित	0.89 (13.04%)	4.34 (40.52%)
		ii) देशीय	5.94 (86.96%)	6.37 (59.48%)
	घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
		i) ब्याज	-	-
		ii) अन्य	-	-

* प्रोदभवन आधार

** नकद आधार

29. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं.:-

(करोड़ रुपये में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी / प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षो में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौतीयोग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

30. (क) नकदी तथा नकदी-मूल्य में साख-पत्र सुविधा को खोलने के लिए बैकों मे पास रखी गबई मार्जिन राशि 14.34 करोड रुपय (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है जो 31.03.2010 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ख) नकदी तथा नकदी-तुल्य में कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की और से किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो के लिए रखे गए 488.41 करोड रुपये शामिल है, जो कंपनी के कारोबार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अनुसूची-9 के अंतर्गत ''ऋणों एवं अग्रिमों'' के अंतर्गत इन कार्यों के संदर्भ में ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं को दिए गए अग्रिम के रूप में दिए गए 93.58 करोड रुपये शामिल है।

31. संयुक्त उद्यम कंपनियों में हित सहित पिछले वर्ष के आंकडो/प्रारंभिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुन: समूहबध्द/पुन: व्यवस्थित:पुन: निर्धारित किया गया है।

विजय गुप्ता	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव**	**एस. के. गर्ग**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन 01601682	डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

		31 मार्च, 2010		31 मार्च, 2009	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		2754.17		1486.25
	जोड़ें :				
	पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास	1280.43		649.22	
	टैरिफ समायोजन/मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	115.30		122.24	
	छूट के अतिरिक्त ब्याज	690.52		737.96	
	अन्य प्रावधान/समायोजन	49.12		161.57	
	परिसंपत्तियों की बिक्री/अंतरण पर हानि / (लाभ)	(4.06)		(37.70)	
	विनिमय दर अंतर/उतार-चढाव समायोजन लेखा	42.90		106.10	
	लाभांश आय	(1.60)	2172.61	(1.33)	1738.06
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		4926.78		3224.31
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	माल सूची में (वृद्धि) कमी	(9.44)		(0.72)	
	चालू संविदा कार्य में (वृद्धि) कमी	(8.29)		55.63	
	प्राप्य में (वृद्धि) कमी	(766.25)		14.86	
	व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि कमी)	311.26	(472.72)	232.27	302.04
	कर से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		4454.06		3526.35
	घटाएं - अदा किया गया कर		421.23		150.39
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**4032.83**		**3375.96**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय/विक्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(3048.79)		(3260.72)
	परियोजना के अंतरण/बिक्री पर प्राप्तियां		0.24		2.32
	निवेश में कमी / (वृद्धि)		(1599.58)		256.44
	स्व. बीमा निधि पर प्राप्य लाभांश/ब्याज		1.86		1.33
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4646.27)**		**(3000.63)**
ग.	**वित्त-पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां		1178.25		-
	शेयर प्रीमियम		2868.74		-
	लाभांश और लाभांश कर		(260.31)		(436.91)
	ऋणों से प्राप्तियां		5446.95		4,792.48
	ऋणों का पुनर्भुगतान		(3865.64)		(3,440.41)
	एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए मध्यप्रदेश से प्राप्य निधियां		16.72		11.38
	व्याज तथा वित्तीय प्रभार		(1188.60)		(1,040.85)
	वित्त-पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**4196.11**		**(114.31)**
	नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**3582.67**		**261.02**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य		2606.86		2345.84
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		6189.53		2606.86

नकदी प्रवाह विवरण का स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते है अतिरिक्त, इसमें 14.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के प्रति बैंकों में रखा गया है।
2. ऋणों के निपटान हेतु निगम को आवंटित बॉण्ड और उन पर अर्जित ब्याज जो कि प्रमुख उत्पादन क्रियाकलाप से संबंधित है, को प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी का भाग माना गया है।
3. अचल परिसंपत्तियों और चालू निर्माण कार्य में निवेश में पूंजीकृत 494.65 करोड़ रुपए के ब्याज तथा वित्तीय प्रभार शामिल नहीं है।
4. 31.03.2010 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 9,403.86 करोड़ रुपए है।
5. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 488.41 करोड़ रुपये शामिल है, जो अन्य एजेंसियों की ओर से निगम द्वारा किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गये हैं और यह राशि निगम के कार्यव्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
6. पिछले वर्ष के आंकड़ों का जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिर्पोट के अनुसार

कृते जीएसए एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000257N

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

सुनील अग्रवाल
भागीदार
सदस्य संख्या 83899

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00055651

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.5.2010

240 मेगावाट उड़ी-II परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) - निर्माणाधीन कंक्रीट बांध

300 मेगावाट चमेरा-II पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) - बांध

120 मेगावाट सेवा-II पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर) - पावर हाउस

एनएचपीसी
NHPC

एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद-121003, हरियाणा (भारत)
वेबसाइट : www.nhpcindia.com

Printed at Shruti Art Pvt. Ltd.